खण्ड-242, अंक-7
शुक्रवार, 26 आश्विन, शक संवत् 1885
(18 अक्टूबर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८७१–८७५
१५ मार्च, १९६३ को श्री बिशनलाल यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न २९–३० के उत्तर का संशोधन	८७५–८७६
सभा-सचिव द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में जानकारी ..	८७६–८७७
प्रश्नोत्तर	८७७–९१७
प्रश्नों के संबंध में जानकारी	९१७–९१८
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें ..	९१८–९१९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	९१९
प्रदेश में चीनी की वितरण व्यवस्था संतोषजनक न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	९१९–९२०
लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने के संबंध में याचिका	९२१–९२२
नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं	९२२–९२३
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम	९२३–९२४
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	९२४–९३४
बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा ..	९३४–९६४
उत्तर प्रदेश में वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्य के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	९६४–९८६
प्रदेश में छात्रान्दोलन से उत्पन्न स्थिति पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	९८६–१०१४
बल्लियां	१०१५–१०३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ अक्तूबर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव,, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गँदावेवी, श्रीमती
गँदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीरामजाटव श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री

जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर,आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री

नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य

मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र गुवल, श्री

शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह श्री
सहदेवसिंह श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

---

१५ मार्च, १९६३ को श्री बिशनलाल यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९-३० के उत्तर का शोधन

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से १५ मार्च, १९६३ को श्री बिशनलाल यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न २९–३० का संशोधित उत्तर प्रस्तुत करती हूं—

मूल प्रश्न—

२९—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेंड्री स्कूल, बहजोई (जिला मुरादाबाद) के ऐसे कितने अध्यापक हैं जो १९६० की यू० पी० बोर्ड की परीक्षा में एस०एम० चन्दौसी कालेज, मुरादाबाद में इन्विजिलेटर का कार्य कर चुके हैं परन्तु उनको टी० ए० तथा डी० ए० का धन अब तक नहीं मिला है ?

३०—हायर सेकेंड्री स्कूल, बहजोई के अध्यापकों ने यू०पी० बोर्ड के सेक्रेटरी महोदय को लिखा तो सेक्रेटरी महोदय ने उत्तर दिया कि आपके बिल १८ अप्रैल, १९६२ को पत्र नं० एफ० ४/टी०ए०।जी०आर० थर्ड/२६० के अनुसार डाइरेक्टर महोदय, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद को सैन्कशन होने को भेज दिये गये हैं ? परन्तु अभी तक कुछ पता नहीं चला कि उन बिलों का क्या हुआ ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उक्त धनराशि दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

मूल उत्तर—

२९—हायर सेकेंड्री स्कूल, बहजोई नहीं बल्कि जूनियर हाई स्कूल, बहजोई के दो अध्यापकों सर्वश्री बुद्धसेन तथा सोहन लाल ने परिषद् की १९६० की परीक्षा में एस०एम० कालेज, चन्दौसी नहीं बल्कि एस० एम० हायर सेकेंड्री स्कूल, चन्दौसी केंद्र पर वाह्य निरीक्षक के रूप में कार्य किया था और उनके टी० ए० और डी० ए० का भुगतान अभी नहीं हुआ है।

३०—इस प्रश्न में जिस पत्र का हवाला है उसका संबंध उक्त अध्यापकों से नहीं है। एस० एम० हायर सेकेंड्री स्कूल, चन्दौसी केंद्र पर कार्य करने वाले सभी निरीक्षकों का बिल त्रुटिपूर्ण होने के कारण दिनांक ३१ अगस्त, १९६० को केंद्र व्यवस्थापक को इस आशय से वापस किया गया था कि वह संबंधित आपत्तियों को दूर करने के पश्चात् पास करने के लिये पुनः लौटावें। तीन स्मरण-पत्र जिसमें अंतिम पत्र २३ फरवरी, १९६३ को भेजा गया है, भेजने के बावजूद भी बिल वपास नहीं आया है। केन्द्र व्यवस्थापक से बिल वापस प्राप्त होने पर उसे पारित और भुगतान की कार्यवाही की जायगी।

संशोधित उत्तर—

२९—केवल ७।

३०—इस प्रश्न में जिस पत्र का हवाला है उसका संबंध उपरोक्त ७ अध्यापकों से नहीं ह। उसका संबंध एस०एम० हायर सेकेंड्री स्कूल, चन्दौसी केंद्र पर नियुक्त आर० आर० इंटर कालेज, बिलारी के उन अध्यापकों से था जिन्होंने १९६० में इन्विजिलेटर का कार्य किया था। उनका टी० ए० तथा डी० ए० का भुगतान हो चुका है। जहां तक हायर सेकेंड्री स्कूल, बहजोई के अध्यापकों को टी० ए० तथा डी० ए० की धनराशि दिलाने का प्रश्न है आपत्तियों के निवारण के पश्चात् बिल माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पारित किया जा चुका है किन्तु पुराना हो जाने के कारण नियमानुसार इसके प्रीआडिट की स्वीकृति शिक्षा निदेशक द्वारा दिया जाना आवश्यक ह और बिल इसीलिये ३ जुलाई, १९६३ को शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। आशा है कि बिलों का भुगतान हो जायगा।

सभा-सचिव द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में जानकारी

(श्री बंशीधर पांडेय के खड़े होने पर)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने श्री बंशीधर पांडेय को प्रश्नों का उत्तर देने के लिये अधिकृत कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

कल इस संबंध में मेरी रूलिंग हो चुकी है।

श्री रामायणराय—

पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने भी तो वही ओथ ली है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

पहले प्रश्न हो जाने चाहिये, फिर यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों से पहले वे यह जान सकते हैं कि माननीय बंशीधर पांडेय को अधिकार है या नहीं । इस बारे में कल कह चुका हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उन्होंने गलत शपथ ली है।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में मैंने जो कल आर्डर दे दिया है वही ठीक है ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १८ अक्तूबर, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न]

एच० टी० सी० केन्द्र, सैदपुर का परीक्षाफल न घोषित करना

*१—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर गवर्नमेंट एच०टी० सी० केंद्र पर द्वितीय वर्ष (एच०टी०सी०) की १९६२–६३ की जो वार्षिक परीक्षा हुई थी उसका परीक्षाफल आज तक न निकलने का क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उस केंद्र पर नार्मल के द्वितीय वर्ष वाले परीक्षार्थियों के १९६२–६३ की परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल की गई जिसके कारण परीक्षाफल अब तक घोषित नहीं किया जा सका ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौके पर कितने लड़के नकल करते पकड़े गये और उनके पास से क्या सामान निकला ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस संबंध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि कितने लड़के पकड़े गये और उनके पास से क्या सामान निकला ?

श्री कमलासिंह यादव—

इस संबंध में किस अधिकारी ने जांच की और वह किस निर्णय पर पहुंचे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जांच की। जांच समाप्त हो चुकी है और वह डाइरेक्टर, एजूकेशन विभाग, के यहां विचाराधीन है ।]

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

जिस हाल में लड़के नकल करते पकड़े गये, वहां के इन्विजिलेटर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह जांच रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, उस स्कूल के हेडमास्टर ने उन लड़कों से १०-१० रुपये काशन मनी के रूप में जमा किये थे कि वे उनको नकल करवायेंगे ? क्या यह चीज रिपोर्ट में है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार को उसकी जानकारी नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मौके पर कोई लड़का नकल करते नहीं पकड़ा गया और न ही कोई सामान पकड़ा गया। केवल कापियां देख कर यह ट्रेस किया गया कि नकल की गयी है। तो क्या यह सम्भव नहीं हो सकता है कि मास्टर ने उस विषय पर जो पढ़ाया हो वही जवाब सबने लिख दिया हो ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर नकल करने की बात साबित नहीं होती तो जो परीक्षाफल रुका हुआ है वह घोषित कर दिया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सभा सचिव जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उनको यह सूचना है कि केवल कुछ लड़के नकल करते हुये पकड़े गये थे तो स्कूल के सारे लड़कों का परीक्षाफल वह कब तक रोकेंगे और कब उसे निकालने जा रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जांच की कार्यवाही समाप्त होते ही और अंतिम निर्णय होते ही वे परीक्षाफल घोषित कर दिये जायंगे।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जिन्होंने नकल नहीं की उनका परीक्षाफल क्यों रोका गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी मामला जांच में है।

श्री उग्रसेन—

माननीय बंशीधर जी ने एक प्रश्न के दो उत्तर दिये हैं कि जांच हो चुकी है और जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि जब अंतिम निर्णय हो जायगा तब उत्तर दिया जायगा।

बिहार में बलिया जिले की जमीन

*२—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि बलिया जिले के जो गांव कटकर बिहार में चले गये हैं उन गांवों का बन्दोबस्त बिहार सरकार बिहार के किसानों के साथ कर रही है ? यदि हां, तो उसे रुकवाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

माल मन्त्री के सभा-सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

इस संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार ने डी०एम०, बलिया से इस बात की जानकारी की है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

मैंने नहीं दरियाफ्त किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्यों नहीं किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई माकूल वजह नहीं मालूम हुई।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कार्तिक का महीना है और हर साल बलिया और बिहार के किसानों में मारपीट होती है, और बुवाई का समय है। हमको निश्चय सूचना है कि वहां कत्ल भी हो सकते हैं। तो क्या सरकार इस बात की फिर से जांच करावेगी कि जब तक सीमा का स्थायी निर्धारण नहीं होता तब तक बिहार के किसानों को वह जमीन न मिले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बिहार सरकार क्या कर रही है, उसमें यह सरकार दखल नहीं दे सकती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय राजस्व मंत्री इस बात को देखते हुए कि बलिया के किसानों की बहुत-सी जमीन बिहार के किसानों के पास चली गई है और अब इस कार्तिक के महीने में जुताई, बुवाई का सवाल है तो क्या ऐसी झगड़ेवाली जमीन पर जो आज भी बलिया के किसानों के पास है, सरकार वहां के किसानों के प्रोटैक्शन के लिये डी० एम० को आदेश देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ये मसले बहुत पुराने हैं और प्राइम मिनिस्टर के आर्बिट्रेशन में हैं और आशा है कि जल्द फैसला हो जायगा।

श्री उग्रसेन—

तो क्या मंत्री जी सरकार की ओर से एक शिकायती पत्र त्रिवेदी कमीशन के पास भेजने की कृपा करेंगे कि आपके फैसले के पहले ही बिहार सरकार वहां की जमीनों का बन्दोबस्त कराके आपके कोर्ट का अपमान कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

मैं आशा करता हूं कि त्रिवेदी जी ये सब बातें देखेंगे।

श्री कमलासिंह यादव —

जो जमीन बलिया की बिहार में कटी है वह धीरे-धीरे कटी है या एकाएक कटी है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन —

ये सब मामलात उसी में तय होंगे।

विश्वविद्यालयों में एन० सी० सी० की ट्रेनिंग

*३—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित) —

क्या यह सच है कि सरकार ने विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया है कि बी० ए० (प्रथम वर्ष) की कक्षाओं में एन० सी० सी० की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जाय ? यदि हां, तो क्या यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो सरकारी कर्मचारी उक्त कक्षाओं में पढ़ रहे हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

कुलपति ने विश्वविद्यालयों व डिग्री कालेजों में एन० सी० सी० की ट्रेनिंग को अनिवार्य करने का सुझाव विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को दिया था। यह नियम प्रथम डिग्री के छात्रों पर लागू होगा। जो छात्र अस्वस्थता के कारण अयोग्य घोषित होंगे उन्हें एन० सी० सी० में सम्मिलित होने से छूट दी जा सकती है।

*४—श्री बलवानसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि जो छात्र उक्त ट्रेनिंग में शामिल नहीं होते तो उनसे प्रति परेड २ रु० जुर्माना लिया जायगा और बाद को उनका नाम कक्षा से काट दिया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

परेड से बिना छुट्टी लिये अनुपस्थित होने पर लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों में प्रति परेड १ रु० तक जुर्माने की व्यवस्था है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नियमों में १ रु० प्रति परेड व आगरा विश्वविद्यालय के नियमों में ५० नये पैसे प्रति परेड जुर्माना की व्यवस्था है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियमों में कोई भी जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

[१८ अक्तूबर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सहायक अभियन्ता

*१—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने स्थायी और कितने अस्थायी सहायक अभियन्ता काम कर रहे हैं और अस्थायी सहायक अभियन्ताओं में से कितने पब्लिक सर्विस कमीशन से स्वीकृति पा चुके हैं तथा कितने नहीं और जो स्वीकृति नहीं पा सके हैं उनमें से सब से पुराने व्यक्ति की नियुक्ति की तिथि तथा नये व्यक्ति की नियुक्ति की तिथि क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री गिरधारीलाल) —

सार्वजनिक निर्माण विभाग में १३३ स्थायी और ३४० अस्थायी सहायक अभियन्ता कार्य कर रहे हैं। अस्थायी सहायक अभियन्ताओं में से ३०७ लोक सेवा आयोग से स्वीकृति पा चुके ह तथा ३३ नहीं। स्वीकृति न पाने वालों में सबसे पुराने व्यक्ति की नियुक्ति की तिथि २१-१०-५८ तथा सबसे नये व्यक्ति की नियुक्ति की तिथि १६-१०-६३ है।

*२—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित) —

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के जी० ओ० संख्या ४१६२-ई० बी० आर/२३-पी० डब्ल्यू-डी०-पी० डी० आर०-५४, तारीख ७ दिसम्बर, १९६१ के अन्तर्गत अस्थायी सहायक अभियन्ताओं को नये व्यक्तियों से कम्पटीशन करना पड़ा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

अस्थायी सहायक अभियन्ताओं का मुस्तकिल जगहों के लिये नये व्यक्तियों के साथ प्रतियोगिता (कम्पटीशन) करने का कोई प्रश्न नहीं है। इस समय कार्य कर रहे अस्थायी सहायक अभियन्ताओं, सबार्डिनेट सर्विस से पदोन्नति होने वाले सहायक अभियन्ताओं तथा बाहर से परीक्षा द्वारा भर्ती किये जाने वाले सहायक अभियन्ताओं के लिये अलग-अलग मुस्तकिल पदों की संख्या सुरक्षित है। कार्य कर रहे अस्थायी सहायक अभियन्ताओं को इस वर्ग के लिये सुरक्षित पदों पर स्थायी करने के लिये चुनाव किया जाता है। इन लोगों को यह भी सुविधा दी जाती है कि यदि वे चाहें तो परीक्षा में भी ४० वर्ष की आयु तक, नये व्यक्तियों के साथ उस वर्ग के लिये सुरक्षित पदों पर स्थायी होने के लिये, बैठ सकते हैं।

*३—श्री कल्पनार्थसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३ वर्ष से ऊपर के काम करने वाले ऐसे सहायक अभियन्ता जिनकी चरित्र पंजिका व सेवा नियम ठीक है उन्हें बिना कम्पटीशन के स्थायी करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

इस समय कार्य कर रहे अस्थायी सहायक अभियन्ताओं को ७ दिसम्बर, १९६१ के जी० ओ० के अनुसार ५० प्रतिशत पदों पर स्थायी करने के लिये चुनाव किया जाता है जिसमें चरित्र पंजिका का विशेष ध्यान रक्खा जाता है।

सदर तहसील में चकबन्दी के मुकदमे

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की सदर तहसील में चकबन्दी कानून, ऐक्ट नं० ३८, २७ नवम्बर, १९५८ के पास होने के बाद पुराने चकबन्दी की दफा १२ व २० के कुल कितने मुकदमें रिफरेंस में सिविल जज के यहां सन् १९५८ के पहले तक तथा बाद में अलग-अलग भेजे गये तथा उनमें कुल कितने फैसले हुए और कितने बाकी हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

धारा १२ एवं २० के अन्तर्गत २७ नवम्बर, १९५८ के पूर्व १८९ तथा उसके बाद ३,०३६ मुकदमें सिविल जज के पास अलग-अलग भेजे गये।

उपर्युक्त ३,२२५ मुकदमों में से अब तक सिविल जज ने कुल २,४२० मुकदमों में निर्णय दिया जिनमें ९०० ऐसे मुकदमें भी शामिल हैं जो सिविल जज द्वारा चकबन्दी अधिकारियों को सुन्दरलाल बनाम सिविल जज, बाराबंकी में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रूलिंग के आधार पर निर्णय देने के लिये लौटा दिये गये हैं।

८०५ मुकदमे अभी शेष हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष ८०५ धारा १२ और २० के मुकदमों के किसान खेत पर पजेशन पा चुके हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में वे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

इसके लिये मैं सूचना चाहता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जो १०० मुकदमें सुन्दरलाल बनाम सिविल जज बाराबंकी के न्यायालय से निर्णीत हो चुके हैं और हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है तो उस बेसिस पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

कंसालिडेशन कश्मिनर ने सुझाव दिया है कि दफा ४९ में सूटेबिल तरमीम कर दी जाय तो वह फैसले आसानी से हो सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

२७ नवम्बर, १९५८ से आज १९६३ तक करीब ८०५ मुकदमे शेष हैं और उसके बाद भी कुछ सौ मुकदमे के करीब अभी भी जज सिविल कोर्ट के फैसले के मुताबिक 'डिसपोज-आफ' नहीं हुये हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक किसानों का उनकी सम्पत्ति पर कब्जा नहीं हो पाया है कानून से, तो क्या माननीय मन्त्री जी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो किसान अपने कुल खेतों पर काबिज थे वे काबिज रहें, जब तक यह फैसला न हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जब तक मुकदमा चल रहा है, मैं कोई दखलअन्दाजी नहीं कर सकता।

पंना ग्राम के किसानों को मुआवजा

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) —

क्या २२ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १ नत्थी 'ख' के क्रम में सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो काश्तकार मुआवजे का रुपया नहीं लेने आये हैं क्या सरकार उनके मकान पर मनीआर्डर द्वारा भेजने की व्यवस्था कर रही है और जिन काश्तकारों का पक्का कुआं सड़क में शामिल कर लिया है उसका मुआवजा दे दिया गया है या नहीं ?

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल) —

जी नहीं। नियमों के अनुसार रेवेन्यू डिपाजिट की मद में जो मुआवजे की रकम जमा हो गयी है वह केवल सम्बन्धित व्यक्तियों के आवेदन पर ही Payment Voucher द्वारा निकाली जा सकती है। मानी आर्डर द्वारा कोई रकम नहीं भेजी गई।

पक्का कुआं आदि जो सड़क में पड़े थे उनका प्रतिकर, सम्बन्धित व्यक्तियों को जो दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ को उपस्थित थे, वितरित कर दिया गया है। अब शेष प्रतिकर पुनः किसी दूसरी निश्चित तिथि पर वितरित किया जायेगा।

श्री गणेशचन्द्र काछी —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे मामले कितने रह गये हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल —

सूचना चाहिये।

श्री गणेशचन्द्र काछी —

क्या सरकार किसी निश्चित तारीख की घोषणा करेगी, चूंकि यह बहुत पुराना मामला हो चुका है कि फलां तारीख तक उनको मुआवजा मिल जायगा ?

श्री गिरधारीलाल —

मैं निश्चित तारीख बताने की पोजीशन में तो नहीं हूं लेकिन इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री मैनेजरसिंह —

क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार का आदेश जारी करेंगे कि जो जमीन सरकारी कार्यों के लिये हस्तगत की जाय उसका मुआवजा तीन महीने के अन्दर या किसी निश्चित अवधि के अन्दर किसानों को दे दिया जाया करे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन्, कम्पेनसेशन तो तय हो जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको तय करता है। जब तय हो जाता है तो आगे जो प्रोसीजर है उसको पूरा करके उनको मिलता है।

श्री अध्यक्ष—

वह चाहते हैं कि उनको तीन महीन के अन्दर मिल जाय।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कोई अवधि मुकर्रर करना उचित नहीं हो सकता।

*६—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[४थे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रुद्रपुर-राप्ती कछार जन-सम्मेलन का बाढ़ सम्बन्धी प्रस्ताव

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक १७ जुलाई, १९६३ को दिनांक १२ जुलाई, १९६३ को सम्पन्न हुये सातवें रुद्रपुर राप्ती कछार जन-सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव कि बाढ़ के आने पर सहायता कैसे हो, भेजा है। यदि हां, तो उन सुझावों पर अमल करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

बालिका सीनियर बेसिक स्कूल

*८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में कितने बालिका सीनियर बेसिक स्कूल खोलने की योजना पर सरकार विचार कर रही है तथा ये किन-किन जिलों में कितनी संख्या में खोले जायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय —

चालू वित्तीय वर्ष में कुल ५९ बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से १२ सरकारी और ४७ गैर सरकारी होंगे। इसमें से ५५ के स्थान स्वीकृत किये जा चुके हैं। उनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०१५–१०१६पर)

*९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्षों में पहले खोले गये तथा इस वर्ष खोले जाने वाले ऐसे विद्यालयों के रख-रखाव पर सरकार कितना धन व्यय करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय —

प्रश्नगत स्कूलों के रख-रखाव पर अनुमानित व्यय निम्नवत् होगा :

		रु०
(क) राजकीय विद्यालय	.. ..	५,५०,०००
(ख) गैर सरकारी विद्यालय	.. ..	३,१३,७००

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतायेंगे कि आपने जो राजकीय विद्यालयों को अनुदान दिया है वह ५,५०,००० रुपया है जब कि गैर सरकारी स्कूलों को ३,१३,७०० रुपया ही दिया गया है इस भेद-भाव का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय —

तृतीय पंचवर्षीय योजना से पहले ही यह तय किया गया कि प्रदेश में इतने सरकारी और इतने गैर सरकारी स्कूल खुलेंगे उनमें से बालिका विद्यालय ६० खोलने थे, ५ वर्षों में, १२ स्कूल प्रति वर्ष के हिसाब से। ये तो सरकारी थे। और १६५ खोलने थे गैर सरकारी, ३३ स्कूल प्रति वर्ष के हिसाब से। अब इनमें जो सरकारी हैं उनका तो सरकार पूरा खर्चा बर्दाश्त करती है लेकिन गैर सरकारी स्कूलों के अनावर्तक खर्चे का ७५ प्रतिशत और मेन्टेनेन्स का ५० प्रतिशत सरकार देती है। इसलिये दोनों खर्चों में फर्क है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) —

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बतायेंगे कि भारत सरकार ने जो बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये उदारता पूर्वक अनुदान देने की घोषणा की है, क्या उस अनुदान को मद्देनजर रख कर ही इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय —

तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बनाकर ही यह स्कूल खोलने का कार्यक्रम बनाया गया था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जौनपुर जिले में ये सीनियर बालिका विद्यालय कितने सरकारी और कितने गैर सरकारी खुलने वाले हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय —

जौनपुर जिले में नहीं खोले जा रहे हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन) —

तीसरी पंच-वर्षीय योजना में बुदेलखंड को प्राथमिकता देने की बात है, तो क्या कारण है कि इस सम्बन्ध में बुन्देलखंड को प्राथमिकता नहीं दी गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय —

चार-पांच साल हुए शिक्षा विभाग की ओर से सारे प्रदेश में एक एजूकेशनल सर्वे हुआ था कि कहां पर किस ब्लाक में कितने प्राइमरी स्कूल्स, जूनियर हाई स्कूल्स व हायर सेकेन्डरी स्कूल्स की जरूरत है। आप देखेंगे कि सर्वे रिपोर्ट में मार्क्स लगे हुये हैं, जहां खोले गये हैं वहां भी मार्क्स

हैं जहां खोले जाने के लिये प्रपोज्ड हैं वहां भी हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिकता का प्रश्न नहीं पैदा होता। जहां पिछड़ापन है उसको मद्देनजर रखते हुये ही सरकार ने योजना बनायी होगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय —

यह देखते हुये कि पूर्वी जिले के पिछड़े हुये जिलों में से जौनपुर का भी एक जिला है, और वहां लड़कियों की शिक्षा केवल २० प्रतिशत है, क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी स्थिति होते हुये भी क्या कारण है कि जौनपुर में बालिका सीनियर बेसिक विद्यालय नहीं खोला गया है?

श्री बंशीधर पांडेय —

शिक्षा विभाग ने पिछड़े हुये जिलों को मद्देनजर रखते हुये ही यह कार्य किया है। अगर आवश्यकता होगी तो इस पर और भी विचार हो सकता है।

गोरखपुर जिले में जमीन हड़पने की शिकायत

*१०—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री को मई के प्रथम सप्ताह में देवरिया के एक विधायक का इस आशय का पत्र मिला है कि गोरखपुर जिले के करेंदा, महाराजगंज तथा सदर तहसीलों में एक हजार एकड़ से अधिक भूमि सरकारी अधिकारियों ने फर्जी रूप से हड़प ली है?

श्री रामकुमार शास्त्री —

जी हां।

*११—श्री उग्रसेन —

क्या राजस्व मन्त्री उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री रामकुमार शास्त्री —

प्रतिलिपि रख दी गई।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०१७ पर)

*१२—श्री उग्रसेन —

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त शिकायती-पत्र पर उन्होंने कौन-सी कार्यवाही की और उसका फल क्या निकला?

श्री रामकुमार शास्त्री —

वह पत्र जिलाधीश को जांच के लिये भेजा गया। जांच से पता चला कि हड़पने का आरोप सही नहीं है।

श्री उग्रसेन —

जो पत्र मैंने सरकार को लिखा था उसमें स्पष्ट लिखा है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, रीजनल फूड कन्ट्रोलर, मेरठ; श्री बुद्धाराम, एस० डी० ओ०, तहसील महाराजगंज; श्री बेचूराम, नायब तहसीलदार, करेंदा; श्री महातम मणि, टाइपिस्ट, कलेक्टरेट, गोरखपुर; श्री बाजपेयी, वकील, गोरखपुर; श्री सुभद्र राम त्रिपाठी, हेड क्लर्क, कोर्ट आफ वार्ड्स, गोरखपुर; श्री भगवती वर्मा, पेशकार ने चेतिया स्टेट की जमीन प्राइवेट तरीके से ली, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कलेक्टर ने कैसे रिपोर्ट लिख कर दिया कि यह जमीन हड़पी नहीं गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसन—

श्री बुद्धाराम के नाम कोई जमीन रकार्डेड नहीं है, बकिया लोगों के नाम जमीन रेकार्डेड है। जमींदारी एबालिशन के पहले उनका बन्दोबस्त हो चुका था जमींदारों के जरिये या कोर्ट आफ वार्ड्स के जरिये। उस वक्त ग्राम समाज का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। जमींदारी एबालिशन के बाद ग्राम समाज बने। लिहाजा यह कहना कि ग्राम समाज की जमीन हड़प ली गयी, यह ठीक नहीं है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको याद है कि जब जमींदारी टूटी और ग्राम समाज उस कानून के अन्तर्गत बने तो ग्राम समाज ने इन लोगों के खिलाफ कलेक्टर को दरख्वास्त दी कि यह जमीन ग्राम समाज की है और वह उन्हें मिलनी चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी सूचना मुझे नहीं है कि कोई ऐसी दरख्वास्त गुजरी थी।

श्री रामायणराय—

क्या राजस्व मन्त्री जी को मालूम है कि इन लोगों ने इस जमीन पर हाल में कब्जा किया है क्योंकि जमींदारों के पास पुरानी रसीद पड़ी हुई थी और वही रसीद काट कर उन लोगों ने उनको दे दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं जमींदारों के भेद जानन की पोजीशन में नहीं हूं कि क्या-क्या उन्होंने किया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि उस जमीन का इन्तजाम जमींदारों के समय में ही हो गया था तो मैं बतला दूं कि मेरी सूचना यह है और सारे कागजात मेरे पास हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट के मातहत श्री बुद्धाराम ने, जो एस० डी० एम०, महाराजगंज थे, कलेक्टर श्री एस० एन० एम० त्रिपाठी से मिल कर अपनी बीबी के नाम जमीन करा ली ? क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे और यदि जांच सही पायी गयी तो उस जमीन को गांव समाज को दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टर की रिपोर्ट है कि बुद्धाराम और उन की बीबी क नाम कोई जमीन रिकार्डेड नहीं है।

श्री उग्रसेन—

है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी कह रहे हैं कि उनकी सूचना के अनुसार यह है, अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप उनको सम्बन्धित कागजात दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

†कलेक्टर की रिपोर्ट है कि बुद्धाराम और उनकी बीवी के नाम कोई जमीन रिकार्डेड नहीं है। जहां तक माननीय नरसिंहनारायण पांडेय की बात है कि लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट में ली है तो इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री उग्रसेन—

इस बात को जानते हुए कि यह अधिकारी वर्ग के लोग बुद्धा राम और राजेन्द्रसिंह बड़े-बड़े सरकारी पदों पर हैं और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि पुरानी रसीदों पर फर्जी कार्यवाही किये हैं तो क्या इन बातों को देखते हुए मन्त्री जी स्वयं मौके पर जाकर इस की तहकीकात करेंगे और सर्विस कन्डक्ट रूल्स के अनुसार कार्यवाही उन के खिलाफ करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मौके पर हम जांच करें।

*१३-१५—श्री भगवानसहाय—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१६-१७—श्री सुखदेवप्रसाद—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

भारतीय महिला विद्यालय, टूंडला के प्रबन्धक की गिरफ्तारी

*१९—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि आगरा में किसी महिला विद्यालय के प्रबन्धक को २३ मार्च, १९६३ के आस-पास ही ५७,००० रु० के जाली बिलों का भुगतान का प्रयास करते हुए पकड़ा गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, भारतीय महिला विद्यालय, टूंडला के प्रबन्धक श्री सनेही लाल ने श्री डी० बी० सिंह, प्रबन्धक, पब्लिक हायर सेकेन्डरी स्कूल, सिकन्दरा, आगरा के जाली हस्ताक्षर से सरकारी खजाने से मार्च १९, १९६३ को ५७,८१४ रु० की रकम लेने का प्रयास किया किन्तु वह जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा द्वारा रंगे हाथ पकड़े गये और गिरफ्तार करा दिये गये। अब उन पर पुलिस केस चल रहा है।

सरकारी रकम की कोई हानि नहीं हुई।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस प्रकार के अन्य काम भी उन्होंने इससे पहले किये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनकी पहले की कार्यवाहियों की सूचना तो मेरे पास नहीं है।

---

†३१ अक्तूबर, १९६३ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

इंटर कालेज, मछलीशहर के अनुदान का निलम्बन

*२०—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले में इन्टर कालेज, मछलीशहर में जुलाई, सन् १९६२ से कोई मैनेजिंग कमेटी कार्य नहीं कर रहीं है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां।

विद्यालय का अनुदान निलम्बित कर दिया गया है।

श्री माताप्रसाद—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने रिपोर्ट दिया है कि चूंकि यहां पर २ कमेटियां गैरकानूनी तरीके से कार्य कर रही हैं इसलिये दोनों को निलम्बित करके एक प्रशासक की नियुक्ति की जाय?

श्री बंशीधर पांडेय—

हां, यह सही है।

श्री माताप्रसाद—

ऐसा है तो प्रशासक की नियुक्ति न करके अनुदान निलम्बित करने का क्या कारण है?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब इस तरह का २ कमेटियों में झगड़ा होता है तो वह अपना औचित्य कोर्ट से तय कराते हैं इसलिये इस बीच में सरकार ग्रान्ट को सस्पेंड कर के विद्यालय निरीक्षक को अधिकार दे देती है कि वह अध्यापकों का वेतन उस ग्रान्ट से बांट दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि यह दो प्रबन्ध समितियां, जो काम कर रही थीं, उन में से एक को भूतपूर्व मन्त्री श्री रऊफ जाफरी साहब चला रहे हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मन्त्री जी बतायेंगे कि जो अनुदान सस्पेंड किया है, वह इन्स्पेक्टर के नाम इस समय दिया जा रहा है तो क्या उससे टीचर्स की तनख्वाहें दी जा रही हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह तो मैंने पहले कह दिया कि ग्रान्ट सस्पेंड होने से अध्यापकों के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जो कमेटियां सस्पेंड हैं उनमें से कोई कमेटी ऐसी है जिसने ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम के आधार पर अपनी कमेटी का निर्माण किया है और उसे भी काम नहीं करने दिया जा रहा है?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह सारा मामला विचाराधीन है और जब तय हो जायगा तभी कहा जा सकता है कि कौन-सी कमेटी सही है।

श्री माताप्रसाद—

इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स ने एक ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की सिफारिश की थी तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐडमिनिस्ट्रेटर तब नियुक्त करते हैं जब समिति के कार्य में बहुत बड़ा गोलमाल हो। अभी तो समिति के निर्माण के कार्य-क्रम में गलती है और यह प्रश्न विचाराधीन है।

*२१—श्री माताप्रसाद—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

मेरठ कालेज के विद्यार्थी अरविन्द कुमार को बरसरी न मिलना

*२२—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में बरसरी देने का आधार योग्यता (मैरिट) है? यदि हां, तो मेरठ कालेज, मेरठ के एम० ए० द्वितीय वर्ष (१९६३) के छात्र अरविन्द कुमार को बरसरी क्यों नहीं दी गयी जबकि उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दी गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बरसरी देने का आधार योग्यता व निर्धनता है तथा बरसरी उन्हीं को दी जाती है जो इसके लिये प्रार्थना-पत्र उचित समय के अन्दर दे देते हैं। श्री अरविन्द कुमार ने कोई प्रार्थना पत्र बरसरी देने के लिये नहीं दिया था इस कारण इन्हें बरसरी नहीं प्रदान की जा सकी।

*२३—श्री राजेन्द्रसिंह—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

कोआपरेटिव फार्मिंग के चक

*२४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन कृषकों ने कृषि की उन्नति के लिये अपनी जोतों को मिला कर कृषि सहकारी समिति बना ली हो तो उनके चक इकजाई चकबन्दी में काटे जायं? क्या सरकार ने ऐसा करने के लिये चकबन्दी विभाग को कोई हिदायत दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस विषय में सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किये हैं। चक काटने का काम चकबन्दी अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार किया जाता है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या इस किस्म के नियम हैं कि जिन काश्तकारों ने अपनी जमीनों को मिला कर कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बना ली हो उनके चकबन्दी में एकजाई चक काटे जायं? अगर ऐसे आर्डर नहीं हैं तो क्यों नहीं आपने इस बात पर ध्यान दिया जिससे कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज की उन्नति हो सके?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं टेन्योर होल्डर की डेफीनीशन को विस्तृत बनाना चाहता हूं, वह विचाराधीन है। जब तक वह न हो जाय तब तक रूल बनाने से काम नहीं चलता।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

मन्त्री जी को ज्ञात है कि मेरे क्षेत्र में विकास खंड ऊंचागांव, में जो कोग्रापरेटिव फार्मिग सोसाइटीज का पायलट प्रोजेक्ट है, वहां यह कठिनाई ज्यादा मालूम हो रही है कि जो कोग्रापरेटिव फार्मिग सोसाइटीज हैं उनके चक एकजाई नहीं काटे जा रहे हैं बल्कि तितर-बितर कट रहे हैं। तो वहां की शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मौजूदा कायदे से कोग्रापरेटिव सोसाइटीज के मेम्बरान अगर अपनी अपनी जमीन के मालिक रहते हैं तो हरएक की सेपरेट होल्डिग होती है और जब कोग्रापरेटिव सोसाइटी मालिक बन जाती है सारी जमीन की होल्डिग एक साथ होती है। डेफीनीशन में तरमीम लाने जा रहे हैं ताकि जो दिक्कत पड़ रही है उसको दूर किया जा सके।

श्री काशीनाथ मिश्र---

राज्य सरकार के जो दो घोषित लक्ष्य हैं उनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिये। एक तरफ आप कहते हैं कि कोग्रापरेटिव मूवमेंट हो और दूसरी तरफ आप इस तरह की कोग्रापरेटिव फार्मिग सोसाइटीज के चक एक साथ नहीं काटते यह कहां तक उचित है ? मन्त्री जी ने कहा कि चकबन्दी अधिनियम के मुताबिक चकबन्दी होती है और अधिनियम में कहीं ऐसा नहीं है कि अगर कोग्रापरेटिव फार्म्स बने हों तो उनके एकचक काटे जायं। तो क्या मन्त्री जी कंसोलीडेशन के अन्दर ऐसा अधिनियम बनायेंगे कि जहां भी किसानों ने अपनी कोग्रापरेटिव फार्मिग बना ली है उसका एक चक काटा जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैंने कहा कि कई किसानों ने मिल कर अगर एक कोग्रापरेटिव फार्मिग सोसाइटी बनायी है और हरएक आदमी अपनी अपनी होल्डिग का अलग-अलग मालिक है तो चक एक साथ नहीं कट सकते। लेकिन अगर ज्वाइन्ट ओनरशिप होती है तो ऐसा हो सकता है। इसलिये जो दिक्कत पड़ रही है उसका मैंने जिक्र कर दिया। उसके लिये टेन्योर होल्डर की डेफीनीशन को विस्तृत करने की सोच रहे हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

एक सम्मिलित परिवार में जब ५-६ लोग अपने खेतों को एक ही चक में, अपनी सारी जमीन को संकलित करना चाहते हैं, तो यदि गांव के १०-१२ लोग यह चाहते हैं कि उनके चक एक ही जगह पर हो जायें तो सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इस सम्बन्ध में ऐसा रूल है कि २ या २ से अधिक व्यक्ति सी० ओ० को दरख्वास्त दे दें कि एक ही किस्म का टेन्योर है तो सी० ओ० कर भी देते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हमारे उत्तर प्रदेश की टेनेन्सी को आप देखें तो आप देखेंगे कि ज्वाइन्ट अधिकतर नहीं है। अलग-अलग ओनरशिप है। ऐसी सूरत में अधिनियम बनाने की कृपा करेंगे कि जहां पर कोग्रापरेटिव फार्मिग पहले से बनी हुई है अगर उनके खेत अलग-अलग भी हैं उनको एक चक दे दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

प्रश्नकर्ता के जवाब में मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

*२५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

[हटा दिया गया।]

*२६—श्री रियासत हुसैन--

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२७-२९—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

घोसी से छात्रों का परीक्षा-शुल्क सम्बन्धी पत्र

*३०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी, जिला आजमगढ़ के कुछ छात्र एवं छात्राओं ने दिनांक १५ जून, १९६२ को लिखित रजिस्टर्ड पत्र सचिव, शिक्षा विभाग को भेजा है जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के परीक्षा शुल्क इत्यादि के सम्बन्ध में शिकायत की है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कौन सी कार्यवाही की गयी और परिणाम क्या निकला?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रश्न में संदर्भित विषय पर १५-६-६२ का कोई भी पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३१—श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रश्न नहीं उठता।

*३२—श्री रामसुन्दर पांडेय--

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

आप्शनल विषय

*३३—श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड ने जो हाल में सिलेबस में परिवर्तन किया है उसके अनुसार इन्टरमीडिएट विद्यार्थियों को तीन आप्शनल विषय और हाई स्कूल में दो आ शनल विषय पढ़ने पड़ेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी, हां।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी इस बात को महसूस करते हैं या नहीं कि यह एक बहुत बड़ी गल्ती है कि इन्टरमीडिएट में ३ आप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और हाई स्कूल में २ आप्शनल सब्जेक्ट्स रखे गये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

आपको याद होगा कि १९४६ के पहले भी हाई स्कूल में ५ सब्जेक्ट्स थे जिनमें ४ अनिवार्य होते थे और एक आप्शनल और इन्टरमीडिएट में एक अनिवार्य होता था, ३ आपशनल होते थे। बाद में हाई स्कूल में ६ सब्जेक्ट्स हो गये। अब शासन ने फिर उनको ५ सब्जेक्ट्स कर दिया है और हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य है। इस वक्त ३ आप्शनल में हैं और इन्टरमीडिएट में २ अनिवार्य हो गये हैं इसलिये कि एक हिन्दी भी आ गया है। ३ आ शनल हैं। ३ पहले भी थे। अब हिन्दी बढ़ गयी है। अंग्रेजी पहले भी अनिवार्य विषय था।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि सिलेबस में जो नयी तब्दीली हुई है इससे बहुत से विद्यार्थियों को इन्टरमीड़िएट में एक ऐसा विषय पढ़ना पड़ेगा जिसका उसे ज्ञान नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे विषय का खासतौर से असर जो टैक्नीकल साइड के स्टूडेन्ट्स होंगे उन पर पड़ेगा। इन्टरमीडिएट में साइन्स साइड के स्टूडेन्ट्स को कम समय मिल पाता है। चूंकि इमर्जेन्सी में वैज्ञानिकों की आवश्यकता के कारण, जो ५ विषय रखे गये हैं उनमें भी हायर अंग्रेजी और लोअर अंग्रेजी को २ पर्चों में बांट दिया गया है-हायर इंग्लिश, लोअर इंग्लिश- और जो हायर टेक्निकल साइड के स्टूडेन्ट्स हैं साइन्स साइड के, उनको ५ के स्थान पर ४ १/२ ही रह गये तथा इस प्रकार आधा सबजेक्ट साइन्स स्टूडेन्ट्स को मिल गया है, इसलिये इन सब्जेक्ट्स में इतना परिवर्तन कर दिया गया है।

(सर्वश्री काशीनाथ मिश्र और उग्रसेन के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जब आपकी पार्टी के नेता खड़े हों तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इंटरमीडियेट और हाई स्कूल में हायर हिन्दी और लोअर हिन्दी किन-किन विद्यार्थियों को पढ़नी पड़ेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हाई स्कूल में ३ अनिवार्य और दो आप्शनल विषय हैं यानी ६ के बजाय ५ विषय होंगे। इंटरमीडियेट में जो टैक्निकल साइड और साइंस साइड के स्टूडेंट्स होंगे वे आप्शनल विषय में हिन्दी और अंग्रेजी में हायर हिन्दी के साथ लोअर इंग्लिश और हायर अंग्रेजी के साथ लो कर हिन्दी लेंगे, लेकिन लिट्रेरी ग्रुप में के विद्यार्थियों को यह छूट नहीं होगी।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

जो लोअर हिन्दी है उसके लिये पुस्तक क्या अलग लिखी गयी है या पाठ्यपुस्तक से जिसको ऐडवान्स हिन्दी कहते हैं, उसके दो चार पाठ अलग कर दिये गये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

विषय वही हैं। जो पर्चे होते हैं वे दो और तीन कर दिये गये हैं। लोअर हिन्दी में एक पर्चा कम कर देना होगा और उसके भाग थोड़े अलग कर दिये गये हैं।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)--

इंटरमीडियेट में २ कम्पलसरी विषय हैं और तीन आप्शनल और हाई स्कूल में ३ कम्पलसरी और दो आप्शनल हैं। तो इंटरमीडियेट में जो विद्यार्थी आयेंगे उनको एक ऐसा विषय लेना होगा और उसके भाग थोड़े अलग कर दिये गये हैं। ऐसा विषय लेना होगा जो हाई स्कूल में उसने नहीं पढ़ा होगा ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि क्या इंटरमीडियेट में आ कर एक ऐसा विषय लेना पड़ेगा अनिवार्य विषयों के साथ जो छात्र ने हाई स्कूल में नहीं पढ़ा है ?

श्री बंशीधर पांडय--

अनिवार्य नहीं है। आप्शनल इंटरमीडियेट में एक और लेना होगा। इंटरमीडियेट में आप्शनल पहले भी पढ़ते थे।

श्री अध्यक्ष--

जवाब यह है कि एक विषय और पढ़ना होगा।

श्री मेघनार्थसिंह शिशौदिया--

पहले हाई स्कूल में ५ विषय थे और अब फिर ५ हो गये तो उस वक्त क्या इंटरमीडियेट में ४ थे ? अब हाई स्कूल और इंटरमीडियेट में ५ हैं। दूसरे इंटरमीडियेट में जो नया विषय पढ़ना पड़ेगा उसके लिये हाई स्कूल में कोई ग्राउन्ड तैयार नहीं की गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

उसके सम्बन्ध में वे क्या बतलायेंगे ?

श्री रघुनार्थसिंह--

हाई स्कूल में एक विषय कम कर दिया गया और उसका उद्देश्य यह बताया गया कि लड़का विज्ञान और दूसरे टैक्निकल विषयों को पढ़ने के लिये ज्यादा समय पा सके, लेकिन साथ ही यह व्यवस्था कर दी कि अंग्रेजी टेक्स्ट बुक्स, प्रोज और पोयट्री का अर्थ हिन्दी में कराया जाता था अब उसका अर्थ अंग्रेजी में ही कर दिया गया है और लड़कों का ८वें दर्जे का स्टैंडर्ड वही पुराना होगा, इसको लेकर सारी शिक्षा संस्थाओं में बड़ी चिन्ता व्याप्त हो गई है तो क्या सरकार उसी पुराने ढंग को अपनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जब सिलेबस तैयार होंगे तब इन सारी बातों पर विचार किया जा सकता है।

श्री रघुनार्थसिंह--

मेरी बात का जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त हम शिक्षा प्रणाली के समूचे ढ़ांचे पर विचार नहीं कर रहे हैं। एक स्तर पर दो आप्शनल हैं और दूसरे स्तर पर ३ आप्शनल हैं, इस से क्या-क्या दिक्कतें पदा होती हैं यही प्रश्न अब हमारे सामने है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शिक्षा के काम के ऊपर सारे वक्त एग्जामीनेशन चलता रहता है। अगर कोई परिवर्तन करने से शिक्षा में नुकसान पहुंचेगा तो वह जरूर सही किया जायगा मगर एक दफा जो चेंज हो गया है फिलहाल वह चलेगा।

सिधौली तहसील में कानूनगो के खिलाफ जांच

*३४—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ मार्च, १९६३ को जिला सीतापुर तहसील सिधौली, ग्राम बिलहरी के कुछ व्यक्तियों ने वहां के कानूनगो के ऊपर घूस मांगने के आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, जांच की गई। आरोप निराधार पाये गये।

*३५—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन आरोपों की जांच किस स्थान पर और किस समय हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इन आरोपों की जांच ५ तथा ६ अक्तूबर, १९६३ को तहसील हेड क्वार्टर तथा ग्राम बिलहरी में हुई।

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रार्थी के खिलाफ पैसा मांगने को छोड़ कर और कौन से मुख्य आरोप थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि जिस क्लर्क के पास ये कागजात थे वह एक ऐक्सीडेन्ट में इनवाल्ब हो गया और उसकी मौत हो गई। तो जो मुस्तगीज थे उनको बुलाकर उनके बयान लिये गये। उससे यह पता चला कि सौ रुपये रिश्वत की मांग थी और एक १३९ के गलत इन्दराज की बात थी।

*३६—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहपुर जिले में गिट्टी तथा सीमेंट के सम्बन्ध में जांच

*३७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में मील ५७२ से ५९२ के अन्दर पत्थर की गिट्टी कम होने की शिकायत पर पुनः चट्टाबन्दी कराने हेतु अभियन्ता, पी० डब्लू० डी०, जिला फतेहपुर के आदेश दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ के अनुसार शिकायत कर्त्ता से १७ रुपय जमा कराया गया ? यदि हां, तो रुपया जमा कराने के बाद कथित शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां। जांच टेक्निकल इक्जामिनर द्वारा की गई और शिकायतकर्ता जांच से सहमत व संतुष्ट हो गये।

*३८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के कस्बे जहानाबाद में पी० डब्लू० डी० को १०० बोरी सीमेंट का लदा हुआ ठेला जहानाबाद की पुलिस द्वारा दिनांक २० फरवरी, १९६३ को पकड़ा गया ? यदि हां, तो निर्माण विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतकर्त्ता, श्री सुरेशचन्द्र शुक्ल की शिकायत पर हुई जांच में जो कमी पायी गई उसे पूरी कराये बिना ही अधिशासी अभियन्ता ने ठेकेदार श्री मनोहर लाल को पूरी रकम अदा कर दी और उस अधूरे काम को ५० हजार रुपये पुनः दूसरे ठेकेदार को दे कर पूरा कराया ? यदि हां, तो उस ५० हजार रुपय के नुकसान का जिम्मेदार कौन अधिकारी है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुवीर सहाय जी क्षमा कीजियेगा, अगर आपको पढ़कर ही प्रश्न करना था तो उस समय एक और लिख कर देते, जवाब आ जाता।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जिस ठेकेदार को सड़क पर गिट्टी लगाने आदि का काम दिया गया था उसके काम में कमी पायी गयी और उस पर शिकायत हुई। लेकिन उसको तो पूरा रुपया दे दिया गया और फिर ५० हजार रुपये देकर दूसरे ठेकेदार से उस काम को क्यों पूरा कराया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जो ठेकेदार वगैरह का नाम लेकर कहा गया तो मूल प्रश्न में तो यह था नहीं। मूल में तो सिर्फ गिट्टी कम होने की शिकायत थी।

श्री अध्यक्ष—

सीधी बात यह कहिये कि आपको सूचना की आवश्यकता है।

एक बात मैं निवेदन कर दूं मंत्रि-मंडल से कि जिस प्रश्न को मैं एलाऊ कर दूं उसके ऊपर आप लोग आपत्ति न किया करें। आपको केवल कहना यह चाहिये कि इसमें सूचना की आवश्यकता है, वरन फिर आपत्तिजनक बात हो जाती है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिकायतकर्त्ता की सहमति और संतुष्टि का अर्थ यह था कि जो शिकायतें उसने कीं वह सही पायीं गयीं और उन शिकायतों में जो मैंने पहले प्रश्न किया वे ही कमियां थीं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिन्होंने शिकायत की थी उनको यह खबर दी गयी कि इसकी जांच होने वाली है। उन्होंने जांच करने वाले अधिकारी के साथ अपना प्रतिनिधि भेजा था जिनको उस जांच के बाद पूरा संतोष हो गया था।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायतकर्त्ता की संतुष्टि का मतलब केवल जांच करने का आश्वासन दे देना था या उसने जो शिकायतें की थीं उनको रफा करने से था ?

श्री गिरधारीलाल—

जिसने शिकायत की थी उसको पहले इत्तला दी गयी और उसके सामने जा कर सरकारी कर्मचारियों ने सब देखा और जो देखभाल हुई उस से वह संतुष्ट हो गये ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन, मंत्री जी ने जो यह कहा कि शिकायतकर्त्ता संतुष्ट हो गया और आगे कार्यवाही नहीं की गयी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास शिकायतकर्त्ता का कोई लिखित पत्र है कि मुझे शिकायत नहीं है और आगे कार्यवाही नहीं करनी है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उनका कोई पत्र तो मेरी नजर में नहीं आया है, लेकिन जो रिपोर्ट विभाग से प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम जवाब दे रहे हैं । शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे और उनके सामने जांच की गई और वे पूरी तौर से संतुष्ट हो गये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायतकर्त्ता से १७ रुपये जमा कराये गये और जो दरख्वास्त थी क्या उसमें यह भी शिकायत थी कि पहले ठेकेदार को जो ठेका दिया गया उसने उतने रुपये का चट्टा नहीं लगाया और रुपया ले लिया है ? इसको खत्म करके दूसरे ठेकेदार को ५० हजार में ठेका दिया गया तो इसके बारे में सरकार ने क्या किया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्रीमन, १७ रुपये शिकायतकर्त्ता ने चट्टे की जांच के लिये जमा किये थे, लेकिन किस मील व फर्लांग की वे जांच कराना चाहते हैं यह उन्होंने बताया नहीं । इसकी दुबारा जांच टैक्निकल एक्जामिनर ने ११ फरवरी, १९६३ को की और जैसी कि उन्होंने शिकायत की थी वह ठीक पायी गयी । १२ फरवरी, १९६३ को शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि ने टैक्निकल एग्जामिनर के सामने स्वीकार किया कि वह जांच से संतुष्ट हैं और उनके १७ रुपये वापस दिला दिये जायं । इसके बाद जांच होती रही और १३ फरवरी, १९६३ को टैक्निकल एक्जामिनर ने फिर जांच की और उनको बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आये ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मूलचन्द ओवरसियर के भाई सुरेन्द्रचन्द्र ने जो बीरसिंह के नाम से फतेहपुर में ठेकेदारी करता है उसने पी० डब्लू० डी० के गोदाम से १०० बोरी सीमेंट जोगेन्द्र सिंह के ठेले में लदवा दी जो इलाहाबाद के थाने में पकड़ी गई और मुकदमा कायम हुआ ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना की आवश्यकता है ।

*३९—श्री रामचन्द्रसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

एम० आई० इंटर कालेज, सिकन्दराराऊ के छात्रों की अनुशासनहीनता

*४०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना मिली है कि १५ अगस्त, १९६३ (स्वाधीनता दिवस) के दिन सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में कोई जुलूस एम० आई० इंटर कालेज की ओर से निकला जिसमें कि छात्र एवं अध्यापक सम्मिलित थे और वह आगे-आगे चांद सितारे वाला

झंडा लेकर अभद्र नारे लगाते जा रहे थे तथा एक स्थानीय कन्या विद्यालय में जलूस वाले जबरदस्ती घुस गये जहां पर कि स्वाधीनता दिवस का उत्सव कन्याओं द्वारा मनाया जा रहा था ?

श्री बंशीधर पांडेय---

जी हां। १५ अगस्त, १९६३ (स्वाधीनता दिवस) को एम० आई० इंटर कालेज के छात्र अपने कुछ अध्यापकों की देखरेख में पंक्तिबद्ध क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के लिये नगरपालिका के पार्क को जा रहे थे जो विद्यालय से दूर नगर के दूसरी ओर है। छात्रों के हाथों में विद्यालय के खेल का पीले रंग का झंडा था जिसमें नीले रंग के चार सितारे थे। अभद्र अथवा अशिष्ट व्यवहार की कोई पुष्टि नहीं हुई। चौराहे तक पहुंचने पर, जो कि आर्य कन्या विद्यालय से लगभग ५० गज की दूर पर है, सूचना मिली कि क्रीड़ास्थल में पानी भरा है। अध्यापकों की आज्ञा से छात्रगण अपने विद्यालय को पंक्तिबद्ध वापस लौटे। जब ये लोग कन्या विद्यालय के पास से गुजर रहे थे, कुछ ७, ८ विद्यार्थी पंक्ति छोड़ कर कन्या पाठशाला में बिना आज्ञा घुस गये।

*४१---श्री विपिनबिहारी तिवारी---

यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच करा कर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

जी हां। २० अगस्त, १९६३ को जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ द्वारा जांच की गई। एम० आई० इंटर कालेज के छात्रों को प्रधानाचार्य द्वारा दंड दिया जा चुका है। अतः किसी विभागीय कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विपिनबिहारी तिवारी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पीले रंग का झंडा जिसमें सितारे लगे हुये थे वह किस प्रकार का झंडा था और क्या इस तरीके से अन्य विद्यालयों के अन्य-अन्य प्रकार के झंडे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय---

विद्यालयों में खेलकूद के अलग-अलग झंडे रहते हैं। यह जो झंडा था वह उनके विद्यालय का निजी झंडा था।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

मेरी निश्चित जानकारी है कि यह झंडा हरे रंग का था और उसमें तारे लगे हुए थे और चांद का निशान था, उसे लेकर वह कन्या विद्यालय में घुस गये और वहां दुर्व्यवहार किया।

श्री अध्यक्ष---

कायदा यह है कि आपकी अगर सूचना सरकारी सूचना से भिन्न है तो आप उसकी प्रमाण सहित सूचना दें और मंत्री को कार्यवाही करना लाजमी होगा।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे कि उस विद्यालय के लड़कों ने चांद सितारा ही क्यों चुना ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो नहीं बताया जा सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की करेंगे कि वह आप जो छात्रों के विद्यालय में घुस गये वह किस सम्प्रदाय के थे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है। छः सात लड़के घुसे थे जो निकल आये थे।

श्री रक्षपालसिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपने प्रदेश में पाकिस्तानी जासूस के रूप में लोग काम करते रहे हैं और एक विशेष अवसर पर एक झंडा जिसके सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य को निजी जानकारी है कि वह हरा था और उस पर चांद सितारे बने हुये थे, जो बिलकुल पाकिस्तानी झंडा था वह फहराया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां पूरी मैजिंग कमेटी के बारे में कि उसमें कैसे लोग हैं किस मनोवृत्ति के लोग हैं, क्या इस पर वह फिर जांच करवाकर रिपोर्ट देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

मैजिंग कमेटी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है। जब कोई कार्यवाही आयेगी तो जांच होगी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो छात्र कन्या विद्यालय में घुस गये थे उनको दंड दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या दंड दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

उनमें से सात विद्यार्थियों को दंड दिया गया है, जिसमें दस-दस रुपये जुर्माना किया गया है और एक को बेंत की भी सजा दी गयी है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि १५ अगस्त बहुत ही पवित्र पर्व है और उस दिन राष्ट्रीय झंडे को महत्ता देनी चाहिये, इस पर कोई आदेश सारे प्रदेश में देंगे कि १५ अगस्त को केवल राष्ट्रीय ध्वज ही फहराया जाय चाहे खेल कूद में हो या सभा सोसाइटी में हो या मकान पर हो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि १५ अगस्त को ....

श्री अध्यक्ष---

हो गया, वह तो बहस की बात है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

१५ अगस्त को आमतौर से राष्ट्रीय ध्वज का ही उत्तोलन किया जाता है और प्रत्येक फंक्शन में वही रहता है। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पोर्ट्स की अलग-अलग टोलियां हैं अलग-अलग झंडे हमेशा रखती है और वही इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर बैन करना कोई मुनासिब कार्यवाही शायद नहीं होगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आरोप इतना गंभीर है कि नाजायज ढंग से किसी कन्या पाठशाला में लड़के घुस गये और ऐसे पुनीत पर्व १५ अगस्त के दिन ऐसी कार्यवाही हो उसको देखते हुये यह १० रुपये का जो फाईन लगाया गया है क्या यह एक उपहास नहीं है और इसकी गम्भीरता को देखते हुये इसके ऊपर क्या और कोई दंड दिया जायेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कन्या विद्यालय में भी ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में १५ अगस्त मनाया जा रहा था और यह लड़के भी १५ अगस्त मना कर लौटे थे और वह वहां चले गये, तो इस पर जो दंड दिया गया वह कोई गैर मुनासिब नहीं है ।

श्री रामायणराय—

माननीया मुख्य मंत्राणी ने यह फरमाया कि स्पोर्ट्स में स्वाधीनता इस तरह की होती है कि वह जैसा चाहे वैसा झंडा इस्तेमाल कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष—

देखिए, उन्होंने यह कहा कि स्पोर्ट्स के सम्बन्ध में लड़कों को अपना झंडा निकालने की इजाजत है ।

श्री रामायणराय—

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्पोर्ट्स के नाम पर किन्हीं ऐसे देशों या दलों का झंडा लोगों को इस्तेमाल करने की इजाजत है, खुली छूट है जो देश हमारे मुल्क के दुश्मन हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने जैसा पहले बताया कि वह जो झंडा लेकर जा रहे थे, हमारे पास जो रिपोर्ट है वह केवल यही है कि उनका स्पोर्ट्स का झंडा था, और उसमें सिर्फ सितारे थे । चांद, सितारे और हरा रंग यह इन्फारमेशन हमारे पास नहीं है । अगर यह इन्फारमेशन हमारी गलत है तो हम जांच कर लेंगे, लेकिन हमारे पास जो इन्फारमेशन है उसके अनुसार वह स्पोर्ट्स का ही फ्लैग था । हमेशा स्पोर्ट्स के अलग अलग फ्लैग रहते हैं । स्काउट्स का अलग होता है, भारत सेवक समाज का अलग होता है । इस तरह से ऐसे झंडों को रखने की इजाजत है ।

श्री एच० के० शर्मा, जन विद्यापीठ, हल्द्वानी के विरुद्ध आरोप

*४२—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में वाइस प्रिंसिपल के पद के चयन करने हेतु श्री एच० के० शर्मा ने, जो इस समय जन विद्यापीठ हल्द्वानी में हैं अपने प्रार्थना-पत्र में ऐसा सार्टिफिकेट दिया है कि नागपुर मसाज क्लिनिक से मसाज तथा रेमेडियल जमनास्टिक की शिक्षा प्राप्त है और उस शिक्षण काल का समय १ जनवरी, १९५२ से ३० जून, १९५२ तक लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस शिक्षण काल की कोई प्रमाणित जानकारी हासिल की है कि उन्होंने यह शिक्षण उपरोक्त काल में प्राप्त किया अथवा नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नोट:—तारांकित प्रश्न ४१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*४३—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या यह सही है कि एच० के० शर्मा, १ जनवरी, १९५२ से १० अप्रैल, १९५२ तक इलाहाबाद में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में मसाज और रेमेडियल एक्सरसाइजेज के लेक्चरर रहे और वहीं से उन्होंने अपना वेतन क्रमशः १ फरवरी, १९५२ को २०० रुपये वेतन व ३५ रुपये डी० ए०, कुल मिला कर २३५ रुपये और इसी प्रकार एक मार्च, १९५२ को २३५ रु० और १० अप्रैल, १९५२ को २३५ रुपये वेतन के रूप में लिये ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न १ अथवा २ में से कौन सी बात ठीक है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४४—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मसाज क्लीनिक और मसाज जिम्नास्टिक क्लीनिक, नागपुर में है अथवा नहीं, और, यदि है, तो क्या भारत सरकार या प्रादेशिय सरकार की मान्यता उसे प्राप्त है और यदि इस प्रकार की कोई क्लीनिक नहीं है, तो एच० के० शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले में घाघरा की बाढ़

*४५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह पता लगा कर बतायेंगे कि नदी घाघरा की बाढ़ के कारण गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील तथा आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के कितने गांव की आबादी नष्ट भ्रष्ट हो गयी है और वे लोग आजकल कहां रह रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस वर्ष घाघरा नदी के कटाव के कारण गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के अन्तर्गत स्थित ग्राम डेरवा, खड़ौचका, जैतपुर, कुण्ड तथा भभया लछोवक की आबादी प्रभावित हुई और प्रभावित लोगों को इन्हीं ग्रामों में सुरक्षित स्थानों में तथा ग्राम खड़सरी और कोइड़ा भावर में बसाया गया है अथवा बसाने का प्रस्ताव है। आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ग्राम सेंगरी, लोहरइया और चन्दहा की आबादी प्रभावित हुई है। इन ग्रामों के निवासी गोरखपुर जिले में ग्राम बसही, कटया और रायपुर में बस गये हैं।

*४६—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि पीड़ित परिवार के लोग जिला परिषद्, गोरखपुर की सड़क पर छप्पर डाल कर खानाबदोशों की जिन्दगी बिता रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के उक्त ग्रामों के लोग जिला परिषद्, गोरखपुर की सड़क के किनारे जमीन लेकर खानाबदोश के रूप में नहीं बल्कि स्थायी तौर पर बस गये हैं। जिला गोरखपुर के पीड़ित परिवार भी फिलहाल सुरक्षित स्थानों में अस्थायी रूप से बस गये हैं।

*४७—श्री उमाशंकर—

क्या यह भी सत्य है कि उनमें से बहुत से परिवारों ने सरकार से लिखित प्रार्थना की है कि उनको कहीं अन्यत्र (खीरी लखीमपुर इत्यादि) उपनिवेशों में बसने तथा खेती करने की जगह दी जाय? यदि हां, तो सरकार ने क्यों नहीं उनको स्थान दिया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र राजस्व (अभाव) विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य विभागों से पूछ-ताछ की जा रही है।

मेंटिनेंस विभाग, लखनऊ में अस्थायी कर्मचारी

*४८—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ में मेंटिनेंस विभाग के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सर्विस २ साल से १० साल के बीच की है और उनमें कितने कर्मचारी स्थायी कार्य कर रहे हैं और कितने अस्थायी हैं?

श्री गिरधारीलाल—

(क) १९२

(ख) स्थायी—६, अस्थायी—१८६।

*४९—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊपर लिखे कर्मचारियों में से २ माह के अन्दर किन किन को नोटिस दिये जा चुके हैं कि उनकी नौकरी समाप्त की जाती है और कितनों को और नोटिस देना शेष है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

(क) गत अगस्त-सितम्बर में ३७ कर्मचारियों को नोटिस दिये गये, परन्तु किसी की भी नौकरी समाप्त नहीं की गई है।

(ख) किसी कर्मचारी को नोटिस देना शेष नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त लगान की वापसी

*५०—श्री विपिनबिहारी तिवारी, श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कृषकों की दशा तथा अनिवार्य बचत योजना लागू होने से उत्पन्न परिस्थिति आदि को देखते हुये क्या वह लगान पर लगे २५ प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार को वापस लेने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

बहराइच-भिनगा सड़क पर पिपराघाट पुल का निर्माण-व्यय

*५१—श्री मुन्नसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में बहराइच-भिनगा रोड पर जो पिपराघाट का नया पुल बना है और जो पूर्ण घोषित कर के एक साल पहले से यातायात के लिए खोल दिया गया था उस पर २८ फरवरी, सन् १९६३ तक कितना व्यय हुआ?

श्री गिरधारीलाल–

इस पुल पर २८ फरवरी, १९६३ तक २,३९,७७३ रुपये ४१ नये पैसे व्यय हुये थे। इस पुल की approach सड़कों के निर्माण में तथा अन्य कार्यों में लगभग २१,००० रुपये अतिरिक्त व्यय का अनुमान है।

*५२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

[हटा दिया गया।]

माध्यमिक विद्यालय, पयागपुर के विरुद्ध आरोप

*५३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

प्रथम सत्र १९६२ के १४वें शुक्रवार के प्रश्न सं० ७५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीड़ित अध्यापक को इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के अनुसार रुपया दिलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। मामला विचाराधीन है।

नैनीताल जिले में चकलवा पुल निर्माण सम्बन्धी शिकायतें

*५४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को जिला नैनीताल में कालाढूंगी के पास पी० डब्लू० डी० द्वारा बनाये जा रहे सामरिक महत्व के चकलवा पुल में प्रोजेक्ट की चोरी, स्वीकृति योजनानुसार न बनाये जाने, स्टाक में गड़बड़ी करने आदि की शिकायतें, जुलाई या अगस्त, १९६३ में प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों की एक प्रति सदन की मेज पर रखते हुये क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जांच का क्या परिणाम हुआ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। शिकायत की एक प्रति सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०१८–१०२० पर)

जे० टी० सी० व सी० टी० ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों का वेतन

*५५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार यह देखते हुये कि J. T. C अथवा C. T. की ट्रेनिंग में कोई विशेष अन्तर नहीं है और उपरोक्त ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक एक ही सी कक्षाओं को पढ़ाते हैं, दोनों के वेतन-क्रम में समानता लाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्धारित न्यूनतम योग्यतायें भिन्न होने से इस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला विद्यालय उपनिरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध शिकायतें

*५६—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के भूतपूर्व जिला परिषद् के अध्यक्ष ने वर्तमान जिला विद्यालय उपनिरीक्षक के विरुद्ध कुछ आरोप शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया था? यदि हां, तो क्या और उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

मूल आरोप निम्न थे :—

(क) गत वर्ष अशोक्षित अध्यापकों की नियुक्ति एक चुनाव समिति द्वारा योग्यता क्रम के आधार पर हुई थी किन्तु श्री रामायण सिंह, उपविद्यालय निरीक्षक, ने गुप्त रूप से केवल जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के, जिनकी संख्या १५ थी प्रधान लिपिक को आदेश देकर, अपनी मुहर लगे हुये सादे नियुक्ति पत्र एक सदस्य को दिलवाया। सदस्य ने स्वेच्छा से उन्हें जिसे चाहा दिया।

(ख) श्री रामायण सिंह ने जातीय पक्षपात द्वारा श्री प्रहलाद सिंह को क्रय-लिपिक के पद पर नियुक्त कराया। क्रय-लिपिक ने गत वर्ष क्रय कार्य में बहुत गड़बड़ किया। अध्यक्ष ने उपर्युक्त लिपिक को उस पद से हटाने का आदेश दिया। जिस पर श्री रामायण सिंह ने आपत्ति की जिसके फलस्वरूप ४–५ माह तक आदेश का पालन न हुआ। प्रति वर्ष डेढ़ लाख से अधिक का क्रय किया जाता है। श्री प्रहलाद सिंह को उस पद पर बनाये रखने का अभिप्राय स्पष्ट है।

(ग) जिला परिषद् की शिक्षा विभाग का कार्यालय विद्यालय निरीक्षक के आधीन रहता है किन्तु कार्यालय का कोई कार्य व्यवस्थित रूप में नहीं था। कोई रजिस्टर पूर्ण नहीं था। अध्यापकों की चरित्रावलियां गत दो वर्षों से अपूर्ण थीं। अध्यक्ष के आदेश पर वे शीघ्रतापूर्वक पूर्ण कराई जा रही हैं जिसके कारण सैकड़ों अध्यापकों को प्रतिदिन कार्यालय आना पड़ता है। वार्षिक बजट तथा राजकीय अनुदान के कागजात अव्यवस्थित रूप में रखे हैं।

जांच करने के उपरान्त आरोप निराधार सिद्ध हुये और संग्रहीत कर दिये गये।

*५७—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जूनियर हाई स्कूल परीक्षा समिति के मंत्री (जिला विद्यालय उप-निरीक्षक) ने सन् १९६३ की परीक्षा सम्बन्धी पारिश्रमिक वाले एक से अधिक कार्य (पद) स्वयं अपने पास रखे और उनका पारिश्रमिक लिया? यदि हां, तो कौन-कौन और क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

निम्नलिखित पारिश्रमिक कार्य किया :—

(१) प्रधान परीक्षक—बीजगणित।

(२) प्रधान प्रयोगात्मक परीक्षक—रस्सी बनाना, शारीरिक विकास तथा पुस्तककला।

(३) कोलेटर।

यह कार्य उन्होंने समिति एवं अध्यक्ष की अनुमति तथा आज्ञा से किया था। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक कार्य दिया जा सकता है।

जिला परिषद्, बस्ती की अध्यापिकाओं को ग्राम भत्ता

*५८—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् के अध्यापिकाओं के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत गृह भत्ता बस्ती जिला परिषद् की सभी अध्यापिकाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

"गृह भत्ता" के नाम से जिला परिषदों की अध्यापिकाओं के लिए कोई भत्ता देय नहीं है। लेकिन ऐसी अध्यापिकाओं को जिन्हें अपने घरों से दूर रहना पड़ता है ग्राम भत्ता निम्न-लिखित दरों पर दिया जाता है :—

(क) दीक्षित अध्यापिकाओं को १५ रु० प्रतिमास।

(ख) अदीक्षित अध्यापिकाओं को १० रु० प्रतिमास।

जिला परिषद्, बस्ती की ऐसी अध्यापिकाओं को जो अपने घरों से दूर नियुक्त हैं, उक्त भत्ता दिया जा रहा है।

*५९-६०—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

ए० सी० ए० हायर सेकेन्डरी स्कूल, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायत

*६१—श्री बेइराम तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए० सी० ए० हायर सेकेंडरी स्कूल, मालवीय नगर (रामपुर), जिला अलीगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र मंत्री जी को अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ को हाल में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या शिकायतें थीं और उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला विद्यालय निरीक्षक को एक शिकायती-पत्र ३-८-६३ को प्राप्त हुआ था। शिकायतें प्रिंसिपल तथा मैनेजर द्वारा धन के दुरुपयोग, अध्यापकों का वेतन न देने तथा उन्हें नियमों के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति बिना ही पदच्युत करने के सम्बन्ध में थीं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने ३ में अध्यापकों को बहाल करने, उनका बकाया वेतन देने और अनियमितताएं दूर करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति को लिखा है।

राप्ती पर राजघाट पुल टूटने की जांच

*६२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर नगर के पास राप्ती पर (राजघाट) बन रहे पुल के टूट जाने पर जो जांच कमीशन गठित हुआ है उसने क्या रपट दी है? उसका हिन्दी अनुवाद क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त जांच समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

बहराइच जिले में राप्ती का कटाव

*६३—श्री मुन्नूसिंह तथा श्री ऊदल—

जनपद बहराइच में राप्ती नदी के कटान से जो गांव इस वर्ष उजड़ गये हैं और जिन गांवों में खतों के कटने से जो क्षति हुई है उनको बसाने तथा क्षति पूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

राप्ती नदी के कटान से जनपद बहराइच में ३ गांवों की आबादी कटी और इन तीन ग्रामों तथा अन्य ६८ ग्रामों (कुल ७१ ग्रामों) की कुछ भूमि बह गई। आबादी के कटान वाले ग्रामों में से २ गांवों के बेघर लोगों को फिलहाल अस्थायी रूप से बसा दिया गया तथा १ गांव के प्रभावित लोग स्वयं अपनी ही भूमि पर स्थायी रूप से बस गये। जिन लोगों की भूमि कट गई है या बह गई है उनको नियमानुकूल मालगुजारी में छूट दी जावेगी। प्रभावित लोगों को तकावी तथा अहेतुक सहायता भी बांटी गई।

*६४—श्री मुन्नूसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कौन-कौन से गांव कटने की वजह से उजड़ गये हैं तथा किस-किस गांव के खेत राप्ती की कटान की वजह से बरबाद हो गये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिन गांवों में मकान व भूमि कट गई या बह गई उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०२१–१०२३ पर)

गाजीपुर नगरपालिका को स्कूल भवन अनुदान

*६५—श्री ऊदल तथा श्री मुन्नूसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर नगरपालिका ने ७४ हजार रुपये का उपयोग विद्यालय भवनों को बनाने में नहीं किया? इस रुपये को राज्य सरकार ने अनुदान के रूप में नगरपालिका को दिया था? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गत दो वर्षों में गाजीपुर नगरपालिका को ७५,००० रु० का अनुदान स्कूल भवनों के निर्माणार्थ दिया गया था। इसमें से ४०,००० रु० की तो उपयोगावधि ३१ मार्च, १९६४ है। शेष धन भूमि न मिल सकने के कारण अभी तक निर्माण कार्य में उपयोग नहीं हो सका।

आर्य कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, कालपी की अध्यापिकाओं का वेतन

*६६—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक (जालौन) को ऐसे कोई राजकीय आदेश हैं कि वे सरकारी ग्रान्ट-इन एड हासिल करके आर्य कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, कालपी की अध्यापिकाओं को वेतन बांटे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्होंने उक्त विद्यालय की अध्यापिकाओं का माह मई, जून व जूलाई, १९६३ का वेतन अब तक नहीं बांटा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां,।

जी नहीं।

अध्यापिकाओं का मई, जून व जूलाई का वेतन बांटा जा चुका है।

*६७—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या यह सही है कि दिनांक २९ जूलाई ,१९६३ को पूर्व सूचना देकर जिला विद्यालय निरीक्षक (जालौन) कालपी गये और उन्होंने स्थानीय व्यास इन्टर कालेज में अध्यापकों को वेतन बांटा परन्तु आर्य कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल में वेतन बांटने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उक्त स्कूल की अध्यापिकायें दूसरे कालेज में जाकर वेतन लेने को तैयार नहीं थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी

जी हां ।

जी नहीं ।

*६८—श्री राजनारायण मिश्र—

क्या यह भी सच है कि आर्य कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, कालपी के सामने की सड़क से जिला विद्यालय निरीक्षक (जालौन) दो बार सरकारी जीप पर बैठ कर निकले और वहां सामने इन्तजार करती हुई अध्यापिकाओं को जीप रोक कर वेतन नहीं दिया ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार भविष्य में कोई ऐसा प्रबन्ध करने जा रही है जिससे उक्त संस्था में प्रति माह अध्यापिकाओं को वेतन मिल सके ?

श्रीमती सुचेता कृप लानी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*६९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[हटा दिया गया ।]

अतिरिक्त लगान की वसूली

*७०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संकट कालीन स्थिति में प्रदेश के किसानों पर गत वर्ष चार आने रुपये के हिसाब से लगाये गये सरचार्ज से सरकार को कितनी आय हुई है और इसे किस मद में व्यय किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

३१ मार्च,१९६३ तक सरचार्ज का १,१६,१०,०१६ रुपया वसूल किया गया । इस आय को वर्तमान राष्ट्रीय आपात के समय बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिये प्रयोग किया जायगा ।

*७१—श्री रियासत हुसैन —

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७२—७३—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में परीक्षाफल न घोषित होना

*७४—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में हायर सेकेन्डरी स्कूलों तथा इन्टरमीडियेट कालेजों का कितने कितने हाई स्कूल छात्रों के गत परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

सूची संलग्न है ।

सभी छात्रों को आरोप पत्र (Charge Sheet) दिया जा चुका है उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०२४ पर)

फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ से क्षति

*७५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में इस वर्ष काली व ईसन नदियों की बाढ़ से कितने व कौन कौन गांव प्रभावित हुये और क्या नुकसान होने वाले गावों को कोई सरकारी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जिला फर्रुखाबाद में इस वर्ष काली व ईसन नदियों की बाढ़ से क्रमशः १२५ व ८२ गांव प्रभावित हुये हैं जिनके नामों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है ।

जलमग्न ग्रामों की आबादी को खाली करा कर उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों में बसाया गया ।

बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक दैनिक प्रयोग की वस्तुयें बांटी गईं और नकद रुपया भी दिया गया । इसके अतिरिक्त गृह निर्माण सहायता तथा तकावी भी वितरित की जा रही है ।

*७६—श्री ऊदल तथा श्री मुन्नूसिंह—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

लेखपालों के महंगाई भत्ते पर विचार

*७७—श्री रघुनाथ (जिला गाजीपुर) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि प्रदेश के लेखपालों की तनख्वाह जो महंगाई तथा तनख्वाह मिलाकर ७८ रुपये मिलते हैं उसे बढ़ाकर १०० रुपये कर दिया जावे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

इस समय साधारण लेखपालों को वेतन और मंहगाई मिला कर ६५) से ८२) रुपये तक प्रतिमास मिलता है । इसी प्रकार सेलेक्शन ग्रेड के लेखपालों को कम से कम ८२) रु० तथा अधिक से अधिक ९२)रु० मिलता है ।

लेखपालों को दी जाने वाली मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।]

अतारांकित प्रश्न

तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति

१—श्री विजयसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो Collection Naib Tehsildar and Regular Naib Tehsildars का विलीनीकरण हुआ उनमें seniority fix करने का क्या आधार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आधार अभी निश्चय नहीं हुआ है।

२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो Regular Naib Tehsildars करीब १ वर्ष से या उससे अधिक से भी Tehsildar की post पर कार्य कर रहे हैं उनको revert करके Collection Naib Tehsildars नियुक्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अब कोई कलेक्शन नायब तहसीलदार नहीं है। तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति योग्यतानुसार की जाती है।

बुलन्दशहर जिले में कच्ची सड़कों की मरम्मत

३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कौन-कौन सी कच्ची सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास हैं और उन पर इस विभाग ने सन् १९६२–६३ में कितना-कितना रुपया मरम्मत पर खर्च किया ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला बुलन्दशहर में निम्नलिखित कच्ची सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास हैं :—

(१) स्याना–बुगरासी सड़क—४ मील ६ फर्लांग

(२) दादरी –सूरजपुर –छलेरा सड़क—२ मील १ १/२ फर्लांग

१९६२–६३ में इन सड़कों की मरम्मत पर विभाग ने कुल २,७०० रुपये व्यय किये।

४–६—श्री दीपनारायणसिंह—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

तराई भावर के लेखपालों की अपील

७—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कमिश्नर कुमायूं के यहां गत वर्ष से अब तक तराई भावर के पटवारियान तथा लेखपालो मे से सुपरवाइजर कानूनगो की नियुक्ति

के सम्बन्ध में सीनियर व जूनियर के प्रश्न पर आपत्ति में कितनी अपीलें दायर हुईं और इन अपीलों पर क्या निर्णय किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

केवल एक । वह खारिज हो गई ।

८—श्री खुशीराम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जिन अपीलों का निर्णय हो चुका है उसमें दिये गयेनिर्णय के अनुसार कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अपीलें खारिज हुईं ।

बिलारी तहसीलदार का दौरा

९—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के तहसीलदार ने दिनांक १ जनवरी, १९६२ से लेकर दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६२ तक कितने दिनों देहातों में दौरा किया और कौन –कौन से गावों में उनका प्रोग्राम रहा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के तहसीलदार ने देहातों में दिनांक १–१–६२ से लेकर ३१–१२–६२ तक कुल २० दिन का दौरा किया ।

ग्राम (१) हरोरा (२) घर पुरकलां (३) रामपुर बंदपुर (४) कुढ़ फतेहगढ़ (५) देवरा खास (६) गुवारऊ (७) सोनकपुर (८) तेवर खास (९) तखतपुर हासा (१०) मुरादपुर कुन्दरकी (११) फतेहपुर हमीर (१२) नूरपुर बस्तौर (१३) जटपुरा (१४) रतनपुर कलां (१५) बहादुर पुर राजपूत (१६) बरोंली रुस्तमपुर (१७) रतनपुर स्योडारा (१८) नासिरपुर कुन्दरकी (१९) असाल नगर बड़ा (२०) गुरेर (२१) वधा (२२) मुडिया जैन (२३) सीलपुर (२४) हरयाना (२५) कादरपुर मस्ती तथा (२६) मिठन पुर ।

१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगें कि उन दौरों के प्रोग्रामों में कितने मुकद्दमे फैसल हुये और किस-किस गांवों की परताल की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दौरे के काल में किसी मुकदमे का निर्णय नहीं किया गया ।

जिन ग्रामों में पड़ताल की गई उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(१) हरौरा (२) घरमपुर कलां (३) रामपुर गंगपुर (४) कुढ़ फतेहगढ़ (५) देवरा खास (६) गुवारऊ (७) सोनकपुर (८) मिठनपुर (९) तेवर खास (१०) तखतपुर हासा (११) मुरादपुर कुन्दरकी (१२) फरीदपुर हमीर (१३) मोहम्मदपुर बस्तौर (नूरपुर) (१४) जटपुरा (१५) रसूलपुर कलां (१६) बहाद पुर राजपूत (१७) नासिरपुर कुन्दरकी (१८) असालतु : बड़ा (१९) गुरेर (२०) मुडिया जैन (२१) सीरपुर तथा (२२) हरयाना ।

११—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन दौरों में कितनी गल्तियां कागजात में पाई गईं और आज तक कितनी उनमें से दुरुस्त हो चुकी हैं, जो अभी दुरुस्त नहीं हुई हैं उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

निम्नलिखित अशुद्धियां दौरे में पाई गईं :—

खसरा	खतौनी	नक्शा
४५	४२	४१

इन समस्त अशुद्धियां का शुद्धीकरण हो चुका है।

१२-१४—श्री रामसुन्दर पांडे —

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले में चकबन्दी, असिस्टेण्ट वासिलबाकी नवीस

१५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की भोगांव व मैनपुरी तहसीलों में चकबन्दी कब से शुरू की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैनपुरी जिले की तहसील जसराना में चकबन्दी समाप्त होने पर क्रमशः सदर तथा भोगांव तहसीलों में चकबन्दी करने की योजना है।

१६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिस तरह से कलेक्शन अमीन नायब तहसीलदार बनाये जाते हैं, उसी प्रकार से असिस्टेंट वासिलबाकी नवीस भी नायब तहसीलदार बनाये जाया करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्शन नायब तहसीलदारों तथा रेगुलर नायब तहसीलदारों के संवर्गों के एकीकरण के फलस्वरूप कलेक्शन अमीन अब नायब तहसीलदार नहीं बनाये जाते। अतः असिस्टेण्ट वासिल बाकी नवीस को नायब तहसीलदार बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में चकबन्दी लेखपालों का चुनाव

१७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में चकबन्दी के लेखपालों का कोई चुनाव मई, १९६३ में बन्दोबस्त अधिकारी, बरेली द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति लिये गये हैं, चुनाव का आधार क्या था तथा हरिजन न रखे जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। चकबन्दी लेखपालों के प्रशिक्षण के लिये एक चुनाव १५ मई, १९६३ को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बरेली द्वारा किया गया था, जिसमें ५ व्यक्ति लिये गये थे।

चुनाव का आधार निम्न योग्यताएं थीं :—

आयु १-५-१९६३ को १८ वर्ष से कम तथा ३० वर्ष से अधिक न हो ।

कम से कम जूनियर हाई स्कूल या इसके समकक्ष परीक्षा पास हो ।

शारीरिक क्षमता वाले ग्राम निवासी तथा हाई स्कूल पास लोगों को प्राथमिकता ।

एक हरिजन अभ्यर्थी ने प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु बुलाये जाने पर वह साक्षात्कार (Interview) के लिये उपस्थित नहीं हुआ ।

गर्ल्स इंटरमीडियेट कालेज, फतेहगढ़ का इमारत

१८—श्री होरीलाल यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार फर्रुखाबाद जिले में गर्ल्स इण्टरमीडियेट कालेज फतेहगढ़ की इमारत बनवाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह इमारत कब तक बन जायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

भवन बनवाने का प्रस्ताव है। आशा है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक भवन की व्यवस्था हो जायेगी ।

जिला परिषद्, मुरादाबाद के अध्यापकों का भत्ता

१९—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद्, मुरादाबाद के अध्यापकों का कितना रुपया ऐसा पड़ा है जो उनके डी० ए० और टी० ए० का है, जो उन्हें ग्राम सभाओं के Election सन् १९६० में और जनरल इलेक्शन सन् १९५७ और सन् १९६२ में काम करने का मिलना चाहिये था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ग्राम सभाओं के १९६० के अध्यापकों के बिल का रु० ५,९६९.०४ न० पै० का भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि अध्यापकों के बिल समय से नहीं प्राप्त हुये थे । जनरल इलेक्शन सन् १९५७ का रु० ८,६४२.०५ न० पै० का भुगतान किया जा रहा है तथा जनरल एलेक्शन सन् १९६२ का भुगतान कर दिया गया है ।

२०—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

[हटा दिया गया ।]

रूरा मार्ग का पुल

२१—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के अन्तर्गत डेरापुर, रूरा मार्ग का डेरापुर समीप नाला का पुल गत २, ३ वर्षों में भी क्यों नहीं बन पाया ?

श्री गिरधारीलाल—

नये पुल का आगणन तैयार करने के लिये काफी छानबीन करनी पड़ी । पुल का निर्माण का कार्य फरवरी, १९६३ में आरम्भ कर दिया गया है और आशा है कि यह पुल सन् १९६५ तक पूर्ण हो जायगा ।

२२—श्री कल्पनाथसिंह (अनुपस्थित)—

[हटा दिया गया ।]

२३—२४—श्री कल्पनाथसिंह—

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बर्डघाट पुल के ठेकेदार के सामान की जब्ती

२५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बर्डघाट पुल जिला गोरखपुर के भूतपूर्व ठेकेदार का कुछ सामान विभाग द्वारा जब्त किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या क्या है और अब विभाग के कब्जे में है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । सामान की †सूची स्वस्थ्य महोदय की मेज पर रखी है । सामान विभाग के कब्जे में है तथा कार्य में प्रयोग किया जा रहा है ।

२६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

२७-२८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिये गये ।]

बिलारी तहसील में कलेक्शन विभाग के परिगणित जातीय कर्मचारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार के खिलाफ शिकायत

२९—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि इस समय तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में कलेक्शन डिपार्टमेन्ट में कितने अमीन और कितने चपरासी हैं और उनमें परिगणित जातियों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद में इस समय कलेक्शन डिपार्टमेन्ट में ३३ मुस्तकिल व साल तमाम अमीन व ३३ चपरासी कार्य कर रहे हैं । अमीनों में दो अमीन परिगणित जाति के हैं तथा चपरासियों में परिगणित जाति की संख्या ७ है ।

३०—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में मौजूदा तहसीलदार व नायब तहसीलदार कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं और क्या इनके खिलाफ कुछ दरख्वास्तें जनता की ओर से हाल में डी० एम० को मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री हुकुम सिंह विसेन--

मौजूदा तहसीलदार व एक नायब तहसीलदार जिनके खिलाफ दरख्वास्तें जिलाधीश को हाल में प्राप्त हुई तहसील बिलारी में क्रमशः २७-६-१९६२ तथा २३-७-१९६३ से कार्य कर रहे हैं । दरख्वास्तों पर इन्क्वायरी कराई गई और आरोप सही नहीं पाये गये ।

३१--३३--श्री ब्रह्मदत्त माथुर--

[३ रे शक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

शाहगंज-गोरखपुर लाइन

३४--श्री कल्पनार्थासिंह --

क्या सरकार ने शाहगंज से या ताड़ीघाट से दोहरीघाट बरहलगंज होकर बड़ी लाइन गोरखपुर तक मिलाने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की है ? यदि हां, तो यह कब से विचाराधीन है और इस समय इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारी लाल--

जी नहीं ।

३५--श्री कल्पनार्थासिंह--

[हटा दिया गया ।]

फीरोजाबाद में दीवार व सड़कों का निर्माण

३६--श्री भगवानदास यादवेंदु (जिला आगरा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद के सेठ छदामी लाल डिग्री कालेज के सामने सड़क की पटरी पर कई फर्लांग लम्बी दीवार का निर्माण हो रहा है क्या यह निर्माण सरकार ने करवाया है ? यदि सरकार ने नहीं, तो किस व्यक्ति ने यह निर्माण करवाया है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं । इस दीवार का निर्माण श्री छदामी लाल ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है। यह निर्माण कार्य निर्माण विभाग की बिना आज्ञा प्राप्त किये प्रारम्भ किया गया था, इसलिये इस कार्य के रोकने का नोटिस देने पर, ट्रस्ट ने निर्माण कार्य बन्द कर दिया है और दीवार का कुछ भाग तोड़ भी दिया है ।

३७--श्री भगवानदास यादवेंदु--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद के मैनपुरी गेट से डाक बंगला जाने वाली सड़क पी० डब्ल्यू० डी० की है या नहीं ? यदि यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० की है, तो क्या सरकार उस सड़क की मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं । यह सड़क पी० डब्लू० डी० की नहीं है । यह नगरपालिका, फीरोजाबाद के अधीन है ।

३८--श्री भगवानदास यादवेंदु--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फीरोजाबाद से राजा का तालाब तक आगरा आने वाली सड़क में काफी छोटे-छोटे गड्ढे हैं और उस खराब सड़क के कारण वहां से आने-जाने वाली बस कार आदि पलटने का भय रहता है ? क्या उनकी उचित व्यवस्था सरकार करायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

इस सड़क का लगभग १ मील का टुकड़ा स्थान स्थान पर बैठ गया है और इसकी मरम्मत का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। गड्ढों को काफी मरम्मत कर दी गई है, जिस से यातायात को असुविधा न हो।

चकबन्दी सेण्टर सुराई में आवेदन-पत्र

३९—श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम काशीपुर चकबन्दी सेन्टर सुराई सर्किल नम्बर ६ के अनेकों व्यक्तियों के हस्ताक्षर से श्री झारखंडे राय तथा श्री सुरजन राम विशारद, एम० ए० ए० के द्वारा दिनांक १८ जुलाई, १९६२ ई० को उत्तर प्रदेश चकबन्दी कमेटी की बैठक में आवेदन-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त प्रार्थना पत्र, चकबन्दी आयुक्त द्वारा जांच व रिपोर्ट हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी आजमगढ़ को भेज दिया गया था। उन्होंने उसकी जांच स्थगित रक्खी, क्योंकि इस प्रार्थना पत्र के अधिकांश आवेदन कर्ताओं द्वारा दाखिल की गई धारा ४८ की निगरानी उप संचालक चकबन्दी के यहां विचाराधीन थी। वह निगरानी दिनांक ११ सितम्बर, १९६३ को मंजूर हो गई और मुकदमा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को पुनः सुनने के लिये भेज दिया गया है।

४०–४१—श्री कल्पनार्थसिंह—

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

४२—४५—श्री कल्पनार्थसिंह—

[हटा दिये गये।]

४६—श्री कल्पनार्थसिंह—

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

४७—श्री कल्पनार्थसिंह—

[हटा दिया गया।]

४८–४९—श्री कल्पनार्थसिंह—

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा कलेक्टरी सम्बन्धी फाइल जलाना

५०—श्री बनवारीलाल विप्र—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा कलेक्ट्रेट के जुडीशियल मजिस्ट्रेट श्री जे० पी० मिश्रा, तहसील वाह, फतेहाबाद की कोर्ट से दफा ४०९ गबन केस से सम्बन्धित एक फाइल ताला तोड़कर दिनांक २४ जुलाई, १९६३ को निकाली गई और उसे जला दिया गया? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और सम्बन्धित कागजात को ताला तोड़कर निकालने और उसे जलाये जाने में कौन दोषी ठहराया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दिनांक २३ जुलाई, १९६३ की प्रातःकाल धारा ४०८/४२०/४६८/४७१ ताजिरात हिन्द के अन्तर्गत मुकदमा सरकार बनाम ओम प्रकाश से संबंधित पत्रावली पेशकार की मेज पर जली हुई

पाई गई तथा अदालत के दरवाजे का कुण्डा व ताला गायब पाये गये थे । पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है । सम्बन्धित पेशकार को निलंबित कर दिया गया है और वह जमानत पर छोड़ दिये गये हैं । अभियुक्त ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है और वह जेल में है ।

५१—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि उक्त केस किसी प्राइवेट फर्म का था और मुलिजम ने कोर्ट के पेशकार और क्लर्क को एक मोटी रकम देकर फाइल को निकलवाकर आग लगवा दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुकदमा एक निजी फर्म की शिकायत पर चलाया गया था। अभियुक्त द्वारा पेशकार या क्लर्क को रकम देकर फाइल को निकलवा कर आग लगाने के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

५२—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में चकबन्दी

५३—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ ग्राम रसूलपुर चकबन्दी सेंटर आमिली को हरिजन बुनकर सोसाइटी के लिये भूमि छोड़ी गई है ? यदि हां, तो उसका रकबा व नम्बर क्या है ? यदि नहीं छोड़ी गई है, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी सेन्टर आमिली में रसूलपुर कोई पृथक् ग्राम नहीं, वरन् आमिली ग्राम में एक पुरवा है । हरिजन बुनकर सोसाइटी के लिये ताना-बाना के लिये ०.२१२ एकड़ भूमि ५ गाटों में छोड़ी गई है जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०२५ पर)

५४—श्री सुरजनराम विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ ग्राम गोहछा चकबन्दी सेंटर सुतरई नं० ४ के हरिजनों की आबादी के लिये भूमि छोड़ी गयी है ? यदि हां तो उसका नम्बर व रकबा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम गोहछा चकबन्दी सेन्टर सुतरही में हरिजनों की आबादी के लिये १.१०१ एकड़ भूमि १४ गाटों में सुरक्षित की गई है जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०२६ पर)

५५—श्री सूरजनराम विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोहदा चकबन्दी सेन्टर नं० ४ सुतरही के हरिजनों ने २१ जून, सन् १९६३ को कोई आवेदन पत्र जिलाधीश, चकबन्दी आफिसर, आजमगढ़ तथा मुख्य मंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र का विषय क्या है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । ग्राम गोहछा चकबन्दी सेन्टर नं० ४ सुलरही के दो हरिजनों-सर्वश्री भगेलू तथा रामधारी ने २१ जून, सन् १९६३ ई० को दो आवेदन पत्र दिये । श्री भगेलू के प्रार्थनापत्र में रकबा कम दिये जाने की शिकायत थी । चक को पुनः पैमाइश की गई और रकबे में जो थोड़ी कमी थी उसको पूरा कर दिया गया ।

श्री रामधारी की शिकायत यह थी कि उनके चकों की मालियत १६ आने से घटाकर १४ आना की गई थी, किन्तु कागजात उसके अनुसार ठीक नहीं किये गये, जिससे रकबा कम मिला, इसके अतिरिक्त उन्हें आबादी के लिये भूमि नहीं दी गई । जांच करने पर मालियत कम करने से सम्बन्धित उनकी शिकायत सही नहीं पाई गई । आबादी के लिये व्यक्तिगत रूप में भूमि किसी को भी नहीं दी गई, बल्कि सामूहिक रूप से १.१०१ एकड़ भूमि, जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर में किया गया है, हरिजन आबादी के प्रसार के लिये सुरक्षित की गई है । इस भूमि की मौके पर पुनः नाप करा दी गई है ।

पूर्वी जिलों में वर्षा

५६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और फैजाबाद जिलों में सन् १९२४, १९३४, १९३८ तथा इसके बाद के प्रत्येक सालों में तथा इस साल भी कितनी-कितनी वर्षा हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०२७-१०३० पर)

५७—५९—श्री लखपतराम शर्मा—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

६०—श्री मुन्नूसिंह, श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री ऊदल—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

६१-६२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रुद्रपुर कछार क्षेत्र में पेय जल कष्ट

६३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिला के राप्ती के रुद्रपुर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के सच्चौली, तलशपुरवा नकइल की उत्तर चपेरोटी और नउआवह पश्चिम टोला के लोग उन स्थानों पर कुओं और हैंड पम्प न होने के कारण नदी एवं बाढ़ का गन्दा पानी पीते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन ग्रामों में हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

देवरिया जिले के रुद्रपुर कछार क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ग्राम सच्चौली टोला व नकइल टोला तलशपुरवा, उत्तर चमरौटी में न तो कोई पक्का कुआं है और न कोई हैन्ड पाइप ही गड़ा

है। इन टोलों की जनता नदी राप्ती का पानी पी रही हैं। इन लोगों की आबादी क्रमशः ५५,३००, तथा १५० की है। ग्राम नउशाबहवाल आबादी से रहित है। इस ग्राम में पक्के कुओं तथा हैण्ड पाइप की कोई आवश्यकता नहीं है।

योजना विभाग द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

एटा जिले में राम भरोसे लाल इंटर कालेज का प्रबन्ध

६४—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री केशवसिंह, (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राम भरोसे लाल इण्टर कालेज राजा का रामपुर जिला एटा की प्रबन्धकारिणी समिति को भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

जी नहीं।

६५—श्री राजेन्द्रसिंह, श्री केशवसिंह तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक एटा ने भी उक्त इण्टर कालेज में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की सिफारिश भी की है ? यदि हां, तो कब तक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

जी हां।

अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रबन्धक की घोषणा की जा चुकी है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री बनवारी लाल विप्र (जिला आगरा) —

अध्यक्ष जी, हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस कार्यवाही में दो तीन बार शामिल हुये, लेकिन उनका नम्बर नहीं आ रहा है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के सम्बन्ध में था और दूसरा एक आज के एजेन्डे पर था..... (व्यवधान) मैं समझता हूं कि जानबूझ कर उसका नम्बर आने नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे बात कर लीजियेगा। अगर जानबूझकर नहीं आने दिया जाता होगा तो मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली) —

काला ढुंगी के बारे में मेरा एक प्रश्न है जिसे ५४ नम्बर पर डालकर खत्म कर दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष—

हरीश कुमार जी, एक बात मैं कह दूं। जहां तक नम्बरों का प्रश्न है उसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे रजिस्टर में जिस तरह से उसका इन्दराज होता है उसी हिसाब से वह अजेन्डा पर आते हैं। सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर आपका यह ख्याल है कि हमारे कार्यालय से कोई गड़बड़ी होती है तो मैं उसे अवश्य देखूंगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह नम्बर वाली बात पर मुझे भी कुछ शुभा होता है। कुछ लोगों के प्रश्न आ जाते हैं और हम जैसे लोगों के प्रश्न पड़े ही रह जाते हैं। तो आप जरा गौर से देखिये अपने रजिस्टर को।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कहा है कि अगर किसी का कसूर है तो वह हमारे कार्यालय का है। आप हमारे कार्यालय में आयें, हम उसको देखेंगे।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय उग्रसेन जी का आया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय अध्यक्ष ने जो कल व्यवस्था दी है उसको देकर उन्होंने मन्त्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। अगर आप संविधान को पढ़ें तो मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उसके बाद, यह लिखा है कि मिनिस्टर्स शैल नाट एन्टर इन्टू आफिस अन्टिल दे हैव टेकेन ओथ, अर्थात् मन्त्री जो नियुक्त हुये हैं, वह अपने कार्य को नहीं करेंगे, जब तक वह शपथ न ले लें। तो जहां तक नियुक्ति का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में आप एतराज नहीं कर सकते। नियुक्ति तो ठीक हुई है। मैंने नियुक्ति रद्द नहीं की है। मैंने कल भी कहा था कि जो शपथ ली गई है वह अपूर्ण है, पर नियुक्ति गलत नहीं है। श्री उग्रसेन लिखते हैं कि इस बीच तथा कथित मन्त्रियों ने, मन्त्री तथा उपमन्त्री की हैसियत से कुछ सरकारी काम किये हैं। इन सब बातों से हमारे सदन का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है और न उन विशेषाधिकारों का जिनकी कि कल्पना हमने की है, का अतिक्रमण होता है। वाक् स्वातन्त्र्य और अरेस्ट से मुक्ति, यह दो विशेषाधिकार ही तो हैं—इनमें किसी में यह सूचना नहीं आती है, इस वजह से अस्वीकृत है। (व्यवधान) अगर प्राग्दर्शन में उसमें ऐसा कोई तथ्य होता, जो विशेषाधिकार की सीमा के अन्दर आ सकता, तो मैं आपको यह राय देता। लेकिन वह उसमें आता ही नहीं। (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

सरकार एक कानून बनाने जा रही है, उसको ठीक करने के लिये।

श्री अध्यक्ष—

बनाने जा रही है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है।

श्री उग्रसेन —

इस समय मन्त्रियों ने जो गलत शपथ लेकर काम किया है तो उनका काम गलत रहा है। इस भ्रष्ट शासन को सारे प्रदेश में क्यों लादा जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—

देखिये, मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। मेरे पास एक और सूचना श्री हलीमुद्दीन, श्री श्याम लाल तथा श्री खेमचन्द्र जी की आई है। उसको अभी देखा तो नहीं है, लेकिन देख लूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) —

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न डायरेक्टर आफ इन्फारमेशन के बारे में एक विशेषाधिकार की नोटिस दी थी। उसके बारे में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—

वह फाइल अभी मैं मंगा रहा हूं। जहां तक मुझे याद है....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

श्रीमन्, उसे मंगवा लीजिये। आज न हो तो कल कर लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, कल ले लेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन, आपने जो कामरोको प्रस्ताव दिया है वह लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र यूनियन भवन में पुलिस ने बिना उप-कुलपति के आदेश के कब्जा कर लिया है .....यह नियम ५९(६) से बाधित है। इसी विषय पर आज ही चर्चा होने वाली है। तो यह कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरा भी यह प्रस्ताव चर्चा का विषय बना कर भेज दिया जाय।

प्रदेश में चीनी की वितरण व्यवस्था संतोषजनक न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक माननीय रक्षपाल सिंह की सूचना स्वीकार की है जो इस प्रकार है :

"शकर वितरण की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है वह अत्यन्त असन्तोषजनक है। उपभोक्ता एक ओर शकर के लिये तरस रहा है। दूकानदार यह कह कर कि कोटा पूरा नहीं मिला है कम शकर देते हैं। दूसरी ओर चोरबाजारी से २ रुपया सेर तक शकर बाजार में मिल रही है। दशहरा का त्योहार समीप है। परन्तु शहर की शकर पूर्ति में कटौती कर दी गई है। वास्तव में शकर की कमी नहीं है। वितरण की अव्यवस्था के कारण कृत्रिम संकट पैदा हो गया है। सूचना यहां तक है कि चोरबाजारी से शकर दूसरे राज्यों तथा नैपाल को भी जा रही है जब कि हलवाई तथा उनसे सम्बन्धित रोजगार वाले शकर के अभाव में बेरोजगार हो रहे हैं। नियम यह बनाया गया है कि सभी को बराबर शकर मिलेगी। परिणाम यह है कि कुछ को तो इतनी शकर मिलती है कि वह खरीद नहीं पाता दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। ब्लैक से शकर जितनी चाहे मिल जाती है इससे स्पष्ट है कि शकर की कमी नहीं है।

इस विषय में यह सूचना है। इसको मैंने माननीय मन्त्री जी के पास भेज दिया है। इसके लिये मैं सम्बन्धित मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि कब वक्तव्य दिया जायगा।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस पर मंगलवार को वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी ने मेरे पास कई नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं भेजी हैं। उनकी ५ सूचनाएं मेरे पास आई हैं। माननीय उग्रसेन एक पार्टी के नेता हैं, किन्तु उनको मालूम नहीं कि इनमें से कौन-सा महत्वपूर्ण है। (हंसी)।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

ये महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, कोई एक ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब तो मैंने एक स्वीकार कर लिया है। अब इन पर विचार नहीं होगा।

श्री उग्रसेन—

इन पर अगले दिन विचार कर लीजियेगा। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

मेरा भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। कानपुर में ३४ हजार एकड़ जमीन १४२ गांवों की और ३० हजार किसानों की ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने एक सूचना स्वीकार कर ली है। अगर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत कार्यवाही हो रही है, तो सरकार इसमें क्या कर सकती है।

श्री शिवनाथसिंह—

किसानों की खड़ी फसल चौपट की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये नियम ५२ नहीं है।

श्री उग्रसेन—

मेरे प्रस्ताव पर भी विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

एक ही लिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

एक सूचना हमने भी आपकी सेवा में भेजी है। उसको भी देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास १५ हैं। (व्यवधान)

(बहुत से सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

अब नियम ५२ समाप्त हो गया।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरी बात भी सुन ली जाती। (व्यवधान)

लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक याचिका आई है। वह माननीय शारदानन्द जी की है। अब वह इसको पेश करें। (व्यवधान) श्री शारदानन्द के उपस्थित न रहने पर कोई पेश करने वाला नहीं है। तो यह समाप्त होती है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) —

मैंने भी देवरिया में एक लड़के की हत्या के सम्बन्ध में सूचना भेजी है। उसको ले लिया जाय।

(श्री दीपनारायणसिंह के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आपको जो बात करना हो मेरे कमरे में आ जायं। वहां कहें, मैं आपको बतला दूंगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) —

याचिका के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

याचिका के सम्बन्ध में मैं बुला रहा हूं, कोई बोलता नहीं।

(श्री श्यामलाल के खड़े होने पर)।

(व्यवधान) श्यामलाल जी, आप बैठ जायं।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) —

आपने याचिका के सम्बन्ध में जिस समय बुलाया उस समय चार-पांच सदस्य एक साथ बोल रहे थे....

श्री अध्यक्ष—

मैं शारदानन्द जी को बुला रहा था, लेकिन वह हैं नहीं। वही इसको पेश कर सकते हैं इसलिये यह अब समाप्त होता है।

(व्यवधान) श्री श्यामलाल जी, आप बैठ जायं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल छात्र आन्दोलन के सिलसिले में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था। उसे आपने ऐजेण्डा में सम्मिलित नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

जब यह समाप्त हो जाय तो उसके बाद बीच की कालावधि में आप यह प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) —

आपने मुझे बुलाया था....

श्री अध्यक्ष—

जिस समय बुलाया था उस समय आप यहां नहीं थे।

२५ फीसदी लेवी के सम्बन्ध में तीन-चार नामों से सूचना मेरे पास थी जिसमें सर्वश्री बेढ० ए० अहमद, टम्बेश्वरी प्रसाद, नरसिंहनारायण पांडेय और रामायण राय जी के नाम थे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बध में वक्तव्य दे दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन कर दूं अगर आप हुक्म दें तो।

श्री अध्यक्ष—

हुक्म तो नहीं दूंगा, अनुज्ञा दे सकता हूं।

श्री उग्रसेन —

मेरा निवेदन यह है कि उमाशंकर जी ने नियम ५३ में एक दिया था और वह सुरक्षा कोष का मामला है ....

श्री अध्यक्ष—

वह अभी आया नहीं। वह लेऊंगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी —

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल कानपुर के छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था और उसे आपने नियम ५३ में स्वीकार कर लिया था। वह आज ऐजेण्डे में नहीं आया। तो मैं यह चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप के नेता से बातचीत कर ली है और उन से निवेदन कर दिया है। उन्होंने उदारतापूर्वक मेरी बात मान ली है और वह बात समाप्त हो गयी है।

नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५३ के बारे में कई सूचनाएं हैं। इनको में साढ़े तीन बजे से चार बजे के बीच मे देख लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) —

तो उस समय माननीय उमाशंकर जी भी वहां चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जी हां।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

मैं कमरे के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। कल साढ़े चार बजे मैं और बसन्तसिंह जी आपके कमरे में गये थे। लेकिन आप ने आवेश में आकर सारी बातों को नहीं सुना और उठ कर खड़े हुये और चले गये और हम लोग अपनी बात नहीं कह सके।

श्री अध्यक्ष—

अब तो शारदाभक्त सिंह जी से बातचीत हो चुकी है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

१०६ नियम में मैंने एक प्रस्ताव दिया है....

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने सवेरे कहा था कि देखूंगा । वह यहां की चीज नहीं है। जो याचिका दी है उसका भी कोई प्रश्न नहीं उठता। वह २५ परसेंट लेवी को है, उसके सम्बन्ध में माननीया मुख्य मंत्रिणी ने तय फिर दिया है।

(व्यवधान)

जो बगैर अध्यक्ष के नाम पुकारे बोलेगा उसका रेकार्ड नहीं होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि गोरखपुर गोली कांड का प्रतिवेदन छपकर सदस्यों को मिल चुका है, मैं उस पर चर्चा उठाना.....

श्री अध्यक्ष—

आप उसके ऊपर डिस्कशन चाहते हैं। हम आपसे बात चीत करेंगे।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्य-क्रम

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम ३ के साथ पठित नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार संलग्न सूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित स्थायी समितियों में स्तम्भ ३ में उल्लिखित सदस्यों के स्तम्भ ४ व ५ में निर्दिष्ट क्रमशः कारणों एवं दिनांकों में रिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि नियमावली के नियम ३ के साथ पठित नियम १ के उपनियम (क) में दी हुई विधि के अनुसार संलग्न के स्तम्भ २ में उल्लिखित स्थायी समितियों में स्तम्भ ३ में उल्लिखित सदस्यों के स्तम्भ ४ व ५ में निर्दिष्ट क्रमशः कारणों एवं दिनांकों में रिक्त स्थान पर शेष अवधि के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब इसको प्रोग्राम में रख दें—

(१) नामनिर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की तिथि तथा समय—२१ अक्तूबर १९६३, के सायंकाल ५ बजे तक।

(२) नामनिर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—२२ अक्तूबर, १९६३, को १२ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में।)

[श्री अध्यक्ष]

(३) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय। २८ अक्तूबर, १९६३, को सायंकाल ५ बजे तक।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो—३० अक्तूबर, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३†

मुख्यमन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह एक छोटा सा विधेयक है। बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी का कार्य-काल ६ जुलाई को समाप्त हो गया। उसकी रचना बहुत लम्बी होती है, काफी उसमें देर लगती है। उसमें कुछ हिज हाईनेस महाराजा टेहरी के प्रतिनिधि होते हैं और कुछ टेहरी गढ़वाल जिला परिषद् की ओर से सदस्य रखे जाते हैं। २ मेम्बर यहां से और १ मेम्बर विधान परिषद् से होता है। चूंकि एसेम्बली सेशन नहीं चल रहा था और बद्रीनाथ टेम्पिल अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ३ साल का समय जब पूरा हो जाय तो उसके बाद टर्म बढ़ाया जा सके, इसलिये सरकार ने सोचा कि एक आर्डिनेन्स से उसकी लाइफ ३ महीने के लिये बढ़ाई जाय। ३ महीने के लिये एक ही बार बढ़ाई जा सकती है और उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, उसके बाद चुनाव करा देना पड़ता है। ७ अक्तूबर तक के लिये वह अवधि बढ़ाई गई थी, फिर यह बिल यहां नहीं आ सका इसलिये आर्डिनेन्स नोटीफिकेशन के द्वारा निकाला गया जिससे ७ जनवरी सन् १९६४ तक के लिये वह अवधि बढ़ा दी गई। विधान सभा से सदस्यों का चुनाव हो चुका है और उस कमेटी की रचना शीघ्र ही हो जायेगी इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस पर विचार करे और पारित करे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, बद्रीनाथ टेम्पिल गढ़वाल जिले में स्थित है और १८९९ की एक स्कीम के जरिये इसका संचालन होता था। कमेटी के ऊपर टेहरी गढ़वाल राज्य का सुपरविजन होता था लेकिन रावल लोग इसके असल ऐडमिनिस्ट्रेटर थे। कुछ दिनों बाद रावल लोगों में और टेहरी दरबार में कनफ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से हिन्दू रिलीजियस कमेटी ने इस सरकार को सन् १९२८ में सूचना दी और इस बिल का निर्माण हुआ और इसके बाद से यह प्रबन्ध इसके द्वारा हो रहा है। चूंकि एक डिफेक्टिव स्कीम के जरिये इसका संचार होता रहा और उसके डिफेक्ट को दूर करने के लिये यह ऐक्ट लाया गया था जो १९३९ में पास हुआ। इस विधेयक का जो रूल है वह सन् १९४० में बना और उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब हम उस ऐक्ट को देखते हैं तो उसके सेक्शन ८ में दिया हुआ है—

"The terms of office of the President and the members. The President and the members of the committee shall hold office for 3 years from the date of notification under sub-Section (3) of Section 5."

---

†२३ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

तो इस तरह हम देखते हैं कि ३ साल के अन्दर एलेक्शन का निश्चय हो जाना चाहिये। लेकिन इसके रूल ४ में दिया हुआ है—

"4. Time of Election : The first election of the committee shall be held within such time or further time as the Government may fix. Subsequent elections shall be held within 3 years of the date of notification publishing the result of the last election under sub-Section (3) of Section 5."

इस तरह से ३ साल के अन्दर एलेक्शन हो जाना चाहिये, लेकिन इसमें शब्द—

"Within such time or further time as Government may fix"

दिये हुए हैं कि अगर किसी वजह से ३ साल के अन्दर न हो तो गवर्नमेंट पब्लिक नोटीफिकेशन कर देती है और अगर मौका न मिले तो फर्दर टाइम भी गवर्नमेंट एलाट कर सकती है। माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि ३ साल का जो टाइम है वह सीमित है और उसको हम बढ़ा नहीं सकते, यहां तक तो मैं मानता हूं लेकिन रूल्स में दिया हुआ है—

"Within such time or further time".

तो इससे जाहिर है कि जो नोटीफिकेशन वगैरह होता है और एलेक्शन के जो और कार्य होते हैं वह बहुत पहले शुरू कर दिये जाते हैं और अगर शुरू करने में कोई दिक्कत होती है तो वह पीरियड एक्सटेन्ड कर दिया जाता है। इस तरह की चीज रूल्स में है।

साथ ही साथ श्रीमन्, हम यह भी देखते हैं कि वहां यह कायदा है कि अगर कमेटी कोई गड़बड़ करती है और सरकार का कोई आदेश होता है या कोई रूल है उसका ठीक समय से पालन नहीं होता है, तो कमेटी को सुपरसीड किया जाता है। उसकी धारा ११ में श्रीमन्, इसका प्रावीजन है—

"11. Dissolution and supersession of the committees—If in the opinion of the State Government a committee is not competent to perform or the President makes default in performing the duties imposed on committee under this Act or incites or abuses its powers, the State Government may after due enquiry by notification dissolve or supersede the committee and direct the recontstitution of another committee in accordance with the provisions of this Act."

तो जो म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज में यह होता है कि अगर वह कोई ऐसा काम करती हैं तो डिजाल्व हो जाती हैं या सुपरसीड की जाती हैं और गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में ले लेती है और डिस्ट्रक्ट मैंजिस्ट्रेट या किसी अधिकारी के द्वारा उसका शासन होता है। लेकिन बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी में कोई ऐसी बात नहीं होती, बल्कि अगर एक कमेटी सुपरसीड या डिजाल्व कर दी जाती है तो फौरन ही दूसरी कमेटी के चुनाव का आदेश हो जाता है और इनटेरिम पीरियड के लिये जब तक नई कमेटी न आ जाय तब तक किसी खास व्यक्ति द्वारा यह काम कराती रहती है धारा ११ के सब-क्लाज ३ में यह है—

"If a committee is dissolved or superseded under this Act, the State Government shall appoint a person to perform the functions and exercise the powers of committee until the consitution of another committee."

तो श्रीमन्, यहां पर ऐसा है कि कमेटी एक अधिकारी के द्वारा या किसी परसन के जरिये इसका शासन कराती है उस वक्त तक जब तक कि दूसरी कमेटी न फार्म हो। ऐसे समय जब कि नियमों में और ऐक्ट के अन्दर ऐसी व्यवस्था है तब ३ साल का पीरियड अगर बढ़ाते हैं ३ महीने या ६ महीने के लिये तो वह मेरी समझ से एक कनट्राडिक्शन होगा और उसमें हर तरह की गड़बड़ी चुनाव के पीरियड में आ सकती है। और ऐसी दशा में यह प्रश्न उठ सकता है कि चुनाव का पीरियड कब खत्म हो और दूसरे चुनाव का पीरियड कब शुरू हो। गवर्नमेंट ने अपने अधिकारियों

[श्री कमलासिंह यादव]

को सचेत कर दिया तो ठीक ३ साल के अन्दर चुनाव हो जायेगा और उसमें कोई दिक्कत न होगी, लेकिन ऐसा न होने पर दिक्कत आ सकती है।

दूसरी दिक्कत यह होती है कि इस कमेटी में ३ तरह के मेम्बर्स होते हैं—टेहरी स्टेट के ४ मेम्बर होते ह और २ गढ़वाल के वाशिन्दगान में से होते हैं, जिसमें एक चमोली तहसील का होता है और २ हिन्दू मेम्बर्स असेम्बली और काउन्सिल से जाते हैं। इस तरह से ८ मेम्बर्स होते हैं उनके चुनाव के लिये अगर हम ३ वर्ष की मियाद देते हैं और फिर उसको एक्सटेन्ड करते हैं तो एक दिक्कत की चीज पैदा होगी।

श्री अध्यक्ष—

कमलासिंह जी, क्या आप इस अमेन्डमेन्ट को अपोज कर रहे हैं। अब उसमें दिक्कत यह हो रही है, कुछ भ्रम इस सदन में हो गया है उसको मैं दूर कर देना चाहता हूं, आप जरा बैठ जायं। भ्रम यह है कि यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में विरोध करना हो, तो संशोधन के रूप में कोई प्रस्ताव देना चाहिये ऐसा समझा जाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्रवर समिति को सुपुर्द करने का अपना संशोधन देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप बिल के प्रिन्सिपल को मानते हैं। इस बिल में तो केवल क्लाज यह और रखा है कि "provided that the State Government may, by notification in the Gazette, extend the term of members....." अपने प्रस्ताव से तो मेम्बर्स के टर्म को एक्सटेंड करने वाली उसूली बात को तो आपने मान लिया। वह पीरियड ३ महीने का हो या ६ महीने का हो, इसमें फर्क हो सकता है। अब आपको बहस तो यह हो रही है कि यह बिल ही गलत है जो बात नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं, आप मुझे क्षमा करें, कि आपकी बहस इस संशोधन पर ही सीमित हो।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इस बात से कायल हूं कि जब प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है तो इसका मतलब यह है कि मैं इस बिल के प्रिन्सिपल से सहमत हूं, लेकिन जितना पीरियड यह मांग रहे हैं उससे सहमत नहीं हूं। बद्रीनाथ टेम्पिल में ८ सदस्य होंगे, उनमें ज्यादातर नामिनेशन के जरिये ही मेम्बर रखे जायेंगे। वहां पर भी आप देखें कि चुनाव नहीं रखा है। उनमें एक मेम्बर चमोली का होगा, एक जिला परिषद् का होगा। तो जिला परिषद् द्वारा चुने जाने में भी इनका कहना है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इसको ठीक नहीं मानता। श्रीमन्, जितने भी विधेयक इस सदन में आये हैं, ज्यादातर मैंने देखा कि उनके पीरियड को एक्सटेंड करने का सवाल आया है। तो जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि १९३९ में जब यह विधेयक बना तब से आज तक कोई ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी। ३ साल की जो लिमिट रखी गयी है उसी के अन्दर सारा प्रबन्ध हुआ और कोई दिक्कत नहीं पड़ी।

श्रीमन्, जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके पहले कभी उनको आर्डिनेन्स निकालने की जरूरत पड़ी थी? श्रीमन्, आज कांग्रेस की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है, वह इस सदन के सामने है। यहां तो पार्टीबाजी होती है। उसी के कारण, श्रीमन्, यह जो सरकारी काम है, उसकी तरफ सरकार की निगाह नहीं है। मिनिस्टर साहबान तो पार्टीबाजी की तरफ लगे हुए हैं और उनमें आपस में होड़ लगी हुई है। आज एक-एक पैसा किस तरह से टैक्स के रूप में आप जनता से वसूल करते हैं और उसकी बरबादी किस तरह से हो रही है? ३० सितम्बर लास्ट डेट है, उसके दो दिन पहले यह बिल आप ले आये। अगर इस तरह से जल्दी में कार्य चलेगा तो यह ठीक नहीं होगा। प्लानिंग के लिये रुपया नहीं होता है तो टैक्सेज लगाये जाते हैं। जहां तक इस खर्च और आमदनी का सवाल है, श्रीमन्,

पिछली बार जब यह सदन उठा था तो माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह ऐलान किया था कि २५ प्रतिशत की लेवी नहीं उठायी जायगी, लेकिन हमें खुशी है कि नये मुख्य मन्त्री जी को अक्ल आयी, उन्होंने इस बात पर गौर किया और उसको हटाने का ऐलान किया। यह बात अवश्य थी कि अपोजीशन दबाव भी उनके ऊपर था।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

कोई दबाव नहीं माना गया।

श्री कमलासिंह यादव—

यहां भी तो जबान नहीं फिसल रही है। अध्यक्ष महोदय, बगल में जो उपनेता महोदय बैठे हुए हैं वे तो एक बार कुछ बात कह जाते हैं और वह प्रोसीडिंग में भी छप जाती है कि यह टैक्स एक साल के लिये ही लगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं कहा और फिर कह दिया कि जबान फिसल गयी। ऐसा आदमी जो ऐसी बात को बदल दे जो छप गयी हो, सारे देश में जिसका प्रचार हो गया हो, उसको क्या कहें, वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सरकार का आश्वासन तो ऐसा होना चाहिये कि वह जो कहे उस पर दृढ़ रहे।

जहां तक इस बद्रीनाथ टेम्पिल के चुनाव की बात है उसका चुनाव जनरल इलेक्शन की की भांति नहीं है। उसके तो आठ मेम्बर होते हैं, तीन साल के लिये। अगर तीन साल में समय पर चुनाव नहीं करा पाये तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस कमेटी और सरकार ने क्या किया। टाउन एरिया की तरह से यह एक कमेटी होती है जिसके दो मेम्बर असेम्बली और कौंसिल से, दो मेम्बर टेहरी गढ़वाल से और चार मेम्बर टेहरी स्टेट से चुन कर भेजे जाते हैं। उसका भी चुनाव यह सरकार समय पर न करा सकी।

टाइम एक्स्टेंशन की भी यहां एक परिपाटी चल गयी है। इसके ऊपर ७ हजार रुपये रोज का खर्चा किया जाता है। सारे बिलों पर जो इस प्रकार के हैं उन पर कई हजार रुपया खर्च किया गया है। इसके लिये अधिकारियों की पर्सनल रेस्पांसिबिलिटी होनी चाहिये जो इतने समय तक सोते रहे। जैसा कि बी० बी० सरन साहब कल कह रहे थे मुझे भी यह कहने में हिचक नहीं है कि यह सरकार अफीमचियों की सरकार है। जो पुरानी सरकार थी उसका रवैय्या तो यही रहा था, लेकिन नयी सरकार अब आयी है, चाहे उनमें से कई पुराने हों, लेकिन अब उन्हें नये चीफ मिनिस्टर की गाइडेंस मिलेगी अतः उनको अपना रवैय्या बदलना होगा। जहां तक पीरियड एक्सटेंशन का सवाल है चूंकि आर्डिनेन्स हो चुका है तो जितनी १–२ महीने की जरूरत हो उतना समय ले लिया जाय। ६ महीने का समय देना ठीक न होगा। ३ महीने का ही काफी है, क्योंकि ६ महीने में तो फिर वही सो जाने वाली बात आ जायगी।

श्री अध्यक्ष—

इसको हमें आज खत्म करना है। मैं सिर्फ इसके लिये आपको स्मरण करा रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

मुस्लिम वक्फ ऐक्ट इसी सदन में पास हुआ था। उसमें भी जो अमेंडमेंट लाया गया था वह सर्टेन फिक्स्ड पीरियड के लिये था और उसमें यह नहीं हो सकता कि ३ महीने के बाद फिर दोबारा आप एक्सटेंशन की बात करें, लेकिन इस विधेयक के जरिये जो अमेंडमेंट लाया गया है उसमें दो प्रकार के अमेंडमेंट्स हैं। अगर मान लिया जाय कि एक बार आप ३ महीने के एक्सटेंशन के लिये विधेयक लायें, वह तो किसी हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन ३ महीने के बाद फिर आप ३ महीने का समय बढ़ाना चाहें तो यह उचित नहीं है, क्योंकि आपको तो कांस्टीटयूशन के जरिये एक हथकंडा मिला हुआ ही है कि जब कौंसिल या असेम्बली का सत्र न रहे तो आप आर्डिनेन्स जारी कर दें। इस तरह से आर्डिनेन्स वाला हथियार तो आपके पास है ही।

[श्री कमलासिंह यादव]

क्या जरूरत है कि ३ महीने और ६ महीने के एक्सटेंशन वाला हथकंडा आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपका यह पुराना रवैय्या रहा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपल बोर्ड्स और टाउन एरियाज के टर्म्स को बराबर एक्सटेंड करने का। अभी हमने देखा कि टाउन एरियाज को चार साल के लिये बनाया गया था जिसका मैक्जिमम (Maximum) टाइम २ वर्ष का बढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद भी एक्सटेंशन किया गया है। इस तरह से इस सरकार तथा उसके अधिकारियों का रवैय्या बहुत खराब रहा है। मैं इस मौजूदा सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि पुरानी सरकार का यह रवैय्या रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नयी सरकार अपने अधिकारियों को जरूर टाइट करेगी ताकि सदन के सामने जो बराबर दिक्कत आती रहती है वह दूर हो सके और आदरणीय सदन का समय आगे से जाया न किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है उसको सदन जरूर पास करेगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं एक संशोधन दिया था जो छपा नहीं है। मेरा संशोधन यह था कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने से मेरा मतलब यह था कि हम चाहते हैं कि बद्रीनाथ मन्दिर के सम्बन्ध में ही नहीं, बल्कि और तीर्थ स्थानों के सम्बन्ध में भी उस समिति में विचार होता और फिर सरकार कोई ऐसा संशोधन विधेयक लाती जो केवल बद्रीनाथ मन्दिर के लिये ही न होकर सारे हिन्दुस्तान के मन्दिर व तीर्थ स्थानों के लिये होता, लेकिन पुराने तरीके से जो सड़ी गली व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसी सड़ी गली व्यवस्था को यह सरकार कायम रखना चाहती है। इस तरह से सरकार हमारे देश व प्रदेश के बद्रीनाथ मन्दिर तथा हिन्दू धर्म व संस्कृति को ही विकृत करने जा रही है। आखिर बद्रीनाथ के बाद शब्द "टेम्पिल" रखने की क्या जरूरत थी। उसके स्थान पर शब्द 'मन्दिर' रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

सारे हिन्दुस्तान व उत्तर प्रदेश की जनता करीब ८० हजार से लेकर १ लाख तक की संख्या में बद्रीनाथ मन्दिर व अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिये जाती है। करीब ५–७ लाख आदमी हर साल हिन्दुस्तान के तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का मेरा मकसद यही था कि सरकार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में सब तीर्थ स्थानों के लिये एक "तीर्थ सुव्यवस्था विधेयक" लावे। बद्रीनाथ मन्दिर की हमारे उत्तर प्रदेश में तथा सारे हिन्दुस्तान में बड़ी अहमियत है। उस अहमियत को ध्यान में रखते हुए सरकार बद्रीनाथ मन्दिर के साथ और तीर्थ स्थानों के लिये भी कोई विशेष नियम बना दे, कोई विशेष व्यवस्था कर दे। सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में जब श्री ब्रजबिहारी मिश्र इस कमेटी के चेयरमैन थे उसी जमाने में माननीय राजनारायण जी यहां के सदस्य थे तो बद्रीनाथ जी के मन्दिर के भ्रष्टाचार का प्रश्न आया था जब कि बम्बई में जाकर यहां के मुकुट बेचे गये थे और सब प्रश्न वहां के आज भी हमारे सामने हैं, मन्दिर में तरह-तरह के भ्रष्टाचार और व्यभिचार होते हैं उन सब को आप चालू रखना चाहते हैं। इस को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का मतलब यह है कि व्यापक रूप से सविस्तर उन सारे मामलों पर तीर्थ के सम्बन्ध में एक अच्छी व्यवस्था की जाय और कानून बने। हम तो चाहते हैं कि अयोध्या, फैजाबाद, सारनाथ, मथुरा, वृन्दावन आदि जितने तीर्थ स्थान हैं उन सबके विषय में एक व्यापक कानून तीर्थ सुव्यवस्था विधेयक के रूप में आये और इस तरह से जो बार-बार समय बढ़ाने के लिये सदन का समय व्यर्थ नष्ट किया जाता है यह बेकार है। अतः इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और एक व्यापक सविस्तर तीर्थ सुव्यवस्था विधेयक बनाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमलासिंह यादव के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये और अप्रत्यक्ष रूप से इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय कमला सिंह से जो आपने पूछा कि आप बिल का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं तो उसका उत्तर मैं दे दूं कि कमलासिंह जी की यह तरकीब है कि हर बिल पर बोलने के लिये, बहाना निकालने के लिये वह कहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिये, मैं पूछता हूं कि किस लिये जाना चाहिये? इस बिल का मतलब केवल इतना है कि आर्डिनेंस द्वारा जो किया गया है उस को विधिवत् करना है। आप की जो सेलेक्ट कमेटी होगी वह इस में क्या करेगी। अब तो उधर सब पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पंडित बन गये हैं, उन्हें जानना चाहिये कि सेलेक्ट कमेटी बड़े बिलों के लिये बनाई जाती है ताकि प्रत्येक क्लाज पर विचार किया जाय। विचार के दौरान में नियम बाधक नहीं होते ।

श्री कमलासिंह यादव—

इस प्रकार का आक्षेप क्या किया जा सकता है, श्री मुकन्दीलाल जैसे सदस्य आक्षेप करें तो आश्चर्य होता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह तो खुद ही कांग्रेस के नये मेम्बर हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो आप को पहले बुलवा लिया है अब तो आप बीच में इस तरह से रनिंग कमेंट्री न करें, जरा खामोश बैठे रहें ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

जिस समय माननीय कमलासिंह जी ने प्रस्ताव रखा तो उस से मालूम होता है कि वह इसका समर्थन कर रहे हैं । मेरा आशय यह है कि कोई व्यक्तिगत कमेंट न करूं और बिल पर ही विचार व्यक्त करूं.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो लीगल आसपेक्ट दिया है उसी का जवाब वह दें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, वह कह रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

श्री ऊदल जी, आप से और बद्रीनाथ जी से कुछ मतलब नहीं, आप बैठ जायं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

तो मैं कह रहा था कि इस के सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस में कोई बड़े बड़े मामले या विचार या कानून नहीं आते हैं इस में तो केवल अवधि बढ़ाई जा रही है, वह इस की मंशा को भूल जाते हैं और फजूल ही इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की बात करते हैं । इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के माने यह हैं कि बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है तो वहां २-३ महीने लग जायेंगे और सब मामला खटाई में पड़ जायगा। नतीजा यह होगा कि यह पास नहीं हो सकेगा और हमें इस को जल्द पास करना है, क्योंकि बद्रीनाथ मन्दिर सिर्फ गढ़वाल का ही नहीं है वरन् उसका सम्बन्ध सारे भारत से है। नम्बूदरी रावल केरल से आते हैं। हां, इन रावलों ने कुछ धन का दुरुपयोग किया, इसीलिये सरकार को मजबूरन यह कमेटी बनानी पड़ी । हम चाहते हैं कि जितना रुपया वहां जमा होता है उसका सदुपयोग किया जाय। मैं यह भी बताना चाहता हूं,

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

बद्रीनाथ की यात्रा पर करीब १ लाख यात्री आते थे, लेकिन इस साल करीब ५०,००० यात्री ही आये हैं । इसके कारणों को भी हमें देखना है । इसलिये यह बिल साधारण नहीं है । इससे टूरिज्म, भारत की एकता को प्रोत्साहन मिलता है । बद्रीनाथ मन्दिर इसका एक साधन है जो पवित्र हिमालय में स्थित है । अतः सदन को जितनी जल्दी हो सके इस बिल को पास करना चाहिये ।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरे साथियों ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता । पर एक पहलू पर अवश्य विचार करें कि यह आर्डिनेंस सदन के सामने है, आपने देखा कि बहुत से विधेयक ऐसे आये जो आर्डिनेंस के द्वारा आवश्यक हुए । ऐसा लगता है कि सरकार को आर्डिनेंस का एक फैशन-सा हो गया है । आर्डिनेंस के पीछे क्या महत्व है इस पर विचार नहीं किया । किसी प्रजातांत्रिक सरकार के लिये आवश्यक है कि जितना सम्भव हो आर्डिनेंस से अपने को बचावें , लेकिन इस सरकार की रुचि अप्रजातांत्रिक है । जो सरकार की आज तक की करनी है मैं उसे कहना नहीं चाहता । इस विधेयक के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि क्या सरकार को पहले नहीं मालूम था कि अमुक दिन पर इसकी अवधि समाप्त होने जा रही है, अतः ऐसा प्रबन्ध करें कि फिर से दूसरा चुनाव हो जाय । यह जवाब कि कांस्टीट्यूशन में बड़ा लम्बा प्रोसेस होता है मुनासिब नहीं मालूम होता । यही दलील सरकार ने जिला परिषद्, म्युनिसिपल बोर्ड्स के बारे में भी दी थी । पर असली रहस्य क्या है ? वह कुछ और ही है । सरकार तो अपने रिजीम को बढ़ाना चाहती है और चुनाव प्रोसेस के लम्बे होने का तो एक बहाना ही है । यही इस बद्रीनाथ मन्दिर के बारे में भी है । मैं समझता हूं कि जितने धार्मिक स्थान हैं उनमें राजनीतिक महत्व भी है । जहां धार्मिक स्थान हैं वहां हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, उनको दूसरे के हाथ में नहीं जाने देंगे, यह हमारी धारणा है । जब उस मार्ग पर इतनी दुर्घटनाएँ हुईं तो क्यों इस कमेटी की अवधि को बढ़ाया गया ? ऐक्सटेंशन का मतलब यही होता है कि लेजिस्लेटिव पावर को एग्जीक्यूटिव हड़प करे । तो अप्रजातांत्रिक काम करने के कारण ही मैं समझता हूं सारी दुर्घटनाएँ हुई हैं । सरकार चाहती है कि उसके व्यक्तियों का पोषण हो चाहे बद्रीनाथ कमेटी में गढ़बड़ हो, चाहे संस्था में गड़बड़ हो, इससे कुछ मतलब नहीं है । सरकार का व्यक्ति होना चाहिये ।

जहां-जहां सरकार के म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, बड़ा अनर्थ चल रहा है , लेकिन जहां दूसरी पार्टीज के हैं उनको एकदम सुपरसीड किया गया है । तो सरकार की इस मनोवृत्ति पर मैं हमला करना चाहता हूं । अतः इस मनोवृत्ति पर विचार करने के लिये ही इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहिए ।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरी दूसरी ही राय है । माननीय कमलासिंह जी ने जो कहा था कि इस विधेयक को किसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय उसके पीछे एक लक्ष्य है कि प्रवर समिति इस को भी देखे कि जो एक्सटेन्शन का समय है क्या यह जनहित में है । श्रीमन्, प्रवर समिति में चुने हुये व्यक्ति होते हैं, इधर के चुने हुये और उधर के चुने हुये । वे इस पर विचार करें कि इसका एक्सटेन्शन किया जाय या न किया जाय । हमारी सरकार तो चाहती है कि जितनी चीजें हैं उन पर स्टेट का कन्ट्रोल होना चाहिये, जितनी भी डैमोक्रैटिक संस्थायें हैं उन पर सरकार का कन्ट्रोल होना चाहिये । सरकार का यह कहना कि यह लम्बा प्रोसेस है, काफी लचर जवाब है इसलिये अधिक समय न लेकर माननीय कमला सिंह जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)---

भाई कमलासिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और जो सरकार की तरफ से विधेयक रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य थोड़ा-सा है कि इसका कार्यकाल बढ़ाया जाय। मेरे विचार में इस विधेयक को सैलेक्ट कमेटी के सामने भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन मुझे सरकार से इस समय एक अनुरोध करना है कि यह ऐक्ट १९३९ में पास हुआ और इसको बद्रीनाथ की संज्ञा दी गयी। उसके बाद चमोली जिले में दो बड़े मन्दिर हैं—बद्रीनाथ और केदारनाथ। इस ऐक्ट में केदारनाथ को भी सन् १९४९ में शामिल कर दिया गया, इसमें यह भी डिफिकल्टी है। चूंकि यह एक कम्प्रीहैन्सिव बिल नहीं है और केवल इसमें टाइम बढ़ाने का ही प्रश्न है अतः इसको सेलैक्ट कमेटी में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि इस ऐक्ट में बहुत से डिफेक्ट्स हैं उनको दूर कर दिया जाय। उस समय १९३९ में बद्रीनाथ में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई होगी कि जिससे वहां के धन का ट्रस्ट द्वारा उपयोग होता होगा अतः इसको जल्दी में ही तैयार किया गया होगा। अब गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने एक एण्डाउमेण्ट कमीशन बनाया है अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी रिपोर्ट जो कि उन्होंने निकाली है, प्राप्त कर ली जाय। और उसके आधार पर जितने मन्दिर पहाड़ों में हैं वहां भी यह ऐक्ट लागू किया जाय। इस ऐक्ट के अन्दर सेक्शन ५ है उसमें यह दिया हुआ है कि कौन-कौन रिप्रेजेन्टेड हों। केदारनाथ और बद्रीनाथ, दो मन्दिर इसमें सम्मिलित किये गये हैं और रिप्रेजेंटेशन टेहरी गढ़वाल और अन्य जिलों को दिया गया है। गंगोत्तरी और जमनोत्तरी के भी दो मंदिर हैं। उनको भी इस ऐक्ट में शामिल करना है। मेरा यह अनुरोध है कि शीघ्र ही मंत्री महोदय कांप्रिहैंसिव बिल लायेंगे जिससे जो कमियां हैं वे इस बिल से दूर कर दी जायंगी और बद्रीनाथ का ऐसा प्रबन्ध कर दिया जायगा जो हमरे राज्य के हिन्दुओं के लिये आदर्श होगा। इतना कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक साधारण-सा विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिस पर माननीय कमलासिंह जी का प्रस्ताव है कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय। क्यों भेज दिया जाय, इसका कारण भी उन्होंने बतलाया और लांछन यह लगाया कि इतने साधारण से विधेयक के अन्दर जो नियम हैं, समय के अन्दर, उनका पालन हम नहीं कर पाते हैं।

माननीय काशीनाथ जी जो इस समय नहीं हैं, उनका भाषण सुन कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत-सा गबन किया गया। मालूम होता है कि उन्होंने कुछ अध्ययन नहीं किया है। मैं निवेदन कर दूं सन् १९३९ में जब यह ऐक्ट पास हुआ था और सन् ४० में इसका निफाज हुआ, उस समय मंदिर कोष में कुल १४३ रुपये थे और आज करीब १२ लाख रुपये संचित कोष में जमा हैं और इस अवधि में ११, १२ लाख से अधिक के निर्माण कार्य हुए हैं। कितनी धर्मशालायें बनी हैं, औषधालय बने हैं और सड़कें बनी हैं? जब से सरकार के हाथ में इस मन्दिर का प्रबंध आया है तब से उत्तरोत्तर इसकी उन्नति हुई है और जो यात्री जाते हैं, और पहले से मुकाबला करते हैं तो व्यवस्था देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। यह कहना कि जब से सरकार के हाथ में मन्दिर की व्यवस्था आई है, कोई उन्नति नहीं हुई है, सूर्य पर धूल झोंकना है।

सदस्यों की जानकारी के लिये बतला दूं कि इस ऐक्ट की दफा ५ जो है उसके अन्तर्गत इसके कान्स्टीट्यूशन का विधान है उसके अन्तर्गत ४ सदस्य टेहरी गढ़वाल के हैं, २ एलेक्ट किये जाते हैं, २ नामिनेट किये जाते हैं। दो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से चुने जाते हैं, २ एम० एल० एज० होते हैं, १ कौंसिल से हैं। प्रेसीडेंट को गवर्नमेंट नामिनेट करती है। कमेटी का पूरी तरह से निर्माण इसलिये नहीं हो सका कि दो साल से एक मुकदमा लड़ा जा रहा है। यह 'प्वाइंट एट डिस्प्यूट' है कि जो दो नामिनेट होंगे वे टेहरी गढ़वाल के रहेंगे या कहां के होंगे एक रिट के सिलसिले में यह प्रश्न हाई कोर्ट में चल रहा है। इस समय नामिनेशन कर दिया जाता या इलेक्शन करा दिया जाता, सम्भव है आगे चल कर झगड़ा पड़ जाता, इसलिये ३ महीने पहले इसका कार्य-

[श्री बृजबिहारी]

काल बढ़ा दिया गया था और फिर ३ महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है । ६ महीने के लिये कुल कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिये । बड़ी साधारण सी बात है, अध्यक्ष महोदय । जैसी कि मैठाणी जी ने आपत्ति की है कि इस ऐक्ट में बहुत से डिफेक्ट्स हैं इसे ओवरहाल करने की आवश्यकता है, मैं भी इसे मानता हूं । वह संशोधित ऐक्ट आयेगा, उस पर आप विचार कर सकते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव---

अध्यक्ष महोदय, माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब कुछ नहीं कहेंगे ? उनको सुन कर मैं जवाब देता तो बड़ा सुन्दर होता ।

श्री अध्यक्ष---

आप बोलिये, जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया ।

श्री कमलासिंह यादव---

तो ठीक है । जहां तक माननीय मुकन्दीलालजी के हम लोगों के ऊपर आक्षेप का सम्बन्ध है उससे तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शायद माननीय दोस्त ने प्रवर समिति की डेफिनीशन पढ़ने की कोशिश नहीं की और वह इसलिये कि श्रीमन् ने भी समझाया और उन्होंने भी मेरी बातों का विरोध करने की कोशिश की लेकिन मेरी एक बात का भी जवाब नहीं दिया गया । अभी तक हमारे साथी इधर बैठते रहे लेकिन सीट चेन्ज हो जाने से कुछ असर हो ही जाता है जैसा कि मैठाणी साहब पर हुआ है, नेगी साहब के बगल में बैठने से । मुझे खेद है कि माननीय मिश्र जी और माननीय मैठाणी जी जो कि बद्रीनाथ टेम्पिल के सदस्य हैं वे लोग कठिनाई को ठीक तरह से सदन के सामने नहीं रख सके । समय को बढ़ाने का सवाल आया। माननीय मिश्रजी ने उसका कारण रिट बताया । मैं समझता हूं कि सरकार ने इस सदन को धोखा दिया क्योंकि उद्देश्य और कारण के अन्दर रिट का कोई जिक्र नहीं है । उसमें यह कारण दिया हुआ है कि विधान मण्डल समय से अपने सदस्य निर्वाचित नहीं कर सका । मैं समझता हूं यह चीज बिल्कुल गलत है इसलिये कि अभी बद्रीनाथ टेम्पिल का जो निर्वाचन हुआ उसमें पिछली बार जब असेम्बली प्रोरोग हुई तो हम लोगों के घरों पर नामिनेशन पेपर भेजे गये थे । यह सदन, वह सदन है कि जहां साढ़े दस पर सुई आयी कि हम लोग यहां मौजूद हो जाते हैं और श्रीमन् भी आ जाते हैं । ऐसे सदन पर अगर यह आक्षेप है और उसकी वजह से विधेयक का समय बढ़ाया गया है तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस विधेयक को वापस लेना चाहिये ।

जहां तक दूसरे कारणों का प्रश्न है, एक बात उन्होंने कही कि प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है । मैंने सिर्फ एक वजह दी है और वह यह है कि जो रूल्स या प्रोसीजर है उनका ठीक समय से प्रयोग नहीं होता और न कार्य रूप में परिणत किया जाता है । तो प्रवर समिति में भेज कर हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से देरी होती है । मैं सरकार से और खासतौर से उन लोगों से जो बद्रीनाथ कमेटी के सदस्य हैं यह आशा करता था कि वे उन कठिनाइयों को सदन के सामने रखेंगे । प्रवर समिति में हम यह विचार कर सकेंगे कि वे कठिनाइयां क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है । यदि लम्बा प्रोसेस है तो उसके लिये कहीं भी सरकार ने नहीं कहा कि उसको छोटा करने के लिये अमेंडमेंट आ रहा है । इस प्रकार की चीज है कि जो लम्बा प्रोसेस १९३९ में था वही आज भी है और आज इसका समय बढ़ाया जा रहा है । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सदन हमारे प्रस्ताव को पास करेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी ने जब बद्रीनाथ टेम्पिल विधेयक के ऊपर जवाब दिया और माननीय त्रिपाठी जी ने और अन्य सदस्यों ने भाषण दिया तो जितने अन्य विधेयक

होते हैं उनकी भी चर्चा हो जाती है और कहा गया कि सरकार चुनाव नहीं कर पाई । यह तो एक छोटा-सा विधेयक है जिसमें ६ महीने के समय बढ़ाने का प्रश्न है जिसमें से तीन महीने बीत चुके हैं और ७ जनवरी को समय समाप्त हो जायगा । माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी और खंडूड़ी जो चुनकर चले गये हैं और कमेटी बनने वाली है । इसमें प्रस्ताव देने की क्या आवश्यकता है कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है और भ्रष्टाचार है । इसके जो भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय मिश्र जी थे उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने चार्ज लिया था तो मंदिर के पास बहुत थोड़ा-सा रुपया था और अब उनके पास १२ लाख रुपया है । इसके अलावा तरह-तरह के कार्यक्रम वहां हो रहे हैं । आप चाहते हैं कि वहां कोई कमेटी न रहे तो क्या काम होगा ? ऐसी दशा में सुचारु-रूप से काम करने के लिये आवश्यक है कि उसका समय बढ़ाया जाय । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । जो सदन के समक्ष श्री कमलासिंह का प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ को संशोधित करने के लिये

यू० पी० ऐक्ट संख्या १६, १९३९

विधेयक

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ राज्यपाल द्वारा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ के अधीन पख्यापित किया गया था;

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६३ ।

और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १६, १९३९ की धारा ८ का संशोधन

२—यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ की धारा ८ में अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय—

"Provided that the State Government may, by notification in the *Gazette*, extend the term of the members and the President of the Committee, whether it has already expired or not, for a period not exceeding three months at a time and six months in the aggregate."

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३ १९६३ का निरसन

३--उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित हो ।

यू० पी० एक्ट संख्या १, १९०४

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पाण्डेय---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेंपिल (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेंम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि प्रस्तावक को २० मिनट और अन्य सदस्यों के लिये १० मिनट का समय ठीक रहेगा ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का यह अभाग्य रहा है कि प्रति वर्ष एक भीषण बाढ़ संकट आता है और उस पर जो लोग प्रभावित होते हैं उनके प्रति संवेदना प्रगट करके . . .

श्री अध्यक्ष---

(श्री शारदा भक्तसिंह जी से) आप क्षमा करें, मैं जरा इसे पढ़ दूं । बाढ़ के सम्बन्ध में जितनी सूचनायें आई हैं उनके नाम पढ़ देना चाहता हूं । कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में मेरे पास सूचनायें आई हैं---श्री विजय पाल सिंह, श्री शराफत हुसैन रिजवी, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री ऊदल, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री बिपिन बिहारी तिवारी, श्री बेदराम, श्री टम्बेश्वर प्रसाद, श्री गंगाप्रसाद, श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री कल्पनाथसिंह, श्री मैनेजरसिंह, श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री खेमचन्द, श्री भगवानदास यादवेन्दु । नियम ५२ के अन्तर्गत श्री महावीरसिंह, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री होरीलाल यादव, श्री रामचन्द्र विकल, श्री शिवचरण, श्री शिवनाथसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह, श्री विजयसिंह ने सूचनायें दी हैं ।

श्री शारदाभक्तसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था, अपने प्रान्त में यह बाढ़ संकट एक किसी विशेष वर्ष का दैवी प्रकोप नहीं है, वरन् प्रति वर्ष हजारों लोग इससे प्रभावित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होते हैं, धन जन की अपार हानि होती है और उस पर एक दो घंटे जैसे आज हम विचार कर रहे हैं, मंत्री जी के वक्तव्य के बाद विचार हो जाता है और जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्तव्य में मंत्री जी ने यह कहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि विगत वर्षों में हमारा प्रान्त बाढ़ से ग्रस्त होता रहा है और उन व्यक्तियों और उनके सम्बन्धियों से जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनसे सहानुभूति भी प्रकट की है। श्रीमन्, यह हमारे लिये कोई शोभा की बात नहीं है कि देश में प्रति वर्ष यह संकट भीषण होता चला जा रहा है और जिस वक्त यह संकट आता है, अखबारों से ऐसा प्रकट होता है कि यह दैवी प्रकोप है और सरकार की ओर से जैसी बातें कही जाती हैं उनसे लगता है कि अब शायद इसकी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी। परन्तु इस संकट के बारे में सरकार की ओर से जितनी कागजी कार्यवाहियां होती रही हैं उन सब के बारे में जनता में अविश्वास पैदा होता चला जा रहा है। ज्यों-ज्यों बीमारी की दवा की जाती है वह रोग और बढ़ता चला जा रहा है। कोई नयी समस्या नहीं है और इसके संबंध में सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह भी नये नहीं हैं। १९४८ में जब भीषण बाढ़ आयी थी तो यू०पी० इन्क्वायरी फ्लड कमेटी बिठायी गयी और उस पर विचार भी हुआ। १९५४ में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। लेकिन १९५४ में और भीषण बाढ़ आयी। उस समय आश्वासन दिया गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। उसके बाद १९५५ में भी विचार हुआ और जैसा हमें ज्ञात है एक मास्टर प्लान तैयार किया गया और उसके मातहत पंचवर्षीय योजनाओं में काफी रुपया खर्च किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में २७६ लाख रुपया व्यय करने की योजना की गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करीब ८ करोड़ रुपया व्यय करने की योजना हुई और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५७५.२०२ लाख रुपया बाढ़ नियंत्रण और जल निकास का प्रबन्ध करने के लिए व्यय किया गया है। तीनों योजनाओं में २० करोड़ रुपया व्यय करने की योजना है, और यह इतना रुपया खर्च किया जा रहा है। जब पंचवर्षीय योजनाओं में इसका विवरण आता है तो स्वाभाविक है कि प्रांत की जनता में यह विश्वास पैदा होना चाहिये और यह अनुभव करना चाहिये कि शायद यह जो संकट है इससे भविष्य में कोई धन जन की हानि नहीं होगी और अगर होगी तो बहुत कम होगी और ऐसे अवसर नहीं आयेंगे। अगर ऐसा हो जाय तो जनता में बेचैनी और क्षोभ की भावना पैदा नहीं होगी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ संबंधी जो भी योजनायें बनती हैं और जो भी कदम उठाये जाने की सरकार की ओर से व्यवस्था होती है उसको मैं तीन भागों में विभक्त करता हूं।

एक तो यह योजना है, वह कदम उठाये जाने चाहिये जो कि बाढ़ आने के पूर्व सतर्कता से उठाये जाते हैं। बाढ़ का सामना करने के लिये साहसी कदम उठाये जाने चाहियें। लोगों की तैयारी होनी चाहिये कि बाढ़ यदि आ जाय, जिसके लिये सरकार बराबर प्रयत्न करती है कि वह न आये, उसका किस तरह से मुकाबला करना चाहिये।

दूसरे वह कदम हैं या वह व्यवस्थाएं हैं जो कि बाढ़ आने पर की जाती हैं। जब शहर इससे प्रभावित होने लगे तो बाढ़ के दौरान में उनकी सहायतार्थ क्या क्या काम किये जायं तुरन्त और सतर्कता रखते हुये लोगों को नुकसान उस घटना से कम से कम उठाना पड़े, इसकी व्यवस्था की जाय। तीसरी वह योजना है जो बाढ़ के बाद बनती है और भविष्य की योजना बनती है। यह एक तीसरी योजना है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और जिसके लिये सरकार को उत्तरदायी समझता हूं और जिसके बारे में मुझे दुख भी है कि जहां तक बाढ़ के पूर्व की योजनायें हैं उनमें सरकार बहुत उदासीन रहती है। मैं इसलिये कहता हूं कि हर वर्ष यह बात आती है कि यह कठिनाई आ गई, इस साल पानी अधिक बरस गया, इस साल नदी ने बहाव चेंज कर दिया और इसी तरहकी दूसरी मुसीबतों का नाम लिया जाता है और उसके लिये समवेदना प्रकट की जाती है। किसी भी जनवादी सरकार के लिये यह कहना कि सारे प्रयत्न किये गये और हम यह नहीं कर सके यह कहना बहुत शोभा नहीं देता है। पिछले साल जितनी हानि हुई है यदि भविष्य में उस तरह का संकट खड़ा हो तो वह कम होना चाहिये। लोगों में इतना विश्वास उत्पन्न होना चाहिये कि वह आगे के लिये कम हानि की आशा करें। अगर सरकार से इस तरह का कोई काम

[श्री शारदाभक्तसिंह]

हो जाय तो सरकार को एक भूल समझना चाहिये और कहना चाहिए कि यह भूल हुई। सरकार उसके लिये दैवी आपदा का नाम लेती है। मैं समझता हूं सरकार इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकती कि जो संकट आया उसका सरकार को ज्ञान नहीं था। कांग्रेस सरकार भविष्य के लिये बात कहती है कि भविष्य में इस तरह का नहीं होगा और इस समस्या को हल किया जायगा और इसके लिये कदम उठाये जायेंगे लेकिन जब यह भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो सरकार उसको भूल नहीं मानती है। उसके लिये कारण बताने लगती है और पिछली बात को भूल जाती है। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भीषण संकट उत्पन्न होता है तो लोग उसका अनुभव करते हैं। प्रान्तीय सरकार करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों को किसी प्रकार से राहत नहीं दे पाती है। हर साल वर्षा का प्रकोप होता है लेकिन उसके लिए प्रबंध की समस्या बनी हो रह जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाढ़ के पूर्व जो कदम उठाये जाने चाहिये उसके लिये हमारी सरकार सतर्क नहीं है। इसके लिये मैं यह उदाहरण देना चाहता हूं कि कई कदम उठाये जाने चाहिये।

पहला तो यह है कि जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां पर इस प्रकार का संकट आता है, तो वहां का सर्वेक्षण होना चाहिये और अनुसंधान उसके बारे में होना चाहिये। जो भी कदम आवश्यक समझे जायं वे सब पहले से ही उठाये जाने चाहिये। एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मेरे पास है। यह रिपोर्ट १९६१–६२ की है। उसके पृष्ठ १०६, १०७ को देखने से यह बिल्कुल निश्चित रूप से पता चलता है कि जितनी धनराशि हमने इस संबंध में निश्चित की है उसको हम खर्च नहीं कर पाये। जो मेरी विशेष शिकायत है इस संबंध में वह यह है कि न्यू स्कीम्स में सर्वे और इन्वेस्टीगेशन में ४ लाख रुपया रखा गया था, लेकिन यदि श्रीमन्, आप देखें तो पहले साल में उस चार लाख रुपये में से कुल .५९ लाख रुपया ही खर्च किया गया। इसका मतलब यह है कि जहां संकट होता है वहीं पर और उतने ही समय तक के लिये सरकार का ध्यान उस ओर होता है और आगे क्या संकट आने वाला है उस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने की बात वह भूल जाती है। इसके बाद फ्लड फोरकास्टिंग के संबंध में भी चार लाख रुपया रखा गया था लेकिन उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। तो मेरा कहना यह है कि यह जो संकट आने वाला है उसके लोगों को पूर्व सूचना रहनी चाहिये ताकि लोग होशियार हो जायं और नुकसान कम हो। प्रापर फोरकास्ट होने से उसके लिये तैयारी पहले से की जा सकती है और उसके लिये पूरा सर्वेक्षण होना चाहिये। जो रुपया इसके लिये निश्चित किया गया है वह कम है। इससे अधिक रुपया खर्च करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि यह कहने का अवसर न रहे कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई इसलिये धन तथा जन की इतनी हानि हुई....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री शारदाभक्तसिंह—

१५ मिनट।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है। आप बाद में बोलियेगा। अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ, और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बाढ़ का भीषण संकट इस प्रदेश में एक अभिशाप बन कर जनजीवन को त्रसित करता रहा है और इस वर्ष भी अत्यन्त जोर के साथ आया। मैंने यह भी निवेदन किया कि बाढ़ आने के काफी समय बाद हम लोग इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और इसलिये समवेदना और मरहम पट्टी जो उस सम्बन्ध में की गई उसका

बहुत महत्व नहीं रह गया। लेकिन यह प्रश्न ऐसा जटिल है और प्रति वर्ष हमको इस प्रश्न के बारे में विचार करना पड़ता है, इसलिए उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा बैठ जायं। कोरम की कमी बता रहे हैं।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया इस बाढ़ संकट के आने के पूर्व जो सरकार के कदम उठने चाहिये और जो सतर्कता बरती जानी चाहिये उसे मैं अधिक महत्व देता हूं और वह बहुत आवश्यक है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनका सर्वेक्षण होना चाहिए। सरकार ने इस सम्बन्ध में ४ लाख रुपया निश्चित भी किया था और यह भी बजट में निश्चय किया था कि बाढ़ आने की जानकारी और पूर्व सूचना देने के सम्बन्ध में भी सरकार की ओर से पूर्ण कार्यवाही होगी और इस सम्बन्ध में भी चार लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। यदि इन दोनों महत्वपूर्ण बातों पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया होता तो मैं समझता हूं कि जो जनसंकट उत्पन्न हुआ है उसमें बहुत कुछ कमी हो सकती थी। लेकिन जैसा मैंने अभी निवेदन किया प्रोग्रेस रिपोर्ट १९६१–६२ के आंकड़ों से यह पता चलता है कि सर्वे और इन्वेस्टीगेशन के सम्बन्ध में चार लाख रुपये में से केवल .५९ का खर्चा किया गया और फ्लड फोर कास्टिंग के सम्बन्ध में चार लाख रुपये में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। इसलिये यह जो व्यवस्था सरकार ने बनायी थी इस ओर दुर्लक्ष्य किया गया है और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। बाढ़ आने के पूर्व जो करना चाहिए था उस सम्बन्ध मे सरकार ने सतर्कता नहीं बरती और मैं समझता हूं कि अपने प्रान्त में जो लोगों को अत्यन्त कष्ट हुआ है उसके लिये सरकार उत्तरदायी है।

बाढ़ आने के पूर्व यह भी आवश्यक है कि लोगों में साहस से उस बाढ़ का सामना करने की तैयारी हो। इस संबंध में काफी प्रचार हो, लोगों की मानसिक अवस्था ऐसी उत्पन्न की जाय कि वह उससे भयभीत होकर और उसको एक अनजानी, दैवी प्रकोप मानकर उससे ग्रस्त होकर निराशा से बैठ न जायं और ध्वस्त न हो जायं। इस संबंध में आपके सामने फ्लड कमेटी रिपोर्ट १९५४ के पेज ५ पर कुछ सुझाव सरकार को कमेटी ने दिये थे, उनको रखूंगा। उसमें कहा गया था कि—

(1) Public moral in riverine areas should be whipped up to a continuous state of preparedness to floods.

(2) A sort of River Scout Movement should be started in right earnest in the flood districts of the State to promote a feeling of preparedness and inculcating a spirit of self-help amongst the people.

और उन्होंने यह भी कहा है :—

(3) Impetus should be given to acquatic sports by giving financial assistance at the rate of Rs.1,000 per annum per district.

चौथा उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जो नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं या उससे दूर जल्दी हटने वाले भी नहीं हैं और नदियों में बाढ़ एकदम बन्द नहीं की जा सकती। और इसीलिए उन क्षेत्रों में ए० आर० पी० की तरह एक दल तैयार किया जाय और ट्रेनिंग दी जाय। इस संबंध में रिपोर्ट में वह बात दी हुई है—

"They should have training on the analogy of A. R. P. training to fight the floods. As such in the opinion of the Committee, a new orientation in the outlook of the people living in the vicinity of rivers was earnestly desired."

[श्री शारदाभक्तसिंह]

इसमें और भी बहुत से सुझाव दिये गए हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व बाढ़ के जितने भी यह कदम कमेटी ने सुझाये, सरकार ने स्वयं उसके लिए रुपया निश्चित किया और आश्वासन दिया कि यह सब काम किए जायेंगे लेकिन वह कोई भी काम सरकार ने नहीं किए। और इसलिए जब बाढ़ आ गई और संकट ने हमारे सामने भीषण रूप रख लिया तब उस सम्बन्ध में मंत्री जी का ऐसा वक्तव्य, कि मुझे बड़ी समवेदना है और हमारे प्रांत में हर साल बाढ़ का संकट बड़े अभाग्य से आ जाता है, मैं समझता हूं कि इतना ही काफी नहीं है और इसका उत्तरदायित्व सरकार का है। जहां एक ओर दैवी आपत्ति है वहां मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की उदासीनता, निष्क्रियता और अकर्मण्यता से यह संकट और भी भीषण हो गया और प्रांत को पानी से कष्ट पहुंच रहा है।

बाढ़ के समय में जब लोग पीड़ित थे और त्राहि-त्राहि मची हुई थी, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय पर जो आवश्यक सहायता उन्हें पहुंचनी चाहिये थी, वह नहीं पहुंची। यह मंत्री जी के वक्तव्य में है कि उन्होंने जिलाधीश को आज्ञायें दे दी हैं, उनको तकावी देने की कह दिया है, उनको और भी अधिकार इस संबंध में दे दिया है। लेकिन इस सदन के माननीय सदस्यों को तब तक संतोष नहीं होगा जब तक वक्तव्य में यह बात स्पष्ट नहीं की जाती कि क्या उन आज्ञायों का पालन हुआ है। लोगों को वे सुविधायें प्राप्त हुई हैं या नहीं। चारों तरफ से खबरें आती थीं उनसे निश्चित प्रकट होता था कि हजारों आदमियों की जानें आफत में आई और अधिकारियों को आज्ञा होने पर भी जो आवश्यक सुविधायें पहुंचनी चाहिये थीं वे नहीं पहुंचीं। जब संकट निपट जाता है, पानी कम हो जाता है उस समय जिला अधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि क्या कार्य किया जाय और उस समय वह जैसे गुड़ देना, मिट्टी का तेल देना, लोगों को इस तरह की छोटी-छोटी चीजें देकर समझाना, मैं समझता हूं उनके कोई माने नहीं है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक बाढ़ के संबंध में सहायता देने का सवाल है उस संबंध में उतनी सतर्कता और उतना समय पर कार्य नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। यह नियम ५३ की चर्चा है। मैं अधिक नहीं कहूंगा। मैंने ऐसा देखा है कि सरकार की तरफ से यह समझा जाता है कि उनका ऐसा कर्त्तव्य है कि संकट को कम करके दिखायें और अपनी स्थिति को इस तरह साफ करें। यह सही नहीं है। जब हम चर्चा करते हैं और जनता के कष्ट और उनके संकट को सामने रखते हैं तो अगर कोई कमी है तो सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें उनके संकट से कोई लाभ नहीं उठाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पुराने इतिहास की पुनरावृत्ति न हो।

अब तीसरी जो अवस्था है बाढ़ समाप्त होने के बाद, वह है पुनर्वास की व्यवस्था। मुझे जहां तक सूचना है जो गांव कट जाते हैं वहां तुरन्त भूमि की, पैसा देने की, टीन लेकर दिलाने की व्यवस्था करना यह सब कागज पर है, लोगों को प्राप्त नहीं हो रही है। मेरे क्षेत्र में कई गांव कट गये हैं। जिलाधीश को मैं लिखता हूं तो वह कहते हैं कि मैं व्यवस्था करूंगा, लेकिन लोग जमीन नहीं देते। यह कोई उचित बहाना नहीं है। सरकार की ओर से तब संतोष होना चाहिए जब उजड़े हुए लोग घर में बस जायं... (लाल बत्ती होने पर) मुझे ५ मिनट और मिलने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

२ मिनट और ले लीजिये।

श्री शारदाभक्तसिंह—

बाढ़-ग्रस्त अभागे जिलों में हरदोई जिला भी है। कटियारी और पाली का क्षेत्र है, वहां मेरे इलेक्शन के समय हुकुमसिंह भी पधारे थे। वहां रामगंगा, गंगा, गोमती, सई और गर्रा—पांचों नदियां फर्रुखाबाद से लेकर हरदोई तक एक हो जाती हैं। इस संबंध में मास्टर प्लान के पेज २० में लिखा है कि रामगंगा बहुत से जिलों में होकर बहती है जिसमें हरदोई भी आता

है और कन्नौज तक उसका प्रभाव है। हरदोई में ५०,००० एकड़ भूमि को वह प्रभावित करता है और बाढ़ सें लोगों को पीड़ित होना पड़ता है। हरदोई के नागरिक २० वर्ष से प्रति वर्ष अनुभव करते हैं कि सैलाब आता है, लेकिन बाढ़ न आवे इस दिशा में सरकार की ओर से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया और न उसे बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र ही घोषित किया। अभी जो बाढ़ आई है उसमें बाढ़-ग्रस्त लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। कमिश्नर साहब भी दौरा करने गये और इस साल मोटर-बोट ले गये, एस० डी० एम० भी गये लेकिन सांडी के पास से उनको लौटना पड़ा। पांचों नदियां एक हो जाने के कारण किसी अफसर का पहुंचना असंभव है और सरकार की ओर से मोटर बोट का इंतजाम नहीं होता इसलिए लोगों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है और उन्हें अनुभव होता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है। जब बाढ़ समाप्त हो जाती है, कीचड़ खत्म हो जाती है तब वहां लोग पहुंचते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या कष्ट हुआ? फिर कहा जाता है कि गांव कट गये तो गांव सभा की जमीन नहीं है, लोगों के खेत हैं और बड़ा लम्बा कदम उठाना पड़ेगा, इसलिए अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो यह कोई पार्टी या दल का सवाल नहीं है। यह ऐसा प्रश्न है जिसमें हमें दलीय स्वार्थों से ऊपर उठ कर जनता की कठिनाई को दूर करने की दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए। उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, इसीलिए मैं चर्चा में यह विषय आपके सामने रखता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

जो और बोलने वाले हैं उनको आप समय कितना देंगे, यह बतला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल ने २० मिनट ले लिया है, बाकी सब को १० मिनट मिलेंगे। गवर्नमेंट को उतना ही टाइम होगा।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन सदस्यों की जिन्होंने इस चर्चा को आज आरम्भ किया। वैसे कभी मैंने सेक्रेटरी महोदय से या चीफ इंजीनियर से पश्चिमी जिलों की बाबत बात की तो किसी को यकीन नहीं आया लेकिन तहसील मवाना में वहां डाक्टर सम्पूर्णानन्द से लेकर आज तक के सभी सम्बन्धित और जिनका सम्बन्ध भी नहीं है वह मंत्रिगण व चीफइंजीनियर वगैरह सभी पधार चुके हैं और उन्होंने वहां की भयंकरता को देखा है। मान्यवर, सन् १९५६ से लेकर आज तक हमारे पश्चिमी जिलों में जो बाढ़ आती है वह बहुत ही भयंकर होती है। बाढ़ के दो हिस्से होते हैं, एक तो नदियों की बाढ़ होती है और दूसरे अकारण बाढ़ आती है। मैं अकारण बाढ़ के बारे में कहूंगी। नदियों के बारे में जो सुझाव माननीय नेता विरोधी दल ने दिये हैं उनसे मंत्री जी सहमत होंगे और मैं भी सहमत हूं। मान्यवर, हमारे यहां पर सन् ५६ से बराबर मैं नहीं जानती कि मुजफ्फरनगर या ऊपर कहां से पानी आता है और वह पानी अकारण भर जाता है, उसकी वजह से बिना नदियों के नदियां बन जाती हैं। काली नदी, गंगा और जमुना तो वहां सब मिल कर ५६ से ले कर बाढ़ लाती हैं। मेरठ जिले की मवाना तहसील में सन् ५६ में भयंकर बाढ़ आयी, ५७ में आयी, ५८ में सूखा रहा, फिर ५९, ६०, ६१ और ६२ में बाढ़ आई। मार्च, सन् ६२ में ओले इतने पड़े कि १४ दिन तक नहीं गले। तो मान्यवर, हमारे यहां की समस्या यह है कि मवाना तहसील में वाटर लॉगिंग है।

अभी सन् १९६३ में बराबर वर्षा हुई और एक बहुत बड़ी दैवी आपत्ति आई। इसमें जो सहायता सरकार ने दी है उसके लिए मैं सरकार की आभारी हूं। रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी सन् ५६ से लेकर बराबर मेरे साथ और अन्य स्त्री-पुरुष कार्यकर्त्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे हैं लेकिन सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी वहां पर नहीं गया। सिंचाई मंत्री जी भी वहां पहुंचे हैं। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी, पं० कमलापति जी, सिंचाई मंत्री श्री राममूर्ति, चौधरी चरणसिंह भी गये हैं लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि जो वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या

[कुमारी श्रद्धादेवी]

है, पानी रुक जाने की उसका पूर्णरूपेण निवारण नहीं हो सका । हमारे यहां नहर, नदियां और सड़कें बहुत हैं, तो मैं सन् ५६ से लिख रही हूं बावजूद इसके कि मेरे साथ मंत्रिगण की और कुछ इंजीनियर्स की सहानुभूति है लेकिन समस्या एक इंच नहीं घटी । मुझे इंजीनियर्स के टेक्नीकल ज्ञान के मजाक पर खेद है । मेरे जिले में जहां पानी भरता है वहां ज्यों का त्यों आज तक सन् ५६ से भरा है । यहां जो नाले हैं मैं उनके बारे में कई बार कह चुकी हूं । वहां पर एक तीन फीट गहरा नाला खोदा गया जब कि खुदना ७ फुट था और वह २० फीट चौड़ा नाला है लेकिन उसका पुल केवल ३ फीट चौड़ा है । माननीय रेवेन्यू मंत्री महोदय को मैं वहां ले गई ।

मेरे यहां रारघना गांव जिसकी आबादी ६ हजार की है और यह गांव नहर की पश्चिमी पटरी पर है और नहर पूर्व की तरफ चलती है तो मैंने आर० सी० अग्रवाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि बीच में अगर एक पुल बना दिया जाय तो आदमी नहर पर आ सकते थे पर उन्होंने पुल पश्चिमी पटरी पर न बना कर पूर्वी पटरी पर बनाया है जो जंगल में व्यर्थ खड़ा है । इस पुल के सम्बन्ध में इंजीनियरी की कला को रेवेन्यू मंत्री जी ने देखा है, माननीय कमलापति जी ने तथा माननीय चरणसिंह जी ने भी इसको देखा है । माननीय राममूर्ति जी ने भी सरधना वाली ड्रेन को देखा था । भगवानपुर गांव नीचे से ड्रेन ऊपर महल वाले गांव को चलती है, मैंने कहा इधर नीचे की तरफ खोदो नहीं तो महल वाला डूबेगा लेकिन आर० सी० अग्रवाल साहब नहीं माने और ड्रेन नीचे से ऊपर की ओर बह रही है । जो कि पानी नहीं खींचती है । तो मेरा कहना यह है कि बड़े-बड़े अधिकारी जाते तो हैं लेकिन पतरौल, अमीन की ही सलाह को मानते हैं लेकिन जो रेवेन्यू आफिसर होते हैं उनसे राय नहीं लेते हैं । जब गांव डूबे हुये होते हैं तो मेरा दावा यह है कि वह भगवान और भाग्य पर होते हैं जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा उस वक्त जिस सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है मैं चैलेंज करके कहती हूं कि आज तक वह सिंचाई विभाग कभी नहीं गया, उसके पतरौल, उसके अमीन कभी नहीं गये । मंत्री जी के पास इसकी शिकायत मौजूद है कि हमारे रेवेन्यू आफिसर्स के साथ उन्होंने कभी भी कोआपरेट नहीं किया है । इस विभाग के अधिकारियों का क्या दोष है इस बारे में एक निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिये । मेरा कहना यह है कि इस जनहित की समस्या को, इस अपार जन धन की हानि की समस्या को बड़े अधिकारी जाकर स्वयं देखें और उसका सर्वेक्षण करें और नीचे के अधिकारियों पर न छोड़ें ।

मेरठ के अन्दर मैं अपनी जानकारी से कहती हूं, ज्योलोजिकल सर्वे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद है कि मवाना तहसील में कुछ नदियां पहले बहती थीं जो आज नहीं बहती हैं लेकिन ये हमारे विभाग के अधिकारियों को आज तक पता नहीं है । तो मान्यवर मेरे सामने प्रश्न यह है, यह एक मोटी समस्या है कि मवाना तहसील में जो सन् ५६ से पानी जमा होता है उसको निकाला जाय क्योंकि मेरे इलाके में, मैं कह सकती हूं कि १५० गांव आज ४ और ५ फुट पानी के अन्दर घिरे हैं, तो क्या विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? रेवेन्यू मंत्री जी जो देख करके आये हैं, उन्होंने सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स से पूछा होगा कि सन् ५६ से इन १५० गांवों में ऐसा क्यों हो रहा है । मैं समझती हूं कि जो अधिकारी हैं सन् ५६ से लेकर आज तक उन्होंने जितना वेतन प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने का हक उनको हासिल नहीं था और इसके लिये उनको प्रायश्चित करना चाहिये कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है । अब वह क्या प्रायश्चित करें इसके बारे में सिंचाई मंत्री, रेवेन्यू मंत्री और मुख्य मंत्री सोचें । मैं समझती हूं कि इस से ज्यादा कोई नादानी नहीं हो सकती । अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि जो गांव बह गये हैं जैसे स्वामीपुरा और रारघना वहां एक पुल जरूर बनाया जाय । यह मांग सन् ५६ से है वहां ६ हजार की आबादी में से ९ आदमी मर गये और १५ आदमी बह गये । इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी नादानी अब न की जाय और वहां पुल जरूर बनाया जाय, भगवानपुर ड्रेन उल्टी न खोद कर सीधी खोदी जाय और ३ फुट के बजाय ६ फुट गहरी खोदनी चाहिये और जो १५० गांव डूबे हुये हैं इनके पानी को तुरन्त निकाला जाना चाहिये । इनके खेतों में ४, ४ फुट पानी है, हरिजन और खेतीविहीन

मजदूरों के लिये मजदूरी मुअस्सर नहीं है। मैं कहती हूं कि वहां के मजदूर भूखों मर रहे हैं, १५, १५ और १४, १४ दिन तक ओला गला नहीं। सन् ५६ से आज तक सिवाय ईख के कोई फसल नहीं हुई। मंत्री जी कहेंगे कि इन से मैंने रेवेन्यू वसूल किया इतनी आबपाशी वसूल की, ठीक है। जब आपका पतरौल उस समय नहीं जाता, आपका ओवरसियर, एस० डी० ओ० वहां नहीं जाते, जब पानी से फसल मरती है वह तो कोठी में बैठ कर ही काम करता है और उसके कागज पर कहीं भी बाढ़ नहीं आती इसलिये रेवेन्यू आदि वसूल होती है तो मैं कहती हूं कि बदबू वहां आती है। मैं कलेक्टर की बीबी (पम्मी जी) को वहां से ले गई थी ट्रैक्टर पर तो उन्होंने वहां जा कर देखा कि कितने जानवर सड़े हुये पड़े हैं और बदबू की वजह से वहां जाना मुश्किल था। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां की रेवेन्यू और आबपाशी १५० गांवों की जो पानी के अन्दर हैं, माफ की जाय। ये गांव आज भी पानी के अन्दर हैं और कोई मंत्री जी चलें, कोई मिनिस्टर चलें, कोई चीफ इंजीनियर चलें और देख लें कि आज भी वह गांव पानी के अन्दर हैं। अतः इन किसानों की आबपाशी, रेवेन्यू तथा अन्य सरकारी कर्जे माफ किये जायें। अन्य विभागों से काट कर खेती विहीन तथा हरिजनों को हाउस सब्सीडी दी जाये।

मैं यह चाहती हूं कि अब तक जो भूल हुई है उसको भूल कर, भविष्य के लिये सरकार ध्यान रखे और उचित ध्यान दे।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ और गरकी के भीषण प्रकोप से मेरे क्षेत्र के कई ब्लाक्स-कोटला, कूंडला, एतमादपुर तथा खंदौली आदि बिलकुल नष्ट हो गये हैं। उनके उत्तरी हिस्से में तो यहां तक नुकसान हुआ है कि वहां पर खाने की कोई वस्तु तक नहीं पहुंच पाती है। पूर्वी जिलों में बाढ़ से इतनी तबाही नहीं आयी होगी जितनी कि यहां पर तबाही आयी है। तमाम क्षेत्र में ५, ६ फीट पानी भरा है, कहीं-कहीं इससे भी अधिक भरा है। गांवों की गलियों में पानी भरा होने के कारण ५० प्रतिशत मकान नष्ट हो गये हैं, शेष पानी भर जाने के कारण बराबर गिरते जा रहे हैं, सैकड़ों परिवार बेघरबार, असहाय हो कर त्राहि-त्राहि कर कर रहे हैं। यातायात के लिये कोई साधन नहीं है जिससे बाहर से खाद्य पदार्थ आ नहीं सकते। गांवों में भुखमरी फैल रही है जिस से अशान्ति होने की संभावना है। फसलों के नष्ट हो जाने के कारण पशुओं के चारे आदि की कमी हो गयी है और उसके कारण वे भूखे मर रहे हैं। पानी पीने के सभी कुएं नष्ट हो गये हैं, क्षेत्र की जनता बाढ़ का ही पानी पी रही है जिस से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना है।

श्रीमन्, एक बार हमारे राजस्व मंत्री जी फिरोजाबाद पहुंचे। वे ५ मिनट के लिये एतमादपुर भी गये। किन्तु जब तक मैं वहां उनसे बात करने के लिये पहुंचूं, तब तक वे वहां के तहसीलदार से बात करके वापस चले आये और मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मुझसे अगर बात होती तो मैं उनको सारा हाल बताता। इनके अधिकारी तो गांव में वहीं तक जाते हैं जहां तक कि उनकी कार जाती है। जहां पानी भरा होता है, वहां तक तो वे जाते ही नहीं, इस डर से कि कहीं पैर खराब न हो जायं। इस कारण सही जानकारी उनको नहीं हो पाती। सही जानकारी तो वही दे सकता है जो उस क्षेत्र का दौरा करता है। मैं तो राजस्व मंत्री जी से यह कहने आया था कि वे चल कर वहां की स्थिति का निरीक्षण तो करें, मगर वे चले आये।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र की तो यह हालत है कि वहां पर लोग तिरपाल ताने हुए पड़े हैं और उनका जीवन खतरे में पड़ा है। वहां पर मेहतरों, हरिजनों, तथा मुसलमान लोगों की तो बहुत बुरी दशा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि वे एक बार मेरे साथ चल कर मेरे क्षेत्र का निरीक्षण करें। झिन्ना नदी, सिरसा नदी, सेंगर नदी तथा हर नदी जो पश्चिमी इलाके से आती हैं उनसे तमाम इलाका बरबाद हो गया है। ग्राम नारकी, राजपुर, महोम्मदपुर, रेमजा, कातकी नगला डूमर और जमालनगर आदि गांवों को तो सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। वहां का जन-जीवन मौत का शिकार होता चला जा रहा है। मैं सरकार से यह जानने की आशा

[श्री शिवचरण]

करूंगा कि कि उन इलाकों के लिये क्या प्रयत्न कर रही है। ६ साल तक हमने बराबर प्रार्थना की, प्रदर्शन भी किये, मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

मैं मांग करता हूं कि सरकार पानी से घिरे हुये गांव और कस्बों के पानी को तुरन्त निकलवाने का प्रबन्ध करे। भारी वर्षा और गरकी के कारण जो क्षेत्र बरबाद हो गये हैं वहां पर हर प्रकार की वसूलयाबी रोक दी जाय तथा विशेष पीड़ित लोगों के सरकारी टैक्स माफ किये जायें, लगान, आबपाशी माफ की जाय। बीमारियों की रोकथाम के लिये शीघ्र कदम उठाये जावें। जनता की बाढ़ व गरकी से हुई हानि का सरकार मुआवजा दे। इन लोगों के लिये सीमेंट, ईंट, टीन आदि की व्यवस्था की जाय। इन क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें शीघ्र खुलवायी जावें। बेकार लोगों को काम देने की व्यवस्था की जाय। फीरोजाबाद की हालत तो मेरे माननीय मित्र बैठे हैं, वह बतलायेंगे। फिरोजाबाद और ऐतमादपुर के उत्तरी हिस्से में नदियों को खोदकर गहरा किया जाय। तहसील फिरोजाबाद के उत्तरी भाग का जलमग्न क्षेत्र पिछले ६ सालों से जलमग्न रहता है। अतः इसे बाढ़पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय। लगान को मुल्तवी करने के बजाय माफ किया जाय और बाकी समय, मैं अपने मित्र माननीय साथी लखोसिंह को दूंगा।

*श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष जी, वैसे तो आज की इस बहस का जवाब जाब्ते से माननीय माल मंत्री जी देंगे लेकिन चूंकि मेरा भी सम्बन्ध इस बाढ़ से ताल्लुक रखने वाले महकमे से बहुत दिन से रहा है, तो मैंने यह मुनासिब समझा कि मैं कुछ वाकयात माननीय सदस्यों के सामने रखूं जिन से आगे की बहस में फायदा हो और बहुत-सी गलतफहमियां जो दिमागों से होती हैं वे भी दूर हों। इसमें शक नहीं कि बाढ़ से होने वाले नतायज यानी उसके परिणाम इतना दुखद विषय है कि हमारे सदन का कोई भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा जिससे उससे तकलीफ न होती हो। बाढ़ से हजारों, लाखों इंसान बेघर हो जाते हैं, दरिया घरों को बहा ले जाते हैं, मकान बैठ जाते हैं, खड़ी फसलें बरबाद हो जाती हैं, यूं समझिये कि हर तरह से इंसान की बरबादी होती है। यह सिर्फ अपने ही प्रदेश में नहीं, बल्कि समस्त संसार में जहां इस किस्म के वाकयात होते हैं वहां सभी लोग परेशान होते हैं। अपने देश में बदकिस्मती यह है कि जब तक हम गुलाम रहे तब तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर कहीं बाढ़ आई तो लोग भी इस बात को समझते थे कि दैवी प्रकोप है और परमात्मा की इच्छा के खिलाफ हम कर भी क्या सकते हैं। शान्ति से लोग बैठ जाया करते थे। जब हमारे मुल्क में स्वराज्य आया तो इस तरफ ध्यान गया। अंग्रेजों के वक्त में सन् १९३८-३९ में वाटल कमेटी के नाम से एक कमेटी बैठाली गई जिसने कुछ थोड़ी-सी खोजबीन की। सन् १९३९ में इंटर प्रांविंशियल कान्फ्रेन्स भी लखनऊ में हुई लेकिन किसी नतीजे पर वे लोग नहीं पहुंच सके। उसके बाद दोबारा सन् ४८ में देश भर में बाढ़ आई तो फिर एक कमेटी बैठी लेकिन उसकी रिपोर्ट पर भी कोई ज्यादा हद तक सरकार ने कार्यवाही नहीं की। सन् ५४ में जब बाढ़ आई डिब्रूगढ़ तक और पंजाब तक सारा इलाका बाढ़ में ग्रस्त हो गया तब गवर्नमेंट आफ इंडिया के और हर प्रदेश के लोगों ने इसकी छानबीन की। हवाई जहाजों के जरिये हालात को देखा और समस्या की भीषणता को समझने की कोशिश की। उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी एक सेन्ट्रल बोर्ड बाढ़ के सम्बन्ध में कायम किया और हर प्रदेश में भी बाढ़ का बोर्ड कायम किया गया और उसके बाद सुचारु रूप से, कायदे के साथ, एक अनुशासित ढंग से, हमारे यहां बाढ़ के बारे में सोच-विचार और खोजबीन होने लगी।

यह बात किसी हद तक सही है कि बाढ़ में इंसान ने भी कुछ अपना हाथ दे रखा है। वैसे तो प्रकृति का यह प्रकोप है और सब जानते हैं कि ऐसे इलाकों में भी भीषण बाढ़ें आने लगी हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां के लोग कभी इसे जानते भी नहीं थे। जो पुराने सदस्य हैं वे जानते होंगे कि अभी ५, ६ साल पहले पश्चिम के जिलों में, खासतौर से मुजफ्फरनगर में, कैसी बाढ़ आई और ३६ घंटे में ४४ इंच पानी बरसा। पश्चिम के जिले बाढ़ के बारे में जानते ही नहीं थे। मैं सन् ४६ से सदन का मेम्बर हूं और हमेशा बाढ़ के बारे में पूर्व के जिलों की बात कही जाती थी। पश्चिमी जिलों के लोग यह समझते थे कि बाढ़ के सहारे हमारा पैसा पूर्व के जिलों पर खर्च हो रहा है और हम लोग ख्वाहमख्वाह इस बात में पड़े हुये हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि पूर्व के लोगों की कोस ऐसी पश्चिमी जिलों पर पड़ी कि अब वहां भी बाढ़ का भीषण प्रकोप होने लगा है। वहां भी वही कैफियत हो जाती है। तो इंसानों के हाथों का भी आप जरा समझें। पहले कुदरत के ढ़ंग से पानी आता था और निकल जाता था। इंसान ने रेलें बनाईं और बड़े-बड़े पुल खड़े कर दिये और वे सकड़ें बना दिये कि खर्चा ज्यादा न आवे। पी० डब्लू० डी० की सड़कें हजारों मील में बना दी गईं। महकमा नहर ने भी अपनी हजारों मील सड़कें बना दीं। गरज यह है कि जो पानी का नैचुरल बहाव था उसे तोड़-फोड़ दिया। सारे वाटर-शेड, वे धारायें जिन से पानी दोनों तरफ बहता था, तोड़ डालीं और उसकी वजह से एक खासी मुसीबत इंसानों ने भी खड़ी करदी। कुछ आज की ऐसी सिविलिजेशन है कि ये सब बातें करनी पड़ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मनुष्य उनसे बचाव के बारे में भी सोचने के लिये मजबूर हुआ और फ्लड बोर्ड के द्वारा बड़े कायदे से काम होने लगा है।

इस बात की अक्सर चर्चा की जाती है कि दरियाओं को ट्रेन कर दिया जाय। यह बड़ा मुश्किल काम है चूंकि हमारे यहां बड़े-बड़े दरिया हैं। हमारे ही प्रान्त में, जमुना, गंगा, रामगंगा शारदा, सरजू, गोमती घाघरा गंण्डक, ये सब माइटी रिवर्स हैं। एक मर्तबा सेन्टर के और तमाम चीफ इंजीनियरों की बात हुई और यह समझा गया कि अगर एक दरिया को ही, गंगा को ही ट्रेन किया जाय तो उसके लिये २०० करोड़ रुपये भी कम होंगे चूंकि पानी की धारा दूसरी तरफ को चलने लगेगी। यह तो हो सकता है कि बाढ़ से बचाव के हम प्रयत्न करें लेकिन नदियों के सारे कोर्स को ही ट्रेन करने की बात कही जाय तो वह काम बहुत ही ज्यादा मुसीबत का है। वह काम इतना बड़ा है कि कोई भी सरकार इसको करने की हिम्मत नहीं कर सकती।

एक बात यह है कि जब बाढ़ आती है तो कोई भी इंसान इस बात को नहीं जानता कि बाढ़ कहां से आयेगी और कितनी आयेगी। १४-१५ सितम्बर को जो पानी बरसा वह तो असाधारण था। कहां तो पानी बरसा ही नहीं। पश्चिमी जिलों में जब मैं गया तो वहां मैंने देखा कि फसल सूख रही है और जब पानी बरसा तो सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और इटावा में घनघोर पानी ही पानी हो गया और रुहेलखंड में तो बेइंतहा बाढ़ आ गयी। भला १५-१५ इंच जहां वर्षा हो एक दिन में वहां पानी के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे सकता है। अब उसमें सरकार क्या कर सकती है।

इसके अलावा मनुष्य की भी एक ऐसी आदत है कि जानता है आग है लेकिन वह आग के पास जाता है। जानता है कि बाढ़ आती है लेकिन नदी के पेट में ही जा कर बसता है। अगर हम उन लोगों को वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर बसाना चाहें तो भी नहीं मानते। माननीय मैनेजर सिंह जी बलिया से आते हैं। वहां पर सरकार ने बड़े-बड़े बांध बनवाये हैं गंगा और घाघरा पर। लेकिन उसके बाद खेतों में दीमक लग गयी और वहां के लोग अब मांग कर रहे हैं कि बांधों से कभी-कभी पानी को छोड़ दिया जाय। तो बाढ़ से जहां नुकसान होता है वहां उस से कुछ लाभ भी हैं। उस से जमीन की कैफियत बदल जाती है और अगली फसल अच्छी हो जाती है। लेकिन उस से अच्छाई कम है और खराबी ज्यादा है।

एक काम बाढ़ से बचाव का सारे हिन्दुस्तान में केवल उत्तर प्रदेश में ही हुआ। यहां तय किया गया कि गांवों को ऊंचा किया जाय। हमारे प्रदेश में करीब ४ हजार गांवों को ऊंचा किया गया। इनमें से थोड़े से गांव पश्चिमी जिलों में ऊंचे किये गये हैं शेष पूर्वी जिलों में। अब एक हजार गांवों को और ऊंचा करने का हमारा इरादा है। स्वयं मैंने उन गांवों को देखा

[श्री राममूर्ति]

है और जो माननीय सदस्य उस इलाके से आते हैं वे मुझसे इत्तफाक करेंगे कि वहां की जनता को काफी रिलीफ मिली है और उनकी मुसीबत दूर हुई है ।

अपने प्रदेश में ३००-३५० मार्जिनल बांध भी बनाये गये हैं। ४८ मील लम्बा एक ऐसा बांध बहराइच में ५५-५६ लाख रुपये की लागत से बनाया गया है जिसकी वजह से दूसरे साल ही ७० लाख रुपये की मक्का उसी इलाके में हुई । इतना रुपया खर्च किया गया तो उससे फायदा भी हो गया। कुछ मार्जिनल बांध अभी बन भी रहे हैं। इस बीच में इंजीनियर्स को यह शुबहा होने लगा कि मार्जिनल बांध टूट सकते हैं और उसके बाद लोगों को बड़ी तकलीफ हो सकती है। क्योंकि बंधे हुए इलाके में पानी भर जाता है तो बांध के टूटने का खतरा भी होता है। फिर सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन और इंजीनियर्स को यह शुबहा पैदा होने लगा कि मार्जिनल बांध बनाना जनता के पूरे हित में भी है या नहीं है। हमारे प्रदेश के इंजीनियर्स की राय है कि मार्जिनल बंधे बनाये जायं क्योंकि उनसे अधिकतर फायदा ही है। ऐसे वे कभी टूट भी सकते हैं लेकिन इस तरह से तो इन्सान भी रोज ही मरते हैं लेकिन जो फायदा है वह नुकसानात से कहीं ज्यादा है और इस पालिसी पर हमारी सरकार बराबर चलती जायेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

नेपाल बांध के बारे में क्या हुआ ?

श्री राममूर्ति---

नेपाल बांध के बारे मे भी एक तवारीख है। गंडक के नाल बनाने की बात जब हुई तो यह बात तय हुई कि हम नैपाल बांध को पहले बनावें क्योंकि गंडक के बहाव का झुकाव अब कुछ दाहिनी तरफ को हो गया । उसकी वजह से पिछले साल के अन्दर गोरखपुर वा देवरिया जिले को बेइन्तिहा नुकसानात पहुंचे, लिहाजा हमारी सरकार ने नेपाल सरकार से इस बात की दरख्वास्त की कि उनके इलाके में ८--९ मील तक बांध बनाने की इजाजत दी जाय। यह हमारी बदकिस्मती की ही बात है कि पिछले जमाने में हमारे हिन्दुस्तान की सरकार और नेपाल सरकार के बीच में कुछ मन मुटाव पैदा हो गया और यह भी एक वजह हो सकती है हमारे उस काम रुकने की लेकिन अब हालत अच्छी होती जा रही है। इस साल हमारे इंजीनियर्स और सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन की तरफ से उनके इंजीनियर्स भी इस सिलसिले में नेपाल गये और उनसे बात-चीत भी की। बाद में नैपाल महाराजा भी हिन्दुस्तान में आये। बायीं तरफ स्पर बनने से बिहार में इस साल जो नुकसानात हुये उससे भी महाराजा के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। इस समस्या के हल के लिये रिसर्च इंस्टीट्यूट को एप्रोच किया गया और हमारे इंजीनियर्स तथा नेपाल के महाराजा भी अपने फारेन मिनिस्टर के साथ पूना गये। वहां इस समस्या को एक माडेल चार्ट बना कर उनको समझाया गया जिससे महाराजा को काफी सन्तोष हुआ और हमें उम्मीद है कि वहां की जमीन के लिये जल्दी ही नेपाल सरकार की इजाजत मिल जायगी। इसके लिये कम से कम ३ लाख रुपये मुआविजे की शक्ल में हमें देने होंगे। महज जमीन मिलने की बात है। जमीन मिलते ही वहां काम शुरू हो जायगा जिससे गोरखपुर जिले की बाढ़ से जो हर साल तकलीफ होती रही है वह न हो या कम हो।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि छोटी गंडक योजना के लिये ओरीजिनल एस्टीमेट ५० लाख रुपये का था लेकिन खयाल है कि ५० लाख रुपये में वह काम नहीं होगा। आशा है कि ढाई करोड़ रुपये तक वह स्कीम चली जाय। इससे बाढ़ से जो लोगों को बेइन्तहा तकलीफ होती है, बचाया जा सकेगा। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि मार्जिनल बांध बनाने व गांव को ऊंचा करने के साथ ही साथ आज इस बात की भी जरूरत है कि ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाया जाय। बड़ी-बड़ी नालियां बनायी जायं, जो छोटे-छोटे नाले व नालियां हैं तथा जो पुल हैं सड़कों पर व रेलवे

लाइन पर उनको भी ज्यादा चौड़ा किया जाय। इस तरह इस योजना के जरिये बराबर पुल बढ़ते जायंगे। इससे एक खासी सहूलियत लोगों के लिये पैदा हो जायगी।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि बाढ़ से बचाव के लिये जो डेटा होना चाहिये वह हमारी सरकार के पास मुकम्मल ढंग पर तैयार नहीं हो पाया है। केवल गोमती का बेसिन ही ऐसा है जिसका डेटा इस बीच में तैयार कर लिया गया है। अभी तक समस्त उत्तर प्रदेश में इस तरफ कदम नहीं उठाया गया है जिसे कि सन्तोषजनक कहा जा सके। हमारी उसके लिये कोशिश है और सर्वे पार्टियां गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे हिमालय रीजन का पूरा सर्वे हो जाय, दरियाओं का सेक्शन और क्रास सेक्शन नक्शा तैयार हो जाय और यह सब बारिश वगैरा के फिगर्स तैयार हो जायं कि कहां कितनी बारिश होती है, नदियों की टेंडेंसी के चार्ट बन जायं। हर गांव के फ्लड के नक्शे तैयार हो जायं कि कहां तक पानी पहुंच सकता है, रेन गाज वगैरा सब तैयार हो जायं, चेक पोस्ट तैयार हो जाय, इस तरह की सब मालूमात एट हैंड हो जायं तब हम काफी कुछ रोकथाम के पहले से उपाय सोच सकते हैं, अगर बारिश उत्तर में हुई तो नीचे पहले से खबर मिल जाय कि खतरा आने वाला है, इससे नुकसान में कमी हो सकती है और वक्त पर पहले से लोग सतर्क रह सकते हैं। एक बात जरूर है कि हमारे गांव इन नदियों के किनारे हजारों वर्गमील में बसे हुये हैं, हमें शुबहा है कि इन सब के पास कुछ भी इत्तला पहुंचने के तरीके होंगे, वहां टेलीफोन नहीं हैं जिलाधीश उनको कैसे खबर समय के भीतर पहुंचा सकेंगे .....

अनेक सदस्य--

ब्लाक की जीपें काम में लीजिये।

श्री राममूर्ति--

हां, ठीक है जीपों से, चौकीदारों से, विलेज लेविल वर्कर्स से, पंचायत सेक्रेटरीज से इस तरह की इत्तला पहुंचाई जा सकती है और लोगों को खबरदार किया जा सकता है कि बाढ़ आने वाली है, उससे नुकसान में पूरी नहीं तो काफी बचत हो सकती है। तो हमारी डेटा इकट्ठा करने की कोशिश है और पैसा भी इसके लिये काफी दिया गया है, हम चाहते हैं कि हमारे यह सब डेटा पूरे हो जायं। पहली प्लान में पौने ३ करोड़, दूसरी में ८ करोड़ खर्च हुआ है। पहली प्लान में ४ करोड़ ७० लाख एकड़ जमीन को सुरक्षा मिली, ६ लाख एकड़ जमीन की सुरक्षा दूसरी प्लान में हुई और तीसरी प्लान के फिगर अभी तैयार नहीं हैं।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं वह यह है कि अभी हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने मास्टर प्लान का जिक्र किया। मैं बता चुका हूं कि हमारी मास्टर प्लान बनी लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो इस जगह पर खड़े होकर नहीं कही जा सकतीं, इस तरह की गवर्नमेंट आफ इंडिया की हमें इन्सट्रक्शन्स हैं, मुल्क के हालात में कुछ ऐसी बातें हैं कि हम नहीं कह सकते कि क्या बातें हैं उसमें कि जिनकी वजह से मास्टर प्लान कम्पलीट नहीं हुई। यह सारा काम सेंट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन पर है और हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उस चीज पर ज्यादा रोशनी डाल सकें। हमारा प्रदेश का ६० करोड़ का मास्टर प्लान है, उसमें हर साल इजाफा होता जाता है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे-जैसे धन प्राप्त हो और हमारे साधन बढ़ें तो हम और ज्यादा कदम बढ़ावें और कोशिश करें कि इन्सानों का जानोमाल महफूज रहे। फिर भी कुछ ऐसे दैवी प्रकोप होते हैं कि जिनकी पहले से तैयारी नहीं कर सकते और उनके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी इनटेंसिटी इतनी अधिक होती है कि पैसा खर्च करने पर भी कुछ नहीं होगा। मैंने मोटे तौर पर यह चीजें आपके सामने रख दीं ताकि आगे की बहस में सदन को कुछ सहूलियत हो जाय।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह समझ लें कि बोलने वाले बहुत हैं और समय बहुत थोड़ा है, क्या यह उचित होगा कि अब दस मिनट के बजाय ५ मिनट का समय दिया जाय ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जिन जिलों में बाढ़ की विशेष समस्या है वहीं के सदस्यों को आप बोलने दें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अभी तक आपने लोगों को १० मिनट का समय दिया है और आगे आप ५ मिनट दें, इस तरह की बात नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं बोलने वाले अधिक हैं अगर ५ मिनट का समय प्रत्येक सदस्य को दिया जाय....

श्री चन्द्रसिंह रावत—

यह उत्तर प्रदेश की असेम्बली है, इन्सानों की असेम्बली है, मुर्दों की नहीं। ५ मिनट का समय क्या माने रखता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

पौने चार बजे तक इसको खत्म होना है। वैसे जैसा आप चाहें कर लें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

विषय को देखते हुये ५ मिनट क्या माने रखता है ? (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रसिंह जी आप बैठ जाइये। जैसी आप लोगों की मंशा हो, रखिये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

मैं कह रहा हूं अभी माननीय सदस्य आप की तरफ बड़े ताव से बात कर रहे थे, क्या यह संसदीय व्यवहार है ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य ताव से बात नहीं कर रहे हैं, उनका बोलने का ढंग ही ऐसा है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

आप को पता नहीं यह असेम्बली इन्सानों की है मुर्दों की नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं मंत्री जी का भी आभारी हूं कि आपरेशन के बाद भी उन्होंने उन जिलों में जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बीमार होते हुए भी दौरा किया और वह मेरे क्षेत्र में न जा सके लेकिन दिल में उनके बड़ी तमन्ना थी और मुझ से कहा कि हृदय में इच्छा होते हुए भी मैं तुम्हारी तहसील न देख सका। प्रदेश में जितनी हानि हुई है जिन जिलों में उनमें अलीगढ़ का तीसरा नम्बर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार १,२६४ गांवों को, २,२६,६४३ एकड़ भूमि को और

३३,००० मकानों को नुकसान हुआ तथा ५,९६,७१५ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। हमारे जिले में १,८०० गांव हैं जिनमें से १,२६४ गांवों पर असर पड़ा है, यानी दो बटे तीन गांव प्रभावित हुए। ३३,००० मकान गिरे हैं। मैं माननीय माल मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने फौरन यहां से रुपया भेजा। लेकिन जहां ३३,००० मकान गिरे हों वहां गृह सहायता के लिये केवल २५,००० रुपया दिया जाय जो प्रति मकान १२ आना पड़ता है इतने कम धन में कैसे काम चल सकता है यह सोचने की बात है। जो सहायता भेजी उसके भी फार्म्स इतने काम्प्लीकेटेड हैं कि अलीगढ़ के जिलाधीश ने भी मंत्री जी से कहा कि शीघ्रता से हम न तो सहायता दे सकते हैं और न तकावी दे सकते हैं। आपका भेजा हुआ रुपया १ महीने तक तो बट नहीं पाया है। जिन गांवों में १६ आने नुकसान हुआ है वहां के ब्लाक प्रेसीडेंट ने सर्वे करके भेजा है कि करीब ९० फीसदी गांवों में १६ आने नुकसान हुआ है। इस समय बीज बोने का समय है गल्ला नहीं, मकान नहीं, मकान बनाने के साधन नहीं हैं तो जाड़े में वह लोग कैसे निर्वाह कर सकेंगे। बाढ़ सहायता के लिए रुपया यहां से जाता है लेकिन वह बंट नहीं पाता है। वितरण का तरीका बहुत गलत है। सुबह से लोग बैठे रहते हैं और शाम को उन्हें २ रु०, २ रु० दे दिया जाता है। श्रीमन्, जो आदमी दूर दूर से आवें इस तरह से बैठे रहें और शाम को उन्हें २ रु० प्रति दे दिया जाय तो कहां तक मुनासिब है। अगर आप देखें तो अलीगढ़ सबसे वर्स्ट इफैक्टेड एरिया रहा है। वहां पर २१८ गांव वर्षा से प्रभावित हुए हैं। जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर आज तक एक पैसा की सहायता नहीं पहुंची। उन गांवों की फेहरिस्त मैं माननीय माल मंत्री जी को दे दूंगा और उनसे आशा करूंगा कि आज ही टेलीफोन से निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या वहां के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करेंगे और शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार की सहायता पहुंचायेंगे। श्रीमन्, आप के पास एजेन्सी है ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर की। वास्तव में उनको ही रुपया बांटने और अन्य सहायता देनी चाहिए। जब वे प्लानिंग आदि पर रुपया खर्च कर सकते हैं तो क्या वे इस प्रकार की सहायता नहीं बांट सकते? यह कार्य बहुत आवश्यक है और उन्हें रुपया दे सकते हैं सारी सहायता उन्हीं के द्वारा बंटनी चाहिये। तहसील पर बहुत कार्य होता है। श्रीमन्, मैं दो मिनट और चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी आप के २ मिनट बाकी हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरे विचार से एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय। इस समय तक आपका ड्रेनेज डिपार्टमेंट असफल हुआ है। जो नालियां बनाई गई हैं वह गलत बनी हैं। वास्तव में हुआ यह है कि जिन किसानों से रुपया मिल गया वहां टेढ़ी मेढ़ी नाली नाले खोद दिये गये।

जो ड्रेनेज डिपार्टमेंट आपने खोला है उससे कोई लाभ नहीं हुआ। एक हाई पावर कमेटी बना कर इस बात की छानबीन कराई जाय। उन स्थानों का सर्वे कराया जाय जहां पर वाटर लागिंग होता है। पश्चिमी जिलों में हानि का कारण अधिकतर डिफेक्टिव प्लानिंग होने के कारण हैं। विभाग द्वारा यह नहीं देखा गया कि कहां बन्धी बनेंगी, कहां मेड़ बनेंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके एक ऐसी कमेटी बनायें, हाई पावर कमेटी बनायें, जो सारा सर्वे करके आपको रिपोर्ट दे।

जहां तक रुपये का बटवारा है वह भी ठीक से नहीं हुआ है। अलीगढ़ के मुकाबले में जहां अधिक नुकसान हुआ है, जिला बुलन्दशहर में कम हानि पर अधिक रुपया दिया गया है। अगर आप आंकड़े देखें तो ज्ञात होना कि जब कि अलीगढ़ में ३१ व्यक्ति मरे हैं बुलन्दहशर में केवल २५ व्यक्ति मरे हैं। परन्तु गृह निर्माण सहायता कार्य में जब कि अलीगहु में २५,००० रु० दिये गये हैं बुलन्दशहर में ७५,००० दिए गये हैं। अलीगढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या ३,६०,०६१ है जब कि बुलन्दशहर में केवल ४९,००० ही है। हमारे यहां अकेले इगलास तहसील में १८८ गांव में १७८ गांव प्रभावित हुए हैं। हमारे यहां फसल का और क्षेत्रफल का भी ज्यादा नुकसान हुआ है परन्तु धनराशि कम दी गयी है। जब से यह वर्षा हुई है तब से अभी तक भी आपके अफसर गांव में नहीं पहुंचे हैं तो नुकसान का सही अन्दाजा नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री नेकराम शर्मा जी, आप का समय समाप्त हो गया।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

यह अच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में पूर्व, पश्चिम के आधार पर समय का बटवारा कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ प्रदेश की स्थायी समस्या हो गयी है । मेरे जिले में भी हर साल यह होता है कि बाढ़ आती है । हर साल फिर तकावी देनी पड़ती है, लगान माफ करना पड़ता है और सरकार को कुछ उपाय करना पड़ता है । मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब एक मुस्तकिल रोग हो जाता है तो उसकी कुछ परवा नहीं रह जाती । कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सब यह समझते हैं कि यह रोजाना का काम है। रुपये को तकसीम करने के आर्डर्स चले जाते हैं, नावें भेज दी जाती हैं । बहरहाल, मैं संतुष्ट नहीं हूं तो असंतुष्ट भी नहीं हूं ।

मैं सरकार का ध्यान दो तीन बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा । एक तो यह कि जो सहायता सरकार करती है उस सहायता का बहुत खराब असर हमारे प्रदेश पर पड़ता चला जाता है । माननीय माल मंत्री जी इसका कुछ इलाज करने की कृपा करेंगे । मैं उदाहरण के तौर पर बतलाऊं कि ७, ८ वर्ष पहले मैं बाढ़ के सिलसिले में एक गांव में गया और यह कहा कि भाई ऐसी ग्रान्ट देनी है जो माफ होगी । जो गरीब या मोहताज है उसकी सहायता करनी है तो ऐसे लोग कौन-कौन हैं । गांव वालों ने कहा कि एक आदमी जाटव है । उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है । उसे बुलाया तो उसने कहा कि कर्जा चाहे तो दे दो लेकिन मोहताजी की चीज नहीं लेनी ।

एक दूसरे गांव की बात बताऊं । वहां बहुत भयंकर आग लगी, मैं गया और बतलाया कि गांव को सरकार से तकावी मिलेगी । और कुछ रुपया ऐसा भी मिल सकता है जो देना न पड़े, माफ हो जाये । उन्होंने कहा कि तकावी कुछ दिलवा दो हमें, सूद दे देंगे लेकिन मोहताजी हमें नहीं लेनी । लेकिन अब मैंने यह दृश्य देखे हैं कि चना जाता है और मालदार आदमी उसको ले लेते हैं । इस तरह से हमारे देश में गिरावट होती चली जा रही है । मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वह सोचें कि किस प्रकार परिवर्तन किया जाय ।

एक बात यह भी है कि जो सहायता दी गयी उसमें यह ऐलान किया गया कि तकावी वसूली १५ नवम्बर तक मुल्तवी रहेगी। तो १५ नवम्बर तक तकावी की वसूली वैसे ही मुल्तवी रहती है, इस जमाने में अमीन नहीं रखे जाते हैं ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

बात हो गयी है ।

श्री जगदीशप्रसाद--

मैं संतुष्ट हूं। ठीक है बात हो गयी है इसमें सन्देह नहीं । हमारे सामने जो आंकड़े रखे गये हैं कि ६७ लाख ९६ हजार रुपये की कुल सहायता तकावी और अनुदान तथा अन्य प्रकार से दी गयी, इससे स्थायी इलाज नहीं होगा । एक करोड़ और दो करोड़ तक यह रकम जा सकती है। मैं एक नये मोड़ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कुछ और माननीय सदस्यों ने भी कहा । अब स्थाई योजना बनाई जायें एक एक क्षेत्र या नदी पर के क्षेत्रों के लिये ऐसा

प्रबन्ध हो जो बाढ़ की हानि बन्द हो । माननीय राममूर्ति जी ने बतलाया कि एक दरिया को ट्रेन करने के लिये तैयारी की जाय तो २०० करोड़ रुपये तक खर्च हो सकते हैं । उन्होंने यह भी बतलाया कि उनके इंजीनियर्स की राय यह है कि मार्जिनल बांध बनाये जायं । तो हमको किसी से मोहब्बत नहीं है, वह बांध हो, दरिया का ट्रेनिंग हो या मार्जिनल बांध हमें तो अपनी मुसीबत को दूर करना है। आप कुछ भी करिये और कोई भी नाम रखिये, हमारे लिये काम होना चाहिये।

मैं अपने जिले की मुसीबत के बारे में बतला दूं । मेरे जिले मुरादाबाद में तहसील हसनपुर में सबसे अधिक बाढ़ आती है। हसनपुर तहसील ४२ मील लम्बी और १२ मील चौड़ी है और ४२ मील किनारे किनारे गंगा बहती है । ऐसी स्थिति है कि तहसील के बीच में स्तर सब से नीचा है जिस से ४, ५ मील इधर या उधर तहसील रह जाती है। गंगा से थोड़ा-सा पानी भी बाहर निकल कर वहां पहुंचता है तो प्रतीत होता है कि वह वाटर लाइन मेन है । अगर वहां पर मार्जिनल बाँध का प्रबन्ध नहीं किया गया तो कुछ वर्षों में वहां गंगा पांच मील पर बहेगी और ये तमाम खेत रेगिस्तान हो जायेंगे । यह वार्निंग मैं पहले भी दे चुका हूं और आज फिर दे रहा हूं । जहां तक उसके इलाज का सम्बन्ध है, उसका सर्वे कर लिया गया और कुल एस्टीमेट २४ लाख का आता था कि इतने खर्चे में सरकार उसका स्थायी प्रबन्ध कर सकती है । मैंने एक सुझाव उन्हें दिया था कि ८ हजार हल उस इलाके में हैं। सौ-सौ रुपये फी हल आप तकावी दे दें इस शर्त पर कि बांध बनने के तीन वर्ष बाद किस्त वसूल कर ली जायगी तो बहुत कम खर्चा आपको करना पड़ेगा । आप एक लेवी लगायें कि तीन साल बाद इतना लगान बढ़ जायगा या इतना टैक्स बढ़ जायगा । लेकिन तकावी से तहसील दबी चली जाती है । मैंने आपको उस खैराती इम्दाद के बारे में बतलाया । तकावी के बारे में मैं अर्ज करूं कि मेरी तहसील में ४-५ लाख रुपया तकावी का है और मैं नहीं समझता कि वह कैसे वसूल हो सकता है। घर गिर गये हैं, खेती हर साल बरबाद होती है । तो मैं निवेदन करूंगा कि यह तकावी चाहे न दी जाये लेकिन स्थायी योजनाओं की तरफ हमारी सरकार ध्यान दे वह चाहे थोड़ा-थोड़ा करके करें ।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । जो विवाद बाढ़ के सिलसिले में हो रहा है उसमें बहुत से सदस्यों ने कामरोको प्रस्ताव व नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें भी दी थीं। तो सबसे पहले प्राथमिकता बोलने की उनको देनी चाहिये । यह न कर के आप अन्य माननीय सदस्यों को समय दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उनमें से भी ले रहा हूं और जहां बाढ़ आयी है वहां के सदस्यों को भी समय दे रहा हूं। अब मैं सब को ५-५ मिनट देने की कोशिश करूंगा। आपको भी मौका देने की कोशिश करूंगा।

श्री शिवनाथसिंह—

कोशिश करने की बात नहीं है, यह हमारे अधिकार की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अधिकार की कोई बात नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

निवेदन यह है कि चाहे मध्य प्रदेश हो या पूर्वी प्रदेश हो या पश्चिमी प्रदेश हो उत्तर प्रदेश के सब भू-भागों में भीषण बाढ़ आयी है और कामरोको बदल कर के माननीय अध्यक्ष ने नियम ५३ में लिया है। सरकारी पार्टी के लोग भी आज बोलने के लिये तैयार हैं और इधर कामरोको और नियम ५२ में देने वाले लाइन से बैठे हैं। तो मेरा प्रस्ताव यह है कि इस बहस के लिये कम से कम ५ घंटे दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अध्यक्ष ने जो टाइम नियत किया है रूल के मुताबिक, वही टाइम रहेगा ।

श्री उग्रसेन —

माननीय अध्यक्ष कामरोको को नियम ५३ बनाते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नियम ५३ को कुछ और बना दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास इतना अधिकार नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

तो मेरा निवेदन यह है कि प्रति सदस्य को दो मिनट का समय आप दें और जितने वक्ता खड़े हो, सब को बुलायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अब प्रत्येक सदस्य के लिये ५–५ मिनट का समय है ।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां पर साल में कम से कम ४–५ महीने बाढ़ की स्थिति रहती है और वह जिला जौनपुर का है जहां पर पांच नदियां बहती हैं और पांचों नदियां जब एक साथ हो जाती हैं तो स्थिति इतनी भयावह और दुखद हो जाती है कि वहां रहना दुश्वार हो जाता है । माननीय राममूर्ति जी ने जिस लाचारी और दैन्य भाव से अपना बयान इस बाढ़ के सिलसिले में दिया है, इससे कुछ अर्थ नहीं निकल पाया। सिर्फ एक बात उन्होंने कही कि जितने दिन तक वे इस पोर्टफोलियो के चार्ज में थे वे बराबर प्रयत्न करते रहे और इंसान की मजबूरियों को देखा करते थे । लेकिन आज का युग इंसान की मजबूरियों का नहीं है । उसमें बड़ी ताकत है और इतनी ताकत है कि आज वह सूर्य और चांद तक जाने की कोशिश कर रहा है, नदी की तलहटी में बस करके कृषि उत्पादन करना और जीवन का निर्वाह करना बड़ी हिम्मत का काम है । मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि यूरोप में हालेंड एक देश है जो समुद्र से जमीन रिक्लेम करके अनाज पैदा करता है ।

श्री राममूर्ति—

उनके पास पैसा बहुत है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

उनके पास पैसा हो सकता है । लेकिन वह एक छोटा सा देश है । मैं आपका ध्यान प्लानिंग की ओर ले जाना चाहता हूं । अगर वह देश अपना जीवन निर्वाह कर सकता है तो इतना बड़ा देश भी कर सकता है अपने प्लानिंग के जरिये । आपने कहा कि पी० डब्ल्यू० डी० ने सड़क बना दी, इर्रीगेशन ने नहर बना दी और रेलवे ने लाइन बना दी, इससे बाढ़ आ गई और गरकी पैदा हो गई और स्थिति बिगड़ गई है जिसकी दवा आपके पास नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी योजनाओं में सामंजस्य होना चाहिये । आपके सभी विभागों में सामंजस्य होना चाहिये जिससे गरकी का सामना न करना पड़े ।

श्री राममूर्ति —

श्रीमन्, हमारा फ्लड बोर्ड बना है उसमें भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी योजना में जिन मुहकमों का सम्बन्ध होता है उनके इंजीनियर्स रखे जाते हैं जिससे सब मिलकर काम करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मुझे खुशी है कि मन्त्री जी ने सफाई पेश की है। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस सदन की एक स्थायी बाढ़ समिति का निर्माण किया जाय जिसमें सदन के सदस्य और विशेष कर उन जिलों के सदस्य जिनको बाढ़ स्थिति का प्रति वर्ष सामना करना होता है वे उसका सिंहावलोकन किया करें।

श्रीमन्, जौनपुर में बाढ़ से २१ गांव पीड़ित हैं जिनके लिये ५० हजार रुपया सकाधी और लोन के रूप में दिया गया है। मैं माल मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस साल २१ गांवों के पीड़ित होने पर ५० हजार रुपया दिया गया है और गतवर्ष ४०० से ज्यादा गांवों के पीड़ित होने पर और दुखद स्थिति के होने पर एक पैसा देना भी गवारा नहीं समझा। माननीय सिंचाई मन्त्री जी से मुझे शिकायत है कि उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया था उसको पूरा नहीं किया। जौनपुर गोमती नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है, उस पर एक शाही पुल विद्यमान है, वहां बहुत मलबा पड़ा हुआ है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि गोमती दक्षिण की ओर काट रही है। वहां का ओलन मुहल्ला, कचहरी आदि जौनपुर का आधा भाग पानी के अन्दर आने वाला है। वहां न कोई स्पर बनाया गया है और न कोई ठोकर बनाई गई है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ की स्थिति के तो हम आदी हैं और जब तक बाढ़ हमारे सीने तक नहीं आ जाती है तब तक हम अपना घर नहीं छोड़ते हैं। हम उसका बहादुरी से मुकाबला करते हैं। लेकिन जहां हमारी विवशता हो जाती है वहां हम मजबूर हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इसको टेम नहीं किया, स्पर नहीं बनाया गया, ठोकर नही बनाई गई और इसकी तलहटी साफ नहीं की गई तो जौनपुर शहर का आधा हिस्सा खत्म हो जायगा, उसको आप बचा नहीं सकेंगे।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जौनपुर जिला पूर्वी जिलों में पिछड़े जिलों में नम्बर एक है। इसकी समस्यायें भिन्न प्रकार की हैं। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और जनसाधारण की स्थिति सुधारने में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक बार फिर खींचना चाहता हूं गोमती नदी के कटाव की तरफ उसके लिये आप समुचित व्यवस्था करें।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९५७ से एक नयी बाढ़ हमारे पश्चिमी जिलों में आयी है। मैं अपने माल मन्त्री और मेरठ के जिलाधीश महोदय, श्री विशन टंडन को जिन्होंने रात-दिन एक कर दिया जनता की सहायता करने में उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज सरकार में ऐसे अधिकारी बहुत कम हैं, जो जनता के दुख को अपना दुख समझते हैं जैसे विशन टंडन जिलाधीश मेरठ; श्री आर० वासुदेवन, एस० डी० ओ०, गाजियाबाद; श्री एन० राजगोपालन, जिला नियोजन अधिकारी, मेरठ, श्री डी० एन० त्रिपाठी, एस० डी० ओ० हापुड़, श्री बनारसी दास एस० डी० ओ०, मेरठ; श्री के० एन० श्रीवास्तव, एस० डी० ओ०, बागपत; श्री एन० के० मिश्रा, एस० डी० ओ०, सरधना; श्री एच० सी० विशनोई, एस० डी० ओ०, मवाना; श्री मंजूर अहमद, तहसीलदार, मेरठ। इन अधिकारियों ने तथा तहसील मेरठ के स्टाफ ने इस फ्लड तथा अधिकतम वर्षा काल में बड़ी मेनहत से काम किया है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरीसिंह का माइक काम नहीं कर रहा है नहीं तो वह बहुत तेज आवाज में बोलने वाले हैं।

श्री हरीसिंह—

जहां तक नहरी विभाग का सम्बन्ध है इस विभाग ने नाममात्र का ध्यान नहीं दिया। नहरी विभाग के कर्मचारियों ने नाले बजाय सात फीट के तीन फीट खोदे। मन्त्री जी ने जाकर

[श्री हरीसिंह]

नहीं देखा कि क्या हो रहा है नहरी विभाग के कर्मचारियों की तरफ से। मैं सरकार को बताता हूं कि अधिक संख्या में मकान गिरे हैं। विभिन्न साधनों से जो सहायता मिलती है उसे काट कर हरिजनों के मकान बनवाने में सरकार सहायता दे। जो नहरी विभाग के इंजीनियर हैं उनकी तरफ मन्त्री जी ध्यान दें। वह भी किसान मजदूर के पैसे से पे पाते हैं। उन्होंने कह दिया कि वहां नहरें और सड़कें ज्यादा हैं। उन्हें यह पता नहीं कि कहां नाला खोदा गया कहां नहीं। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार करती क्या है? बनारसी दास जी रात भर घूमते रहे। एस० डी० ओ०, तहसीलदार और रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने दो दो दिन भूखे रह कर, छाती भर पानी में जा कर, काम किया, उस समय नहरी विभाग के इंजीनियर कोठियों में आराम कर रहे थे। नाले आदि तक ठीक नहीं हुये। नहरी विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। सरकार को आबपाशी तथा मालगुजारी तुरन्त ही माफ कर देनी चाहिये। किसान की आर्थिक स्थिति अति शोचनीय है। अन्त में सरकार से पुनः निवेदन है कि तकावी व अनुदान में अधिक धन मेरठ जिले को दिया जाय जिससे हरिजन किसानों को मकान बनाने में सुविधा मिल सके।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री हरी सिंह से) अब आप समाप्त कीजिये। माननीय मैनेजरसिंह। (शोर)।

श्री बनवारीलाल विप्र (ज़िला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ पीड़ित जिलों के लोगों को बोलने का अवसर देने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने वादा किया था.....

श्री विजयसिंह (जिला जालौन) —

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, जालौन जिले में भी बाढ़ आयी है और सब पार्टियों के लोग बोल चुके हैं। मैं स्वतन्त्र पार्टी का हूं, मैं अभी तक बोला नहीं हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

जालौन तो मेरा पड़ोसी जिला है। वहां बाढ़ नहीं आयी है। यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री बनवारीलाल विप्र—

जो भगवान दास जी ने आपके माध्यम से सुझाव रखा है, उसे आप स्वीकार कर लें। उन्हीं सदस्यों को समय दिया जाय जो बाढ़-पीड़ित इलाके से आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, ज्यादा समय नहीं है, अब मैं पांच-पांच मिनट एक-एक सदस्य को दूंगा।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा) —

डेढ़ करोड़ रुपये का हमारे क्षेत्र में नुकसान हुआ है और आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं (शोर) आप कहते हैं बैठ जाइये..... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

भगवानदास जी, आप बैठ जाइए।

श्री बनवारीलाल विप्र--

हमें आश्वासन मिलना चाहिये कि इतने मेम्बरों के बाद भगवानदास जी को समय मिलेगा .....

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, यह कोई तरीका नहीं है इस तरह से फोर्स करना और इस तरह से बात करना। मैं अपने स्वविवेक से सभी पार्टियों को ठीक टाइम देने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रबलीसिंह जी और भगवान दास जी को समय आप क्यों नहीं देते, वह बाढ़ के विशेषज्ञ हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइए।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के सिलसिले में जो विवाद चल रहा है उसके सम्बन्ध में मुझे भी दो शब्द निवेदन करना है। बाढ़ के ऊपर जो लिखित वक्तव्य माल मन्त्री जी का वितरित हुआ है उसको देखने का मौका मिला। मुझे आश्चर्य है कि बहराइच और बस्ती, माननीय माल मन्त्री जी और माननीय सभा सचिव के जिले से होकर जो पानी निकला वह पानी गोरखपुर-देवरिया को परेशान करता हुआ आजमगढ़ की सरहद पर जाते जाते रुका और यहां माननीय राजस्व मन्त्री की सरकार उसको उदरस्थ कर गई। (व्यवधान) फलस्वरूप बलिया में कोई बाढ़ का असर नहीं हुआ। उनकी तरफ का पानी उन्हीं की तरफ लौट गया और बलिया तो अछूता ही रह गया और यह मैं समझता हूं कि यह ठीक ही हुआ। लेकिन मान्यवर, इस वर्ष भी बलिया के पूर्वी और उत्तरी इलाके में बाढ़ का स्तर गत वर्ष से कम नहीं रहा है। मैं समझ नहीं पाया कि राजस्व विभाग ने क्यों बलिया को बाढ़ ग्रस्त जिलों की सूची में नहीं रखा? मैंने उस सूची को देखा। जिस जिले में पन्द्रह बीस या पच्चीस गांव सभायें भी बाढ़ से प्रभावित हैं उनका भी नाम उस सूची में है। लेकिन मेरे जिले में केवल मेरे दोआबा निर्वाचन क्षेत्र का तीन-चौथाई हिस्सा इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहा। हमारे क्षेत्र के श्री कन्तपुर, मानगढ़, दुर्जपुर, शिवाल, वशिष्ठ नगर, गोपालनगर, अधिसिजुवा महाजी, अधिसिजुवा चांवदियार, महाजी चांवदियार, जंजीरा नं०३६, इब्राहीमाबाद, इब्राहीमाबाद उपरवार, इब्राहीमाबाद नवबरार, कोररहां उपरवार, कोररहां नवबरार, खवासपुर, शिवपुर कपूरदियर, श्रीपालपुर, गोपालपुर, गंगौली यह सब की सब गांव सभायें बाढ़ से प्रभावित रहीं। फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि क्यों नहीं मेरे जिले का नाम सूची में आया? सम्भव है कि इस बाढ़ के समय हमारे जिले के अधिकारी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा विवाद के झगड़े में फंसे रहने और बहुत ही परिश्रम से उस समय उसमें लगे रहने और उसकी व्यवस्था के कारण ही रिपोर्ट समय से नहीं भेज सके होंगे जिससे बलिया बाढ़ की सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि हमारे जिले के अधिकारी जब से बलिया और शाहाबाद छपरा की सीमा विवाद से कुछ फुरसत पायेंगे तो वह रिपोर्ट भेज देंगे और हमारा जिला भी तब सूची में सम्मिलित हो जायेगा। मैं आदरणीय माल मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले का काफी क्षेत्रफल इस समय भी बाढ़ से प्रभावित है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का तीन बटा चार हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहा है। उसकी रिपोर्ट शायद जिले के अधिकारी अब भेजें, तब आप विचार करेंगे और जो सुविधायें और क्षेत्रों को दी जायेंगी वह हमारे क्षेत्रों को भी दी जायेंगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय राममूर्ति जी ने बांध की योजना का जिक्र किया। बलिया और बेरिया बांध का निर्माण तो हो गया है, लेकिन बेरिया समसार

[श्री मैनेजरसिंह]

टोला बांध का निर्माण अभी रुका हुआ है और बकुलहा समसार टोला बांध आवश्यक मरम्मत न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। कहा जाता है कि बिहार गवर्नमेंट के एतराज से कार्य रुका हुआ है। मैं समझ नहीं पाया कि जब बिहार की गवर्नमेंट हमारे पड़ोसी जिले शाहाबाद तथा छपरा में तटबन्द का निर्माण कराती है और हमारे जिले के सरहदी जिले में स्पर बनाती है तो किस मुंह से बिहार की सरकार एतराज कर सकती है कि बलिया में स्पर न बने, बलिया में तटबन्द न बने? मैं कहना चाहता हूं कि इन तथ्यों को लेकर तथा जो तटबन्द बिहार में बने हैं उन सब प्रमाणों को लेकर केन्द्र के सामने दबाव डाले कि हमारा काम अनावश्यक रूप से, जो बिहार सरकार के अनर्गल वार्तालाप के कारण रुका हुआ है उसे कराने की स्वीकृति मिले। तभी क्षेत्र का कल्याण हो सकता है।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीया मुख्य मन्त्री श्रीमती सुचेता कृपालानी और राजस्व मन्त्री तथा उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने बाढ़ की भयंकरता को देखते हुये उत्तर प्रदेश में २५ फीसदी लैवी, वापस कर ली है। मैं कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी को जिसके निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, बधाई देता हूं। मैं स्वयं को निकाल कर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी जिन्दाबाद का नारा आपके सामने प्रबल करता हूं।

दूसरी बात श्रीमन्, मुझे आपके सामने यह कहना है कि हमने पूर्वी और पश्चिमी जिले बाढ़ के नहीं देखें, हमने तो केवल हरदोई जिला देखा है। जिस तरह की बाढ़ हरदोई जिले में आई है उसको मैंने देखा है। उत्तर प्रदेश की पांच महान् नदियों-गंगा, रामगंगा, घाघरा, सई और गोमती की धारायें हरदोई जिले से गुजरती हैं लेकिन श्रीमन्, इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने केवल गोमती का ही जिक्र किया है शेष का जिक्र भी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हरदोई जिले को अभी तक फ्लड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर नहीं किया है। मैं आपके जरिये से माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरदोई जिले को सैलाबी जिला एलान किया जाय।

तीसरी बात मुझे आपके सामने यह निवेदन करना है कि श्रीमन्, मैं हथौड़ा ड्रेन का शिकार हो रहा हूं। हथौडा ड्रेन में १० ड्रेन मिला दिये गये हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रार्थना-पत्र दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी को प्रार्थना पत्र-दिया और माननीय राजस्व मंत्री जी से कहा कि ४० गांव हथौड़ा ड्रेन के कारण रोटी से मुहताज हो गये हैं जिसमें ११ ड्रेन मिले हुये हैं। उसका इन्तजाम अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं यह मांग करता हूं कि जब तक हथौड़ा ड्रेन के जल निकास (आउट फाल) का इन्तजाम न कर दिया जाय तब तक वहां के किसानों का लगान रबी और खरीफ का माफ रक्खा जाय क्योंकि वहां की फसल वाटर लागिंग की वजह से तबाह रहती है। हम कांग्रेस के लोग हैं। कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कोई सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं किन्तु हम अपने कमरे के अन्दर २४ घंटे का न खाने का व्रत ले सकते हैं। मैं इस बात के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार से माननीय राजस्व मंत्री जी से और माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे जिले को सैलाबी जिला ऐलान किया जाय और ड्रेन के जल निकास हथौडा (आउट फाल) का इन्तजाम किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष —

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवानदास यादवेन्दु —

उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में आई हुई बाढ़ से पूर्वी जिले इन पिछले सालों में काफी बरबाद हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ सालों से पच्छिमी जिले भी बरबाद हो रहे हैं। भूतपूर्व

सिंचाई मंत्री जी ने बतलाया कि पिछले दिनों जब पूर्वी जिलों में बाढ़ आया करती थी तो पश्चिमी जिले वाले मजाक उड़ाया करते थे, किन्तु मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की आपदा पर यदि कोई मजाक उड़ाता हो तो यह बहुत दुख की बात है और इस पर मैं अपना खेद प्रकट करता हूं। मैं इस बात की आशा नहीं करता कि इस प्रकार की बात यहां सदन में हुई हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपदा चाहे पश्चिम पर आये या पूर्वी हिस्से पर, लेकिन वह आपदा आपदा ही है। अब से पहले इन्सान अपनी तमाम जिम्मेदारियों को जो उसको करनी होती थीं ईश्वर पर डाल देता था। उस समय आदमी यह समझता था कि ईश्वर की दी हुई आपदा है। म आपके समक्ष इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं करता हूं कि हमारे शहर फीरोजाबाद को तबाह करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर है और उत्तर प्रदेश की सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर है। यह इसलिये कि सन् १९५८ में इस तरह का पानी फीरोजाबाद शहर के आधे हिस्से में आया कि उस पानी के आने से शहर का आधा हिस्सा बहुत तबाह हो गया। हमने वहां के किसानों की हालत को देखा कि सन् १९५८ में कैसी हालत थी। वे किसान किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं थे बल्कि वहां के रहने वाले तमाम नागरिक थे। चाहे उनकी लाल टोपी हो चाहे सफेद टोपी हो और और चाहे काली टोपी हो। सब ने मिलकर उस स्थिति का मुकाबला किया। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द को उस क्षेत्र को देखने के लिये बुलाया गया और डा० सम्पूर्णानन्द जी ने जाकर उस स्थिति का अवलोकन किया। वहां से आने पर उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वह अधिकारी वहां पर जाकर उस स्थिति का सर्वेक्षण करें। सवक्षण करने के बाद वहां पर जिलाधीश ने एक कान्फ्रेन्स की और उस कान्फ्रेन्स में बहुत से फैसले लिये गये। उसके अनुसार कुछ भी कार्य वहां पर नहीं हुआ जिसका जिक्र अभी शिवचरण लाल जी ने आपके सामने किया है। फीरोजाबाद के आसपास के तमाम इलाके जो फीरोजाबाद से मिले हुये हैं और जहां पर ग्रामीण लघु उद्योग पनपे हुये थे और छोटे और बड़े सभी प्रकार के थे और जिन्होंने इधर ५ वर्ष के अन्दर तरक्की की थी फसल सहित वे सब बरबाद हो गये।

हरि नदी पहले नहीं थी। यह १९५८ की बाढ़ में प्रकट हुई और उसने उस क्षेत्र में तबाही मचा दी। इसके बाद एक सेंगर नदी है। उसमें बांवरपुर ड्रेन का पानी भी आता है उसे नारखी क्षेत्र की जनता के विरोध के बावजूद जानबूझ कर बनाया गया और एटा जिले का उसमें आता है। सारा पानी है। उससे सारा इलाका बरबाद हो गया है। मेरे पास बहुत सी बातें और सुझाव है, लेकिन समयाभाव के कारण वह सब यहां आप के सामने रख नहीं सकता। फीरोजाबाद के करीब ५० प्रतिशत कारखाने, जहां लोगों ने छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कर रखे थे, बरबाद हो रहे है। फीरोजाबाद का एशिया में ग्लास इंडस्ट्री में प्रथम स्थान है। आज इस बाढ़ से वहां के २०,००० मजदूर बेकार हो रहे हैं। जब उद्योग उप मंत्री जी वहां पधारे थे तो लोगों ने उनसे अपनी तकलीफें बयान कीं, उन्होंने कहा कि आप स्वयं देखें कि कारखाने जमीन में घुस गये है, लेकिन उपमंत्री जी ने जिस बुरी तरह से जवाब दिया वह उनको नहीं देना चाहिये था। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के अधिकारियों, मंत्रियों और सरकार को हर तरह से आगाह करते रहे, टेलीग्राम देते रहे, लिखा-पड़ी करते रहे, लेकिन उसके बाद भी वहां पर रिलीफ की कोई उचित व्यवस्था नहीं हुई। वहां हजारों मकान डैमेज हुये हैं। जो कच्चे मकान थे वे बह गये और पक्के मकान तबाह हुए हैं। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के हरिजनों और डिप्रेस्ड क्लास वालों की बड़ी बुरी हालत है और सरकार को उनकी कोई व्यवस्था शीघ्र करनी चाहिये। इसके साथ ही जो मेमोरेन्डम मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी को मैंने दिया है उस पर सरकार को ध्यान देकर उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

बाढ़ के बारे में भी अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां तक बाढ़ का संबंध है पिछले १०० साल का इतिहास बतलाता है कि इतनी वर्षा पश्चिमी जिलों में आज तक नहीं हुई। ३६ घंटे तक इतनी वर्षा हुई कि एक मकान के लोग दूसरे मकान के लोगों को नहीं

[श्री धर्मसिंह]

देख सकते थे, इंसान, इंसान को नहीं देख सकता था। तो बड़ी तादाद में मकान गिरे, बरबाद हुए और उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि जब इस प्रकार का वहां प्रकोप था तो हमारे यहां राजनीतिक होली खेली जा रही थी और हमने इस बात की परवाह नहीं की कि जहां तक जनता का संबंध है, जिसके बोट से चुन कर हम यहां आये है उन लोगों के सामने क्या कठिनाइयां हैं। हमारे पास कोई योजना नहीं है। हमने द्वितीय और तृतीय योजना बनायी, लेकिन हमने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि यदि इस प्रकार वर्षा हो तो उसके ड्रेनेज का क्या इंतजाम होगा। फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना है, लेकिन उसकी स्कीमें काट दी गयीं। सरकार ने इस बात की कोशिश नहीं की कि वह सेंटर में जाती और वहां से इस काम के लिये पैसे की मांग करती। तो इतनी बरबादी होने के बाद मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई कमीशन या कमेटी बिठाये जो यह देखे कि आखिर इस बाढ़ के लिये क्या प्रबन्ध किया जा सकता है। एक तरीका चला आता है। हमारा एक बहुत पुराना एक्ट है जिसके द्वारा ऐसे लोगों के लिये तकावी का इन्तजाम एवं थोड़ी-थोड़ी सहायता का प्रबंध किया जाता है।

यहां अभी जो माननीय मंत्री जी की तरफ से स्पस्टीकरण दिया गया उसमें कहा जाता है कि हमन तेल बांट दिया, हमने गुड़ भेज दिया, दियासलाई बांट दी और आप समझते हैं कि गरीब किसान और मजदूर जिसके पास खाने को नहीं है, लगान देने के लिये पैसा नहीं है, जो पश्चिमी जिले का आदमी एक ही घर में सोता है, खाना बनाता है, उसकी लड़की वहीं रहती है, जानवर भी रहते हैं वह गिर जाता है तो जो इंसानियत में विश्वास रखते है उन्होंने कभी उस गरीब किसान मदूर की हालत पर गौर किया? कौन से नियम और कायदे-कानून हैं जिनके द्वारा जो झोपड़ी बरबाद हो गयी उसको फिर बसाने का प्रबन्ध हो? आप उधर जाकर देखिये बल्कि यह बहस तो बहुत पहले होनी चाहिये थी, अब क्या फायदा है? आग लग गयी, बरबादी हो गयी और इतने दिन बाद आप बहस करने के लिये चले हैं! (विरोधीदल से तालियां) क्या प्रबन्ध किया गया? हमें अपनी नीतियो पर सोचना पड़ेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल होती जा रही है। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है (तालियां) जो सड़कें हम बनाते है, श्रमदान किया जाता है वह वाश-अप हो जाता है, तो हम किस मर्ज की दवा हैं? यह जो थोड़ी सी सहायता देकर मामले को पैच अप किया जाता है, इस कुनैन की गोली से क्या उस समस्या का समाधान हो सकेगा? क्या उससे जो मर्ज चला आता है वह दूर हो सकेगा? यदि इन बातों का प्रबन्ध नहीं किया और हम लखनऊ में ऐश व आराम की जिन्दगी बसर करते रहे और दूसरी तरफ इंसान कुत्ते की जिंदगी बसर करते रहें तो उससे हमें कौन इंसान कहेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त....

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)

उपाध्यक्ष महोदय, जरा इधर भी खयाल कीजिये। हमारे यहां तो पहली बार बाढ़ आयी है उधर तो आया ही करती है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो मंत्रिपरिषद् के माननीय मंत्री हटाये गये हैं, अब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं उनकी बुद्धि ठीक हो गयी है उनको ही बोलने दीजिये। वह पहले अच्छी बात नहीं कह सकते थे, अब ठीक कहने लगे हैं इसलिये यह व्यवस्था कर दीजिये जिससे वही लोग बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री झा।रखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मुझे खेद है कि पिछले १२ वर्ष से जो परम्परा रही है उसको आप तोड़ रहे हैं। पहले दो घंटे, ढाई घंटे जो भी विवाद होता रहा उसमें विरोधी पक्ष के जो प्रमुख दल हैं उनके नेताओं को या उनकी पार्टियों की ओर से नियुक्त व्यक्तियों को बोलने का मौका मिलता था। पिछली मर्तबा जब यहां पर ५ दल थे तो पहले जब बारी बारी ५ व्यक्ति बोल लेते थे तब उसके बाद यदि समय बचा तो और लोगों को बोलने का मौका दिया जाता था।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं वही करने जा रहा हूं। पहले आप बैठ तो जाइये।

श्री झारखण्डेराय—

बाकी को मौका नहीं दिया जा रहा है, यह ठीक नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। श्री कल्पनाथसिंह....

श्री झारखण्डेराय—

क्या मेरे बैठ जाने से काम खत्म हो गया जो आप माननीय कल्पनाथसिंह जी को बोलने के लिये बुला रहे हैं। आप मेरी बात पर क्या व्यवस्था दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने बुलाया तब आप बाहर चले गये थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर पार्टी के आदमी बोल लें।

श्री झारखण्डेराय—

ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी पार्टी रह गई। मैंने माननीय विजयसिंह जी को मौका दिया।

श्री झारखण्डेराय—

जो मैं बात कहना चाहता हूं वह यह है कि जो परम्परा स्वस्थ रही है उसमें किसी को कोई एतराज नहीं था। आप उसका पालन करें वरना दिक्कत पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। मैं हर पार्टी के आदमी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने नाम भेजा था लेकिन आप बाहर चले गये थे, अब वह हो जायेगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि तमाम व्यवस्था के प्रश्नों के बावजूद भी आपने मुझे मौका दिया। साथ ही मैं कामराज प्लान का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं जिसकी वजह से मुझे अपने बहुत से साथियों की दूसरी आवाज सुनने का मौका मिला।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

तो आप भी इधर आ जाइये।

श्री कल्पनाथसिंह—

मुझे पूरी उम्मीद है कि वह दिन जल्द आयेगा जब आप ही इधर आ जायेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और खासतौर पर सिंचाई मंत्री का भाषण सुनने के बाद कि बड़े ढंग से उन्होंने बात कही है, इस प्रदेश में बाढ़ रोकने की जितनी योजनायें हैं उन सब को उन्होंने इस सदन के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन मैं निहायत अदब से इस सरकार से कहना चाहता हूं कि मौजूदा हालत में जितनी योजनायें हैं चाहे वह मास्टर प्लान हो, चाहे दूसरी योजनायें हों वह सब पूर्णतया अपूर्ण हैं, बल्कि सीधे-सीधे यह कहा जाय कि कागजी घोड़ा है या ओस के द्वारा प्यास बुझाने की दवा मात्र है तो अतिशयोक्ति न होगी। अगर मंत्री जी चाहते हैं कि कुछ भला हो तो इस सदन में लाकर उस मास्टर प्लान को डिसकस करायें और पास करायें फिर जो सुझाव हों उनके ऊपर अमल किया जाय। मेरा एक सुझाव है कि इस प्रदेश में बाढ़ को रोकने के लिये एक सर्वसत्ता सम्पन्न बाढ़ आयोग की स्थापना होनी चाहिये जिसको हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। यह नहीं कि सिंचाई मंत्री जी चाहें तो एक इंजीनियर से कहें कि एक नाली खोदो और कल उससे कहें कि तुम पानी नापो और परसों एक तीसरे से कहें कि तुम पुल बनाओ तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इंजीनियर्स की काबलियत की जानकारी भी लोगों को बहुत अच्छी तरह से है।

दूसरी बात मार्जिनल बांध के बारे में मंत्री जी ने कही। हमारे प्रदेश की सरकार चाहती है कि यह बांध बन जाय, लेकिन फलड कंट्रोल बोर्ड आपके रास्ते में रोड़ा बना बैठा है और २-२,३-३ साल की सिफारिशों पर स्वीकृति नहीं देता है। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उसने हर माने में इस प्रदेश को पीछे ढकेला है और बाढ़ के मामले में तो बहुत ही पीछे ढकेल दिया है। जितना रुपया दूसरे प्रांतों में केंद्रीय सरकार का खर्च हुआ है उतना रुपया इस प्रांत में नहीं हुआ है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे थोड़ा-सा मौका और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथसिंह जी, अब समय बिल्कुल नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो मैं यह कह रहा था कि इस प्रदेश की १ करोड़ एकड़ जमीन और सवा या डेढ़ करोड़ आदमी बाढ़ पीड़ित हैं। जिस प्रदेश में लोग पीड़ित हों, वहां चाहे यह सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, चाहे एक नहीं दस कामराज प्लान आ जायें लेकिन इस प्रदेश की स्थिति में कोई फर्क आने वाला नहीं है जब तक कि कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया जायेगा। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बस्ती से शहजनवां तक बांध बना रहे हैं गोरखपुर जिले में राप्ती के किनारे के और हिस्से का क्या होगा। जो बात आपने मार्जिनल बांध के बारे में, पुलियों के बारे में सड़कों के बारे में छोटी गंडक के बारे में नदियां जो गोरखपुर जिले में हैं उनके बारे में कहीं, उन सब के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। गोरखपुर इस प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ पीड़ित जिला रहा है। देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ जिलों में घाघरा, गंडक, राप्ती बड़ी गंडक तमाम नदियों के कटाव का मसला है। अगर इसके बारे में कोई योजना नहीं बना सकते, अगर इसको नहीं रोक सकते तो आप बाढ़ की समस्या को कदापि हल नहीं कर सकते। और अगर आप कटाव और बाढ़ को नहीं रोक सकते तो प्रजा सोशिलिस्ट पार्टी ने बांदा में फैसला किया है कि इन बातों के चलते इस सरकार को कतई बिना झुकाये वह नहीं छोड़ सकती।

*श्री विजयपालसिंह---

यह कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि इधर या उधर के बैठने वालों में कोई सैद्धान्तिक मतभेद हो। यह ऐसी चीज है प्रकृति का प्रकोप जिसके लिये मैं यह मानता हूं कि जितना दुख मुझे है शायद हमारे माल मंत्री जी को हमसे ज्यादा होगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने रखना जरूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे लिये मुजफ्फरनगर में ६७१ गांव ऐसे हैं जिनमें नुकसान हुआ बताया गया है और सरकार सहायता देती है २५ हजार रुपया यानी एक गांव को करीब २० रुपया मिलता है। मैं यह कहूं कि इस पर विचार किया जाय कि एक गांव पर २० रुपया जो आपने भेजा है तो जितने आदमियों का नुकसान हुआ कितने मकान बह गये वह कैसे २० रुपये में अपने मकानों को बनायेंगे ?

मेरी तहसील में हाकिम परगना ने २० गांवों के आदमियों को बुलाया था और हर गांव से ५०-५०, १००-१००, १५०-१५० आदमी वहां पर मौजूद हो गये थे। उन्होंने बतलाया कि एक बार नहीं हम हर हफ्ते आते हैं और हर हफ्ते उनका काम छूटता है। ३० रुपये पूरे गांव को मिलता है। मैंने कुछ गांव के बड़े बड़े लोगों से खुशामद की जिनको मैं खुशहाल समझता था कि तुम अपने मकान बनवा सकते हो लेकिन जो हरिजन हैं, जुलाहे हैं इनको तुम रुपया ले लेने दो। तो यह तय हुआ कि १० आदमी १०, १० रुपया ले लें। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि १० रुपये में २ रुपया पटवारी ने ले लिया, १ रुपया पेशकार को देना पड़ा और बाकी ७ रुपये बच गये, वह अगर आप कहें तो आपके पास भेज दूं क्योंकि ७ रुपये में उनकी बिल्डिंग नहीं बनेगी। मैं मालमंत्री जी से कहूगा कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कितने मकान गिरे, कितनी फसल बरबाद हुई ? आपने कहा कि तकावी में ७० हजार रुपया दिया गया, तो १०० रुपये गांव पड़ता है। इससे तो बेहतर है कि आप न देते। यह १०० रुपया भी आपका बेकार जाता है क्योंकि १० रुपये और १५ रुपये में मकान बनने वाले नहीं हैं।

मेरी तहसील में हिन्डन नदी बहती है। उसके किनारे आप बुढ़ाना में जाकर देख सकते हैं कि सैकड़ों मकान गिरे हैं, मुख्य रूप से हरिजन और कपड़ा बुनने वालों जुलाहों के मकान हैं, उनके बीबी, बच्चे, जानवर दरिया के किनारे जीवन बिताते हैं। अगर उन्हें १० रुपया भी न मिल सका कि वह जीवन बिता सकें तो हमारे लिये यह शर्म की बात है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि आपके दिल में भी दर्द है, लेकिन आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना ढीला है जिसकी वजह से यह हो रहा है। सरकार यदि यह कह देती कि हमारे पास रुपया नहीं है तो हमें सब्र हो जाता, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो भी रुपया है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिये।

हमारे मेरठ में कांधला और बड़ौत के बीच में पूरी सड़क टूट गई। १५, २० दिन तक ट्रैफिक नहीं चला हमारे नहर विभाग के इंजीनियर साहब वहां गये और इस बात को उनकी नोटिस में लाया गया और कहा गया कि अगर आप पुलिया बनवा देते तो शायद वह सड़क न टूटती। एक मील लम्बी सड़क टूट गयी, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। केवल एक पुलिया के न होने से हजारों एकड़ रकबे में पानी भर गया और फसल बरबाद हो गयी। मुझे मालूम है कि आप बीमारी की हालत में भी वहां देखने गये, मगर जब तक आप अपने अधिकारियों के साथ सख्ती नहीं बरतेंगे, काम नहीं चल सकता। मेरे पास के जो इलाके हैं वहां तक के बारे में पटवारियों ने सही रिपोर्ट नहीं दी। २-३ गांव ऐसे भी हैं जहां एक मकान भी नहीं बचा, पूरी फसल बरबाद हो गयी, मगर उसको कोई रिपोर्ट पटवारी ने नहीं दी। इसलिये आप अपने कर्मचारियों के प्रति सख्ती बरतिये। ऐसे वक्त में जब कि किसी का मकान गिर रहा हो, उससे यह पटवारी रिश्वत मांगे, यह बिल्कुल गलत चीज है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनको अगर ज्यादा रकम नहीं दी जा सकती, तो इतनी रकम तो दी ही जानी चाहिये जिससे कि वे अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा कुछ काम कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय अब समाप्त हुआ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक बार-बार यह कहा गया कि बाढ़ या कटाव प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन मैं इस राय का नहीं हूं। न यह बाढ़ नदियों के कारण है, न यह बादलों का प्रकोप है, बल्कि यह सरकारी प्रकोप का कारण है। जंगलों के बेतहाशा सफाया करने तथा अयोग्यता पूर्वक नहर, सड़क, तथा रेलवे के पुलों के निर्माण के कारण है। अगर यह बाढ़ लगातार इसी तरह से आती होती, तो लोग नदियों की तलहटियों में नहीं बसने आते। मैं तो बाढ़ क्षेत्र का ही निवासी हूं। हम लोग वहां इसलिये नहीं बसे हैं कि बाढ़ को पसन्द करते हैं। वहां तो दिन को बारिश होती थी, शाम को पानी गायब हो जाता था यही पहले बाढ़ का क्रम था अब सरकारी प्रकोप के कारण क्रम बदल गया है। पानी तो जब धरती पर गिरता है तो वह समुद्र में धरती में घुस कर या धरती तल से छिप कर जाना चाहता है। पानी शर्मनाक होता है छुपकर बहने की आदत होती है। मगर इस सरकार की गैर जिम्मेदारी की नीतियों के कारण, इस सरकार के इंजीनियरों की अयोग्यता के कारण, वर्षा का पानी समुद्र में धरती तल में छिपकर, नहीं जा पाता है और यह पानी बढ़ जाता है इसलिये बाढ़ आती है। बाढ़ आने की सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। चाहे आदमी मरे हों, चाहे पशु मरे हों, चाहे फसल बरबाद हुई हो, उन सबकी जिम्मेदारी इस सरकार की ही है। इसलिये सरकार या तो बाढ़ कटाव को रोके या नुकसान का मुआवजा दे। विधान सभा के सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे सरकार को इसके लिये मजबूर करें। जहां एक करोड़ एकड़ जमीन बाढ़ से प्रभावित होती हो, जहां सवा करोड़ जनता बाढ़ के कारण बरबाद हो गयी हो, जहां करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ हो, वहां सरकार को चाहिये कि वह अपनी सारी योजनाओं को छोड़ कर, इस तरफ ध्यान दे वरना विकास एवं औसत उत्पादन का बढ़ना सम्भव नहीं है। अगर सरकार अपने और कामों को रोक कर इस तरफ ध्यान नहीं देती तो वह उसकी गैर.जिम्मेदारी का सबूत है। इसलिये हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप सरकार को मजबूर करने के लिये कोई रास्ता निकालें ताकि वह या तो बाढ़-कटाव को रोकने के लिये कोई कदम उठाये या जो नुकसान हो उसका मुआवजा दे।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूची हम लोगों को वितरित की गयी है उसके अनुसार सीतापुर और लखीमपुर में सबसे अधिक वर्षा हुई है। सीतापुर में २१.८० इंच और खीरी में २१.७२, लेकिन इन्हीं जिलों में तकावी सबसे कम है। सीतापुर में १,९२,००० रुपया और खीरी में केवल ७९ हजार रुपया दिया गया है। इनके अलावा पश्चिमी जिलों में आगरा का उदाहरण मैं लेता हूं। वहां पर केवल १२.५२ इंच वर्षा हुई है, लेकिन वहां पर ३ लाख ८६ हजार रुपये की तकावी दी गयी है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए ही तकावी देनी चाहिये। चूंकि सीतापुर और खीरी में सबसे अधिक वर्षा हुई है इसलिये वहीं सबसे अधिक तकावी दी जानी चाहिये।

माननीय राममूर्ति जी ने ठीक ही कहा है कि नहरों और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के बनाने के कारण पानी के बहने का संतुलन खराब हो गया है, उसका नेचुरल फ्लो रुक जाने के कारण भी बाढ़ें आती हैं। हमारे यहां एक ताल है जिसके बारे में विधान सभा में मैंने एक बार प्रश्न भी किया था। मैंने कहा था कि अगर वहां से ड्रेन निकाल दी जाय तो १० हजार एकड़ जमीन बाढ़ के प्रकोप से बच सकती है, लेकिन वहां से पानी नहीं निकाला गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां के इंजीनियर साहब ने अपने उत्तरदायित्व को हटाने के लिये गलत रिपोर्ट दे दी और वैसा ही उत्तर दे दिया गया।

हमारे यहां लहरपुर से तंबोर तक एक सड़क दस फुट ऊंची बनायी गयी है। जब पानी आया तो उसने सड़क को २५ फुट काट दिया और ३५ फुट की गहराई में पानी वहां से बहा। वहां पर नाव चलानी पड़ी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहां पर नेचुरल फ्लो हो वहां पर ही नालियां बनायी जायं जिससे वह रुकने न पाये। जहां-जहां गांवों को बचाने के लिये लोगों ने सड़कें काटी हैं वहां पर भी पुलिया बना दी जायं जिससे गांव बाढ़ से बचाये जा सकें। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि सीतापुर और लखीमपुर में जो बाढ़ की सहायता दी गयी है उसको बढ़ाया जाय। फिर से इंक्वायरी की जाय और जहां पर वर्षा ज्यादा हुई हो वहीं पर ज्यादा तकावी दी जाय। आप स्वयं वहां का निरीक्षण करें तभी गंभीरता का पता चल सकता है।

श्री हुकुम सिंह विसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सैलाब के ऊपर बहस आज जो घंटों से चल रही है, उसमें हमारे बहुत से साथी इस तरफ या उस तरफ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने-अपने जिले के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। मैं यह नहीं कहता कि सैलाब से नुकसान कम हुआ, क्योंकि जिन-जिन जिलों में मैं गया, जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर और अभी हाल ही में मुझे मेरठ जाने का भी मौका हुआ था, मैं बिना कहीं आराम किये हुए दिन भर बराबर दौड़ता रहा। सड़क से नीचे उतरना तो नामुमकिन था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मथुरा जिला जिसमें रेगिस्तान का खतरा कहा जाता था, उसका काफी एरिया गहरे पानी में बिल्कुल ढका हुआ है। मैंने गोवर्द्धन, नन्दगांव, बरसाना, कोसी, छाता—इन सभी मुकामात का मुआयना किया और माठ तहसील के राया और दूसरे मुकामात को भी देखा वहां एक मील तक नेशनल हाईवे को मैंने अन्डर वाटर देखा। बड़ी मुश्किल से मैंने उस एरिया को पार किया और फिर मैं अलीगढ़ जिले में दाखिल हुआ। अलीगढ़ के इगलास, हाथरस, कोल और खैर तहसील के काफी हिस्से में मैंने वाटरलागिंग पाया। वहां से मैं बुलन्दशहर चला। वहां की खुर्जा व सिकन्दराबाद तहसील को देखा तथा उसके इधर-उधर के करीब के गांवों को भी मैंने देखा और वहां मैंने काफी नुकसान पाया। बुलन्दशहर कस्बे में भी घूम-घाम कर मैंने सब कुछ देखा और मैंने भाई धर्म-सिंह के मकान को भी देखा। वहां काफी पानी था, उसके निशान मुझे उनके घर में भी देखने को मिले और यह बात सही है कि उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। बुलन्दशहर से मैं माननीया श्रद्धादेवी के साथ मेरठ गया और वहां की मवाना तहसील को देखा। वहां के कई मकानों को मैंने देखा, वहां की लम्बी-लम्बी एरिया जेरे आब है। वहां काफी क्षति मकानों को पहुंची है और फसलें भी काफी बरबाद हुई हैं। मेरठ तथा और जिन मुकामात का मैंने दौरा किया, वहां जेनरल पब्लिक तथा कार्यकर्ताओं के सम्पर्क में आने पर मैंने देखा और मुझे मालूम हुआ कि रेवेन्यू विभाग के लोगों ने काफी सतर्कता के साथ वहां काम किया है। मैं यह जानता हूं कि ऐसी मुसीबत जब आ जाती है तो ऐसे मौके पर जितना ही कोई काम करे वह काफी नहीं होता है। बहुत से मुकामात ऐसे होते हैं जहां जाने में तकलीफ होती है। खास कर पश्चिमी जिलों में किश्तियों का अभाव है, उधर तो शायद गांव के लोगों ने किश्ती का नाम भी न सुना होगा। हमारे पूर्वी जिले तो सैलाब के आदी रहे हैं, वहां हर गांव समाज के पास किश्ती होती है। सरकारी योजना के अनुसार सरकार तो ६० प्रतिशत सबसिडी के रूप में किश्ती के लिये देती है और बकिया गांव समाज को लगाना पड़ता है। इस तरह से वहां किश्तियों का अभाव नहीं है, लेकिन पश्चिमी जिलों में किश्तियों के अभाव की वजह से बड़ी दिक्कत व परेशानी आयी। रुड़की वगैरह से किश्ती मंगायी गयीं, बुलन्दशहर में मिलिटरी परसोनेल की मदद ली गयी और उनकी किश्ती मंगायी गयीं तब कुछ सहूलियत पैदा हुई। तो एक दिक्कत वहां यह भी थी। लेकिन एक चीज मैंने यह देखी कि वहां के आदमी बड़े साहसी हैं। इस मुसीबत का मुकाबला करने के लिये वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

[श्री हुकुमसिंह चिसेन]

एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे भाई देवरिया के जिन्होंने यह कहा कि यह सरकार की की हुई आपत्ति है लिहाजा जो नुकसान हो वह सरकार को पूरा करना चाहिये, इसमें हमारी उन की इत्तफाक राय नहीं है। मैं कहूंगा कि इन चीजों पर सरकार काबू नहीं कर सकती कि २४ घंटे में २५ इंच पानी बरस जाय, यह सरकार के किये नहीं होता, यह तो दैवी प्रकोप है कि इतना पानी एक दम बरस गया और खास तौर पर पश्चिमी जिलों में जहां छोटी-छोटी नदियां हैं और जहां का ड्रेनेज सड़कों, नहरों, रेलवे के कारण डिस्टर्ब हो गया है, वहां पर वाटर लागिंग होना अनिवार्य है। यह कहना कि सरकार की की हुई यह मुसीबत है और सरकार को मुआवजा देना चाहिये, गलत है। उन्होंने अपील की है कि सरकार को मजबूर किया जाय कि वह मुआवजा दे, लेकिन सभी माननीय सदस्य उन की राय से इत्तफाक नहीं करते और सब अपनी अक्ल लगाकर बात सोचते हैं। उन की इस राय से कोई मुत्तफिक न होगा कि सरकार ने यह मुसीबत पैदा की है। सरकार कभी ऐसे नुकसान को पूरा नहीं कर सकती।

जहां तक रेवेन्यू विभाग का ताल्लुक है हमारे भाई शारदाभक्तसिंह उस के काम को केवल मरहम पट्टी ही कह दिये लेकिन मरहम पट्टी भी जरूरी होती है, तकलीफ में पहले मरहम पट्टी ही होती है, पहले फर्स्ट एड होती है और वही अनिवार्य होती है, लेकिन उस मरहम पट्टी से हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। हमारे माननीय विजयपालसिंह ने कहा कि केवल १० रुपया फी आदमी दिया गया। हमने अकेले मुजफ्फरनगर के लिये १ लाख दस हजार रुपये हाउस सबसिडी के लिये दिये, उन को शायद इत्तला गलत मिल गई होगी कुल २ लाख ४५ हजार रुपया मुजफ्फरनगर को दिया गया है। अलीगढ़ की बात कही जा रही है वहां के कलेक्टर जितना मांगेंगे हम उतना देंगे। हमने वहां देखा है और हम कलेक्टर से सम्पर्क स्थापित करेंगे और वहां जरूरत होगी तो वहां के लिये भी देंगे। हम ने यह कह रखा है कि रिलीफ मेजर्स फार बान्ट आफ फंड्स सफर न करें, यह हमारा आर्डर है और हम माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहते हैं कि ६८ लाख के करीब रिलीफ मेजर्स में मैं ने व्यय किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मालगुजारी माफ होनी चाहिये। इस के लिये हमारे नियम बने हैं और जब हमारे पास फाइनल एस्टीमेट्स आ जायेंगे तो हम छूट देने में कोई कोताही नहीं करेंगे, हमारी मंशा कभी यह नहीं रहती कि किसानों के नुकसान को कम आंका जाय। जितना नुकसान हो उतना ही एपराग्जिमेटली दिखाना चाहिये। हमने मालगुजारी व तकावी की वसूलयाबी को १५ नवम्बर तक रोक दिया है। जैसे मांग होगी वह हम पूरी करेंगे यह हम पर छोड़ दिया जाय आपके कहने की बात नहीं है। हमारे पन्त जी से जब कभी किसी अफसर के तबादले की बात कही जाती थी तो उस का तबादला ६ महीने के लिये रोक देते थे, हम खुद बाढ़-ग्रस्त लोगों की तकलीफ समझते हैं आपको जैसी उन से हमदर्दी है हमें भी है, हम भी जनता के आपकी तरह सेवक हैं। ज्यादा तो मैं क्लेम नहीं करता लेकिन आपसे कम भी नहीं हूं। जब मौका आता है हम अपोजीशन का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद कार्यवाही करने को तैयार रहते हैं और कर देते हैं।

सिंचाई के बारे में कुछ मित्रों ने सुझाव दिये हैं, मैं सिंचाई विभाग से सम्पर्क स्थापित कर के अर्ज करूंगा कि अगर सम्भव हो तो सिंचाई कर की वसूलयाबी भी स्थगित कर दी जाय।

मुझे अफसोस है कि मैं सिकन्दरा राव न जा सका। मेरी ख्वाहिश थी कि जब और तहसीलें देखीं तो उसे भी देखूं, लेकिन समय के अभाव से और बेरास्ता पड़ने की वजह से नहीं जा सका। मैंने नेकराम जी से माफी मांग ली है और उन्होंने मुझे क्षमा भी कर दिया। मैं एतमादपुर गया, माननीय मुल्तानसिंह स मुलाकात हुई, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि यहां का काम सुचारू रूप से हो रहा है। मुझसे गलत नहीं कहेंगे, मैं किसी माननीय सदस्य को गलत नहीं समझ सकता। उन्होंने आश्वासन दिया कि सब काम ठीक हो रहा है लिहाजा हमको इत्मीनान हो गया और आगरा हो कर मुझे मथुरा भी जाना था उसी दिन, इसलिये मैं वहां नहीं

सक्ता। यह मेरा एक तरह से हवाई दौरा था और वही पासिबिल भी था इतने कम समय में। मैंने फ्लू के जमाने में भी एक-एक दिन में ५, ५ जिले देखे।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

आपने सूचना नहीं दी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इतनी जल्दी सूचना नहीं दी जा सकती थी।

मैंने फिरोजाबाद भी देखा। वहां भी नुकसान हुआ और जो नहर काट दी गई उससे शहर की बरबादी हुई। नुकसान काफी हुआ जहां तक हो सकेगा पूरी-पूरी सहायता करने के लिये तैयार हूं अपने कोष को देख कर। हमारे भाई शारदाभक्त सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार भविष्यवाणी करती है और जब वह गलत हो जाती है तो वजूहात बताती है। यह तो दुनिया का कायदा है, हम कोई नई बात थोड़े ही करते हैं। एक ही हस्ती है जिसका कहना हमेशा ठीक होता है। और वह है भगवान। लेकिन हम तो इंसान हैं। मेरी माननीय शारदाभक्त सिंह से हमदर्दी है क्योंकि उनका इलाका बिल्कुल पंजाब है जिसमें ५ दरिया हैं जिनसे काफी नुकसान हमेशा हुआ करता है। मुझे अफसोस है कि मैं कोई ऐसी योजना बना कर बहिश्त नहीं बना सकता जिसके लिये माफी चाहता हूं। हमारे प्रयास जो हम सरे-दस्त कर सकते हैं करने के लिये तैयार हैं और करेंगे।

हमारे भाई मिश्र जी ने जो बात कही है उसमें बहुत कुछ तत्व है। उनकी शिकायत है कि हरदोई का जिला सैलाब वाले जिलों में नहीं लिया गया। हमारी लिस्ट में वह २६ पर दर्ज है। हमारे भाई मैनेजर सिंह ने बताया है कि बस्ती, देवरिया आदि में अब की बार बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है। मुझे खशी है कि पूर्वी जिलों में तो हर साल तबाही और बरबादी होती है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में वहां प्रकोप कम रहा है, जैसा कि देवरिया के भाई ने बताया है। मुझे विश्वास है कि हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वह भरसक प्रयत्न करते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा प्रकोप है कि सब जगह उस समय नहीं पहुंच सके लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वे घर पर बैठ कर हम को रिपोर्ट दें और मैं समझता हूं मेरे कलम में इतनी ताकत है कि मैं उनसे पूरा काम ले सकता हूं और जो कोताही करेंगे उनको बख्शूंगा भी नहीं। आप लोग घर में आराम करते रहें और हम पानी में डूबें यह नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि अबकी बार जौनपुर में सैलाब नहीं था। मेरे पास रिपोर्ट हैं कि वहां पर सैलाब आया और कहां पर सैलाब नहीं आया। इसके अलावा जिन माननीय सदस्यों ने मुझे बताया उन-उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वायरलैस भेजे गये कि वे रिपोर्ट भेजें। मैंने कोई गफलत नहीं की। कलेक्टरों को हिदायत है कि जो मांगना हो उसको मांगें। रिलीफ मेजर में मैंने कोई कोताही नहीं की और रैमिशन्स में भी किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं होगी। जहां-जहां हमें रैमिशन्स देने हैं हम देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने हमें अपने अपने सुझाव दिए। जो काबिले गौर होंगे उन पर अवश्य विचार करने की चेष्टा की जायगी।

श्री शिवनाथ सिंह—

जो वाटर लागिंग क्षेत्र हैं उनके बारे में आपने नहीं बताया कि आपकी अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या योजनायें हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह नियम ५२ में नहीं है यह नियम ५३ का है।

श्री सारखंडे राय—

आजमगढ़ की कटान रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कटान को रोकने के लिये पी० डब्ल्यू० डी० वहां काम कर रही है। जितना उनसे हो सकता है वह कर रही है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

दो-तीन मिनट हमें दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

लिख कर आप पूछ लीजिये। अब इस विषय पर विवाद समाप्त होता है।

उत्तर प्रदेश में वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्य के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री चन्नजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज बढ़ती हुई कीमतों के सवाल को उठा कर इस प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता की आवाज की तरफ में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जिस प्रकार कीमतें बढ़ रही है उससे जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है, हर वर्ग चाहे किसान हो या मजदूर, चाहे आफिस में काम करने वाला बाबू हो या आफिसर हो, कारखाने में काम करने वाला मजदूर हो या मध्यम वर्ग का आदमी हो सभी उसके शिकार बन गये हैं। जब से नियोजित अर्थ-व्यवस्था हमने प्रारम्भ की सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिये था कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था के साथ वह कीमतों के प्रश्न पर भी अहमियत के साथ विचार करती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यदि हम पिछले आंकड़े देखें तो यह बात सिद्ध होती है कि निरन्तर कीमतें बढ़ती चली जाती हैं और पिछले ५ साल के अन्दर कीमतों के जो सरकारी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनको देखा जाय तो सरकार इस बात को तसलीम करती है कि बड़ी तेजी के साथ कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं।

मैं थोड़े से तथ्य आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उनसे इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिल जायगा कि बढ़ती हुई कीमतों की दशा हमारे देश और प्रदेश में क्या है। १ मई, ५५ से अगस्त, ६३ तक ५३ परसेंट कीमतें बढ़ीं। आप इस बात को ध्यान में रखें कि मई, ५५ जब दूसरी पंचवर्षीय योजना मध्य काल से गुजर रही थी उस वक्त से लेकर तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्य काल तक कीमतों में ५३ परसेंट की वृद्धि असाधारण वृद्धि है। इसी प्रकार से सन् ६२ में पहली मई के अन्दर ६.७ फीसदी कीमत बढ़ी यानी पूरे साल का आंकड़ा निकाला जाय तो १६.१ प्रतिशत की वृद्धि होती है और इसी काल में जब कीमतों में वृद्धि १६.१ फीसदी हो गयी थी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो हमारी राष्ट्रीय आय में २.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसमें क्या तारतम्य है ? इसका भार किस प्रकार आज गरीब जनता उठा रही है ?

कानपुर हमारे प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। आप देखें कि कानपुर के वर्किंग क्लास "श्रम जीवी वर्ग" की क्या दशा है ? अगर ३९ को बेस ईयर मानें तो मैं देखकर हैरत में रह गया कि फी कस कास्ट आफ लिविंग वर्किंग क्लास की साढ़े ५ गुना ज्यादा है। कास्ट आफ लिविंग आज साढ़े ५ गुना ज्यादा है। इस साल का बजट पेश करते समय कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स ४९८ रुपये था, लेकिन सितम्बर के पहले १५वें दिन में बढ़कर वह ५४० रुपये हो गया यानी पिछले ५ महीने में ४२ रुपये कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स बढ़ गया। यह बड़ी चिन्ता-जनक बात है जिसकी गभीरता को सरकार को इंकार नहीं करना चाहिये। आज बढ़ती हुई कीमतों का असर सारे प्रदेश पर है। भयंकर असंतोष जनता में व्याप्त है। मुसीबत में हमारी

जनता फंसी हुई है। एक तरफ तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को उनकी पैदा की हुई चीज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है उसका उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश का गन्ना किसान आज आन्दोलित हो रहा है। इस प्रदेश के अन्दर उसकी साधारण मांग यह है कि २ रुपये प्रति मन के हिसाब से उसे गन्ने की कीमत दी जाय, लेकिन सरकार उसे मानने से इन्कार कर रही है। दूसरी तरफ चीनी की कीमत को आप देखें, वह निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। हमारे किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिला, लेकिन चीनी मिल मालिक खुली लूट इस प्रदेश में करें वह इस बात का सबूत है कि आज सरकार पूंजीपरस्त नीतियों के अन्दर भयंकर रूप से फंसी हुई है।

मैं थोड़ा सा प्राइस इन्डेक्स जो हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं उनका देना चाहता हूं। जनवरी, १९६३ में सीरियल्स का इन्डेक्स ७२ था जो आज ८६.७ है। इसी तरह फूड का जनवरी में १२४ था और आज १३९.३ है। शुगर का जनवरी में १०७ था और आज ११४.७ है। गुड़ का जनवरी में १२२.५ था और आज २०४.७ है। यह हालत है आज बढ़ती हुई कीमतों की। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। आज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से चीनी का दाम १.१७ रुपया किलो है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? माननीय खाद्य मंत्री इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि हमारे प्रदेश की इस राजधानी में खुले आम दो रुपये सेर चीनी बिक रही है ब्लैक मार्केट में। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि सरकारी आंकड़े कितनी सच्चाई प्रतिबिम्बित करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह केन्द्रीय सरकार ने जो तृदलीय सम्मेलन बुलाया था माननीय नन्दाजी की अध्यक्षता में तो उन्होंने स्वीकार किया था कि यह प्राइस इन्डेक्स सही नहीं है। इसलिये एक समिति बनायी गयी जिसके सुपुर्द यह काम किया गया कि वह सही प्राइस इन्डेक्स निकालें।

आज जो स्थिति हमारे पूरे प्रदेश में है उसका हमारा मजदूर वर्ग सबसे बड़ा शिकार हो रहा है। सन् ४७ में जब हमारे प्रदेश में कानपुर में मजदूरों को निम्बकर कमेटी के निर्माण के पहले जो मंहगाई भत्ता मिलता था वह बम्बई और अहमदाबाद के मजदूरों से ज्यादा मिलता था, लेकिन आज बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता के मजदूर के वेतन में ९० फीसदी कास्ट आफ लिविंग का जोड़ दिया गया है लेकिन कानपुर में यह केवल ५४ फी सदी के ऊपर जोड़ा गया है। यही वजह है कि कानपुर के मजदूर को ३२ से ४० रुपये तक महीने में कम मिलते हैं।

जब कीमतें इतनी तेजी के साथ बढ़ रही हों और हमारे प्रदेश में खासतौर से पिछले १२ साल के अन्दर हमारी नेशनल राष्ट्रीय और पर कैपिटा इन्कम फी कश आमदनी स्टैगनैन्ट स्थिर रही हो ऐसी हालत में हमारे प्रदेश की जनता विशेष रूप से इन बढ़ती हुई कीमतों का शिकार हो रही है। पिछले दिनों में जो नान-आफिशल सोर्सेज से आंकड़े निकाले गये हैं उनसे यह बात स्पष्ट है कि एक वर्ष के अन्दर १५ से लेकर ४० फी सदी तक, यानी औसतन २५ फी सदी कीमतें बढ़ी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने गुड़ का उदाहरण दिया, उनमें तो २५ फी सदी की वृद्धि पिछले तीन महीनों में हुई है। लेकिन गुड़ पैदा करने वाले किसान को इससे लाभ नहीं होता। लाभ उठाता है व्यापारी। इस साल जब किसान ने गुड़ तैयार किया तो उसने २० रुपये मन गुड़ बेचा, लेकिन महीने डेढ़ महीने बाद उसका दाम ४२ और ४३ रुपये मन हो गया। क्या यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि सरकार इस संबंध में कोई निश्चित पालिसी नहीं बना सकी है और इसका लाभ जो हमारे प्रदेश के मुनाफाखोर हैं, ब्लैकमार्केटियर्स हैं, जो सरकार के प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं वे उठा रहे हैं और गरीब जनता इस बढ़ती हुई कीमतों की चक्की में पिसती रहती है? इसकी मुख्य रूप से सरकार और सरकार की नीति जिम्मेदार है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने चीजों के मूल्य क्यों नहीं निर्धारित किये? क्यों नहीं सरकार ने इसके लिये एक कमेटी बनाई जो यह देखती कितने प्राफिट के मार्जिन के ऊपर किसान पैदा करता है और फिर किस मार्जिन पर व्यापारी उसको बेचता है

[श्री चन्द्रजीत यादव]

और उसका मार्जिन आफ प्राफिट क्या होनी चाहिये ? आज तक सरकार इस काम को करने में असफल रही है ।

दूसरी बात यह है कि जो सरकार की फूड ऐन्ड सिविल सप्लाइज की मशीनरी है जिससे सरकार नियंत्रण कराती है वह मोस्ट इंकम्पीटेंट है । १२ साल के बाद भी सरकार इसको सही नहीं कर पाई । आज भी सप्लाई के आफिसेज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं । लोगों का शर्म के मारे सिर झुक जाता है । क्या यह बात सही नहीं है कि सरकारी गोदामों से गल्ला निकलता है, चीनी निकलती है और चावल निकलता है और सरकार का इंस्पेक्टर एक रुपया प्रति बोरी लेकर बाजार में व्यापारियों को बेंच देता है और फिर वे चोर बाजार में उसको बेंचते हैं मनमाने दाम पर ? सरकार आज तक इस विभाग को क्यों नहीं ठीक बना सकी जिससे इस काम पर ठीक ढंग से नियंत्रण हो सकता ?

तीसरी बात यह है कि चीजों की कीमतों के बढ़ने का एक मुख्य कारण यह है कि सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के सामने झुकती चली जा रही है । चीनी का सवाल लेकर अगर मिल मालिक प्रदेश की सरकार के पास धरना देते हैं, केंद्रीय सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उसकी कीमत बढ़ा देती है । उनकी एक्साइज डयूटी माफ की जाती है, लेकिन खंडसारी बनाने वाले गरीब किसानों को परेशानी होती है और सरकार उनके लिये कुछ नहीं करती है ।

श्रीमन्, चौथी बात यह है कि यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है तो इसको अपनी नीतियों में आमूल परिवर्तन करना होगा । इसको स्टेट सेक्टर को बढ़ाना होगा और कंज्यूमर्स गुड्स को ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि आज मांग और सप्लाई में कुछ संबंध नहीं रह गया है । आज जिस चीज की डिमांड होती है उसको मिल मालिक पैदा नहीं करता है, बल्कि उस चीज को पैदा करता है जिसमें उसे अधिक मुनाफा मिलता है । अगर डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं रहेगा तो चीजों की कीमतें बराबर बढ़ती चली जायंगी । मैं जानना चाहता हूं कि गल्ले की कीमत क्यों बढ़ रही है ? एक साल के अन्दर ७.४ प्रतिशत की वृद्धि सरकारी आंकड़ों के अनुसार हुई है जबकि असल में वृद्धि १४ प्रतिशत है ।

श्रीमन्, स्टेट ट्रेडिंग के लिये बड़े-बड़े लेक्चर दिये गये और बड़ी योजनायें बनाई गईं । लेकिन जब समस्या का हल हो गया तो फिर क्यों सरकार ने इस कारोबार को बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया ? इसके अलावा सरकार ने कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये स्टेट सेक्टर को एक्सटेंड किया । कंज्यूमर्स सोसाइटियों को बढ़ाने के लिये क्यों नहीं प्रयास किया गया ताकि नियंत्रित रूप से चीजों का वितरण हो सकता । जब तक यह स्थिति रहेगी, बड़े-बड़े मिल मालिकों के हाथ में, जखीरेबाजों के हाथ में और पूंजीपतियों के हाथ में यह सरकार खेलेगी तब तक चीजों पर नियंत्रण नहीं हो सकता है । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आज जो स्थिति पैदा हो गई है उसके लिये सरकार को प्रभावकारी कदम उठाने चाहिये । जब तक कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है । मेरा पहला सुझाव है कि प्रदेश में एक प्राइसेज स्टैबलाइजेशन बोर्ड का निर्माण होना चाहिये । जो चीजों के मूल्य के सवाल को सांगोपांग निरीक्षण करके एक भाव निर्धारित करे ताकि इन बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सके । सरकार को चाहिये कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा स्टेट सेक्टर के जरिये कराये ताकि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस ठीक रहे और कीमतों पर नियंत्रण पाया जा सके ।

पांचवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सामान प्राइवेट सेक्टर में बनता है, सरकार को आदेश देना चाहिये उसमें एसेंशियल कंज्यूमर्स गुड्स को प्राथमिकता मिलनी चाहिये ताकि साधारण जनता को उसकी रोज की जरूरत का सामान मिल सके । कंज्यूमर्स गुड्स के दायरे को सरकार को और बढ़ाना चाहिये । गल्ला और कपड़ों के अलावा पढ़ाई-लिखाई का सामान, दवाई

का सामान, मकानात के सामान को भी कंज्यूमर्स गुड्स के दायरे में ले आना चाहिये और उनके निर्माण में प्रायरिटी देनी चाहिये। इसके अलावा जो प्राफिटियर्स और जखीरेबाज हैं उन पर नियंत्रण करने के लिये मुस्तैदी से कदम उठाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि जब सुरक्षा कोष के अन्दर मजदूर ने अपना पेट काट कर पैसा दिया, उत्पादन को बढ़ाया, इतवार को काम किया, १२, १२ घंटे कारखाने चले, जब कि डी० आई० आर के अन्दर इन मजदूरों और किसानों के नेता बन्द किये गये, तो क्या खाद्य मंत्री कह सकते हैं कि उन्होंने कानपुर के कितने कैपटिलिस्टों को जखीराबाजों और मुनाफाखोरों को चोर बाजारी करने वालों को डी०आई० आर० में डिटेन किया ? आज सरकार को मुस्तैदी से इसके लिये कदम उठाने चाहिये। माननीय गुलजारीलाल नन्दा ने इस बात का आश्वासन दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ डी०आई० आर० का इस्तेमाल किया जायगा जो समाज के अन्दर लूट मचा रहे हैं। सरकार उस बात को अमल में लाये।

इस प्रदेश की साढ़े तीन करोड़ जनता की आमदनी दो आने तीन आने रोज है। तो इस प्रदेश की जनता बढ़ी हुई कीमतों का बोझ कैसे बरदाश्त कर सकती है ? अगर कीमतों का बढ़ना रोका नहीं गया तो मैं आप को चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी पंचवर्षीय योजनाओं में निराशा की भावना पैदा हो रही है, उसका कारण यह है कि टैक्सेशन का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इनडाइरेक्ट टैक्सेशन सीमा को पार कर चुका है, लेकिन कीमतें महाअसुर की तरह मुंह बढ़ाये चली जा रही हैं। सरकार को इसके लिये सख्त कदम उठाना चाहिये।

जब तक सरकार इन नीतियों पर काम नहीं करती तब तक अन्तरिम रूप से उसको कदम उठाने चाहिये। पहली बात यह कि इस प्रदेश में जो मजदूर कारखानों में काम कर रहे हैं उनके वेतन और मंहगाई के भत्ते में २५ फीसदी वृद्धि कर देनी चाहिये। सरकार को वेज बोर्ड की स्थापना करना चाहिये। निम्बकर कमेटी की सिफारिशों का इस प्रदेश पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। जब बम्बई और अहमदाबाद में वेज बोर्ड बना है तो हमारे प्रदेश में वेज बोर्ड की स्थापना क्यों नहीं होती जो मजदूरों के वेतन और मंहगाई भत्ते को प्राइस इंडेक्स से लिंक करें ? दूसरे, सरकार इनडाइरेक्ट टैक्सेशन की पालिसी को छोड़े और यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का कीमतों के बढ़ाने में अहम रोल है। इसमें जनता पिसती है। गरीब जनता के ऊपर बोझ बढ़ता है, जो बड़े-बड़े सरमायेदार हैं, पूंजीपति हैं उनको मुक्ति हासिल होती है। इसलिये सरकार को अपनी टैक्स की नीति के अन्दर परिवर्तन करना चाहिये। मेरी यह आखिरी मांग है। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन्, इस बात की आशा करता हूं कि सरकार इस बात की गम्भीरता को महसूस करेगी कि आज हमारे प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता चाहे वह किसी भी वर्ग की हो, इसका शिकार हो रही है और इससे लाभ उठाया है चन्द लोगों ने जो खुले आम लूट करते हैं। सरकार इन सुझावों पर फौरी कदम उठाये और अगर नहीं उठाती है तो हमारे प्रदेश का मजदूर और हमारे प्रदेश का किसान अपने गन्ने के सवाल को लेकर लड़ेगा, अपने कास्ट आफ लिविंग और प्राइस इन्डेक्स को जोड़ने के लिये लड़ेगा और दिसम्बर तक अगर यह सरकार अपनी नीतियों को ठीक नहीं करती है तो उसे एक मजबूत जन आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा।

*श्री गोबिन्दसहाय (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, चीजों के दाम बढ़ने का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, उसका सोसाइटी के विभिन्न तबकों पर विभिन्न असर पड़ता है। बहुत से एकोनामिस्ट्स का कहना है कि सोसाइटी में मालदारी आती है जबकि चीजों के दाम बढ़ते हैं। इसके खिलाफ दूसरा भी नजरिया है कि चीजों के दाम अगर तेजी से बढ़ते हैं तो उससे यह पता जरूर चलता है कि हमारी सोसाइटी की तरक्की एक नियोजित ढंग से नहीं हो रही है। इसलिये मैं ऐसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोबिन्दसहाय]

नहीं मानता कि चीजों के दाम का ताल्लुक सिर्फ सरकार से है। सरकार से कहीं ज्यादा बड़ी ताकतें इसमें बड़ा हाथ रखती हैं और इसलिये जब हम इस सवाल पर गौर करें तो तीन-चार बातें हमारे सामने आना ही चाहिये। चीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है एक तरफ करेंसी का यानी रुपये की कितनी खपत है, रुपया कितना बाजार में ढकेला जा रहा है, और दूसरा असर पड़ता है सोसाइटी के ढांचे का कि सोसाइटी के ढांचे की बुनियाद क्या है और वह सोसाइटी का ढांचा किस तरफ को एकोनामी को मोड़ता है। तीसरा असर पड़ता है इस बात का कि सरकार का उत्पादन और वितरण पर कब्जा है या नहीं, बाजार पर कब्जा है या नहीं। इसलिये चन्द्रजीत यादव साहब ने बहुत-सी बातें जो उठायीं उनमें से बहुत सी अपनी जगह सही भी हो सकती हैं लेकिन देखना यह है कि कितनी बातों का इस सरकार से, प्रांविंशियल सरकार से ताल्लुक है? सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रांविंशियल सरकार को कोई बहुत ज्यादा घसीटने से यह प्राब्लम इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है हालांकि मैं इससे इत्तफाक करता हूं और मैं इस बारे में अपने कांग्रेस पार्टी के दोस्तों से कह सकता हूं कि अगर हमें, प्राइसेज को वाकई एक लेवेल पर रखना है तो पार्टी को मजबूती के साथ उस सोशलिस्ट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देना पड़ेगा।

मैं नहीं मानता कि आज हमारे देश में सोशलिज्म लागू है। सोशलिज्म मंजूर किया है। लेकिन सोशलिज्म को लाने के लिये जो संकल्प चाहिये, जो सोसाइटी का ढांचा चाहिये, जिस किस्म का आर्थिक आन्दोलन चाहिये, जिस किस्म की प्लानिंग चाहिये वह रूह अभी हम उसमें नहीं डाल पाये हैं और उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पोलिटिकल स्ट्रक्चर की भी है। हमारा पोलिटिकल स्ट्रक्चर जैसा है, जिस ढंग से हम सरकारें बनाते हैं और जिस ढंग से हम सरकार पर नियंत्रण करते हैं उससे बहुत से उलझाव पैदा होते हैं। इसलिये यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर मेरे खयाल से यह एक अच्छा अवसर है, इस सदन में एक मौका हमको मिला अपने विचारों को उस बड़े सवाल पर जाहिर करने का। यह मेरे लिये मुमकिन नहीं है और मैं इसे सियासी ईमानदारी भी नहीं समझता हूं हालांकि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में यह होता है कि एक आदमी जब गवर्नमेंट में रहता है तो उसकी राय एक होती है और वही जब गवर्नमेंट से अलग हो जाता है तो उसकी दूसरी राय हो जाती है, लेकिन मुझमें इतना बैलेंस है कि एकदम मेरी राय इधर से उधर बदलने वाली नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जिस हद तक गवर्नमेंट जिम्मेदार हो, उस हद तक गवर्नमेंट को जिम्मेदार करना चाहिये और पार्टी के लोगों को उस पर अपना इतना प्रभाव डालना चाहिये कि जिससे वह सोशलिस्ट पालिसी लागू हो सके।

मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूं और मेरा खयाल है कि दो-तीन कदम तो जरूर उठाने ही चाहिये इस बारे में। जैसे, अगर आप प्राइसेज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्राइसेज को कंट्रोल करने का सबसे सीधा और सरल तरीका यह है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे मल्टीपरपज स्टोर्स होने चाहिये कि जहां हर सामान मिल सके। मान लीजिये जिले के अन्दर ऐसा एक बड़ा स्टोर भी है जिस पर हर चीज मिल सकती है और जो जितना चाहे उतना उसको वहां मिल सकता है और बाजार भी है तो बड़ी आसानी से मार्केटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिये जरूरत है कोआपरेटिव को भी उसमें लाने की। अगर मान लीजिए सरकारी फैक्ट्रीज सामान पैदा करें और वह कोआपरेटिव के बजाय निजी लोगों को ऐजेन्सी दे तो समझा गया कि बुनियादी तरक्की को रोकना चाहते हैं। हम न उसको रोकना चाहते हैं और न कोआपरेटिव को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे सरकार कर सकती है उधर तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जैसे मेरा खयाल है कि कोआपरेटिव सेक्टर में जितनी नींव डालनी चाहिये

थी उतनी डालने में सफल नहीं रहे हैं। मेरा खयाल है कि उनकी जिम्मेदारी भी पोलीटिकल स्ट्रक्चर पर है क्योंकि बहुत से लोगों के हाथ में लाना पड़ता है और इंस्टीट्यूशन के बजाय आदमियों को कैटर करने का रुझान ज्यादा पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर सीमेंट चुर्क में पैदा होती है तो उसका एक बोरा भी कोआपरेटिव सेक्टर के अलावा किसी दूसरे को नहीं जाना चाहिये। अगर वह किसी दूसरे को जाता है और जाकर वह एजेन्सी सिस्टम तथा तमाम और चीजों को इनकरेज करता है तो आहिस्ता-आहिस्ता बाजार की नब्ज हमारे हाथ से निकलने लगती है। मैं समझता हूं कि उससे हमारी ताकत बढ़ सकती है। हमारी पार्टी की स्ट्रेन्थ भी बढ़ सकती है, लेकिन एक उससे भी बड़ी चीज होती है इन दोनों के पीछे एक तहैये की।

मैं अपने कांग्रेस पार्टी के दोस्तों से कह सकता हूं कि एक अजीब मौके से हम लोग गुजर रहे हैं, एक खतरनाक मौके से हम लोग गुजर रहे है। मैं अपने सामने देखता हूं और मुल्क के सामने देखता हूं। खतरनाक इस माने में हैं कि जितनी भी आर्थिक मीडियाज हैं या हमारी जो आर्थिक नर्व सेंटर हैं वह सारे के सारे तुले हुए हैं हमारी नीति को विफल बनाने में और अगर मजबूती के साथ अपनी आर्थिक नीति को चालू नहीं करते हैं और बाजार का नियंत्रण और वितरण हमारे कब्जे में नहीं रहता है तो कोई दुनिया की ताकत ब्लेक मार्केटिंग को रोक नहीं सकती है। महज कानून से ब्लैक मार्केटिंग रुक नहीं सकती है। ब्लैक मार्केटग का सबंध प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट के कंट्रोल से बहुत है। मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिये शकर पैदा होती है और उसमें से २० परसेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और ८० परसेंट प्राइवेट वालों के पास है तो इससे दो बाजार हो जाते हैं और इससे ब्लैक मार्केटिंग होगा। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब दो बाजारों का होना है— एक प्राइवेट सेंडर का अपना बाजार चलाना और दूसरा सरकार का अपना बाजार चलाना। इसलिये आज नहीं तो कल, यह बिलकुल एक उसूलन बात है और कांग्रेस पार्टी की जिन्दगी और मौत इसके ऊपर है, अगर उसने प्लानिंग मंजूर की है तो उसको लागू करना पड़ेगा। प्लानिंग एक ऐसा साईन्स नहीं है कि उसकी फलां फलां बात मंजूर किये लेता हूं बल्कि प्लानिंग एक जीवन का शास्त्र है जिसके द्वारा नये समाज की रचना की जाती है। इसलिये पार्टी के जो भी लोग सोशलिज्म मेंकिंग करते हैं, मुझे कोई शिकायत स्वतंत्र पार्टी से नहीं है क्योंकि वह चाहते हैं कि प्राइस का नियंत्रण करें मगर प्रोडक्शन पर, मिलकियत पर या पैदा करने की जरायों पर नियंत्रण न करें, लेकिन फिर प्राइस की शिकायत सरकार से नहीं होनी चाहिये।

जैसा अभी कहा गया बहस के दौरान में कि फ्लड का मसला है, प्राइस का मसला है यह सब पहले अल्ला ताला करता था। सैलाब आया तो अल्ला ताला जाने, अगर प्राइस बढ़ी तो अल्ला ताला जाने लेकिन जब आप अल्ला ताला से हट कर सोसाइटी की तरफ आये हैं तो सोसाइटी के ढांचे को बदलने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसमें कोई आलोचना की बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि हमने सोशलिज्म को मंजूर किया है, लेकिन उसके पीछे जो मिली जुली संगठित पार्टी होती है उसको अभी हमने नहीं किया है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो यह प्राइस का बढ़ना, बेकारी का बढ़ना, भ्रष्टाचार का बढ़ना आदि उसका आफ सूट है। इसके पीछे तहैया भी होना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस बहस को एक बिलकुल गवर्नमेंट के खिलाफ बहस न बनाई जाय। इस बहस को एक ऊंचा स्तर देकर इन बातों की तरफ जोर लगाया जाय कि किन तरीकों से, किस किस ढंग से हम ब्लैक मार्केट को रोक सकते हैं और मार्केट पर कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा दाम बढ़ने में रुकावट कर सकते है। अगर यह तरीका बरता जाय तो हम इस मर्ज पर हावी हो सकते हैं वरना एक दूसरे पर इसको शिफ्ट करने से मसला हल नहीं होगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बाद जो दोस्त बोलेंगे वह इस नजरिये से कोई रोशनी डालें तो सरकार का भी लाभ होगा और जनता का भी लाभ होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि जिस बहस को आदरणीय चन्द्रजीत जी यादव ने आरम्भ किया है और जिसके स्तर को माननीय गोविन्द सहाय जी ने ऊंचा उठाने की बात कही है उस बहस के लिये इस आदरणीय सदन का भी यह कर्त्तव्य है कि उसको उतने ही ऊंचे रखा जाय।

श्रीमन्, मैं यह महसूस करता हूं कि मुल्क में जब कई योजनायें बनीं तो इन योजनाओं के बनने के साथ-साथ हमारे पास उत्पादन के लिये, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये क्या-क्या साधन हैं इसको देखने की जरूरत है। सही तरीके से हम को यह भी देखना पड़ेगा कि हम उन योजनाओं को किन-किन क्षेत्रों में विकसित करके अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारी दो योजनायें खत्म हो रही हैं और हम तीसरी योजना में घुस रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी योजनाओं के नियंत्रण और उनके परिणाम का प्रश्न है उससे हमको बहुत निराशा हुई है। जब निराशा हुई है तो हम यह सोचने के लिये मजबूर हो जाते हैं कि उसका स्वरूप और उसका इंस्ट्रूमेंट कुछ-कुछ घटिया जरूर है। श्रीमन्, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर इस सरकार ने योजनाओं को बनाते समय केवल ३ क्षेत्रों पर ही अपने को आधारित किया होता, प्रोडक्शन पर आधारित किया होता और प्रोडक्शन को लेते हुये खाद्यान्न को कैसे बढ़ाया जाय इसके ऊपर आधारित किया होता, कपड़ा कैसे बढ़ाया जाय, रा मैटीरियल कैसे पैदा किया जाय इसके ऊपर अपने को केन्द्रित किया होता और इसके बाद उत्पादन को किस तरह से बांटा जाय, उसको किस ढंग से गांवों में पहुंचाया जाय और किस प्रकार से बाजार के जरिये उसको गांवों में पहुंचाया जाय तो हालत दूसरी ही होती। इन तीन बातों पर इस सरकार ने, जो सोशलिस्टिक दृष्टिकोण रखने वाली अपने को कहती है, आधारित किया होता तो आज हमारा नजरिया दूसरा होता। आज मैं स्वयं इस बात को नहीं कह रहा हूं बल्कि आज इस सरकार के फिगर्स इस बात को बतलाते हैं कि आज जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, हालांकि हमारे यहां की ८० फीसदी जनता खेती पर अपना जीवन यापन करती है, उस क्षेत्र में हमको जैसी प्रगति करनी चाहिये वैसी नहीं हुई। इन दो योजनाओं के बाद भी और तीसरी योजना के पदार्पण करने पर वह प्रगति नहीं की गई।

आज हमको यू० एस० ए० से गेहूं मंगाना पड़ता है। आज हमको फिलीपाइन से गेहूं मंगाना पड़ता है, तो यही इस बात का सबूत है कि हमने सही तरीके से खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया और जब हमने ध्यान नहीं दिया है तो हमारे यहां पैदावार की कमी हुई। और हमारी पैदावार में बढ़ोत्तरी नहीं हुई तो यह साफ है कि प्राइस शूट करेगी। जब शूट करेंगी तो कमी होगी और कमी होगी तो दाम बढ़ेंगे। चीजों की जरूरत होगी तो दाम बढ़ेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि यह एक कारण है और अर्थशास्त्री कारण है कि जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है। मैं इंडियन फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, बम्बई के ४ जुलाई, १९६३ के पत्र में श्री गुलजारीलाल नन्दा ने जो अपना बयान दिया है उसकी दो-एक लाइन पढ़ देता हूं जिससे मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में हमारे खाद्यान्न में किस प्रकार कमी होती रही है और किस तरह से होल सेल प्राइस बढ़ी हैं। होल सेल प्राइस प्वाइंट ८ परसेन्ट मार्च, १९६२ व जून १९६३ के बीच बढ़ी हैं। ८.८ परसेंट मार्च, १९६२ से जून, १९६३ तक हमारी टोटल होल सेल प्राइस खाद्यान्नों की बढ़ गयीं। यह श्रीमन्, मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं उन्हीं की बात कहता हूं। उन्होंने रीजन्स दिये हैं कि आखिर यह बढ़ोत्तरी क्यों हुई है और इसके लिये उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसमें जंग लग गया है और जैसा गोविन्द-सहाय जी ने कहा ए से जेड तक वह समाजवादी दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहा है। उनका दृष्टिकोण पूंजीवादी रहा है।

दूसरी बात, हमारे यहां चावल की पोजीशन क्या है।

The wholesale index for rice was 103 in March, 1962, but it was 111.14 in March, 1963.

इस के बाद शूगर को देखिये—

For Sugar and Gur it was 121.3 in March, 1962 and it shoot up to 148.3 in March this year.

तो चीनी का यह हाल है, चावल का यह हाल है । दवाइयों में दो आने की पेंसिलिन १ रुपये और १८ आने की बिक रही है जो जिन्दगी के लिये बहुत जरूरी है। इसी लिये अशोक मेहता कमेटी बनी, उसने अपनी सिफारिशें दी और उन्होंने तीन-चार बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया । उन्होंने कहा कि परचेजिंग कमेटीज इसके लिये बनानी पड़ेंगी, प्राइस फिक्सेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा, थोक गृह-भंडार बनाने पड़ेंगे, अनाज भंडार बनाने पड़ेंगे और स्टेट ट्रेडिंग फूड ग्रेन्स में करना पड़ेगा। यह १९५७-५८ में उनके सुझाव थे । जब पार्लियामेंट में इस बात पर बहस हुई और डाक्टर लोहिया साहब ने कहा कि इस देश के मजदूर की रोजाना आमदनी साढ़े तीन आना है तो हमारे गुलजारीलाल नन्दा साहब को उनके अपने आंकड़ों के हिसाब से ही कहना पड़ा कि साढ़े तीन आना नहीं, साढ़े ७ आना उसकी आमदनी है । अगर यह भी मान लिया जाय तो यह हमारी गरीबी का, दरिद्रता का प्रमाण है और इस बात का प्रमाण है कि हमारी प्लानिंग फेल हुई है । यह योजना पूंजीपतियों पर आधारित योजना है ।

हमारे गोविन्द सहाय जी ने बतलाया कि हमारी सरकार क्यों अपने समाजवादी प्रोग्राम में फेल हुई है । कारण उन्होंने बतलाया कि सरकार की नीति यह है कि चुर्क की फैक्टरी के डीलर पोलिटिकल कंसीडरेशन पर बनाये जाते हैं । इसके लिये ब्लाक स्तर पर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी जानी चाहिये थीं ताकि सही तरीके से उसका डिस्ट्रिब्यूशन हो सकता और यही कारण है कि आज ब्लैकमार्केट होता है और वह बढ़ रहा है । जब किसी चीज का कंट्रोल होता है तो लोग समझते हैं कि अब इस कमोडिटी की प्राइसेज बढ़ेंगी । इसलिये श्रीमन्, मैं कहता हूं कि आज सरकार को इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा । अगर सही तरीके से सरकार चाहती है कि हम प्रदेश में सोशलिस्ट प्रोग्राम को कायम करें तो वह अपने औजार ठीक करे। यह फूड और ऐग्रीकल्चर का डिपार्टमेन्ट रात दिन आंकड़े लिया करता है, इससे काम नहीं चलने वाला है । मंत्री जी कहते हैं कि लाखों बोरी सीमेंट देहाती क्षेत्रों को दिया जाता है, लेकिन बाढ़ आयी , मकान गिर गये, लोगों ने सीमेंट मांगा, करकट मांगा लेकिन उनको उपलब्ध नहीं हो पाया । सारा थोक करकट और सीमेंट ब्लैक में चला गया । यह क्या है ? यह सेंट्रलाइज्ड मोनोपोली के कारण है । सरकार एक आदमी के हाथ में सब कुछ देना चाहती है, इसी से प्राइसेज राइज कर रही हैं । इसलिये जो अशोक मेहता ने कहा है उस पर जब तक कार्यान्वयन नहीं किया जायगा प्राइसेज दुरुस्त नहीं हो सकतीं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने माननीय मित्र चन्द्रजीत जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस सदन को अवसर दिया कि एक महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार कर सकें । श्रीमन्, इसमें शुबहा नहीं कि जहां तक मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न है वह जनता के जीवन से इतना संबंधित है कि उसकी अहमियत से इन्कार नहीं किया जा सकता । चन्द्रजीत जी ने जो आंकड़े दिये हैं उनको सरकार भी अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने आंकड़ा देते समय उन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर विचार करने का प्रयास नहीं किया है जिनके कारण हमारे देश और प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती चली जा रही है । यदि वे कुछ पहले के आंकड़े देखें तो उन्हें मालूम होगा कि १९५३ से नहीं बल्कि दूसरे महायुद्ध के काल में वृद्धि हो गयी थी। १९३९ को अगर फिस्कल ईयर मान लिया जाय और प्राइसेज सौ मान ली जायं तो सन् ४९ में वह ३९५ हो गयी थी । मैं ठीक उसी स्टैस्टिकल बुक से पेश कर रहा हूं जिससे यादव जी ने पेश किया । अगर उनका मुकाबला १९६३ से किया जाय तो वह ३८५ तक आ गयी है । तो द्वितीय महायुद्ध में ही वस्तुओं के मूल्य चौगुने बढ़ गये थे । उसके कुछ कारण थे । सबसे प्रमुख कारण जो हर अर्थ-शास्त्र का विद्यार्थी जानता है वह अधिक नोटों का प्रचलन था । एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दूं कि १९३९ में जो १८९ करोड़ के नोट थे वह १९४९ में १,१९० करोड़ के हो गये । इस प्रकार से युद्ध के दौरान में १,००० करोड़ के नोटों का प्रचलन हुआ । वह ऐसी इनफ्लेटरी स्थिति थी जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

मूल्यों में बड़ी वृद्धि हो गयी । विदेशों से सप्लाई का रुकना, आत्मविश्वास के खो जाने से संचय आदि की प्रवृत्ति के कारण वह वृद्धि हुई । लेकिन केवल महायुद्ध का राग अलापने से काम नहीं चलेगा । फिर प्रश्न उठता है कि आजादी मिलने के बाद वह वृद्धि का क्रम क्यों चलता रहा ?

मैं आपका ध्यान कुछ ऐतिहासिक कारणो की ओर दिलाऊंगा । आजादी मिलने के बाद एक और भी आर्थिक जगत में घटना घटी कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन, डिवेलुएशन, हुआ । अब श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी । भारतीय रुपयों के अवमूल्यन में, लेकिन उसका एक रिजल्ट यह निकला कि डालर क्षेत्र से वस्तुओं के यहां आने में कमी हो गई और उसकी वजह से यहां महंगाई बढ़ने लगी । भारतीय अर्थशास्त्रियों का मत था कि हिन्दुस्तानी रुपयों के अवमूल्यन के साथ-साथ पाकिस्तान के रुपयों का भी अवमूल्यन होगा और हिन्दुस्तान में इतना उत्पादन बढ़ेगा, इतना निर्यात बढ़ेगा कि इससे हमको फारेन करेन्सी के द्वारा और भी रुपया प्राप्त होगा लेकिन न तो निर्यात बढ़ा, न उत्पादन बढ़ा और न पाकिस्तान के रुपयों के मूल्य का अवमूल्यन ही हुआ और जो भारतीय अर्थशास्त्रियों का एवजम्पशन था वह समाप्त हो गया, उसका एक नुकसान हमें उठाना पड़ा कि मूल्यों में वृद्धि हुई। भारतीय रुपयों का अवमूल्यन तो नहीं हुआ लेकिन आजादी मिलने के समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ और यह फैक्ट सबको मालूम है कि पाकिस्तान के क्रियेशन के बाद हिन्दुस्तान में गेहूं, चावल और कपास के मूल्यों में तिगुनी वृद्धि हुई ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

आपकी सरकार ने क्या किया ? उस कहानी को आप क्यों नहीं कहते ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यही तो मैं कह रहा हूं कि मूल्यों के प्रश्न पर आप प्रदेशीय सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, अगर आपको ऐतिहासिक परिस्थितियों की जानकारी हो, क्योंकि भारतीय अर्थ व्यवस्था से उसका सम्बन्ध है । मुझे दुख है कि माननीय रामायण राय जी ऐसे व्यक्ति भी मेरी बात समझने का प्रयत्न नहीं करते ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे की वजह से हिन्दुस्तान में गेहूं, कपास, चावल और जूट के मूल्यों में तिगुनी वृद्धि हुई और आजादी के बाद जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी और जिस अनुपात में जीवन स्तर, औद्योगीकरण की वजह से उठा । शहरों में प्लानिंग की वजह से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला, पैसे की उनको प्राप्ति हुई। इस वजह से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की संख्या में वृद्धि हुई । इसी वजह से जब कभी भी सप्लाई की मांग ज्यादा होती है और डिमान्ड पूरी नहीं होती है तो मूल्यों में वृद्धि होती है । यहां की प्राइसेज पर भी उसका असर पड़ा ।

श्री रामायण राय—

कुछ माननीय सदस्यों को नींद आ रही है जरा उनको जगवा दें। मालूम होता है वे विचार मग्न हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह ध्यानावस्थित हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे देश और प्रदेश में मूल्यों में वृद्धि हो रही है । वह द्वितीय महायुद्ध काल में आरम्भ हुई और आजादी के बाद भी कुछ ऐसी घटनायें घटीं जिसके कारण वह ऐसी चल रही हैं । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था

क्योंकि यह भारतीय अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है । लेकिन जब मैं यह निवेदन कर रहा हूं तो मैं यह भी कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी यह स्टेटिस्टिक एविजसटेन्स की पालिसी नहीं मेन्टेन करनी चाहिये । मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की पुस्तक पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी निराशा हुई कि इस पुस्तिका में एक भी पैराग्राफ नहीं है जिसमें मूल्यों की नीति का जिक्र हो । ऐसा एक वाक्य श्रीमन्, मुझे मिला जिसमें यह लिखा है "It is assumed that the prices will remain stable" । सारी पुस्तक भर में केवल यह वाक्य है । हमारी समझ में नहीं आया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे यह एशजम्पशन कर लिया और समस्त योजना लाखों, करोड़ों रुपये की बनी और उस पर काम हो रहा है फिर भी यह कैसे समझ लिया गया कि प्राइसेज स्टेबिल ही रहेंगी। इतनी बड़ी सरकार जो कि ७ १/२ करोड़ की अर्थ व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण रखती है अपनी पंचवर्षीय योजना की पुस्तक में मूल्य की नीति के बारे में कुछ भी न कहे, श्रीमन्, यह खेदजनक अवश्य है ।

कुछ सुझाव यहां पर दिये गये हैं, वे पर्याप्त रूप से रचनात्मक हैं, लेकिन १, २ सुझाव मैं भी देना चहता हूं । जो हमारे देश की इनफ्लेटरी टेन्डेन्सी है उसके लिये आवश्यक है कि नोट जो मारकेट में फैल गये हैं उसका अधिक से अधिक भाग सरकार की ट्रेजरी और बैन्क्स में आवे और देश की जनता की जो भी आय है जब तक उसमें बचत की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं की जायेगी तब तक मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी ।

मैं इस मांग का समर्थक हूं कि जहां तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सम्बन्ध है वह अधिक से अधिक कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से होना चाहिये लेकिन माननीय गोविन्द सहाय जी की इस थ्योरी से मैं प्रभावित नहीं हुआ जब उन्होंने यह कहा कि सीमेन्ट चूंकि प्राइवेट आदमियों के द्वारा वितरित की जाती है इसलिये वह महंगी है। क्योंकि चुर्क फैक्ट्री से जो सीमेन्ट निकलता है उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस ६ रु० १४ आने है और वितरण ७ रु० कुछ आने पर होता है ऐसी स्थिति में जब कि उत्पादन के बेस पर ही उतनी अधिक प्राइस है तो केवल कोआपरेटिव संस्थाओं के वितरण से ही इसके प्राइस में कोई कमी आ जायेगी, इसकी कोई संभावना नहीं है ।

एक चीज मैं और निवेदन करूंगा कि हमें अपने देश और प्रदेश के एकनामिक स्ट्रक्चर में आमूल परिवर्तन करना चाहिये । उससे जिनके पास कुछ रुपया इकट्ठा हो चुका है उनसे वह पूंजी खींची जा सके और वह मारकेट पर अधिक कन्ट्रोल न कर सकें । इसके पश्चात् मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि इस सरकार पर दोष इस प्राइसेज के नियंत्रण के सम्बन्ध में नहीं हो सकता है ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने महंगाई के कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, मुझे उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से भी उनको स्वीकार किये जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । परन्तु जो हमारे सामने महंगाई की कठिनाई है उसको दूर करने के लिये जो रास्ता, माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने या माननीय गोविन्द सहाय जी ने बतलाया उसको सुनकर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई है जो मैं आपकी अनुमति से इस सदन को सुना देना चाहता हूं । एक बूढ़े बैद्यजी थे । उनके पास एक ही दवा थी जिसको वह "रामबाण" कहा करते थे और किसी को कोई भी बीमारी होती तो वह उसे रामबाण की ही पुड़िया दिया करते थे । एक बार एक लड़का उनके पास गया । उसने कहा मेरी मां बीमार है । वैद्य जी ने उसको एक पुड़िया दे दी और कहा कि ले जाकर इसे पिला दो, तुम्हारी मां ठीक हो जायेगी । वह लड़का लौटकर फिर आया और कहने लगा कि मेरी मां का बुखार तेज हो गया है, इस पर वैद्य जी ने उसे दो पुड़िया दे दी और कहा कि जाओ अब अच्छी हो जायेंगी । थोड़ी देर बाद वह लड़का फिर आया और कहने लगा कि मेरी मां को बेहोशी आ गई है तो वैद्य जी उसको तीन पुड़िया दे दी और कहा जाकर पिला दो इस बार अवश्य अच्छी हो जायेंगी । थोड़ी देर में वह लड़का रोता हुआ आया और कहने लगा कि मेरी मां तो मर गयी है । वैद्य जी ने

[श्री भानुप्रतापसिंह]

कहा "धत्तेरी की, जिस किसी को मैंने यह दवा दी उसी का यही नतीजा निकला है ।" श्रीमन्, रामबाण पुड़िया की ही तरह समाजवाद को भी बना लिया गया है और हर बीमारी की दवा समाजवाद बतलाई जाती है । अन्न नहीं पैदा होता, तो कहा जाता है समाजवाद कृषि के क्षेत्र में लगा दिया जाये तो अन्न पैदा होने लगेगा । महंगाई पैदा हो गई है तो उसको भी दूर करने के लिये कहा जाता है समाजवाद लगा दिया जाय तो महंगाई दूर हो जायेगी ।

श्रीमन्, समाजवाद का क्या नतीजा होता है उसके भी कुछ आंकड़े मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितनी कुल पूंजी लगी, उसका ४६ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में लगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५४ प्रतिशत पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र पर लगी और तृतीय पंच वर्षीय योजना में ६१ प्रतिशत लगने वाली है । श्रीमन्, माननीय चन्द्रजीत यादव जिस व्यवस्था का स्वप्न देख रहे हैं, जिससे उनका दावा है कि इस देश की सारी समस्यायें हल हो जायेंगी उससे वास्तव में हमको नुकसान पहुंच रहा है । सार्वजनिक क्षेत्र पर व्यय ४६ प्रतिशत, फिर ५४ प्रतिशत और अब ६१ प्रतिशत पर पहुंच गया है । यानी समाजवादी स्वर्ग के हम नजदीक पहुंच रहे हैं । परन्तु इससे महंगाई घटी नहीं बल्कि बढ़ रही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जिनको आंकड़ों का ध्यान होगा, उन्हें याद होगा, महंगाई में गिरावट आई थी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महंगाई बढ़ी और तृतीय योजना में और तेजी से बढ़ रही है । यदि समाजवाद का रामबाण और प्रयोग में लाया गया तो इस देश और राष्ट्र का भी वही हाल होगा जो उस बुढ़िया का हुआ था ।

श्रीमन्, कृषि के क्षेत्र में समाजवाद के प्रयोग का क्या असर होता है वह भी मैं आपको बतला दूं । सोवियट रूस में ४६ वर्षों से समाजवादी ढंग से खेती करने की कोशिश की जा रही है । परन्तु क्या परिणाम निकला है ? अभी कुछ दिन पूर्व अखबारों में छपा था कि रूस जैसे बड़े देश को, जो विज्ञान में सबसे बढ़ा-चढ़ा है, जो अन्य प्रकार की बातों में भी आगे है, गेहूं के मामले में, अपना पेट भरने के लिये, आस्ट्रेलिया, कैनाडा, अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों के सामने, जिनको वह अपना दुश्मन समझता था, हाथ पसारना पड़ा । तो जो रामबाण ४६ वर्षों तक सोवियत रूस में सफल नहीं हो सका, वह हमारे यहां कैसे सफल हो सकता है ? आप पूछेंगे, महंगाई की दवा क्या है ? मैं यह बतलाना चाहता हूं कि महंगाई एक लक्षण है, बीमारी नहीं है । असली बीमारी यह है कि हमने जो अपनी पंचवर्षीय योजनायें बनायीं उसमें गलत प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं । हमने अपनी सीमित पूंजी को बड़े-बड़े उद्योगों में लगाने का निश्चय किया है, कृषि तथा उपभोक्ता उद्योगों पर बहुत कम पूंजी लगायी जा रही है । उसी का फल है कि कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन गिरा है और उत्पादन में कमी होने के कारण चीजों के भाव बढ़े हैं । जितना हम बड़े बड़े उद्योगों पर खर्च कर रहे हैं, उतना हम कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करने के लिये तैयार नहीं हैं । जब तक हम इस प्रकार की अपनी नीति को नहीं बदलेंगे, तब तक सर्वसाधारण के उपयोग में आने वाली चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और यह महंगाई भी बढ़ती जायेगी । यह सरकार क्या, ऐसी अनेक सरकारें आयें, महंगाई की समस्या बिना उत्पादन बढ़े हल नहीं हो सकती । इस बात के आंकड़े हैं कि महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही है । हम उसको रोक नहीं पाये हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर हमारे सीमित साधनों का दुरुपयोग हो रहा है । कृषि उत्पादन में जो सुधार होना चाहिये वह पूंजी की कमी के कारण रुका पड़ा है ।

श्रीमन्, माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो महंगाई का चित्र उपस्थित किया, वह एक तरफा है । उसका जो दूसरा पहलू है, वह मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं । इस महंगाई के कारण शहरों में मजदूरों को जो कठिनाइयां हुई हैं, उससे ज्यादा कठिनाई किसानों को आज हैं । जो मूल्यों के सूचनांक है उनके आधार पर मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । १९५२-५३ में यदि मूल्य हम १०० मान लें तो कपड़े का मूल्य १९६२-६३ में १३१ हो गया, धातु की वस्तुओं का मूल्य १६१ हो गया, और चीनी का मूल्य १३६ हो गया । लेकिन जब हम किसानों की उपज

की ओर ध्यान देते हैं तो देखते हैं १९५२-५३ में अनाज के भाव जो १०० थे वे बढ़ कर १०३ हो गये, दालों का भाव ९९ ही रह गया और गन्ने का भाव १०२ हो गया । यानी जो चीजें कृषक पैदा करता है उनके भाव सन् ५२ की तुलना में लगभग ज्यों के त्यों हैं, जब कि उन चीजों के भाव जिन्हें किसानों को खरीदना पड़ता है ३१ से ६१ फीसदी तक बढ़ गये हैं । इसी का कुप्रभाव किसानों पर पड़ा है और उनकी दशा गिरी है ।

(इस समय ५ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, मैं स्वयं एक किसान हूं । आज से ५-६ वर्ष पूर्व गुड़ बनाने के लिये मुझे एक कड़ाह खरीदना था । उसकी कीमत ६० रुपये थी । उस समय धान का मूल्य १५ रुपये मन था और ४ मन धान बेच कर मैंने एक कड़ाह खरीदा था । आज उस कड़ाह की कीमत ९५ रुपये है और धान १० रुपये मन बिक रहा है । यानी एक कड़ाह खरीदने के लिये अब मुझे साढ़े नौ मन धान बेचना होगा । इस स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं । यदि वह चाहती है कि किसानों की दशा में सुधार हो, तो उसे इस स्थिति को बदलना पड़ेगा । परन्तु यदि समाजवादी उपाय से खेती की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की गई, तो उसका वही नतीजा होगा, जो रूस और चीन में हुआ है ।

श्रीमन्, एक बात की मुझे खुशी है कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि समाजवादी कार्यक्रम को अपनाने पर ए से जेड तक उसके सारे प्रोग्राम को अपनाना जरूरी हो जाता है । हमारे बहुत से भाई इस भ्रम में हैं कि हम मिक्स्ड इकानामी से काम चला लेंगे । उस भ्रम को उन्होंने दूर किया है और मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । समाजवाद के रास्ते पर चलने पर सिवाय इसके कि हम भी चीन और रूस के समान निरंकुश राज्य की स्थापना करें और कोई नतीजा नहीं होने वाला है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े गौर से सदस्यों के भाषण सुने । कीमतों के प्रश्न पर दुनिया के इतिहास को जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने चांगकाईशेक को हुकूमत से लापता होते हुये देखा है, उनको मालूम होगा कि बाजार भाव वह काम करता है जो २० साल का बंबार्डमेंट जापान ने चीन का किया और वह चीन को खत्म नहीं कर पाया । जब चीन में चीजों के दाम बढ़ गये तो चांगकाईशेक को चीन की भूमि से सदा के लिये विदा होना पड़ा । मैं बड़े अदब के साथ माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि हम लोगों को यहां बैठकर गम्भीरता से मसलों पर विचार करना चाहिये । अगर हम अपने देश की ठीक से व्यवस्था न कर पाये, और हमारे रहते हुये मुल्क तबाही की ओर जाय, हमारे रहते हुये मुल्क बरबाद हो, लानत है हमारी जिन्दगी पर । कीमतों का प्रश्न बहुत ही जटिल और गम्भीर है । इसे अर्थ नीति के पंडित और विद्वान ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं । फूल्स शाइन ह्वेयर एंजिल्स फीयर टु ट्रेड (Fools shine where Angles fear to tread) । जहां फरिश्ते जाने में डर खाते हैं वहां बेवकूफ निर्भय हो कर चलता है । मैं भी अर्थ का विद्यार्थी रहा हूं । हमने यूनिवर्सिटी में बैठकर पत्थर नहीं तोड़े, हमने संसार के अर्थशास्त्रों को पढ़ा है और देखा है कि किसी सरकार का आर्थिक ढांचा उस मुल्क को किस तरह से पनपाता है, उसके लिये कैसे समृद्धि को पैदा करता है और उसका सही बटवारा मुल्क के नागरिकों में करता है । मिक्स्ड इकानामी को हमारे देश वासियों ने एक्सेप्ट किया है, चूंकि हमारे मुल्क में बड़ी-बड़ी आर्थिक कमजोरियां हैं । हमारे पास रुपये पैसे और मशीनों की बहुत कमी है । इसलिये जिन लोगों के पास धन-दौलत है वे कल-कारखाने बड़ी तेजी से लगाकर मुल्क में समृद्धि पैदा करने में सफल हो सकेंगे । ऐसा हमारे पंडित नेहरू का विश्वास है ।

हमारे मुल्क में तीन सैक्टर काम करते हैं -प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर । हमारे मुल्क का उत्पादन इन तीनो सैक्टरों में हुआ करता है । यह ठीक है कि हमने

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

तय किया है कि हम कोआपरेटिव सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ावेंगे लेकिन प्रैक्टिस में तो जो हमने देखा तो मालूम होता है कि कोआपरेटिव का बाप ही नहीं है, यह लावारिश है। हमारी सरकार को चाहिये था कि बड़े जोर से और बड़ी हमदर्दी के साथ कोआपरेटिव सैक्टर को बढ़ा कर ऊंचा पहुंचाती। ओपेन मार्केट में कम्पीटीशन करने के लिये प्राइवेट सैक्टर बड़ी-बड़ी पूंजी लगाता है और सरकार से भी रुपया कर्ज ले कर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करता है।

हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा कि बोस्टन में और उसके पास लाखों करोड़ों टन गेहूं को समुद्र में डुबा दिया गया। कैपिटलिस्ट के पास जब सरप्लस हो जाता है तो अपने गोडाउन में रखता है और स्केयरसिटी पैदा करता है ताकि उसके प्रोडक्शन के ऊंचे दाम बाजार में मिलें। मैं किसी डिपार्टमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करता लेकिन आंखों देखी बात है कि देहरादून में ९ वैगन चीनी के करीब ६ महीने पहले गये थे और डी० एस० ओ० साहब से हमें मालूम हुआ कि आठ वैगन प्राइवेट डीलर्स को दिये गये और केवल १ वैगन कोआपरेटिव को भिखमंगा समझ कर दिया। उसने कहा कि सरकार के कुछ ऐसे पुराने कानून हैं जिन्हें अगर बरदास्त किया जाय तो मुल्क का नुकसान होता है। लेकिन उसकी पाबंदी स्वतंत्र भारत में की जाती है। मैं कहता हूं कि लानत है उस पर जो उस कानून की पाबन्दी करता है, जो उसकी रैसपेक्ट करता है। क्या कारण है कि प्राइवेट डीलर चीनी अपने कब्जे में रखता है और बाजारों में चीनी के दाम बढ़ जाते हैं? हम जानवर नहीं हैं जो रस्सी डालकर हमें खींचने की बात सोचते हैं, वे मूर्ख हैं, वह वाइज नहीं है।

हम अपने देश की व्यवस्था के लिये इस सदन में आये हैं, मां-बहनों की इज्जत बेचने के लिये नहीं आये हैं। कुछ भी हो हम अपने मुल्क को जिन्दा रखने के लिये, हर कदम उठायेंगे, हर कीमत पर उसको ऊपर उठायेंगे। जो इस से इनकार करता है दुनियां के पर्दे पर उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता है।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई और मूल्यों के बारे में जो माननीय सदस्य ने इस सदन में विवाद प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अपने दल की राय प्रकट करने से पहले एक वाक्य कह देना चाहता हूं कि इस सब बीमारी की जड़ यह है कि इस सरकार के पास कोई अपनी मूल्य नीति नहीं है। माननीय बलवन्तराय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मूल्य निर्धारण करने की कोई कमेटी होनी चाहिये लेकिन सरकार ने आज तक कोई कमेटी नहीं बनायी। सोशलिस्ट पार्टी ने सरकार के समक्ष एक विकल्प रखा। हम हवा में बातें नहीं करते हैं, हमने एक दाम नीति रखी। अगर सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति को सरकार मान लेती, केन्द्र में और प्रान्त में, तो जिस दुर्गति में सरकार आज पड़ गयी है, उस दुर्गति में न पड़ती।

कब्ल इसके कि सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति मैं सदन के सामने रखूं मैं, यह बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने लोक सभा में यह कहा कि उनको यह पता नहीं है कि योजनाओं से जो आमदनी होती है वह कहां जाती है लेकिन देहाती क्षेत्र का मामूली से मामूली आदमी जब हम वहां जाते हैं तो हमसे पूछता है। मैं बताता हूं कहां जाती है। १५ अगस्त, १९४७ को बिरला परिवार की पूंजी ४०–५० करोड़ थी लेकिन आज उसकी पूंजी ३००–३५० करोड़ रुपया है। यहां योजना का सारा रुपया चला जाता है। १९४८ में भारत की राष्ट्रीय आमदनी ४८ सौ करोड़ थी जो अब बढ़ कर १३,५०० करोड़ हो गयी है। इतनी आमदनी बढ़ गयी लेकिन उससे लाभ किसने उठाया? हमारे अफसरान जो डेढ़ प्रतिशत थे वह तीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिशत हो गये और उन्होंने कलम घिस-घिस कर एक हाथ के गड्ढे को २५ गड्ढे बना दिया और नौकरी के दफ्तर में एक नौकरी को २५ नौकरी दिखा दिया और योजनाओं से कागजात को भर दिया। योजना आयोग के एक सदस्य ने बताया कि ७ प्रतिशत लोगों की आमदनी २५ रुपया माहवार है। इस प्रकार से देश के २७ करोड़ की आमदनी ३ आना है। देवरिया में जो जांच कमीशन बैठाया गया था कि वहां के लोगों की सालाना आमदनी ९८ रुपया है। तो जहां २७ करोड़ आदमियों की आमदनी ३ आना है वहां प्रधान मंत्री का कुत्ता ३ रुपया रोज खाता है और माननीय अलीजहीर साहब का कुत्ता ५ रुपया रोज खाता है। भला एक ओर ५ रुपया रोज कुत्ता खाये और दूसरी ओर देवरिया का इंसान गोबर का अन्न खाये।

माननीय गेंदासिंह जी के यहां गेंठी (एक जहर) और केकड़ा खाते हैं, कछुआ खाते और माननीय अलीजहीर का कुत्ता ५ रुपया रोज खाता है। इंसानियत है कहां आपके राज्य में कहा गया कि महंगाई के ऊपर जरा बहस हो जाय, बहस का क्या नतीजा होगा? काश, हिन्दुस्तान के लोग अगर जान जायं कि उत्तर प्रदेश की सरकार देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ तथा दूसरे पूर्वी जिलों के लोगों को गेंठी और गोबर से निकले हुये अनाज खिलाती है तो वे क्या कहेंगे।

एक बार चौधरी चरणसिंह जी ने अपने मेरठ के एक भाषण में कह दिया कि देवरिया में इतना अनाज पैदा होता है कि वहां के बैल तक अनाज खाते हैं। एक तरफ से उन्होंने उल्टी बात कह दी। वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की तरफ से ७३ देश के लोगों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें हिन्दुस्तान का नम्बर ७३वां है जहांकि लोगों को प्रति दिन १५००-१६०० कैलारीज तक फी आदमी खाना मिलता है जब कि दूसरे सभ्य देशों में ३००० कैलोरीज फी आदमी रोजाना खाना मिलता है। एक बात और है कि हमारे यहां की आमदनी फी आदमी केवल ३ आना है और स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको ६-६ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती और म्युनिसिपल बोर्ड्स के मेहतरों को एक रुपया रोज मिलता है जब कि हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री २५,००० रोज खाता है। बचपन में मैंने सुना था कि कुम्भकरण ६ महीने तक सोता था और ६० भैंसे रोज खाता था अगर ३०० रुपये में एक भैंसा को मान लिया जाय तो ३०० को ६० से गुणा कर दें और २५,००० रुपये का हिसाब लगायें तो पता नहीं हमारे प्रधान मंत्री कितने भैंसे रोज खाते हैं। इसको जनता ही अच्छी तरह से समझ सकती है। एक व्यापारी जिसकी आमदनी पहले ३० लाख रुपया की थी आज डेढ़ और दो करोड़ रुपये के बीच उसकी आमदनी हो गयी है। जब कि देवरिया जिले के किसानों तथा उनके बच्चों को खाने तक को नहीं मिलता है। पूर्वी जिलों में तो भुखमरी है लेकिन सरकार मूल्य कम करने के लिये क्या कर रही है? सरकार की कोई भी मूल्य नीति नहीं है। न तो उसने इसके लिये कोई मूल्य कमीशन बैठाया, न कोई अन्य कमेटी बैठाई।

आज टाटा, बिड़ला, सेतान, बागला, नेवटिया, मजीठिया और सिंहानिया का ही खजाना बढ़ता जा रहा है। बात यह है कि मजीठिया, सिंहानिया, बागला आदि की मदद तो सरकार करेगी ही, क्योंकि मौके पर वे सरकार के लिये अपनी थैली खोल देते हैं। जैसा कि माननीय चन्द्रजीत ने इशारा किया —आपको सार्वजनिक क्षेत्र की आमदनी को बढ़ाना होगा।

मैं अपनी पार्टी की घोषणा-पत्र से यह पढ़ देता हूं :—

(१) कारखाने में बनी किसी भी जीवनोपयोगी वस्तु का दाम लागत खर्च से डेढ़ गुने से ज्यादा न हो, सब कर, और मुनाफे इसी के अन्दर हों।

(२) किसी भी अनाज के दाम में एक फसल के दौरान एक आने सेर अथवा १६ सैकड़ा सेर से ज्यादा का उतार चढ़ाव न हो।

(३) किसान को अपनी उपज का ऐसा दाम मिले जो लागत खर्च और मामूली जीवन स्तर को पूरे किसानी और कारखानी दामों में न्याय तथा समता हो। इसके लिये आपको कपड़ा मिलों, चीनी मिलों, फौलाद मिलों और दूसरे केमिकल

[श्री उग्रसेन]

व दवायें वगैरह के कारखाने हैं उन सबका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा और बिना मुआवजे के। माननीय राजस्व मंत्री का राष्ट्रीयकरण नहीं।

जहां तक बढ़े हुये भाव की बात है, इस सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी एक दाम नीति बनायी है जिसका मुनाफा टाटा, बिड़ला को नहीं जायेगा, जो बम्बई आदि स्थानों से टेलीफोन पर बात करके सब कुछ कर लेते हैं, बल्कि इसका मुनाफा देहात में रहने वाले किसानों को मिलेगा। सोशलिस्ट पार्टी के जिस घोषणा-पत्र का मैंने ऊपर जिक्र किया है, यह तो वह दवा है जिससे पूंजीवादी निजाम ही मर जायेगा। यह तो साफ हो ही गया है कि हमारी दो योजनायें असफल हो गयीं और आपकी गलत योजना के प्रतिफल स्वरूप इस तीसरी योजना का भी यही नतीजा होने वाला है कि आगे चल कर हिन्दुस्तान में एक दिन ऐसा आर्थिक संकट आयेगा जिसे आप संभाल नहीं पायेंगे क्योंकि आपकी योजना ही खोखली बनी हुई है। डाक्टर लोहिया ने पार्लियामेंट में जो ३ आना बनाम १५ आने का सवाल उठाया था, तो इस सम्बन्ध में मुझे नीरज की एक लाइन याद आ गई कि :

"भूखी अंतड़ियों का सन्देश सुनने वालो,
भूख इंसान को गद्दार बना देती है।"

मैं आपको यह शेर सुना कर नेफा की पराजय की बात बताता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में तय होता है कि ३६ मोर्चा के बाद एक मोर्चे पर लड़ाई जीती जाती है। नेफा के सिपाही क्यों भागे, वह भूखे थे, इसलिये नहीं कि उनके पास हथियार नहीं थे। बीबी के पास कपड़े नहीं थे, बाप के पास दवाई का प्रबन्ध नहीं था, बच्चों के पास पढ़ाई के लिये पैसा नहीं था। यह परेशानी जिनके दिमाग में हो वह क्या लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि उसका राष्ट्रीयकरण किया जाय, जो पूंजी है, जमीन का बटवारा किया जाय, वर्ना जो भानुप्रताप जी ने रामबाण का नुस्खा बताया वही होगा-दिल के बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, आज मूल्योंकी वृद्धि का जो विषय सदन के सामने प्रस्तुत है मैं समझती हूं कि यह सरकार के लिये काफी महत्व की बात होनी चाहिये। विरोधी दल के भाइयों ने इस सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं वे अपनी जगह पर काफी हद तक सही हैं और सरकार के सामने जो उन्होंने एक नक्शा रखा है, मैं समझती हूं कि आगे आने वाले वर्षों के लिये यह संकेत है जिस पर आज से ही सरकार को विचार करना चाहिये और बड़ी गम्भीरता के साथ हमें उन मौलिक प्रश्नों की ओर भी देखना आवश्यक है जिनके कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मैं समझता हूं कि एक ओर तो हमने समाजवाद का नारा दिया है लेकिन समाजवाद को लाने के लिये जो आर्थिक ढांचा हमने खड़ा कर रखा है विशेष कर जब मिश्रित पूंजी को प्रणाली अपनाई है, मिक्स्ड एकानामी पर जो हम चल रहे हैं वह हमारी उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती जिनके आधार पर सरकार इस देश की मानिटरी पालिसी और जो विशेष ऐसी चीजें हैं जो कि जन जीवन से सम्बन्धित हैं उनके ऊपर विशेष कंट्रोल रख सकें। हमारे यहां खुले रूप से डिमान्ड और सप्लाई की नीति है जिस पर आज प्राइवेट सेक्टर का व्यापार चल रहा है, उसके आधार पर आज हम एक तरफ से काफी हद तक अपने को असहाय सा पाते हैं जब कि जनता की चीख-पुकार हमारे कानों में पड़ती है। आज मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही है, हम समझ नहीं पाते कि किस तरह से कहां से आरम्भ करें और यही कारण है कि पिछले १६ साल में कोई निश्चित नीति मूल्य के सम्बन्ध में स्थापित नहीं हुई। आज अनुभव बताता है कि हमारी योजनाओं का जो रूप है और उसकी जो मशीनरी है उसको भी हम इतना मजबूत नहीं कर सकते हैं, उस को चालू नहीं कर पाये हैं जिस से कि हम इन बातों पर और परिस्थितियों पर काबू पा सकें।

अभी हाल में एक योजना सरकार की ओर से उपभोक्ता भंडारों की बनी थी, उसकी पुस्तक भी मुझे पढ़ने को मिली थी उसी योजना को यदि ठीक से कार्यान्वित किया जाता

तो हम बड़े-बड़े शहरों में चीजों के मूल्यों को २५–३० प्रतिशत तक कंट्रोल कर सकते थे और इस प्रकार हम दूसरे जो व्यापारी और दुकानदार हैं उनको हम मार्ग दिखा सकते थे। आज परिस्थिति यह है कि जो व्यापारी हैं वह मनमाने ढंग से मन चाहे मूल्य बढ़ाते जाते हैं। सन् ६३ में ही पिछले ५-६ मास में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इसी कारण से यह प्रश्न आज बहुत ही गम्भीर हो गया है। जहां तक मजदूरों और किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई वह ठीक है लेकिन किसी ने भी शहरों के उन लोअर, मिडिल क्लास के लोगों के लिये एक आवाज भी नहीं उठाई जो कि आज काफी पीड़ित हैं इस मूल्यों की वृद्धि से। क्योंकि उनको एक निश्चित आय है और उनके पीछे जो पारिवारिक बैकग्राउंड हैं उसमें लोअर, मिडिल क्लास इस महंगाई में सबसे ज्यादा परेशान हैं। मैं समझती हूं कि सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। जैसे उपभोक्ता भंडार की योजना बनायी है उसके लिये जो रुपया रखा गया है, जिस प्रकार उसको चलाना चाहिये उसको मजबूती से चलाना चाहिये। अगर उपभोक्ता भंडार शहरों में काम करने लगे तो वह दूसरों के लिये रास्ता दिखायेंगे और मूल्यों को निश्चित करने में वह योजना सफल हो सकेगी। इस बात की आवश्यकता है कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें, एकाएक तो सारे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता, लेकिन वह बुनियादी उद्योग जिनका असर साधारण जनता पर पड़ता है उनके ऊपर हमारा विशेष नियंत्रण हो।

मैं कहना चाहती हूं जो होलसेल प्राइसेज हैं उनमें और रिटेल प्राइसेज में काफी घनिष्ट सम्बन्ध है। होलसेल प्राइसेज पर सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन रिटेल प्राइसेज पर कोई कंट्रोल सरकार का नहीं होता है। इसलिये जब होलसेल प्राइस में ·१ की वृद्धि होती है तो रिटेल प्राइस में ·२ की वृद्धि हो जाती है और कंट्रोल न होने के कारण साधारण जनता परेशान हो जाती है। आज कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके द्वारा इन रिटेल दुकानदारों पर कंट्रोल किया जा सके। मैं समझती हूं यह सम्भव नहीं है कि सब को ही कंट्रोल के अन्तर्गत ले आया जाय क्योंकि फेयर प्राइस शाप्स की जो हालत है उसकी जो थिंकिंग है उससे जनता संतुष्ट नहीं है और अगर हर वस्तु की कीमत कंट्रोल में आ जायगी तो उस पर ठीक तरह से अमल भी नहीं हो सकता जब तक कि एफीशियेंट मशीनरी हमारे पास न हो और जब तक हमारे पास ऐसी मशीनरी न हो तब तक यह तो होना ही चाहिये। हर दुकानदार अपने यहां मूल्यों को लिखित रूप से टांगे और अगर कहीं इसको नहीं माना जाता तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके अलावा जो होलसेलर्स हैं जिनके लिये सरकार मूल्य निश्चित कर देती है उनको चाहिये कि वह समय समय पर इस बात को बताये कि कितना उनके पास प्रौफिट का मार्जिन रहता है। अगर सरकार सारी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकती तो प्रौफिट मार्जिन निश्चित कर सकती है और जो मिक्स्ड इकोनामी में सम्भव है। इसलिये जो आज भयानक परिस्थिति है उसमें जो सम्भव है उस ओर सरकार का ध्यान अविलम्ब जाना चाहिये।

आज हमारे सामने बंगाल के दृश्य उपस्थित हैं जहां पर चावलों की लूट की जा रही है, जहां जनता मूल्य कम करने के लिये मांग करती है। अगर ऐसी परिस्थिति यहां नहीं रोकी गई तो वह हालत यहां भी हो सकती है। इसलिये सरकार को सचेत होना चाहिये और उन बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये जिनके कारण बनायी गई नीति पर अमल नहीं हो पा रही है। जरूरत है कि जो हमारी नीति है उसकी मजबूती के साथ चलाया जाये।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रजीत जी ने जो एक सैद्धान्तिक बात पर विवाद उठा कर मुझे बोलने का कुछ अवसर दिया है इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमन्, माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि यह विषय सैद्धांतिक है और वास्तव में यह सैद्धांतिक विषय है? महंगाई क्यों बढ़ी? क्यों चीजों के दाम बढ़ रहे हैं? यह सब कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

अपने देश में ही नहीं सारे संसार में महंगाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कुछ सैद्धांतिक कारण हैं और वह क्या कारण है? जब तक उस स्थान पर हम नहीं पहुंच पाते, उसके बारे में नहीं सोचते; उसके निराकरण का कोई उपाय नहीं करते कुछ हो नहीं सकता है। केवल कन्ट्रोल लगाने से ही काम नहीं चलेगा। आप स्वयं देखें। मैं समाजवादी स्वर्ग रूस की बात बताता हूं। यद्यपि वहां पर कन्ट्रोल है पर फिर भी वहां पर चोर बाजारी है। उसके क्या कारण हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि वह चीज वहां क्यों है? उसका कारण यही है कि हम प्लानिंग करते हैं, हम नियोजन करते हैं सारी दुनिया भर की चीजों का और मैं यह जानना चाहता हूं अपनी सरकार से कि समस्या को हल करने के लिये कोई प्लानिंग आदमी की भी बनाई है और यदि नहीं तो महंगाई रोकना उनके लिए बिल्कुल गलत है। मंहगाई है क्यों? अगर आप देखें कि आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे अधिक खर्च करने का प्रयास करते हैं। किसी को भी मैं कहता हूं चाहे वह सोशलिस्ट स्वर्ग का खुश्चेव हो और चाहे पूंजीवाद गढ़ का कैनेडी हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये अपने ऊपर उतना ही खर्च करते हैं जितना आज एक व्यक्ति को आवश्यकता है या उससे अधिक? इसलिये मनुष्य नहीं बनाये जा रहे हैं। जब तक मनुष्य नहीं बनाये जायेंगे, तो संसार में कोई भी व्यवस्था नहीं है जो इस मंहगाई को दूर कर सके। जब यह कहा जाता है कि आबादी बढ़ रही है, तो उस समय अगर हम पुराने इतिहास को देखें, महाभारत उठा कर देखें तो ज्ञात होगा कि जितने नौजवान लड़ाई में थे उतनी आबादी आज सारे विश्व में नहीं है। सारी चीजों की स्केयरसिटी होगी कमी आयेगी यह तय है और जब तक इस बात की प्लानिंग नहीं की जाती है कि मनुष्य बनाये जायं, इस आंकड़े बाजी से काम नहीं चलता।

बड़े आंकड़े पेश किये गये हैं। आपकी पार्लियामेंट में जैसा कि अभी हमारे सोशलिस्ट पार्टीके नेता, डा० राममनोहर लोहिया ने कहा था कि देश के प्रति व्यक्ति की आय ३ आने प्रति दिन है जब कि सरकार की ओर से कहा गया था कि यह ४॥ आने है। ३ आने यह क्या है? मजाक नहीं है तो क्या है। आज तो दोनों ने, चाहे वह सोशलिस्ट हो या गैर सोशलिस्ट हो, यह मान लिया है कि मंहगाई बढ़ रही है और यह भी मान लिया है कि पूरे संसार में मंहगाई बढ़ रही है। अमेरिका और रूस दोनों जगह बढ़ रही है। जो कैडेलक कार पहले ९ हजार रुपये में मिलती थी वही आज अमेरिका में ४६ हजार में क्यों मिलती है? आज सारे संसार में महंगाई इसलिये बढ़ रही है कि किसी भी देश में मनुष्य बनाने की प्लानिंग नहीं हो रही है और मनुष्य बनाया जा सकता है तो केवल भारतीय परम्परा से ही बनाया जा सकता है। कोई दूसरी परम्परा नहीं है उसे बनाने के लिये। जब तक मनुष्य नहीं बनाया जायगा, तब तक सामानों का उचित रूप में वितरण नहीं होगा। और जब तक सामानों का उचित रूप से वितरण नहीं होगा तब तक मंहगाई और स्केयरसिटी बनी रहेगी।

प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात कही गई। मैं जानना चाहता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी किस सेक्टर में है? समाजवाद में सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में होती हैं लेकिन मैं चुर्क सीमेंट फैक्टरी के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं और आपको दिखला सकता हूं कि प्रति दिन कम से कम १० ट्रक सीमेंट ब्लेक मार्केट में जाता है। किस की बदौलत जाता है? वहां कौन सा व्यापारी वर्ग या बनिया वर्ग है। सरकार के पास एक जादू की लकड़ी है आई० सी० एस० और आई० ए० एस०, उसे चाहे वह जहां भी लगा देती है। चुर्क सीमेंट में काम करना है, बांध बनाना है, मकान का निर्माण करना है जहां देखिये आई० सी० एस० आफिसर काम कर रहा है। फिर वहां क्यों ब्लेक मार्केट है?

तो मेरा निवेदन यह है कि समाजवाद से या कोआपरटिव के आधार पर काम चलने वाला नहीं है। जब तक मनुष्य नहीं बनाया जायगा तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। जितना खर्च एक आदमी को करना है वह स्वयं उस खर्च को ले, कोई दबाव नहीं होना चाहिये। जब दबाव डाला जायगा तो उससे हमेशा अधिक खर्च करने की भावना पैदा होगी, अधिक जमा करने की भावना पैदा होगी। उसके मस्तिष्क में यह भावना पैदा करना चाहिये कि वह उतना ही

ले जितना आवश्यक है तभी महंगाई रुक सकती है। तभी उचित वितरण किया जा सकता है। और तभी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। वर्ना समाजवादी जादू की लकड़ी से काम नहीं चलेगा। चीन के आदमी रूस में भागे जा रहे हैं। रूस में गेहूं कम हो गया तो अमेरिका से खरीदने भागा। राशन रोटी का कन्ट्रोल है एक आदमी के यहां ५ रोटी मिल गयीं तो ८ साल की सजा हुई। एक ने मफलर चुरा लिया तो उसे शूट कर दिया। ठीक है सजा कड़ी हो गयी लेकिन सजा कड़ी होने से समस्या हल होने वाली नहीं है। उस समाजवादी स्वर्ग के अन्दर भी चोरी या ब्लैक मार्केट की भावना है। उसे हटाने का एक मात्र तरीका है मानववाद की प्रथा को हटा कर आध्यात्मवाद के तरीके को अपनाया जाय तभी इस समस्या का हल हो सकता है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी (जिला गढ़वाल) —

अध्यक्षता महोदय, इस विषय पर जो वादविवाद हुआ उससे हम सबको बड़ा लाभ हुआ और उसके लिये परस्पर एक दूसरे को हमें बधाई देना चाहिये। यादव जी को सभी बधाई का पात्र होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी को सिर्फ कांग्रेस को छोड़ कर अपने-अपने मेनिफेस्टो को रखने का मौका मिला और यहां पर अपनी-अपनी विचारधाराओं को रखने का मौका मिला। इससे मेरा काम हलका हो गया। माननीय भानु प्रताप जी ने एक नुस्खा दिया दूसरों ने दूसरे नुस्खे दिये। हमारे गोविन्द सहाय जी ने तो एक सैद्धान्तिक आधार पर सारे विषय को रखा। खैर, मैं सब का आभारी हूं। पहले यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि यह सब्जेक्ट है किस का। यह असल में सेन्ट्रल सब्जेक्ट हैं। जितने सुझाव माननीय यादव जी ने दिये वे उत्तम सुझाव हो सकते हैं मगर उसके लिये एक बोर्ड बने या और जितनी नीतियां अपनाने की बात उन्होंने कहीं ये मेरे ख्याल से केन्द्रीय सरकार के सामने थीं और हैं। यह मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं। लगभग तीन वर्ष पूर्व, तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से पहले उन्होंने प्राइस लाइन को होल्ड करने के लिये प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल और स्टेट गवर्नमेंट्स से सुझाव मांगे थे। हमारी स्टेट ने भी एक सेमिनार करके जिसमें एकोनामिस्ट्स भी थे, व्यापारी भी थे, यहां से जो सुझाव भेजे जा सकते थे भेजे। (व्यवधान) इन्सानियत की जो बात माननीय श्रीपाल सिंह जी ने कही वह सब पर लागू होती है। अगर कोई यह कहता है कि चीनी ब्लैक मार्केट में इस भाव बिकती है और मैंने खुद खरीदी है तो वह भी ब्लैक मार्केटियर है। मैं कहता हूं कि जिसके अन्दर इन्सानियत नहीं है वे सब ब्लैकमार्केटियर हैं (व्यवधान)।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) —

श्रीमन्, बहस महंगाई की है। उनसे कहिये कि वे बतायें कि उनकी सरकार के पास कौन-सा नुस्खा है इस समस्या को हल करने के लिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

मैं जरा एक प्रार्थना कर दूं। मैंने तो बड़े शान्ति से आपकी बातें सुनीं और अगर आपको सुनना पसन्द नहीं है तो मुझे भी कहने को कोई बहुत जिद नहीं है।

श्री उग्रसेन—

महंगाई के सबसे बड़े कारण आप हैं। अगर सही माने में जुडिशल जांच हो तो आप कठघरे के अन्दर होंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

उग्रसेन जी, मैं समझता हूं यथा नाम, तथा गुण वाली बात न करिये। जरा मेहरबानी कीजिए, उग्रता न दिखाइये। आपने चुनौती दी कि नेगी साहब, अगर ऐसा होगा तो आप नहीं

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

रहेंगे। मैं नहीं होऊंगा, मुझे ६ महीनें की सूखी फांसी लगेगी लेकिन आपको कितने महीने की लगेगी ? (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता —

आपस में बातचीत न हो (व्यवधान)।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

मैं बड़े अदब से कहता हूं कि अगर यह बात सही है कि हमारे देश के अन्दर कीमतें बढ़ती हैं तो न मैं रहूंगा, न आप रहेंगे, न यह सदन रहेगा, यह देश नहीं रहेगा, हम खूब जानते हैं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) —

और सब रहेंगे लेकिन यह सरकार नहीं रहेगी, मन्त्री जी नहीं रहेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

इन बातों से काम नहीं चलेगा। यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है। वही सब चीजें करती है। हमारे पास डेलीगेटेड पावर्स होती हैं अगर उसमें कोई वृद्धि होती है तो निस्सन्देह हमारे प्रदेश की सरकार लांछन की पात्र है। जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि अगर पूर्ण रूप से नियन्त्रण होता तब तो प्राइसेज के बढ़ने का दायित्व सरकार के ऊपर होता, ओपिन मार्केट है और फेयर प्राइस शाप्स तो इसलिये खुली हुई हैं कि जिस से प्राइसेज न बढ़ें। हमने लाइसेंसिंग आर्डर के जरिये उनको ले लिया है जिससे पूंजीपति होर्ड न कर पायें और स्थिति मालूम होती रहे। तो जितने हमारे अधिकार हैं उनके अन्तर्गत हमने उनको ले लिया है। इसके अलावा हम केन्द्रीय सरकार को बराबर सूचित करते रहते हैं कि अमुक चीज की कीमत बढ़ रही है। अब केन्द्रीय सरकार हम को पावर देती है तो हम डी० आई० आर० में या अन्य किसी कानून के अन्तर्गत काम करते हैं।

यह कहा गया कि चीजों के भाव बढ़ गये। मैं आपको बताऊं कि दो साल पूर्व पूर्वी जिलों के बारे में इसी सदन में यह कहा जाता था कि बहुत से लोग भूख से मर गये और ऐसी बातें हमारे सामने आती थीं और लोगों को बड़ी परेशानी और दिक्कत थी। गेहूं के दाम ३०-३५ रुपये मन तक चले गये थे और हमने सदन में कहा था कि इसको घटाने का उपाय करेंगे और आप लोगों के सहयोग से हम उसको घटा पाये। उस समय प्रेस को या किसी को विश्वास नहीं होता था लेकिन घटाने में हम सफल हुये। रही बात भावों की, मैं किसी को चेलेंज तो नहीं करता हूं मगर मैं भी आंकड़े देता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि पिछले सत्र में ७ रुपये मन धान बिकवाने की बात कही थी कि देखिये कितना सस्ता हो गया है ? अभी गेहूं के प्राइस सपोर्ट की बात चल रही है। पिछले साल कानपुर में अक्तूबर में १९६१-६२ में ४९ रुपये था वही आज भी है। कोई अन्तर नहीं है। इलाहाबाद में जरूर कुछ फर्क है। वैसे ही चावल का भी बताता हूं कि पिछली साल कानपुर में उसका भाव ५९.२५ नये पैसे था जो आजकल ५९.५० नये पैसे हैं। केवल २५ नये पैसे का अन्तर है। (व्यवधान) इलाहाबाद में चने का भाव पिछली साल ३७.५१ नये पैसे था जो आजकल ४५.५५ नये पैसे हैं। जहां तक चीनी का सवाल है, उसके बारे में अर्ज कर दूं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस समय चीनी का भाव ओपिन मार्केट में क्या है ?

श्री अधिष्ठाता —

आप बोलने दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

पिछले साल २५ हजार टन हमारा चीनी का कोटा था। इस वक्त २० हजार टन का है। अब आप सोचिये कि २० हजार टन को ८ करोड़ आदमियों में बांटना है। इसमें इन्डस्ट्रीज भी हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्टरी भी है, होटल भी हैं, सभी हैं। हमने अपनी तरफ से यह व्यवस्था की है, कानून भी बनाया है कि अगर कोई आद मी बगैर लाइसेंस के चीनी बेचता है (व्यवधान)। मैं इन्स्पेक्टर ज्यादा रखता हूं तो सदन में कहते हैं इन्स्पेक्टरों की फौज हो गयी, अगर नहीं रखते हैं तो यह सहयोग करने को तैयार नहीं हैं। ऊदल जी कहते हैं कि हम क्यों करें? आप कहते कि ब्लेकमार्केट होती है। पिछला सदन ऐडजर्न न हुआ होता तो उसमें नियम ५२ के प्रश्न में यह था कि आपने गिरफ्तारी क्यों कर ली?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं माननीय मन्त्री जी से....

श्री अधिष्ठाता —

अगर वह नहीं बैठते हैं तो आप न बोलिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

हमने मेरठ में ३४ प्रासिक्युशंस किये। उसमें से २१ पेंडिंग हैं, ५ अक्विट हो गये और ८ को सजा दी गयी। लखनऊ में दस प्रासिक्विशन हुये, आठ पेंडिंग हैं, दो की सजा हो गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री महोदय का यह भाषण बिलकुल बेमतलब है। वह सदन का समय व्यर्थ में ले रहे हैं। यह भाषण सुनने के लिये हम तैयार नहीं हैं। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप माननीय मन्त्री जी से भाषण इस पर दिलायें कि उत्तर प्रदेश में कीमतें कैसे कम होंगी। इसको समझायें कि सरकार के पास इसका कोई उपाय है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कायदे की बात यह है कि आप खड़े हों, अगर वह आपकी बात सुनने के लिये बैठ जाते हैं, तभी आप कह सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कायदे की बात यह है कि कार्यवाही को चलाने की जिम्मेदारी आप पर है। अगर कोई बेमतलब भाषण करता है तो आप उस पर अंकुश लगायें। अगर आप अंकुश नहीं लगाते हैं तो व्यवस्था के प्रश्न पर हम आप का ध्यान दिलाने का हक रखते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था के प्रश्न पर हो सकता है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं बता रहा था कि शुगर की कमी है यह सब जानते हैं। २० हजार टन से क्या होता है। उससे ज्यादा देने में गवर्नमेंट आफ इंडिया असमर्थ है। अगर कोई बिना लाइसेंस बेचता है तो कानून है कि उसका प्रासीक्यूशन होगा। हमारी नोटिस में कोई केस लायें तो हम कार्यवाही क रने को तैयार हैं। इसी प्रकार जो और कमोडिटीज हैं वह भी कन्ट्रोल्ड नहीं हैं। मगर फिर भी हमने जिससे जनता को कष्ट न हो, डी० आई० आर० में उनको लेने की कोशिश की है। इसमें आप देखिये, साइकिल है, साइकिल टायर हैं, एलेक्ट्रिक बल्ब्ज हैं, टार्चेज हैं,

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

बैटरी हैं और भी इस तरह की तमाम चीजें हैं, इन सब चीजों का भी हमने उचित मूल्य ग्रहण आदेश के अनुसार मूल्य निर्धारित किया है और उसमें हम बराबर रिपोर्ट लेते रहते हैं कि कोई बढ़ोतरी इनमें न होने पाये और प्राइस लिस्ट टांगने का दूकानदारों को आदेश दें। मैं हर पखवाड़े की रिपोर्ट मंगवाता हूं। उसमें साबुन का भी मैं देखता हूं। पिछले साल मैंने देखा थोड़ी की एक्साइज ड्यूटी जितनी बढ़ी है उतना तो प्राइस बढ़ा है मगर जैसे लक्स स्टैंडर्ड का है ५० नये पैसे पिछले साल था और ५६ नये पैसे इस साल है। इसी तरह लाइफ ब्वाय का कानपुर में पिछले साल ५० नये पैसे था.....(व्यवधान)...अगर कोई इससे ऊपर दे रहा है तो दूकान दार से आप प्राइस लिस्ट मांगकर देखें और अगर उसके यहां वह नहीं है तो हर सदस्य और हर नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि उससे पूछे कि क्यों नहीं है और प्रापर एथारिटीज को उसकी रिपोर्ट करे।

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मन्त्री जो ने कहा कि भाव सब निर्धारित हैं। तो चीनी और सीमेंट जो ब्लेक में तमाम मिल रही है वह कहां से आ रही है, क्या यह मन्त्री जी को नहीं मालूम है ?

श्री अधिष्ठाता —

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई चोरी कर ले और वह कह दे कि मैं तो नहीं जानता, गवर्नमेंट का काम है इसको देखना, वैसे ही यह भी बात है। अगर किसी ने ब्लैक में कोई चीज बेची तो आपको चाहिये कि आप जाकर उसकी रिपोर्ट करें। अगर हम उस पर कार्यवाही न करें तो हमारा कसूर हो सकता है। लेकिन अगर आप बतायें नहीं और यहां असेम्बली में कहते रहें, प्रोपेगैन्डा के लिये, पेपर में निकालने के लिये बात कहते रहें तो उससे काम बनने वाला नहीं है। मैं श्रीपाल सिंह जी की वह बात मानने के लिये तैयार हूं (व्यवधान)...। समाज-वादी व्यवस्था को हम मानते हैं और हम इस बात को स्पष्ट कहते हैं। हमारी कोई मिक्स्ड नीति नहीं है। मिक्स्ड नीति तो ट्रांजीशनल है और वह क्यों ? इसलिये कि आज चुर्क के मैनेजमेंट में या रोडवेज के मैनेजमेंट में कोई मौका पड़ा तो आप फौरन टीका टिप्पणी करने लगते हैं। तो हमको धीरे-धीरे चलना पड़ेगा। हमको उत्पादन को भी बढ़ाना है। जहां तक कोआपरेटिव्ज का सवाल है हम उसको हर चीज में प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कोआपरेटिव को हर चीज एक साथ नहीं दी जा सकती। अभी पिछले साल हमने जो डिब्बों में बन्द मिल्क आता है उसके लिये प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन से कहा कि आप दस हजार टन दूध मंगाकर दीजिये। तो उन्होंने कहा कि पहले साल हम दस हजार रुपये का मंगा कर देख लें कि चल सकता है या नहीं, तब आगे और मंगायेंगे। तो जबर्दस्ती तो नहीं की जा सकती। कैपेसिटी देखना पड़ता है, कैपिटल देखना पड़ता है और धीरे धीरे ही यह काम हो सकता है। वरना वैसे प्राथमिकता कोआपरेटिव्ज को है, इसके लिये आदेश हैं और उन आदेशों का पालन भी हो रहा है। इतना ही नहीं अभी पिछले दिनों क्या पूर्व हो क्या पश्चिम हो, जिन्होंने फेयरप्राइस शाप्स के लिये कहा। उनके यहां फेयरप्राइस शाप्स भी खोलने का आर्डर दे दिया।

जहां तक सीमेंट का सवाल है २५ परसेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया ने काट दिया है लेकिन फ्लड एफे टेड एरियाज में हमने सीमेंट और जी० आई० शीट्स दी हैं। ४० जिलों में हम और देने वाले हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, खेरी, गोंडा, आगरा, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं और इटावा में हमने दे दिया है। ४० जिलों में अभी और देने जा रहे हैं। उसी तरह सीमेंट में भी। जहां तक गुड़ का सवाल है, मैं बताता

हूं कि खांडसारी का भाव गिराने के लिये उसका मूवमेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया से कह कर बन्द कराया था। खांडसारी के डेपुटेशन के डेपुटेशन चले आते हैं और हाउस में बात और कहते हैं।

एक सदस्य —

नाम बता दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

नाम बताना भले आदमियों का काम नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि गुड़ एक ऐसी चीज है कि उसका लाइसेंसिंग तो हो गया है लेकिन कन्ट्रोल नहीं किया है तथा मूवमेंट नहीं बन्द हुआ है। जैसे खंडसारी का लाइसेंसिंग हुआ उसके बाद मूवमेंट रोक दिया गया उसी प्रकार चीनी का पहले लाइसेंसिंग किया गया और जब नहीं माने। तो कन्ट्रोल किया गया। उसी तरह गुड़ का भी सवाल है। हमें आशा है कि अगले दफे इसका भी प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा।

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि वैसे तो जैसा अभी श्री कृष्णानन्द राय कह रहे थे कि जिस वक्त हम लोग जेल सन् ४२ के आन्दोलन में गये थे तो जो बैल ६० रुपये में था वह १ हजार में बिका और जो गाड़ी १०० या डेढ़ सौ रुपये की थी वह एक हजार में बिकी। तो कीमतें तो इनफ्लेक्शन पर भी डिपेन्ड करती हैं। इकनामिक्स में सप्लाई और डिमान्ड का भी बल होता है। ऊपर से गवर्नमेंट रेगुलेटरी मेजर्स करती है। मैं निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि हमने अपनी तरफ से जितनी रेगुलेटरी आर्डर्स हो सकते हैं, खाद्यान्नों के विषय में तथा छोटी कमोडटीज जो रोजाना इस्तेमाल करने की चीजें हैं, उन पर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कम से कम स्टाफ से ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सके। मैं तो कहता हूं कि फौज भरती कर दी जाय और जनता के दिमाग में, व्यापारियों के दिमाग में ब्लैक करने की बात हो, तो सब बेकार हो जायेगा। यह बात तो मैं कुंवर श्रीपाल सिंह की मानता हूं। सिर्फ मतभेद यह है कि वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को नहीं मानते हैं। अन्ततोगत्वा ऐसे समाज की स्थापना करनी है जहां सब प्राणी बराबर हों और यह न हो कि अली जहीर साहब का कुत्ता बहुत बढ़िया खाये और हमारा इन्सान कम खाये। तो यह भी न होना चाहिये। इस चीज को करने के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा। महज असेम्बली की शोर में हवाईबाजी, लेक्चरबाजी करने से नहीं आयेगी बल्कि काम करने से आयेगी। और उसके लिये इन्सानियत अपने अन्दर लानी पड़ेगी। मैं आपसे बताता हूं कि ईमानदारी से हम कन्डम स्टैन्ड होते हैं यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो (व्यवधान) ....लेकिन अगर किन्हीं कारणों से खराब नतीजा भुगतना पड़ेगा तो वह नतीजा हमें अकेले नहीं भुगतना पड़ेगा। साथ में उग्रसेन जी भी होंगे, भानुप्रताप जी भी होंगे, शारदा भक्त जी भी होंगे, कोई बचेगा नहीं। यह न समझें कि कम्युनिस्ट होने से वह बच जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइस लाईन को हल करने के लिये स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिये। प्लानिंग कमीशन भी इसके पक्ष में है।

मैं समझता हूं बफर स्टाक का होना रामबाण है। यह ब्लैक मार्केटियर को पनाह नहीं दे सकता। उसके लिये हम प्रयत्नशील हैं और उस पर चल रहे हैं। जहां तक डेमोक्रेसी का संबंध है उसका पालन करने के लिये और उसको मजबूत करने के लिये मेम्बरों की सिफारिशों को सामने रखकर प्रासिक्यूशन हम जितना मुनासिब हो सकता है उतना हम करते हैं। किसी महानुभाव को अगर मेरे कहने से कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस गवर्नमेंट है। आगे वह रहे या न रहे या हम कामराज प्लान में ही चले जाते हैं, अगर इसको थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय तो फिर भी आप यहां आने वाले नहीं हैं। अगले ५० वर्षों तक तो मुझे यह उम्मीद नहीं है कि आप यहां आ सकें। मैं यह भविष्यवाणी करता हूं और आप लोग वह नोट कर लें कि डेमोक्रेसी में आप आ नहीं सकते हैं। जिस दिन आप आयेंगे उस दिन यह डेमोक्रेसी खत्म हो जायगी। इस तरह से डेमोक्रेसी

[श्री जगमोहन सिंह नेगी—]

नहीं चल सकती है कि आप दूसरे के विचारों को सुनने की क्षमता अपने अन्दर न रखें। अगर हम चेयर का आर्डर नहीं मानते हैं और बिना आज्ञा के खड़े होकर चिल्लाते हैं तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी की जड़ उखाड़ते हैं और जनतन्त्र पर जो दावा करते हैं वह झूठा दावा करते हैं और पब्लिक इससे गुमराह नहीं हो सकती है।

प्रदेश में छात्रान्दोलन से उत्पन्न स्थिति पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अधिष्ठाता—

अब दूसरा प्रस्ताव लिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उसको पढ़कर सुना दिया जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या यह पहला प्रस्ताव समाप्त हो गया है ?

श्री अधिष्ठाता—

वह तो समाप्त हो गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

वह तो ७ बजे तक चलने की बात थी।

श्री अधिष्ठाता—

वह २ घंटे के लिये अध्यक्ष महोदय ने चलने को कहा था। अब इसके लिये समय की आवश्यकता होगी तो बढ़ा दिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—

इसको पढ़कर सुना दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सुनाये देता हूं। वह यह है—"हमारे राज्य के शिक्षा जगत में एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और आगरा जैसे राज्य के प्रमुख केन्द्रों में अधिकांश शिक्षा संस्थायें प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय तक बन्द कर दी गई हैं, जिसके कारण राज्य के लाखों छात्र शिक्षा पाने से वंचित हो रहे हैं। राज्य में लगभग एक सौ से अधिक छात्र गिरफ्तार कर के जेलों में डाल दिये गये हैं। पुलिस ने कई शिक्षा संस्थाओं तथा छात्रावासों के प्रागंण में घुसकर छात्रों को पीटा है तथा वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कुछ छात्रों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर संपूर्ण शिक्षा संस्थाओं को बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है। इस स्थिति से संपूर्ण छात्र समाज उत्तेजित है और उनके अभिभावक चिन्तित हैं तथा राज्य के नागरिकों में क्षोभ एवं चिन्ता व्याप्त हैं।

अतः इस विशेष स्थिति पर एवं सार्वजनिक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सदन में इस विषय पर विचार किया जाय।"

(ह०) चन्द्रजी : यादव,
(ह०) ऊदल,
(ह०) विजयपाल सिंह

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस पर जितने नाम हों वह सब पढ़ दिये जायं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इसमें दूसरे नाम भी सम्मिलित कर दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें कुछ नाम और हैं। श्री नेकराम शर्मा, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री शारदा भक्त सिंह, श्री विपिनबिहारी तिवारी, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री टम्बेश्वर प्रसाद, श्री शिवनार्थसिंह, श्री सत्यनारायण।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे राज्य के शिक्षा जगत में एक गंभीर संकट उपस्थित हुआ है और उससे प्रदेश में सभी चिंतित हैं। लाखों छात्र उससे चिंतित हैं जिन्हें मजबूर कर दिया गया कि वे अपने कालेज और स्कूल छोड़कर घर चले जायं। सभी अभिभावक चिंतित हैं जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा था। प्रदेश का नागरिक चिंतित है जो अपने बच्चों में अपना और प्रदेश और देश का भविष्य देखता है। हमारे प्रदेश की सरकार अपने दृष्टिकोण से चिंतित है कि उसे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रखनी है और इस प्रदेश का हर नागरिक इस बात के लिये अगर चिंतित है तो मैं इसे एक शुभ लक्षण मानता हूं कि इस गम्भीर स्थित पर हम यहां विचार करें, सोचें और हमें सोचना चाहिये।

श्रीमन्, इस घटना का प्रारंभ इलाहाबाद से हुआ। वहां गंगानाथ झा होस्टल में इंन्ट्रोडक्शन नाइट में जो समारोह किया गया था उसमें जो घटनायें घटीं, मैं समझता हूं कि उनका कोई भी नागरिक समर्थन नहीं कर सकता। जिस प्रकार आयोजकों ने वहां व्यवहार किया, जिस प्रकार के तथ्य वहां के संबंध में मिले हैं वे उन छात्रों के लिये कलंक हैं जिन्होंने वह आयोजन वहां किया था। लेकिन उस घटना से इस प्रदेश के तमाम छात्रों की समस्याओं को जोड़ देना और छात्रों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार करना, उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर देना, प्रदेश के विश्वविद्यालयों को पुलिस का कैंप बना देना, छात्रों पर पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक लाठी चलवाना और कालेजों को बन्द करा देना तथा इसके साथ गृह मंत्री जी द्वारा विरोधी दलों पर यह आरोप लगाना कि इस स्थित के लिये विरोधीदल जिम्मेदार है, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। आज सरकार इस प्रदेश के शिक्षा जगत में इस उत्पन्न स्थिति के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

श्रीमन्, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अनुशासन छात्रों के ऊपर लादा नहीं जा सकता। अनुशासन के लिये पुलिस का डंडा कामयाब नहीं होगा। अनुशासन के लिये विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिये बन्द करना उचित न होगा। अनुशासन के नाम पर शिक्षा जगत की उन तमाम समस्याओं की तरफ से आंख बन्द कर लेना हमारे देश और प्रदेश के लिये एक चुनौती है और यह उचित नहीं है। अनुशासन एक मानसिक प्रतिक्रिया है। उसमें मनुष्य एक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसे अपने जीवन से तजुर्बा होता है, वह सीखता है और फिर उसके बल पर वह अपने जीवन का निर्माण करता है। उसे लादा नहीं जा सकता। हमारे गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से वक्तव्य दिया है और जिस तरह से राज्य की स्थित को डील करने की कोशिश की है, उससे स्थिति बिगड़ी है। लखनऊ की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से श्रीमन्, हम लोगों ने देखा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलाहाबाद के छात्रों के कार्यों की भर्त्सना की है। उन्होंने मांग की थी कि उस विश्वविद्यालय को खोला जाय और लाठीचार्ज की जांच की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मैं समझता हूं कि जिस बात का आश्वासन इलाहाबाद के उपकुलपति बाद में दे सकते थे। वही आश्वासन सरकार पहले भी दे सकती थी और जब छात्र नेता सरकार से मिले तो उन्होंने कहा कि इस आदेश से प्रदेश के छात्र अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं. इसे रोका जाय और जो छात्र दोषी हैं जिन्होंने गलत काम किये हैं, अनुशासन भंग किया है, आप उनके लिये कार्यवाही कीजिये, हमे कोई हमदर्दी उनके साथ न होगी। लेकिन इन छात्रों के नामों पर लाखों छात्रों की जिन्दगी के साथ मजाक करना, खिलवाड़ करना, यह कहां का न्याय है ? इसका जवाब यह दिया गया कि अगर बन्द करना पड़ेगा हमें शिक्षा संस्थाओं को, तो हम वह भी कर सकते हैं, सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है और इसके लिये हर कदम उठायेगी।

छात्रों ने मांग की थी कि जो छात्र जेल के अन्दर बन्द हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाय ताकि आज जो एक हलचल छात्र जगत में पैदा हुई है उसका कोई निराकरण निकाला जा सके। उन्होंने मांग की थी कि जगह जगह छात्र नेताओं के खिलाफ जो वारंट जारी कर दिये गये हैं जिससे वह छात्रों के बीच में जाकर काम नहीं कर सकते,अपनी बात नहीं कह सकते, उन्हें इस बात का मौका दिया जाय उनके वारंट वापस करके, ताकि वह शान्ति-व्यवस्था के सुधारने में सहायक हों। वह वारंट वापस नहीं किये गये। छात्रों ने मांग की थी कि लाखों छात्रों को जो आज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और १८ शिक्षा संस्थाओं को बन्द कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर का भी ध्यान अकार्षित हुआ, सी० डी० देशमुख ने भी चिन्ता व्यक्त की, लेकिन इन चीजों के पीछे एक मौलिक सवाल है कि क्या छात्रों को अपना संगठन बनाने का हक है या नहीं ? अगर अग्रवाल कालेज का विद्यार्थी मांग करता है कि हमारी यूनियन बने, अगर डी० ए० वी० कालेज का विद्यार्थी मांग करता है, और अग्रवाल कालेज के प्रिंसिपल उसकी इजाजत नहीं देते हैं तो क्या विद्यार्थियों को प्रदर्शन करने का हक है या नहीं ? लेकिन उनकी जायज मांग पर विचार न करके जवाब यह मिलता है कि विद्यालय के प्रांगण में घुसकर पुलिस उन पर लाठी-चार्ज करती है और पुलिस के अधिकारी झूठा बयान देते हैं। अग्रवाल कालेज के प्रिंसिपल जिन्होंने १४ तारीख को खत लिखा "पायनियर" में कि यह बात बिलकुल झूठ है कि उनको ४ घंटे कन्फाइन किया गया, मोटर साइकिल चुरा ली और उनके साथ उद्दंडातापूर्ण व्यवहार किया गया और उनके लिए जीवन का खतरा पैदा हो गया था। "पायोनियर" के कारेस्पांडेंट ने अखबार में लिखा कि पुलिस द्वारा कही सारी की सारी बातें झूठी हैं, मैं चाहता हू कि इसकी जांच होनी चाहिये और पायनियर के कारेस्पांडेंट ने एक नोट लगाया, मुझे पुलिस के अत्यन्त जिम्मेदार आदमी ने सूचना दी थी और वह आज भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पुलिस का एक जिम्मेदार आदमी अगर इतनी झूठी बात करता है जो पूरे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को भग करने के लिए जिम्मेदार होता है तो बजाय इसके कि छात्रों पर अनुशासन की कार्यवाही करें, उनको जेलों में बन्द करें क्या यह उचित नहीं था कि उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती ?

श्रीमन्, आज शिक्षा संसार की इन समस्याओं को हमें बड़ी गम्भीरता के साथ देखना पड़ेगा। गम्भीरता इस माने में कि छात्र हमारे राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं, इनके ऊपर देश का का भविष्य निर्भर है। हम यह कह दें कि हम हमेशा के लिए कालेज और यूनिवर्सिटी बन्द कर देंगे। यह समस्या का समाधान नहीं है। आज सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। क्या आज यह सही नहीं कि शिक्षा संस्थाओं की एक-एक क्लास ओवर क्राउडेड है ? आज लैक आफ फैसिलिटीज विद्यालयों में है जिससे विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ऐड मीशन्स तक नहीं होते ? क्या यह सही नहीं है कि हमारे प्रदेश के हजारों छात्र आज बेकारी का शिकार बने हुए हैं, दर-दर ठोकरें खाते फिरते हैं ? क्या सारी बात मनोवैज्ञानिक असर डालती हैं या नहीं ? क्या हम अपनी आंख बन्द कर सकते हैं कि ये हमारे प्रदेश के छात्र अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते ? मैं समझता हूं कि यह गैर जिम्मेदाराना बात होगी। आज असलियत यह है कि आज ऐसी परिस्थिति पैदा की गई है कालेजों के अन्दर। क्या हमारा

फर्ज नहीं होता कि हम छात्रों की बातों को हमदर्दी के साथ सुनें ? आज लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर जो शिकायतें छात्रों ने की थी कि फीस जमा करते हैं कैशियर के आफिस में, तो पता नहीं चलता, रिजल्ट शीट नहीं मिलती, इम्तहान में बैठने से रोका जाता है, मार्किंग में गड़बड़ी होती है। मार्कशीट में धांधली होती है लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। नौकरशाही जहनियत जो आज विश्वविद्यालयों के अन्दर पनप रही है मैं समझता हूं कि वह खतरनाक चीज होगी। हमारे छात्र हैं, उनकी शिकायतों को सुनना चाहिये था लेकिन जब छात्रों की शिकायत नहीं सुनी जाती है तो मजबूर होते हैं, आन्दोलन करते हैं और जब उनकी बातों को माना जाता है तो वह शिकायत सही पाई जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमें रिथिंकिंग करने की जरूरत नहीं है और इस पर ठंडे दिल से विचार करने की जरूरत नहीं है। छात्र जो आरोप लगाते हैं उनमें एक हद तक सचाई है और उस पर सोच विचार करना चाहिये। श्रीमन्, अगर आन्दोलन से समस्यायें हल हो सकती है, सरकार ने यह इम्प्रेशन दिया तो आन्दोलन और संघर्ष और बढ़ते ही चले जायेंगे। आन्दोलन से ही समस्या हल नहीं होगी, हड़ताल करने या नारे लगाने से ही बातें नहीं मानी जायेंगी बल्कि बिना हड़ताल किये हुये भी बातें मानी जायेंगे, और कालेज छोड़े हुये भी सरकार उन पर विचार करेगी। इस प्रकार का इम्प्रेशन देने से समस्या का हल किया जा सकता है। इस तरह से नहीं कि आप उनके संघर्ष को पैदा करने में मदद देते रहें और ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि एक के बाद दूसरी समस्यायें जुड़ती चली जांय।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन की मांग को लेकर राज्य की ५ यूनिवर्सिटियां बन्द हुई और इन ५ यूनिवर्सिटियों की मांग को लेकर प्रदेश के सैकड़ों कालेज और स्कूल बन्द हुये। इस आन्दोलन का स्वरूप अगर और आगे बढ़ जायेगा तो यह निराकरण का आपका कोई तरीका नहीं है। श्रीमन्, मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज हमारी समस्या को लेकर जो गंभीरता उत्पन्न हुई है उसको सरकार उतनी गंभीरता से नहीं देख रही है। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि विरोधी दल के नेताओं ने भाषण किये, उन्होंने विद्यार्थियों को उकसाया और विरोधीदल के ऊपर आरोप लगा कर आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि आप इससे पहले कि हम पर आरोप लगाये। अपने नाम को भी देखने की कोशिश करें। क्या यह सत्य नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ने इन विद्यार्थियों को इस्तेमाल किया? क्या यहां का एक-एक नागरिक इस बात को नहीं जानता कि कांग्रेस में जो ग्रुप पावर में था उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप बाहर था वह छात्रों को अपनी गुटबाजी को सफल करने के लिये और उसका फायदा उठाने के लिये उनको इस्तेमाल कर रहा था? क्या यह सही नहीं है कि विश्वविद्यालयों के अन्दर जब नियुक्तियां होती है तो उसमें सरकार दखल देती है? क्या यह सही नहीं है कि सरकार अपना अधिकार बढ़ाने के लिये शिक्षा संस्थाओं मे नौकरशाही तरीके से ज्यादा असर डालने के लिये और ज्यादा नियंत्रण रखने के लिये उनके कानूनों के अन्दर परिवर्त्तन करती है ? यह दोहरी नीति नहीं चल सकती कि एक तरफ तो जहां उनका अपना हित साधन हो, अपनी गद्दी बचती हो वहां वह दखल दें, दूसरी तरफ यह कहा जाय कि शिक्षा संस्थाओं की समस्यायें हैं, वहां लेबोरटरीज नहीं है, ओवर क्राउडेड है, अच्छे अध्यापक नही हैं तो सरकार कहे कि यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यह दोहरी नीति नहीं चल सकती, इसका अन्त होना चाहिये और जब तक इसका अन्त नहीं होगा तो हमारे प्रदेश के लिये चिन्ता की बात है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर एक विशेष स्थिति है। हम इस पर क्यों नहीं सोचते कि मद्रास में, आंध्र में, महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा क्यों नहीं होती। क्या हमारे प्रदेश के नौजवान इस बात को जिम्मेदारी महसूस नहीं करते कि वे कल देश के भावी नागरिक बनने वाले हैं, क्या उन्हें कोई देश की चिन्ता नहीं है। क्या हम नहीं जानते की सारे देश के नौजवान एक साल पहले जब चीन का हमला हुआ था तब एक स्वर से कह उठे थे कि देश के नौजवान सर देंगे, अपना खून देंगे, देश की पुकार है। सारे प्रदेश के नौजवानों ने कहा था कि भारतमाता हमसे बलिदान मांगती है, हम इस देश में भगत सिंह और आजाद के कदमों पर चल कर अपने देश की रक्षा करेंगे। जिसके अन्दर ये जिम्मेदारी का एहसास हो,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

जो इस तरह से सोच सकता हो, उसकी समस्या को इस हलके फुलके ढंग से टाल देना यह एक बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है, इससे प्रदेश का कल्याण नहीं होगा ।

मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस विभाग को संभाला है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरफ भी देखें कि आपकी पुलिस का क्या रवैय्या है । पूरे प्रदेश के अन्दर एनारकी है । जो रिपोर्ट सारे सूबे से आ रही है, जो छात्रों की घटनाएं हुई हैं उनमें एक दो छात्रों की बात को ले कर सारे छात्र समाज को कलंकित और अपमानित करने की बात को आप करते हैं लेकिन आप की पुलिस की जो रिपोर्ट है कि थाने व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं और जिस प्रकार से उनके अत्याचारों की रिपोर्ट मिलती है उनके ऊपर परदा डालकर और छात्रों पर आरोप लगाकर आप निकल नहीं सकते । इसलिये मैं गृह मंत्री से खासतौर से कहना चाहता हूं कि आज आप इस सदन को इस बात का विश्वास दिलायें कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रांगण में पुलिस नहीं जायेगी । आप इस बात का यकीन दिलायें कि हम उनकी मर्यादा नहीं भंग होने देंगे । तभी इस सारी समस्या का निराकरण हो सकता है । अगर किसी एक छात्र ने कोई क्रिमिनल ऐक्ट किया है तो आप जरूर फौजदारी में उसपर मुकदमा चलायें, उससे किसी को कोई सहानुभूति नहीं होगी । लेकिन जो इस प्रकार का आप उद्दंडतापूर्ण व्यवहार उनके साथ साथ करते हैं वह आप नहीं कर सकते कि प्रदेश के पूरे समाज को आप कलंकित करें ।

मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जो जो एक वरिष्ठ मंत्री हैं, शिक्षा जगत की जो समस्यायें हैं जो सोशल मैलेडीज हैं जिनके अन्दर यह समस्यायें फंसी हैं उनपर भी विचार करने के निराकरण किया जाय ताकि शिक्षा पाकर अच्छे नागरिक हमारे प्रदेश के विश्वविद्यालयों से निकल सकें । मैं चाहता हूं कि सरकार विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रतिनिधियों, प्रोफेसारों, वाइस चांसलरों और प्रिन्सिपलों के और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों साथ बैठकर इस समस्या पर विचार करे। आज इस बात की जरूरत है कि एक ऐसी कान्फ्रेंस बुलाई जाय और उसमें बैठकर गंभीरतापूर्वक इस पर विचार किया जाय । सिर्फ यहां बैठकर आदेश दे देने से और यह कह देने से कि हम शिक्षा संस्थाओं को हमेशा के लिये बन्द कर देंगे और पुलिस के द्वारा शान्ति व्यवस्था के नाम पर इस प्रकार का उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करेंगे, मैं समझता हूं, यह कोई निराकरण नहीं है । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं इस आशा से कि हमारे गृह मंत्रीजी अपने उस रवैये को छोड़कर छात्रों की समस्याओं का सही प्रकार से सहानुभूतिपूर्वक निराकरण करने के लिये उस पर पुनः विचार करेंगे ।

श्री बृज भूषण शरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चंद्रजीत यादव के भाषण को मैंने बड़े गौर से सुना । मान्यवर, यह जो विद्यार्थियों की समस्या के बारे में रोज अखबारों में लेख निकल रहे हैं उनको भी मैं बहुत गौर से देख रहा हूं । मुझे बहुत अफसोस है कि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने इस गंभीर विषय को यों तो गंभीर लफ्ज का कम से कम २० बार इस्तेमाल अपने भाषण में उन्होंने किया होगा लेकिन इस इश्यू को इस तरह से उन्होंने साइडट्रेक किया कि मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या चाहते हैं । माननीय चन्द्रजीत यादव ने यह कहा कि उन्हें शर्म है उसपर कि जो गंगानाथ झा हास्टल में हुआ और दोषी लड़कों को उस बात की पूरी पूरी सजा भी दी जानी चाहिये । उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि तमाम छात्रों को क्यों बांध दिया गया । हमने छात्रों को कहां बांध दिया । सरकार ने उनको नहीं बांध दिया बल्कि छात्र तो खुद ही बंध गये । वह समझते हैं कि वह एक शर्मनाक घटना थी । कौन सभ्य नागरिक इस देश का या विदेश का आज यह कह सकता है कि ऐसी चीज होनी चाहिये ? क्या माननीय यादवजी किसी यूनिवर्सिटी या कालेज में नहीं पढ़े, क्या हमारे समय में यूनिवर्सिटी और कालेजेज रन नहीं किये जाते थे, क्या उस वक्त स्टूडेन्ट्स नहीं थे, उस वक्त लाइफ नहीं थी, उस वक्त जोश और जवानी नहीं थी ? आप कहते हैं कि मद्रास और पंजाब में क्यों ऐसा नहीं

होता तो वहां उत्तर प्रदेश की तरह से गैरजिम्मेदार लोग नहीं होंगे जो इस तरह से गैरजिम्मेदारी को प्रोत्साहन दें, जो गैरजिम्मेदारी का प्रोटेक्शन दें। वहां के जिम्मेदार लोग हैं और महसूस करते होंगे कि गलत बात नहीं होने देना चाहिये।

मुझे तो आज आफसोस है और में माननीय गृहमंत्री के खिलाफ एक चार्ज लगाना चाहता हूं कि उन्होंने अभी एक साइक्लोस्टाइल्ड पर्चा बटवाया है कि हमारी पुलिस ने बहुत ही नम्र वर्ताव विद्यार्थियों के साथ किया।

क्या यह किसी सरकार की कमजोरी नहीं कहलायेगी? जहां भी बरबर्ता के साथ कोई जुर्म किया जाता है तो उस जुर्म को करने वाला हर आदमी बराबर है, और उसे कानून के अन्दर सजा मिलनी चाहिये। यह नहीं हो सकता कि अगर उसी जुर्म को एक क्षात्र करें तो उसे छोड़ दिया जाय, और अन्य कोई नागरिक करे तो उसे उसी जुर्म को करने पर सजा हो जाय। हां, ८-९ साल के बच्चे इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है, किन्तु जो क्षात्र २०-२२ साल की उम्र के हैं उनको अलग नहीं कियाजा सकता। अगर लड़के इस तरह की बातें करते हैं, तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। जब आप यह स्वयं स्वीकार करते हैं कि वह एक शर्मनाक घटना हुई, फिर उसके बाद उसकी सहानुभूति में जगह जगह पर जुलूस भी निकाले गये, जगह जगह हड़तालें भी हुई, जगह जगह पथराव भी किये गये, मोटरें तोड़ी गयीं, उनके शीशे तोड़े गये, और तरह तरह के उपद्रव किये गये। तो अब सरकार का क्या फर्ज है? अगर यही तरीका आन्दोलन को चलाने का है तो मैं पूछता हूं कि क्या किया जाय? क्या आप चाहते हैं कि यह होने दिया जाय? मैं पूछता हूं कि किस चीज के लिये उनको यूनियन की जरूरत है? छात्रों का मुख्य ध्येय विद्या अध्ययन करना है, न कि इस तरह की बातें करना। मैं माननीय चन्द्रजीत यादव जी से यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के अन्दर यह यूनियनिज्म और ट्रेडयूनियनिज्म आदि को बरदाश्त नहीं किया जा सकता। उस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, मैं समझता हूं कि वह बिलकुल ठीक ही कहा है कि हम ऐसी हालत में शिक्षा संस्थाओं को बन्द कर देंगे। मैं पूछता हूं, अगर छात्रों की ओर से यह सब बातें होती हैं तो शिक्षा संस्थाओं को क्यों चलाया जाय?

पुलिस के हस्तक्षेप की बात कही जाती है। मैं पूछता हूं कि पुलिस किस लिये है? क्या वह ला ऐन्ड आर्डर के मेन्टेन करने के लिये नहीं है? जब इस तरह की बातें होती हैं तो पुलिस का फर्ज हो जाता है कि वह ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन करे। अगर छात्र कोई जुर्म करते है तो उनको भी उसी ला से डील किया जायेगा जिससे कि दूसरों को किया जाता है।

मान्यवर, मैं आप से नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि माननीय चन्द्रजीत यादव कहते हैं कि अगर इसकी कोई गम्भीरता थी, इसको किसी तरह हल करना था, तो उसके लिये यह किया जा सकता कि एक कन्वेन्शन बुलाया जाता, उसमें माननीय गृह मंत्री होते, वाइस चान्सलर होते, कुछ प्रोफेसर्स होते और इस समस्या पर विचार करते और इसके लिये कोई रास्ता निकालते।

छात्रों के प्रतिनिधि की बात कही जाती है। मैं पूछता हूं कि किस लिये उनके प्रतिनिधि हों? अगर उनको कुछ कहना है, उनकी कुछ शिकायतें हैं, कहीं कोई खराबियां हैं, तो उनको वाइस चान्सलर को लिख कर दे देना चाहिये। अब वाइसचान्सलर उनको देखेगा, अगर कहीं खराबियां है तो वह उनको दूर करने का प्रयत्न करेगा। अगर आप समझते हैं कि वाइस चान्सलर भी खराब है, प्रोफेसर्स भी खराब है, गृह मंत्री जी भी खराब हैं, यह सरकार भी खराब है, जब सभी जगह आपको खराबी ही खराबी नजर आ रही है तो इंसाफ फिर होगा कैसे? फिर क्यों यह मांग की जाती है कि एक कन्वेन्शन बुलाया जाय? उससे फिर क्या फायदा होगा? अगर आपका उनमें विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नही होगा उससे। जब उन सब में आपका विश्वास नहीं होगा, तो फिर क्या स्टूडेन्ट यूनियन के प्रतिनिधि करेंगे? कौन करेगा? उसका तरीका यही हो सकता है कि छात्र अपनी शिकायतों को लिख कर वाइस चान्सलर को दें, और वह उस पर उचित कार्यवाही करे।

[श्री ब्रज भूषण शरण]

मान्यवर, जितनी शक्ति मुझमें है, उस शक्ति के साथ मैं इस बात की अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की अनुशासन हीनता को बरदाश्त नहीं किया जायेगा। आज विद्यालयों में जो अनुशासनहीनता बढ़ती चली जा रही है इसको दमन करना होगा उसको रोकना होगा। आप कहते हैं कि हमारे ये विद्यार्थी राज्य के कर्णधार होने वाले हैं, ठीक है, मगर जब यह परेड में नहीं जाते हैं तो किस कारण से उनका फाइन माफ कर दिया जाय? आप कहते हैं कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि हम खून देंगे, अपना खून देकर राष्ट्र की रक्षा करेंगे, मैं कहता हूं कि जो छात्र एन० सी० सी० परेड नहीं कर सकते वे क्या खून देंगे?

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से एक गम्भीर विषय को यह साइडट्रैकिंग ही है, यह नहीं होना चाहिये। अगर कहीं गलती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिये। यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो दूकानों को लूटा जाय, जगह-जगह पथराव किये जायं और दूसरी ओर हमसे आश्वासन मांगा जाय? जिन्होंने भी अपराध किया है, उनको सजा देनी होगी। हम कोई छात्रों के दुश्मन नहीं हैं, हमारे भी भाई भतीजे पढ़ते हैं, शिक्षा संस्थाएं चलनी चाहिए, उनकी पढ़ाई चलनी चाहिए, लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो उनको बरदाश्त नहीं करना चाहिये। इस तरह की हरकतें करने वालों को कानून के अनुसार जरूर दंड मिलना चाहिये। श्रीमन्, हमारे इतिहास में भी आप देखें कि इंसाफ की कितनी अच्छी-अच्छी मिसालें मौजूद हैं। जहांगीर के समय का एक किस्सा है। जहांगीर के सामने एक बार एक धोबन आयी। उसन बादशाह जहांगीर से कहा कि हुजूर आपकी औरत न मेरे खाविंद को मार दिया है। जहांगीर ने उससे कहा कि तुम उसके खाविंद को मार दो। इंसाफ की यह मिसाल हमारे सामने है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिन छात्रों ने अपराध किया है उनको वही सजा दी जानी चाहिये जो किसी दूसरे को कानून के अन्दर वही अपराध करने पर मिलती है।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज छात्र जगत् के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में जो विचार हो रहा है उसके सम्बन्ध में दो भाषण काफी जोश के साथ हुए और पहले से बने हुए विचार रखे गये। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो कुछ कहा है कि इलाहाबाद में जो कुछ कृत्य हुआ उसको वे पसन्द नहीं करते, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं देता, और मैं समझता हूं कि इसको विद्यार्थीवर्ग भी समझता है। माननीय गृह मन्त्री इसको स्वीकार नहीं करते लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया कि आजकल का विद्यार्थीवर्ग गैरजिम्मेदार हो गया है, उसमें इस तरह का एक वातावरण पैदा हो गया है और वह इस स्तर तक पहुंच गया है कि पुलिस के बिना काम नहीं चल सकता।

मैंने अपने कामरोको प्रस्ताव में यह बात रखी थी कि सबसे गम्भीर विचार करने की बात यह है कि सारे कामों और सारे प्रयत्नों के होते हुए भी आज का विद्यार्थीवर्ग इस स्थिति को कैसे पहुंच गया है? उसकी जिम्मेदारी किस पर है? हमारे प्रदेश के विद्यार्थी हमारी और आपकी संतानें हैं और आपने जो शिक्षा संस्थाएं बनायी हैं उनमें आपने कोई कसर नहीं उठा रखी, बल्कि आपका तो यह दावा है कि शिक्षा संस्थाओं का अच्छा वातावरण बनाने केलिये हम प्रयत्नशील हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका यह स्वीकार करना कि आज हम इस स्थिति पर पहुंच गये हैं कि पुलिस के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्या इस बात को सिद्ध नहीं करता कि आपकी शिक्षा नीति सर्वथा विफल रही है। आज विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच जिस प्रकार का सौहार्द्रपूर्ण वातावरण होना चाहिये वैसा नहीं है, लेकिन उसका क्या कारण है? क्या इसके लिये आप जिम्मेदार नहीं हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि इस समस्या को किसी भी प्रकार पुलिस के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। गृह मन्त्री जी ने कहा कि हम तो केवल उस वक्त पिक्चर में आते हैं जब कि ला ऐंड आर्डर का सवाल पैदा होता है, लेकिन कैबीनेट की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है। आज हर मन्त्री क्या यह नहीं कहता कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच जो सौहार्द्रपूर्ण वातावरण होना चाहिये वह नहीं है, विद्यार्थियों में अराजकता की स्थिति है। लेकिन इसका जवाब विरोधीदलों को नहीं, सरकार को ही देना होगा। प्रान्त की शिक्षा जिनके हाथ में है उनको इसका जवाब देना होगा अथवा उनको कहना चाहिये कि हमारी शिक्षा नीति विफल हुई है और इसी बात पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। हम अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर सके हैं इसलिये यह जो हमारा युवकवर्ग है वह बिगड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा दोष सरकार का है। हम पर उसका दोष नहीं मढ़ा जा सकता। जिन पर हमारे देश का सारा भविष्य निर्भर करता है उस छात्रवर्ग के लिये आज हम यह कहने की स्थिति में हैं कि वह बिलकुल बिगड़ गया है, बेकार है। वे गुंडे हैं, इसलिये हम उन पर लाठी चलाते हैं। आखिर यह स्थिति क्यों आयी ? इतने दिनों तक आप क्या करते रहे, इसका आप जवाब दें।

आज आप जो यह कहते हैं कि विरोधी दल के लोगों ने उकसा दिया, इसलिये विद्यार्थी बिगड़ गये, मैं समझता हूं कि यह उस समस्या का कोई हल नहीं है। अगर आप अपनी शिक्षा नीति पर विचार किये होते, अगर आप विरोधी दल की बातें सुने होते, अपनी जिम्मेदारी को सोचे होते, तो यह वातावरण नहीं हो सकता था। जो इस प्रदेश में रहते हैं वे जानते हैं कि यहां की शिक्षा नीति क्या है। यहां की शिक्षा उसी प्रकार है जैसे कि पानी बह गया या हवा बहती है ? वैसे ही विद्यार्थी अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं। किसी ने उनके बारे में सोचा तक नहीं कि वे किधर जा रहे हैं। और जब आप इस विषय पर विचार नहीं करते हैं, कोई योजना नहीं बनाते हैं, उनके अन्दर अच्छे संस्कार नहीं डालते हैं, तो फिर कैसे उनसे उम्मीद करते हैं कि वे सही मार्ग पर चल सकेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि उसका परिणाम केवल एक मन्त्री को नहीं भुगतना होगा, बल्कि दूसरे मन्त्रियों को भी भुगतना होगा। जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है, यहां का वातावरण तब तक अच्छा नहीं बन सकता जब तक कि विद्यार्थियों के अन्दर अच्छे संस्कार न डाले जायं। जब हम लोगों की तरफ से शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहा गया तो हमसे यह कहा गया कि कांग्रेस सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम कर रही है जो संसार की कोई भी सरकार न कर सकी होगी। वे कहते थे कि हम विद्यार्थियों को भारत के भावी नागरिक बना रहे हैं, लेकिन आज सरकार खड़ी होकर कहती है कि विद्यार्थियों में अनार्की आ गयी है, वे हमारे संयम में नहीं रह रहे हैं, तथा वे गुंडई करते हैं।

आज विरोधी दल की ओर से कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में कुछ नालायक हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यह बात गलत है, आज तो सारा विद्यार्थीवर्ग ही खराब हो गया है। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये बड़ी निराशा की बात है। मैं अपने दल की तरफ से कहता हूं कि हमारे लिये भारी चिन्ता इस बात की है कि यह एक जो घटना हुई है और जो वातावरण बन रहा है उसको सुलझाया जा सकता है। जो लोग यह कहते हैं कि यह आन्दोलन बढ़ेगा, मैं उनसे कहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि यह आन्दोलन आगे बढ़ने न पावे। विरोधी दल की भी यह जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के आन्दोलन को न बढ़ने दे और मैं अपने दल की तरफ से ऐसा कहता हूं कि यह आन्दोलन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज मुझे भारी चिन्ता है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं। एक साल की पढ़ाई कम हो सकती है, इम्तिहान में विद्यार्थी कम नम्बर पा सकते हैं, इसमें तो हमारे लिये कोई चिन्ता की बात नहीं है, लेकिन जो व्यवहार आज विद्यार्थियों द्वारा किये जाने को कहा जा रहा है, और उनको पुलिस द्वारा डंडे के बल पर दबाने की बात जो सरकार की तरफ से कही जा रही है और उससे जो वातावरण उत्पन्न किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उससे इसका कोई हल नहीं होने वाला है। चीनी हमले के बाद हम सभी समझते थे कि हमारा युवकवर्ग संघर्ष के लिये आगे

[श्री शारदाभक्त सिंह]

खड़ा होगा, लेकिन जब यहां की खबर चीन में सुनी जाती होगी तो वह हमारे देश और प्रदेश के बारे में क्या सोचता होगा, यह सोच कर ही हमारा सर शर्म से नीचा हो जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह का वातावरण हमारे लिये अच्छा नहीं है।

दूसरी बात जो यह कही गयी कि विरोधी दल के उकसाने से इस तरह की बात हुई, मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हमारे दल की तो नीति ही यह है कि विद्यार्थी वर्ग को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये और अभी हमारे दल के एक नेता ने जब विद्यार्थीवर्ग के बीच में भाषण दिया तो अपने भाषण में उन्होंने यही कहा कि जो भी तुम्हारी उचित मांग हो उसको मनवाने के लिये हम विरोधीदल के लोग सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि वे उनको मान ले, लेकिन विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये, लेकिन यह बात शायद माननीय गृह मन्त्री के कानों में तक न पहुंची होगी। सारा विरोधी दल ही गैरजिम्मेदाराना ढंग से काम करता है, और विद्यार्थियों को भड़काता है, आपका यह कहना ठीक नहीं है। विद्यार्थियों से हम बराबर कहते हैं कि उनको राजनीति में नहीं डालना चाहिये, लेकिन साथ ही पुलिस द्वारा जो उद्दंड व्यवहार किया जा रहा है और विद्यार्थियों को डंडे से दबाने की कोशिश की जाती है तो यह भी उसका कोई उचित हल नहीं है। अगर हमारे विद्यार्थीवर्ग तथा युवकवर्ग गैरजिम्मेदराना काम करें तो इससे इस देश का काम नहीं चल सकता है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि आखिर वह अपने ही लोग हैं, अपने विद्यार्थी हैं और अगर उन में कोई उद्दंडता आई है तो सहानुभूति से उन से मिलकर, उनको समझाकर, उनके साथ बैठ कर उनकी उचित मांगों को मानकर, परन्तु गलत आदमियों के साथ कठोर व्यवहार कर के, विरोधी दलों को विश्वास में लेकर उनके साथ आप न्याय करें।

मैं फिर दोहराता हूं कि लखनऊ में जो विद्यार्थीवर्ग में उत्तेजना है और जो मांगें रखकर उनको तैयार किया गया है उसमें आप के एक गुट विशेष का हाथ है। यूनिवर्सिटी से जो आप के दलों का सम्बन्ध है जो आप का गुट है उस सब में पिछले इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है कि सरकार के विरोध में उस वक्त दूसरे गुट ने कोशिश की थी और इस बात पर जोर दिया गया कि गृह मंत्री की एफीजी निकालो। जो कुछ भी घटनाएं हुईं सरकार यदि उन की तह में जाय तो मालूम होगा कि आप के मंत्रिमंडल के लोग और गुट के लोग विद्यार्थियों में जाकर उन को सलाह देते हैं तो यह विद्यार्थियों की नहीं सरकार की गलती है। आप उन में अनुशासन नहीं ला सकते। आप वह वातावरण पैदा नहीं कर सकते, आप की गुटबन्दी से विद्यार्थी जगत् का सारा वातावरण प्रान्त में बिगड़ा है। आप की विरोधी ही निन्दा नहीं कर रहे हैं और न वह प्रदेश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि एमर्जेन्सी है और हमारे दल की ओर से आप को आश्वासन है कि हमारा दल कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे शर्मनाक स्थिति पैदा हो, लेकिन आप को देखना होगा कि शासन के गुट अगर विद्यार्थियों का साथ देंगे तो शान्ति नहीं रह सकती।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

श्रीमन्, विद्यार्थियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में जो वादविवाद हुआ उस को मैंने सुना। आज की जो इस सम्बन्ध में स्थिति है वह काफी गम्भीर है और विषम भी है। हमें समझना चाहिये कि हमारे देश का भविष्य क्या होने वाला है, हम सब जानते हैं कि हमारे आज के विद्यार्थी हमारे देश की भावी आशाएं हैं। आज एक तरफ तो रूस और अमरीका के विद्यार्थी विज्ञान और साइंस के क्षेत्र में हर प्रकार आगे बढ़ रहे हैं और उन का हौसला है कि स्पेस में जायें, लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश जो कि विज्ञान में पिछड़ा है तो उस की तो और भी अधिक जिम्मेदारी है कि ज्यादा मेहनत कर के दूसरे प्रगतिशील देशों के साथ उनकी पंक्ति में खड़ा हो और आगे बढ़ सकें।

(इस समय ७ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

हमें बहुत अफसोस है कि आज वह उस तरफ ध्यान न देकर इस तरह से तोड़फोड़ के काम करते हैं, बसों को जलाते हैं, सिनेमाओं में आग लगाते हैं, राष्ट्रीय नेताओं को गालियां देते हैं और जबर्दस्ती लोगों से हड़ताल करवाते हैं। कभी-कभी यह सब देखकर हम सोचने लगते हैं कि यह देश कहां जायगा और इस क भविष्य में क्या लिखा है।

आज यहां पहली बार माननीय चन्द्रजीत यादव ने उन के इन कृत्यों को कनडेम किया है कि गंगानाथ झा होस्टल में जो कुछ हुआ वह बुरा हुआ, इस की मुझे खुशी है। वहां जो कुछ घटनाएं घटीं उन का कोई शरीफ आदमी अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता। शुरुआत गंगा नाथ झा होस्टल से हुई, २५ सितम्बर को। विद्यार्थियों की तरफ से वाइसचांसलर के सामने ३ मांगें रखी गयीं, एक यह कि विद्यार्थी चौधरी को जिस को कि इस शर्त पर परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी गई थी कि जब तक उन के केस का हाईकोर्ट से फैसला न होगा तब तक उनके परीक्षाफल की घोषणा नहीं की जायगी, उन्होंने कहा कि नतीजा दिया जाय और उन के ऊपर लगी पाबन्दियों को वापस लिया जाय। दूसरी उन की मांग यह थी कि गंगानाथ झा होस्टल के जिन ८ विद्यार्थियों को एक्सपेल किया गया था और जो उन के जुर्माने थे उन को माफ किया जाय, उनमें से ५ पर ५०-५० रुपया जुर्माना था, वह कहते थे कि जुर्माना माफ किया जाय और एक्सप्लेशन माफ किया जाय। तीसरी मांग यह थी कि एन० सी० सी० में गैरहाजिर लड़कों पर जो १-१ रुपया जुर्माना हुआ था वह वापस किया जाय। वाइसचांसलर ने कहा कि पहली मांग के विषय में चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है इस वास्ते मैं कुछ अभी नहीं कर सकता और एक्सप्लेशन के बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन इस प्रकार की हरकतें क्षम्य नहीं हैं। एन०सी० सी० के जुर्माने के मामले पर भी अभी विचार किया जा सकता है, लेकिन इस सब को लेकर वाइसचान्लार के बंगले को घेरा गया। पथराव किया गया, उस पर लाठी चार्ज करना पड़ा, हौज पाइप का इस्तेमाल हुआ। उसको ले कर कुछ विद्यार्थी लखनऊ आये। उसदिन पंडित जवाहर लाल नेहरू लखनऊ आये थे, लोगों ने कोशिश की कि वहां झगड़ा किया जाय, लेकिन मुझे खुशी है कि अधिकांश विद्यार्थी चाहते थे कि हड़ताल न हो, झगड़ा न हो। अतः प्रधान मंत्री का फंक्शन कामयाबी के साथ सम्पन्न हुआ। मगर उसके बाद जो दूसरा दल था और जो हड़ताल चाहता था वह उन पर हावी हुआ और हड़ताल हुई, ऐफीजीज जलायी गईं, जलूस निकाले गये, दुकानों के शीशे तो ड़े गये, और बसें तोड़ी फोड़ी गईं और न जाने क्या क्या हुआ।

मुझे खुशी है और मैं चाहूंगा चन्द्रजीत यादव जी आज जो पब्लिक का रीऐक्शन हुआ है उसको स्टडी करें। जनता कह रही थी कि सरकार कैसी है जिसने हमको कुछ लड़कों के रहमोकरम पर छोड़ दिया है जिनमें कोई सिविक सेंस नहीं है। जानता हूं, जब विद्यार्थियों पर कभी कोई ज्यादती होती है तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि वह हमारे और आपके दिल और जिगर के टुकड़े हैं मगर सरकार को ला ऐंड आर्डर को मेन्टेन करना ही पड़ता है और उसको तकलीफ होने के बाद भी अपना कड़ुवा फर्ज अदा करना पड़ता है। माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने बहुत सी बातें कहीं कि स्टूडेंट्स को बहुत सी दिक्कतें हैं, उनका ऐडमीशन नहीं होता, उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की बहुत सी शिकायतें हैं, गबन आदि की, मगर यह शिकायतें सब जगह तो नहीं थीं जो १७,१८ जगह इस तरह की हरकतें हुईं और जहां आन्दोलन हुए, लेकिन आप यह नहीं सोचते कि वह किस चीज को ले कर चले। अगर गंगानाथ झा होस्टल के वाकये को ले कर आन्दोलन चलता है तो मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? मैं किसी पार्टी पर आक्षेप नहीं करता।

माननीय शारदा भक्त सिंह ने कहा कि कोई ग्रुप है विश्वविद्यालय के अन्दर, मैं उसके बारे में नहीं जानता। हां, एक बात जानता हूं कि कोई भी पार्टी हो मेरी सबसे अपील है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का फर्ज है कि विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ न करें, उनको लेकर राजनीतिक जीवन में स्वार्थ सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा न करें इस आग से न खेलें अन्यथा वह खुद तो भस्म होंगी ही देश को भी भस्म करेंगी। यह बच्चों को कांस्ट्रक्टिव एज है, इनका मुख्य काम स्टडी है साथ ही साथ देश की समस्याओं का अध्ययन करें तथा अपने को उनका मुकाबिला करने के लिए

[श्रीनवल किशोर]

हर तरह से समर्थ बनायें। ऐसा न करके क्या मांगें होती हैं कि वाइस चांसलर को हटाया जाय, टीचर्स को निकाला जाय। कल यह भी उनको च्वाइस दे दी जाय कि वह चाहें तो अपने मां-बाप को मानें या न मानें। क्या ऐबर्सार्डिटी है? मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा विद्यार्थी वर्ग कहां जा रहा है। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी यूनियन बनायें। किस लिये? इसलिये कि स्टडी सर्किल बने, अध्ययन करें, अपने चरित्र का निर्माण करें। मैं माननीय चन्द्रजीत यादव जी से पूछना चाहता हूं कि गंगानाथ झा होस्टल में जो चीज हुई, क्या कोई अच्छी बात थी, क्या कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी इस तरह ओपेनली उन कामों को कर सकता था? क्या ऐसी हरकतों के बाद विद्यार्थी, विद्यार्थी रह गया? जो भी आफेंडर है चाहे मैं हूं या अन्य कोई, क्या आप उसके लिये मांग करेंगे कि उसको छोड़ा जाय? मेरा ख्याल है कि कोई सेंसिबिल आदमी नहीं कहेगा। इसलिये जब विद्यार्थी ने कोई आफेंस किया तो वह स्टूडेंट नहीं रहा, एकदम आफेंडर हो गया और उसको कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिये। फिर आप यह क्यों कहते हैं कि विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाय?

एक बात और कही गयी कि पुलिस को विश्वविद्यालय के प्रांगण में नहीं भेजना चाहिये। किसको शौक है भेजने का? वाइस-चांसलर घेर लिया जाय, उसका बंगला घेर लिया जाय, उसकी जान खतरे में हो और वह हमसे कहे कि हमको बचाओ तो क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि उनकी रक्षा करे? आप चाहते हैं कि उनका मर्डर हो जाता और पुलिस न वहां भेजी जाती। मैं जानता हूं कि बहुत सी गलतियां भी होती हैं, मगर इस आंदोलन के अन्दर यह पहला मौका है कि तमाम पब्लिक और प्रेस की सिम्पेथी आज पुलिस के साथ है।

यह सही है कि पुलिस ने कोई एक्सेस नहीं की। आपने 'पयानियर' का हवाला दिया है। यदि आपने नेशनल हैराल्ड में श्री चेलापति राव का एडिटोरियल लेख पढ़ा होता तो प्रकाश मिल गया होता कि आज जो कांड हुये हैं वह गलत हुये हैं। मैंने माना कि डिसिप्लिन को पुलिस के डंडे से नहीं रख सकते तो उसका क्या तरीका है वह भी तो आप बता दें?

आपने बताया कि ये कमियां हैं वे कमियां हैं। हिन्दुस्तान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, करीब १९-२० उनमें लेबोरेटरीज की कमियां हैं। ओवर क्राउडिंग है, कुछ मान रेजीडेंशियल भी हैं। जो आन्दोलन चल रहा है उसकी रूपरेखा अच्छी नहीं है। मैंने भी अपना राजनीतिक जीवन विद्यार्थी आन्दोलन से शुरू किया था और वह भी शुरू का जमाना था सन् १९३६ का, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी दल हो, हमको चाहिये कि जो स्टूडेन्ट्स हैं उनको सही लीडरशिप वह दें। आपको नाराजगी हो सकती है। डिमौन्सट्रेशन किये जा सकते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी बहुत से प्रोसेशन्स को लीड किया, पर बसों को नहीं जलाया। उस बस वाले ने क्या कसूर किया था, यह शिकायत गवर्नमेंट से थी तो ठीक है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैंने उसको पढ़ा और जहां तक मैंने समझा उसका आशय यह था कि अगर आन्दोलन बन्द नहीं होता तो गवर्नमेंट मजबूर हो जायगी ऐसे कदम उठाने को। तो विश्वविद्यालयों को हमने तो बन्द नहीं किया, उनकी आटोनौमी को मैन्टेन रखा। यह इत्तिफाक की बात है कि दशहरे की छुट्टियां होने को थीं उसे आप एक्सप्लायट कर सकते हैं?

माननीय यादव जी से, श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे इसको स्टडी करें कि पुलिस के कितने घंटे, कितनी मैन पावर का इस्तेमाल होता है, विद्यार्थी आन्दोलन की वजह से जब कि समस्या है डैक्वायटी और बार्डर की। श्री यादव जी ने कहा है कि विद्यार्थी तो खून भी देने को तैयार हैं। मुझे भी पूर्ण आशा है कि जब वक्त आयेगा तो वे खून भी दे देंगे। एन०सी०सी० भी उसी का हिस्सा है। माननीय यादव जी भी इत्तफाक करते हैं कि एन० सी०सी० कम्पलसरी होनी चाहिये और उसकी परेड पर जाने से इंकार करें और परेड में न जाने से १ रुपया जुरमाना हो तो बड़ा अत्याचार हो गया! ऐसी चीजों को बहुत बढ़ावा दिया

गया है। एक चीज विद्यार्थी लोग यह समझ लें कि आज वे आइसोलेट हो गये हैं। उनको चाहिये कि गलत तरीकों को छोड़ें।

विश्वविद्यालय के अन्दर ४ मांगें पेश की गयी थीं। ये ४ मांगें बढ़ती बढ़ती २६ हो गयीं। यह चार्टर आफ डिमांड बढ़ता जाता है। यूनियन होनी चाहिये, अच्छी बात है पर ट्रेड युनियन की स्पिरिट विद्यार्थियों में न पैदा की जाय। मुझे इस बात की भी शिकायत है कि हमारे जो जो टीचर्स हैं वे पालीटिशियन है, स्टुडेंट्स पालीटिशियन्स हैं और चन्द्रजीत यादव जी तो हमारे पालीटिशियन्स हैं ही तो जब सभी पालीटिशियन्स हो जायं तो उनके अन्दर काफी दिक्कत पड़ती है। मैंने टीचर्स से दरख्वास्त की थी कि वे मेहरबानी करके स्टूडेंट्स को अपनी चेसबोर्ड का शिकार न बनायें। आम तौर से आज स्टूडेंट्स के हमदर्द बहुत कम हैं। एक काम तो यह है कि विद्यार्थियों का जो यह आन्दोलन है उसको बन्द हो जाना चाहिये। यूनिवर्सिटी खुलेंगी, खुलनी चाहिये, कालेज भी खुलेंगे परन्तु उसके लिये एक स्वस्थ वातावरण प्रदेश में पैदा होना चाहिये। मैं विद्यार्थियों से तथा उनके नेता भाइयों से कहना चहता हूं कि अपने किसी आवेश में जो उन्होंने कदम उठाया है वह गलत है और अब भी वक्त है, यह भी एक स्पोर्टिंग स्प्रिट की बात है, अपनी गलती को महसूस कीजिये। सही मांग वाइस चांसलर के सामने पेश कीजिये, उनकी सिम्पेथी आपके साथ रहेगी, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लीजिये। कोई भी गवर्नमेंट होगी उसे ला एंड आर्डर को मेंटेन करना होगा, करना चाहिये और अगर नहीं करती है तो वह गवर्नमेंट गवर्नमेंट में रहने योग्य नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर दरख्वास्त करूंगा अपने तमाम साथियों से कि वे इस बात में इमदाद और सहयोग दें और इस प्रदेश में सही वातावरण बनायें।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, शरण साहब के मुंह से यह सुन कर कि हम यूनीवर्सिटी को बन्द कर देंगे, मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने गृह मंत्री का हवाला दिया। आप मालिक हैं। आपके हाथ में व्यवस्था है, आप विश्वविद्यालय तो क्या भारत के भविष्य को भी बन्द कर सकते हैं। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब आप यह कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज को बन्द कर देंगे, इसके मानी क्या होते हैं? ये वही यूनीवर्सिटीज हैं जो डाक्टर पैदा करती है, इंजीनियर पैदा करती हैं और साइंटिस्ट पैदा करती हैं। चीन से लड़ने के लिये हमारे जो सैनिक प्रहरी हैं उनकी सेवा के लिये डाक्टर पैदा करती हैं। यह वह विश्वविद्यालय हैं जिनमें इंजीनियर्स पैदा किये जाते हैं जो हिमालय की उपत्यकाओं में और दुर्गम घाटियों में जाने के लिये सेना के लिये मार्ग बनाने में लगे हुये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि किसी को इस बात को खुशी नहीं है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, खास कर ऐसी घड़ी में जब कि हमारे देश सामने एक खतरा हो, ऐसा खतरा हो जिसे देखते हुये हिन्दुस्तान का हर आदमी जो इस सरजमीन से मोहब्बत करता हो, परेशान हो और ऐसे मौके पर हमारे नौजवान रूठे हुये हों, हमसे नाराज हों उनको हम बुरा भला कहें यह कुछ उचित नहीं मालूम होता। आप स्वयं एक विद्वान् हैं। एक रोगी यदि ज्वर की स्थिति में प्रलाप करे, कोई अपशब्द डाक्टर के लिये उसके मुख से निकल जाय तो क्या डाक्टर का यही कर्त्तव्य होता है कि उसकी जबान काट ले।

जो कुछ हुआ है उसके ब्योरे में मैं नहीं जाना चाहता, चाहे वह गंगा नाथ झा होस्टल की घटना हो, चाहे और स्थानों की घटना हो, लेकिन माननीय नवलकिशोर जी ने जैसा कबूल किया तो क्या इतनी छोटी सी बात में इतना दम हो सकता है कि सूबे के एक छोर से दूसरे छोर तक नौजवान आन्दोलित हो उठें? मैं समझता हूं कि यह ऊपरी कारण है, समस्या का मूल कारण यह नहीं है। आज से एक वर्ष पूर्व राज्यपाल महोदय ने एक यूथ स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और हम लोगों ने देखा था कि उस कमेटी के चलते हमारे प्रदेश के युवकों में अपनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

इशाधीनता की रक्षा के लिये कितना ज्यादा जोश और उमंग थी ? क्या कारण है कि एक वर्ष नहीं बीत पाया परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है । आप इस बात को कबूल करेंगे, फिर यह क्यों हो रहा है । हम सभी को अपने गरेबान में हाथ डाल कर देखना चाहिये तो सच्चाई की ओर निगाह जायगी और फिर में ऐसा समझता हूं कि इस समस्या का हल निकालना मुश्किल नहीं है । क्या यह सही नहीं है कि कुछ लोग अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये इन छात्रों को हथकंडा बनाते हैं ? गृह मंत्री जी अगर चाहेंगे तो में नाम ले कर बता दूंगा कि कुछ लोगों ने कुछ विश्वविद्यालयों में उपद्रव कराये जिससे किन्हीं लोगों को लाभ हुआ । जब वे छात्र नहीं रहे तो किसी को कोयले की दुकान दे दी गयी और किसी को शराब का ठेका दिया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ इस सत्य का उद्‌घाटन करना चाहता हूं । गृह मंत्री जी स्वयं इस बात से परेशान होंगे कि आखिर करना क्या चाहिये । यह भी कहा गया और बहुत हद तक यह बात सही भी हो सकती है कि विद्यार्थियों के इस असंतोष को ले कर हमारे देश के जो दुश्मन हैं वे इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि विद्यार्थियों में जो सैनिक प्रशिक्षण किया गया है वह न चल पाये । तो क्या हम थोड़े से ऐसे लोगों की साजिश को चलने देंगे ? गहराई से सोचिये इस समस्या पर ।

एन०सी०सी० का नाम लिया माननीय नवलकिशोर जी ने । जाती तौर पर मैं स्वयं इस राय का हूं कि आज जिस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है हिन्दुस्तान के हर नौजवान को मुल्क के ऊपर आने वाली विपत्ति से लड़ने के लिये तैयार रहना चाहिये । लेकिन वह तैयारी क्या जुरमाने के द्वारा हो सकती है या डंडा मार कर की जा सकती है ? माननीय नवलकिशोर जी स्वयं इस बात को मानेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी उद्दंड और अनुशासनहीन नहीं हो गया है । मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं कि एक कुलपति आता है । उसके आने के पूर्व स्थिति क्या थी और उसके आने के बाद की स्थिति क्या हुई ? उपकुलपतियों की जब आप नियुक्ति करते हैं तो उस समय आप इन बातों को सोचा करें कि इन विद्या-मंदिरों में ऐसे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा करना है जो आज के हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्णन् की कुर्सी पर बैठेंगे या जिस कुर्सी पर आचार्य नरेन्द्रदेव जी जैसे लोग बैठे चुके हैं । आज आपने किन लोगों को बैठाया है ? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और कैसे आप बैठाते हैं इन लोगों को, यह आप स्वयं जानते हैं । मैंने देखा था काशी विश्वविद्यालय में आचार्य नरेंद्रदेव जी के आने के पूर्व की स्थिति को और उनके आने के बाद की स्थिति को । तो उपकुलपतियों की जब आप नियुक्ति करें तो आपको यह सोचना चाहिये कि शिक्षा की दृष्टि से या व्यक्तित्व की दृष्टि से उस आदमी को ऐसा तो होना चाहिये जिससे विद्यार्थी प्रेरणा ले सकें । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पिछले ही वर्ष, माननीया सुशीला जी उधर बैठी हुई हैं, कानपुर मेडिकल कालेज में जिन अध्यापकों ने छात्राओं के साथ कुकृत्य किये उनको क्या दंड दिया गया ? सदन को सुना दिया गया कि उनके तबादले कर दिये गये । लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वही अध्यापक फिर वहां आसीन हैं । (शेम, शेम की आवाजें) ।

श्री अधिष्ठाता—

विभाग की चर्चा आप शुरू न करें । बड़ी गम्भीरता से इस पर विचार हो रहा है और उस गुरुता को आप कायम रहने दें ।

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, यह एक संकेत था मेरा । आज ऐसे अध्यापक सुनने में आते हैं जो विद्यार्थियों के साथ मयखानों में बैठा करते है । ऐसे अध्यापकों से क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप जैसे मेधावी और चरित्रवान छात्र बनायेंगे ? अगर आपकी कल्पना है और बेकरारी है इस बात की कि आपका युवक अनुशासित हो तो उसमें अनुशासन को लाने के लिये सबसे पहले

आपको पुलिस के इन डंडों को रोकना होगा । सरस्वती के इस विद्या मंदिर को आप क्या समझते हैं कि ईट, चूने और गारे से बना हुआ है ? इन प्राचीरों को आपने विद्या मंदिर मान रखा है । अध्यापक यदि इस मंदिर के प्राण हैं तो विद्यार्थी इसके संगीत और जीवन हैं । जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनेगा तब तक हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है । मुझे पंडित जवाहर लाल जी और आचार्य नरेंद्रदेव जी के भाषण सुनने का मौका मिला था । उन्होंने कहा था कि ऐसा जनसमाज जिसका भविष्य अंधकारमय हो, जिसको पता नहीं है कि ऊंची से ऊंची डिग्री लेने के बाद उसको रोजी का कोई रास्ता मिल सकेगा या नहीं ऐसे विद्यार्थी के लिये क्या हम नहीं कह सकते हैं कि "Empty mind is a devils workshop" ? लेकिन यह वह विद्यार्थी हैं जिनकी कुरबानी के बल पर आपको यह गद्दी नसीब हुई है । देश की स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के पन्नों को उलटकर देखा जाय तो मालूम होगा कि १९४२ की क्रांति में सब से अधिक बलिदान विद्यार्थियों का ही था और उस समय मैं गृह मंत्री जी के साथ विद्यार्थी के रूप में बनारस जेल में था ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, अभी सदन के समक्ष जो प्रश्न उपस्थित है वह अपने देश के लिये काफी महत्वपूर्ण है । मैं समझती हूं कि जिस अनुशासनहीनता की मांग को लेकर आज प्रदेश में जो वातावरण उत्पन्न हो गया है वह काफी गम्भीर है । जब वहां से मैं २० तारीख को सुबह इलाहाबाद पहुंची तो उसी समय मैंने इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या बात हुई जिससे ऐसा वातावरण पैदा हुआ और स्वयं मैं वाइसचांसलर महोदय के बंगले पर पहुंची और वहां जाकर जो दृश्य मैंने देखा उसको देखकर मैं स्तब्ध रह गई । मुझे इस प्रकार के वातावरण से बड़ा अचम्भा हुआ कि विद्यार्थियों ने उपकुलपति के बंगले पर अपने अध्यापकों के सामने ईंट और पत्थर बरसाये । उनके बंगले की चहार दीवारी टूटी हुई थी और ईंटें बिखरी हुई थीं और वहां पर करीब २५/३० टीचर्स मौजूद थे । उपकुलपति जी जिनको मैं जानती हूं, काफी सज्जन और सुलझे हुये हैं और पिछले वर्ष भी उन्होंने विद्यार्थियों की मांगों को शांतिपूर्वक और बुद्धिमानी के साथ हल किया था । मैंने इन सब बातों पर विचार किया और टीचर्स के साथ जिनको घटना की पूरी जानकारी थी, बातचीत की । उसको सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई । पहले जब कभी विद्यार्थियों और उपकुलपति के बीच कोई प्रश्न उपस्थित होता था तो विश्वविद्यालय के अध्यापक आते थे और सम्मान में विद्यार्थी उनकी बात को मान जाते थे और इस तरह से समझौता हो जाया करता था । लेकिन इस बार उपकुलपति ने सारी बात की जानकारी के लिये उच्च और बुजुर्ग प्रोफेसरों को नियुक्त किया था और उनकी राय पर कुछ सजायें दी थीं जो साधारणतया जिस तरह से घटनाएं हुईं उनमें उनसे कम सजायें नहीं दी जा सकती थीं । इसके बाद आन्दोलन को यह शक्ल दी गई ।

माननीय चन्द्रजीत यादव ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये उसमें उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में कुल १४३ लड़कों की गिरफ्तारी हुई । इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल २६ छात्र गिरफ्तार हैं जब कि ६ हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं । तो सरकार ने सारे विद्यार्थियों को नहीं बन्द कर दिया है । इस लिए कि कालेज और स्कूलों के वातावरण में और अधिक गड़बड़ी न हो और विश्वविद्यालय के छात्र फिर से इकट्ठा हो कर जोश में आ कर फिर वैसी बातें न करें, कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया है । विश्वविद्यालय की तरफ से एग्जिक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि यूनिवर्सिटी को एक नवम्बर से खोलने का प्रयास किया जाय, धीरे-धीरे खोला जाय । न सरकार की मंशा है, यहां सरकार की मंशा का प्रश्न भी नहीं आता है । यह तो उपकुलपति महोदय की बात है कि वह यूनिवर्सिटी को कब खोलते और बन्द करते हैं । उपकुलपति ने कोशिश की, इलाहाबाद के

[श्री राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

नागरिकों ने कोशिश की कि किसी तरह से वातावरण ऐसा बनाया जा सके जिसमें विश्व-विद्यालय खोला जा सके । वह प्रयास जारी है । चन्द विद्यार्थी नेताओं की तरफ से यह प्रश्न उठाया गया है । जब इस घटना के बाद उन्होंने देख लिया कि न जनता, न अभिभावक, न प्रेस, कोई भी उनका समर्थन नहीं कर रहा है तो अब उनकी समझ में यह बात आ गयी होगी, जसा कि मने सुबह पानियर में पढ़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक्स-प्रेसीडेंट ने कहा है कि विद्यार्थी आन्दोलन वापस ले लें । इसी तरह की बात अब विद्यार्थियों की तरफ से आनी चाहिये । जब यह वातावरण उपस्थित होगा, यूनिवर्सिटीज अपने आप खुल जायेंगी । किसी को खुशी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज बन्द रहें । लेकिन अगर इस तरह का वातावरण और आतंक फैलाया जाय, भय दिखाया जाय, अध्यापकों के लिये जो आदर और सम्मान होना चाहिये वह न रहे तो ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिये कुछ समय के लिये तो प्रयास करना ही पड़ेगा । थोड़े समय के लिय इसी लिये विश्वविद्यालय बन्द हैं । अगर विद्यार्थी अपनी तरफ से आश्वासन देते ह कि ऐसी बात नहीं होगी तो निश्चित रूप से एक वातावरण पैदा होगा । मैं भी जब छात्रा थी तो छात्र आन्दोलनों में भाग लेती रही । माननीय रामायण राय जी हमारे साथ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे ? उस समय हम लोगों ने भी बड़े-बड़े छात्र आन्दोलन किये, लेकिन हमारे सामनें जो नेतृत्व था वह यह नही सिखाता था कि हम उपकुलपति के घर पर पत्थर और ईटें फेंके और अध्यापकों का सम्मान न करें । तो जरूरत इस बात की है कि जिन विद्यार्थियों ने जोश में आ कर कुछ गलतियां कर दी हैं अब उनको केवल यह कह कर कि बड़े बदमाश हैं, गुंडे हैं, खराब हैं, इससे समस्या का निदान नहीं हो सकता है । हर मां सोचती है कि जो उस का नालायक लड़का होता है वह उसको ज्यादा सुधारने का प्रयत्न करती है । तो खराब लड़कों पर ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है । वह गुमराह हो गये हैं, या पोलिटिकल पार्टीज उनको उत्तेजना दे रही है, तो सरकार का कर्त्तव्य है कि उनके बीच में ऐसा वातावरण पैदा करे जिससे कि वह विद्यार्थी अपने सही मार्ग को समझ सकें । आज केवल उनको दोषी ठहरा दन से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है । यह बात सही है कि गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उन गलतियों से हम उन्हें कैसे निकालें, इसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है और इसीलिये हमको प्रयास करना चाहिये । यह मैं मानती हूं कि पुलिस के डंडे से कभी अनुशासन नहीं आ सकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीय, सदन में एक घटना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबंध में अब तक कही गई और जितने लोगों ने इस विवाद में हिस्सा लिया मैं समझता हूं कि किसी ने भी उस घटना को सही रूप में नहीं रखा और माननीय नवलकिशोर जी ने तो उसको बहुत ही बिगाड़कर रखा । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो परिचय-रात्रि गंगानाथ झा हास्टेल में मनाई गई, इस आन्दोलन का जो सारे उत्तर प्रदेश में हुआ--लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर वगैरह, में--उससे कत्तई संबंध नहीं है और छात्रों ने एक स्वर से उसकी भर्त्सना की है । वह घटना अपनी जगह पर खत्म हो गई थी । यह जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उपद्रव शुरू हुए वह नगेन्द्र सिंह चौधरी के रस्टीकेशन के सवाल को लेकर शुरू हुए और मैं कहना चाहता हूं कि नगेन्द्र सिंह चौधरी का संबंध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी है और वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत भी करते हैं, साथ-साथ वह यूनिवर्सिटी में एल० एल० एम० के विद्यार्थी भी हैं और इलाहाबाद के छात्रों में उनका असर था । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वह किसी छात्रा का ऐडमीशन कराने के लिये गये और उसी सवाल को लेकर वहां के प्राक्टर से जो झगड़ा हुआ और उस पर उनका जो रस्टीकेशन हुआ उससे उपद्रव शुरू होता है । श्रीमन्, सारा सवाल इस बात का है कि आप इस स्टूडेंट मूवमेंट को किस दृष्टि से देखते हैं और उसका संचालन करने वाले लोग कौन हैं ? आप उस समय के अगर सारे हिन्दुस्तान के एडीटोरियल्स, सम्पादकीय विचारों को पढ़ेंगे तो उसके इस समस्या पर काफी

रोशनी पड़ती है। सरकार की तरफ से बड़ी खुशी की बात है कि अखबारों की कटिंग भी छपवाकर आपने बटवायी है, उन्हीं की तरफ माननीय नवलकिशोर जी का ध्यान और माननीय हरगोविन्द सिंह जी का ध्यान अगर जाता तो उन्हें मालूम पड़ता कि कितनी भारी उनकी भूल है, कितनी भारी उनकी गलती है ।

इस अवसर पर मैं उस घटना का जिक्र करना चाहता हूं, जिस समय काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय में आचार्य नरेन्द्रदेव उपकुलपति थे जिसका संकेत कि माननीय रामायण राय जी ने भी किया, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित कुछ लड़के जब जुलूस लेकर जा रहे थे आचार्य जी के घर की ओर और आचार्य जी को जब मालूम हुआ तो उन्होंने उस ट्रैफिक पुलिस को भी वहां से हटवा दिया जो कि केवल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिये वहां थी। उन्होंने कहा मेरे अन्दर इतनी क्षमता है, मैं खुद लड़कों से बात कर लूंगा। जब जुलूस आया तो वह लड़कों के सामने गये, उनके बीच में भाषण किया, उनसे बात की और वह चले गये। लेकिन आज आपकी यूनिवर्सिटीज कैसे चल रही हैं? आप किसी भी घटना को विकृत करके रखने की कोशिश क्यों करते हैं? प्राक्टर नरेन्द्र सिंह चौधरी के साथ जिस तरह से पेश आये, उसकी जांच के लिये एक जांच कमेटी बैठाइये। मैं उन दिनों इलाहाबाद में था। जिस समय नगेन्द्र सिंह चौधरी और श्याम कृष्ण पांडेय के नेतृत्व में विद्यार्थियों का शान्तिमय जुलूस उस रोड से जा रहा था जिस रोड पर वाइस-चांसलर रहते हैं, लड़के "रघुपति राघव राजाराम" गाते हुये चल रहे थे, बिलकुल शान्तिमय ढंग से। उस जुलूस पर आपकी पी० ए० सी० की पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो जब शान्तिमय जुलूस से छेड़खानी आप करेंगे तो जरूर ईंट पत्थर चलेंगे, उपद्रव होंगे, बसें वगैरह जलायी जायंगी। अगर शान्तिमय जुलूस से पुलिस छेड़खानी करती है तो इस तरह के उपद्रवों का होना स्वाभाविक है। मैं यह कहना चाहता कि यह जो उपद्रव हो रहे हैं उसकी तह में सरकारी पार्टी के या और भिन्न-भिन्न पार्टियों के लोग क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा करने से कोई फायदा नहीं होगा। समय बहुत ही कम है। मैं इस समय आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूंगा कि इसका समाधान क्या है, आप किस तरह से विद्यार्थी समाज को और शिक्षक संस्थाओं को उत्तर प्रदेश में इस काबिल बनायेंगे कि जिससे सही और व्यवस्थित वातावरण कायम हो ?

मैं कहना चाहता हूं, आज जो शासक पार्टी की तरफ से पार्टीबन्दी यूनिवर्सिटीज और कालेजों में चल रही हैं, छात्रों में, मास्टरों में, अध्यापकों और प्रोफेसरों की नियुक्तियों में चल रही है उसको आप खत्म करें। आप पहले दर्जे की, क्लास वन सर्विस जैसे यूरोप में है, उसको अपने यहां घोषित करें। अच्छे-अच्छे लोग तो पहले आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में चले जाते हैं। जो थर्ड ग्रेड के लोग हैं और जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है वह इसमें आते हैं। इसमें से कुछ तो प्राइवेट सर्विसेज में और उद्योग-धन्धों के कार्यालयों में चले जाते हैं, लेकिन जिनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती है वह इधर आते हैं। अगर थर्ड ग्रेड के लोग इस प्रकार के नहीं होंगे तो क्या होंगे ? वही इस अनुशासनहीनता के जिम्मेदार हैं। आज ७० प्रतिशत अध्यापक स्कूल और कालेज तथा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। वे खुद अनुशासनहीन हैं, तो मैं नहीं जानता कि विद्यार्थियों में फिर कैसे अनुशासनशीलता आ सकती है। उन अध्यापकों को पढ़ाने का तरीका मालूम नहीं है और यह भी वह नहीं जानते हैं कि विद्यार्थियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। अगर इस प्रकार के अध्यापक इन शिक्षा संस्थाओं में कार्य करते रहे तो विद्यार्थियों और अध्यापकों में किस प्रकार से समन्वय हो सकता है। इंगलैंड में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों का बहुत निकट का सम्बन्ध रहता है। अगर उसी प्रकार से यहां पर भी अध्यापक और विद्यार्थी के सम्बन्ध अच्छे रहे तो इस प्रकार की स्थिति नहीं हो सकती है।

हमारे यहां इस प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े राजनीतिक और चतुर लोगों को पैदा किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस प्रकार की है कि जहां के पास हुये विद्यार्थी आज बहुत बड़े-बड़े ओहदों पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, किन्तु उस विश्वविद्यालय में अब शिक्षा का वातावरण नहीं रह गया है। उसका कारण यह है कि आपने वहां के वायस

[श्री काशीनाथ मिश्र]

चान्सलर गलत आदमी को बनाया है । वहां पर पक्षपात के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति हुई है और सरकार खुद राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहती है । मैं यह बिना संकोच के कह सकता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी सरकारी दल के ऊपर है । अगर आप चाहते हैं कि इस व्यवस्था में सुधार हो तो यूनिवर्सिटी के कोड के मुताबिक विधान के अनुसार उत्तर प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी में योग्य वायस चान्सलर नियुक्त हों जिसको जनता भी मानती हो । ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक अलग कमरे में वायस-चान्सलर बैठें और लड़कों से बात करना भी उचित न समझें । विद्यार्थियों के साथ हर अध्यापक को बैठना चाहिये और अध्यापकों का विद्यार्थियों के साथ अच्छा सम्बन्ध होना चाहिये । अगर प्रयाग विश्वविद्यालय के अन्दर वायस-चान्सलर एक कमरे में बन्द रहेगा और किसी विद्यार्थी से बात करना भी उचित न समझेगा तो इसका नतीजा यही होगा कि ईंटा और पत्थर चलेगा । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था खुद सरकार ने पैदा की है ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा का तरीका है वह बिलकुल गलत है । आज इस तरह की शिक्षा पाने के बाद विद्यार्थी अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हो पाता है । मैं आपके सामने एक अखबार की लाइन सुनाना चाहता हूं जो नार्दर्न इंडिया पत्रिका में छपी थी । ठीक वही बात आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में उठाई जा रही है । उसमें यह लिखा है कि :—

"The Universities, which are multiplying are lacking in the correct academic atmosphere and temper. Education itself is not purposeful enough and holds out to promise before the youth receiving it. The result is the dissipation of their energies in unhelpful and unconstructive channels'

आज जो शिक्षा लड़कें पाते हैं उस शिक्षा को पाने के बाद वे क्या करेंगे यह उनके सामने लक्ष्य निर्धारित नहीं है । तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं और सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि यहां शिक्षा का वातावरण बने तो ऊंची शिक्षा की नीति में मौलिक परिवर्तन करना होगा । विश्वविद्यालयों के अन्दर उन लड़कों की ही पढ़ाई की जाय जो ब्रिलियन्ट हों । ऐसे लड़कों को कालेज में जाने से आप बन्द करें और इस चीज को उत्तर प्रदेश में १० वर्ष के लिये बन्द किया जाय । जो साइन्स और इंजीनियरिंग में जाने के लायक अच्छे होशियार लड़के हों उनको जाने दिया जाय, लेकिन आर्ट साइड को आप कुछ वर्षों के लिये बन्द करें । एक फौज विद्यार्थियों की प्रदेश में कायम की जाय । उनको आप तनख्वाह दें । वह लड़के गांवों में जाकर अशिक्षा को दूर करने बें सरकार की सहायता करें । इस प्रकार से यदि १० साल तक बराबर किया जाय तो उत्तर प्रदेश में अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाया जा सकता है । जब तक शिक्षा पद्धति में सुधार और परिवर्तन नहीं किया जायगा तब तक विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का कल्याण नहीं हो सकेगा । आज जब हमारे प्रदेश के और देश के ऊपर इस प्रकार की मुसीबत आई है तो हमको इस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहिये । एक मैनेजिंग कमेटी अगर कहीं पर बनती है तो उसके अन्दर भी दो दल हो जाते हैं । हर एक दल अपनी-अपनी बात सोचता है जिससे शिक्षा संस्थाओं का भला नहीं होता है । इस प्रकार के अनेकों सवाल हैं जिनको इस सरकार को हल करना चाहिये । हमने पिछले दिनों देखा कि देवरिया और बलिया जिले में पार्टीबन्दी के कारण दो-दो लड़कों की हत्या कर दी गई है । पहले देवरिया में हुई और फिर बाद को बलिया में हुई । इसकी सारी जिम्मेदारी अध्यापकों के ऊपर है । जहां पर अध्यापकों में इस प्रकार से भ्रष्टाचार होगा तो वहां इसी प्रकार के नतीजे होंगे और विश्वविद्यालय में भी भ्रष्टाचार होता चला जायगा और इसी वजह से आज इतनी अनुशासन-हीनता है । मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की एक घटना है। वहां से डाक्टर सीताराम, चतुर्वेदी का लड़का दो साल के लिये निकाल दिया गया और वाइस चांसलर ने उनको लिख कर भेजा कि आपका लड़का बड़ा अनुशासनहीन है, वह आवारा और बदमाश हो गया है, इसलिये उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो डाक्टर सीताराम चतुर्वेदी जी ने उनको लिखा कि आज से चार साल पहले जब वह लड़का आपकी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था तो उसका चाल-चलन अच्छा था और उसका सर्टिफिकेट कई विद्यालयों से उसे मिला था। हमने उसे आपके हास्टल में रखा और आप इस बीच में उसके गार्जियन थे। आज वह अनुशासनहीन हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। आप ने उसे लफंगा और अनुशासनहीन बना दिया है। इस के लिये मुझे आप पर मुकदमा चलाना चाहिये। वही बात मैं आज यहां दोहराना चाहता हूं। आज हम लोगों को गृह मंत्री जी पर, उपकुलपति महोदय पर, जो उन विद्यालयों का संचालन करते हैं उन पर मुकदमा चलाना चाहिये क्योंकि उनकी देख-रेख में ही यह बच्चे रहते हैं। उनको अनुशासनहीन कह कर आप अपने को अनुशासनहीन साबित करते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

अब समाप्त करिये।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

हमें बहुत शर्म आती है कि जब इस सरकार की पुलिस और पी० ए० सी० नेफा में तो झुक जाती हैं, लेकिन इन निरीह बच्चों पर लाठीचार्ज करती है। हमें विश्वास था कि इतनी शर्मनाक घटना के बाद हरगोविन्द सिंह जी की पुलिस की हिम्मत नहीं होगी कि वह छात्रों पर लाठीचार्ज करे...

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस समय लड़कों से मामले पर विवाद हो रहा है और माननीय नेता विरोधीदल, नवलकिशोर जी, चन्द्रजीत जी, रामायणराय जी, काशीनाथ मिश्र जी, सभी बिना मूंछ दाढ़ी वाले बोल गये। तो क्या ऐसे लोग ही इस सवाल पर बोलेंगे या मूंछ दाढ़ी वालों को भी मौका मिलेगा ?

*श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मेरे खयाल से इसमें कोई दो रायें नहीं होंगी कि इलाहाबाद के गंगा-नाथ झा होस्टल में जो काम हुआ है वह अच्छा हुआ या बुरा, मेरे खयाल से हर एक आदमी, समझदार आदमी, हर समझदार गार्जियन और नागरिक एक ही बात इस घटना के लिये कहेगा कि जो भी कार्य हुआ है वह अति निन्दनीय रहा है और इससे होस्टल पर ही नहीं, बल्कि सारे विश्वविद्यालय पर और सारे छात्रों पर एक तरह का कलंक लग जाता है। पर इसके साथ ही साथ हम को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो अनुशासनहीनता का प्रश्न है उसके क्या पहलू हैं ? क्या उसका असर पड़ेगा और किन कारणों से यह अनुशासनहीनता आज हमारे बच्चों में आयी है और यह सब देखते हुए आगे इस संबंध में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज यह कोई पहला मौका नहीं है कि अनुशासनहीनता का यह प्रश्न हमारे सामने आया हो। जिस चीज से हम लोग खेल रहे हैं--स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो है वह एक डायनामिक पर्सनैलिटी है। उसमें जिन्दगी है, उसमें इंसानियत है, उसमें खून है और उसके हर रग में एक जिन्दगी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

का वह अंदाज है जिस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। अगर हम उनकी बातों को, समस्याओं को नहीं समझते हैं, अगर हम उनको अपने रास्ते से फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, अगर हम उनकी जिन्दगी के सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो आप सोचिये कि उनके अंदर कितनी एंग्विश, कितनी परेशानी और तकलीफ पैदा हो जायगी । यह हमारे हाथ में है कि जो ताकत हमारे हाथ में है उसको हम डेस्ट्रक्शन की तरफ ले जायं या कंस्ट्रक्शन की तरफ ले जायं। एक मोड़ उनको इंसान बना सकता है जब कि दूसरे मोड़ पर वे हैवान बन सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट कम्युनिटी को अपने कांफीडेंस में लें, उनके मा-बाप को अपने कांफीडेंस में लें और उनको उनकी अपनी जिम्मेदारी महसूस करायें, उनके लीडर्स को बुलायें और सरकार अपने नुमाइन्दों को बुलाये, उसी में यूनिवर्सिटी के नुमाइन्दों और नागरिक भी हों और उन से कहा जाय कि देखों, यह परिस्थिति है और इस समय हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, तो मेरा विश्वास है कि एक-एक छात्र जो यहां बैठा है और बाकी सारे लोग एक राय से हमारी तरफ ही आ कर कहेंगे कि यह जो कांड हुआ, गलत हुआ। यह बड़ा खराब काम था और उसको कंडेम करेगा और आगे अपने देश के हित में, अपनी छात्र-कम्युनिटी के और मर्यादा के नाम पर आगे बढ़ेगा और हम लोगों को अपना मत देगा। मैं कहूंगी कि जो इंडिसिप्लिन का मामला है वह गलत है। आज स्टूडेंट कम्युनिटी एक डाइनीमिक इनरजी है। यह इनर्जी एक दिन एक रिवुलेट से बढ़ कर समुद्र बन जायगी। यह एक टरबाइन की तरह से पावर जनरेट करके नीचे के स्रोत से खींचकर सोने के दरिया बहा देगी। छात्र कम्युनिटी को कनडेम्न करने के पहले हमें कल्चरल व्यू को भी देखना पड़ेगा। मैं एक माता हूं। मैं जानती हूं कि क्या सही है, क्या नहीं है। मेरा फर्ज है कि अगर कोई खराब काम करे बच्चा तो उसको रोकूं। मैं यह भी बतला दूं कि मैंने अपनी लड़की को सिखाया है और यह केस हमारे सामने आया है। सेंट मैरिस कालिज में कैसे शिक्षा मिलती है, यह सब पर विदित है। वहां टीचर्स ने कोशिश की कि बच्चों पर अंग्रेजी राज की स्थापना करें। बच्चे के मन में यह बात उत्पन्न की गयी कि एक भी अन्याय को बरदाश्त नहीं करना है। वह अकेली अपनी क्लास में खड़ी हुई है और टीचर्स को मानना पड़ा है।

अपने प्रदेश का छात्र किसी प्रदेश के छात्र से बुरा नहीं है। उसकी दिक्कतों को समझना चाहिये। आज एक ट्रांजीशनल पीरियड इतिहास में है। हम तब पैदा हुए थे जब देश आजाद नहीं था। आज का छात्र एक स्वतंत्र देश का नागरिक है। छात्रों में आज एक स्वतंत्र देश का जोश है। आज आवश्यकता है कि जो पुरानी प्रणाली है उसको बदला जाय। "न्यु वाइन इन ओल्ड बाटिल्स" (New wine in old bottles) से काम नहीं चल सकता है। उनकी नयी आकांक्षाएं हैं कि ऐसा भारतवर्ष बने जिसमें हर नौजवान अपना कंधा और सीना ऊंचा करके चल सके। उनके लिये हमें अच्छे अच्छे प्रोफेसस देने पड़ेंगे। रामायणराय जी ने जो संकेत किया था म उसका बुरा नहीं मानती। यह ठीक है कि जितने टीचर्स और उपकुलपति जायं वह अच्छे जायं। बनारस यूनिवर्सिटी में जब महामना मालवीय निकलते थे तो उनके सम्मान में सब खड़े हो जाते थे। इलाहाबाद में जब झा साहब निकलते थे तो मुझे याद है कि वहां ऐसा ऐटमास्फेयर बन जाता था कि हम नतमस्तक हो जाते थे। ऐसा ही ऐटमास्फेयर हमें बनाना है।

गार्जियन्स से भी निवेदन है कि वह यह न समझें कि बच्चा कालिज में गया तो कालिज का हो गया। अपना बच्चा अपने जिगर का टुकड़ा है, उसको अपने पास रखना है। घर में भी हमें एक सोशल ऐटमास्फेयर कायम करना है। आज वह जमाना नहीं है, पुराने मोरिंग्स कट गये हैं, धर्म की तरफ लोगों का झुकाव घट गया है और मैटिरियल कंसेप्शन जैसी कि आर्थिक व्यवस्था है वह दूसरी तरफ ले जा रहा है। उनके मन में किसी तरह का विश्वास नहीं रह गया है। एक तरफ उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है और आगे उनको अन्धकार में फेंक दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगी कि उनके प्रतिनिधियों को अपने पास बैठायें और

उनको समझाया जाय कि क्या उनके उत्तरदायित्व हैं। मैं स्वामी विवेकानन्द का एक कोटेशन पढ़ना चाहती हूं, आपकी आज्ञासे अंग्रेजी में पढ़ दूं. उन्होंने कहा है--

"My whole ambition in life is to set in motion a machinery which will bring noble ideas to the door of everybody. and then let men and women settle their own fate. Let them know what our forefathers, as wellas ot her nations have thought on the most mementous questions of life. Let them see specially what others are doing now, and then decide."

इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि यह शिक्षा का मुहकमा कोई खेल-कूद का मुहकमा नहीं है । एन० सी० सी० की ट्रेनिंग जो कालिजों में दी जाती है वह महज इसीलिये नहीं है कि छात्र अपनी मसिल्स मजबूत करें, इसके पीछे एक बड़ी नैनिकता है, एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसका मकसद यही नहीं है कि हम चीनी को यहां से भगा देंगे, बल्कि उसके द्वारा हमें अपने बीच में एक ऐसा कानफिडेंस तैयार करना है, छात्रों के अन्दर एक संयम और ब्रह्मचर्य का वातावरण पैदा करना है जो देश को ऊंचा उठाने में सहायक होगा। यह एक सिम्बल है, उसके पीछे हमारा सारा कल्चरल हेरिटेज आ जाता है। जो इसका मतलब नहीं समझता वह उसका पूरा इम्पैक्ट नहीं समझना चाहता है। इसलिये एन० सी० सी० के कल्चरल हेरिटेज को समझ कर हमें उसके पीछे लग जाना चाहिये ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगी कि आजकल हमारी जो नई भावनायें हैं उनको भी हमारे भाइयों को समझना चाहिये और साथ ही साथ स्टुडेन्ट्स की जो दिक्कतें हैं कि उनको पुस्तकें नहीं मिलती हैं, न एडमीशन में सुविधा मिलती है, अगर वह यूनियन बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या दिक्कत हो, सकती है, परन्तु उनकी यूनियन में वह ताकत होनी चाहिये कि इलाहाबाद में गंगानाथ होस्टल में जो कांड हुआ तो हरएक यूनियन में हिम्मत होनी चाहिये कि वह कहे कि यह बुरा काम हुआ है और इसका रिपीटीशन नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगी कि अगर हम लोगों को अपने छात्रों के भविष्य को बनाना है, अपने देश को बनाना है तो आज हम सब लोग गंभीरतापूर्वक यहां बैठकर विचार करें। सरकार अपनी तरफ से कमेंटी बनाये या कान्फ्रेन्स करे परन्तु हमें लोगों को एक नया दृष्टिकोण देना है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी अभी हमें माननीय गृह मंत्री का एक वक्तव्य पढ़ने को मिला । श्रीमन्, मैंने जल्दी जल्दी में उस वक्तव्य को पढ़ा और मैंने कोशिश की कि वाकई सारा दोष विद्यार्थियों पर है या कहीं पुलिस का भी कोई दोष है । श्रीमन्, वक्तव्य पढ़ने से दो, तीन बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि विद्यार्थियों ने वाइलेन्स किया, दूसरे यह कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया और पुलिस के ५० आदमी घायल हुये और विद्यार्थियों में बहुत अनुशासनहीनता है। श्रीमन्, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब माननीय गृह मंत्रीजी ने लिखा कि ५० पुलिस वाले घायल हुये तो लाठी चार्ज से इलाहाबाद और लखनऊ में कितने विद्यार्थी घायल हुये उनका भी नाम और संख्या दे देते तो शायद में उनकी तारीफ करता। श्रीमन्, यह अनुशासनहीनता है या अनुशासन है ? श्रीमन्, सेल्फ डिसीप्लिन और बाहर से इम्पोज्ड की हुई डिसिप्लिन दोनों भिन्न चीजें होती हैं। श्रीमन्, मैं विद्यार्थियों के उन ऐक्ट्स का जो वाइलेंस करते या कराते हैं, निन्दा करता हूं। एन० सी० सी० ट्रेनिंग में न जाने के कारण अगर जुर्माना होता है वह न दें और इसके ऊपर आन्दोलन करें तो इसकी निन्दा करता हूं। लेकिन श्रीमन्, माननीय नवल किशोर जी ने स्वयं इस सदन में माना है कि यह उनकी उचित मांग है। प्रोसेशन निकालना या शान्तिपूर्ण स्ट्राइक करना यह वैध हैं और वह कर सकते हैं। उन्होंने वाइलेंस की निन्दा की है और वह मैं भी करता हूं। लेकिन विद्यार्थियों का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपनी मांग को मानवायें, उसके लिये स्ट्राइक करें और मिलकर अपनी दिक्कतें दूर करावें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं आपसे बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता--

आप इस समय डिस्टर्ब न करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैं एक फैक्ट्स की सूचना देना चाहता हूं। यह आप जो एन० सी० सी० के फाइन की बात कहते हैं वह डबल पेनाल्टी होती है। पहले जुर्माना होता है और एबसेन्ट होने पर अगर ७५ फीसदी हाजिरी नहीं होती है तो इम्तिहान से भी उनको डिबार कर दिया जाता है, यह दोहरी सजा दी जाती है। इसके खिलाफ कुछ तो करना ही पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

अब उनको सूचना मिल गई, आप बैठ जाइये ।

श्री नेकराम शर्मा--

जैसा काशी नाथ जी कहते हैं, यदि ऐसा है तो और भी अनुचित है। श्रीमन्, हम अनुशासनहीनता की बात बहुत करते चले जा रहे हैं, लेकिन जब विद्यार्थी यह समझता है कि आई० सी० एस० और ब्यूरोक्रेसी यानी आफीसर्स के थर्ड क्लास लड़के बर्मा शेल में हो सकते हैं, जब विद्यार्थी देखते हैं कि जो मिनिस्टर हैं, उनके लड़के थर्ड क्लास होने पर भी मिनिस्टर बन सकते हैं, जब विद्यार्थी देखते हैं कि ७ पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरियों को रात में शपथ दी जा सकती है, हाई कमान्ड का अनुशासन भंग किया जा सकता है तब विद्यार्थियों की भी हिम्मत हो सकती है कि उनमें इस प्रकार की भावना आये और उस ओर अग्रसर हों। आज के जो नेता हैं उनका ही तो अनुकरण विद्यार्थी करते हैं, आखिर ये बच्चे अपने पूर्वजों को देखते हैं और उनकी नकल करते हैं।

श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पालिटीशियन्स पैदा हो रहे हैं, टीचर्स पालीटीशियन्स पैदा हो रहे हैं। नैनीताल की एक कान्फ्रेंस में यह निर्णय हुआ था कि टीचर्स लेजिस्लेटर्स न हों। मैं स्वीकार करता हूं कि हमने इस सदन में बार बार कहा है कि आप यूनीवर्सिटीज और कालेज जैसी संस्थाओं को कम्पलीट आटोनामी दें और बाहर के आदमियों को यूनीवर्सिटी में न लादें, लेकिन कोर्ट में, एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आप अपने पोलिटीकल एम्बीशन्स को गेन करने के लिये बाहर से आदमियों को लादते हैं। क्या यह सही नहीं है, जैसा कि यादव जी और रामायण राय जी ने कहा, कि विद्यार्थियों को रुपया देकर पोलिटीकल पावर के गेन के लिये मोतीमहल में अड्डा नहीं बनाया गया था और क्या आज भी वहां ऐसे लोगों का अड्डा नहीं है, ऐसे स्टुडेन्ट्स का अड्डा नहीं है ? श्रीमन्, आप अपने लाभ के लिये तो स्टूडेन्ट्स को गुमराह करें और स्टुडेन्ट्स जब अपनी मांग लेकर जायं, तो उनको अनुशासन हीनता की उपमा देकर उन पर जुल्म ढायें और उनकी डिमान्ड को ठुकरा दें। मुझे गृह मंत्रीजी से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी ।

गृह मंत्री जी पुलिस के कार्यों और कारनामों से प्रसन्न हों, लेकिन यह तो कह देते कि इन विद्यार्थियों को जो मारा गया और लखनऊ यूनीवर्सिटी में बिना वाइस चांसलर की इजाजत के पी० ए० सी० अन्दर घुस गई उसको भी पुलिस की तानाशाही को भी एडमिट करना चाहिये था। मेरी सूचना है कि वाइस चांसलर ने कहा कि बिना उनकी अनुमति के पी० ए० सी० यूनीवर्सिटी कैम्पस में घुसी। मैं जानना चाहता हूं कि पी० एस० सी० कैसे वहां गई। गवर्नमेन्ट डेन्टिकल इन्स्टीट्यूट में घुसकर विद्यार्थियों को मारा गया, क्या उसकी रिपोर्ट अखबारों में नहीं आई ? उनकी भी कटिंग्स काट कर और अखबारों के एडीटोरियल्स के साथ उनको भी काट कर गृह मंत्री जी उसके साथ नत्थी करते। पुलिस जो जुल्म कर रही है और जो बदतमीजियां कर रही है उसके लिये मंत्री जी ने कहा कि हमने उनको सजा दी, केवल उनको लाइन्स में सुपुर्द कर दिया, लेकिन विद्यार्थियों को जेल में डाल दिया जाता है। विद्यार्थी हैं क्या, वही विद्यार्थी जिन्हें आपने सिखाया कि अंग्रेजों के सामने झुको मत, झंडा लेकर चलो, स्ट्राइक करो, मीटिंग करो,

कुरबानी दो, फांसी पर चढ़ो, उन्होंने किया आपके इशारे पर। जब नेता लोग जेल में बी० क्लास में जाकर बैठ गये तब विद्यार्थियों ने खुलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और उन लोगों से चक्कियां पिसवाई गई, उनको बेड़ियां पहनाई गई और फांसियाँ हुई और सारे छात्र आन्दोलन को कंडम करें ठा० हरगोविन्दसिंह जी को शोभा नहीं देता है।

एक सदस्य—

आपने भी क्या चक्कियां पीसीं ?

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं १३ साल की उम्र से विद्यार्थी की हैसियत से जेल गया, चक्कियां पीसीं और फांसी के सेक्शन मुझ पर लगाये गये, लड़े। आज आपके बीच में हैं। सिर्फ नेताओं के इशारे पर माननीय पंत जी और दूसरे नेताओं ने हमें यही बताया सिखाया था। श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी भी विद्यार्थी रहे हैं और मेरी समझ से वे जेल में भी गये होंगे। हमने आजादी की लड़ाई में साथ-साथ भाग लिया। श्रीमन्, जिनका कोई भी कन्ट्रीब्यूशन आजादी की लड़ाई में नहीं था वह इस सदन में आज मंत्री बन बैठे हैं लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो आजादी के रास्ते में जिन्होंने कुरबानियां की हैं उनको ठुकराया जाता है, लेकिन एक अन्य सभा के मेम्बर जो उस जमाने में थे उन्हें गृह मंत्री जी ने अपना डिप्टी मिनिस्टर बना लिया। यह क्या अनुशासनहीनता नहीं है, क्या यह सेल्फ डिसिपिलिन है ? आप उन विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास पास होकर जगह न होने के कारण मारे-मारे फिरते हैं, होस्टलों में जगह नहीं, टीचर्स हैं नही। गौतम पल्ली तो बन जाती है, ब्यूरोक्रेसी के लिये बड़े-बड़े मकान और पंखे लग जाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिये होस्टल नहीं है।

श्रीमन्, मैं मास्को गया था, वहां यूनिवर्सिटी में कोई आउट-साइडर नहीं घुस सकता। १४ हजार लड़कों का खाना एक जगह बनता है। मैंने उनके साथ खाना खाया। उनको आधा पैसा देना पड़ता है। श्रीमन्, कैरो में जब स्टुडेंट आन्दोलन करते थे और श्रीमन्, प्रसिडेंट नासिर को जब पता हुआ कि आन्दोलन होगा तो उन्होने छात्र आन्दोलन को डायवर्ट करने के लिये माहवारी एक्जामिनेशन आरम्भ किये और जो लड़के फर्स्ट और सेकेन्ड आये उनको फौरन सर्विसेज में लेने की व्यवस्था की लेकिन हमारे यहां चाहे फर्स्ट क्लास लड़का भी हो लेकिन अगर होम मिनिस्टर साहब का थर्ड क्लास लड़का हो तो वह सब इन्स्पेक्टर बन जायेगा और वह फर्स्ट क्लास लड़का नहीं हो सकता। तो यह इनडिसिपिलिन नहीं फैलेगी तो होगा क्या ? मैं नार्दन आयरलेन्ड गया था तो वहाँ सरकारी रिटायर्ड शिक्षाशास्त्री, बूढ़े, लोग छोटे-छोटे बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे यहां एक हाई स्कूल पास को एच० टी० सी० के ट्रेनिंग देकर बच्चों के चरित्र निर्माण करने के लिये छोड़ दिया जाता है। यह आपकी शिक्षा का एम है। आपकी मनोवृत्ति है कि यूनिवर्सिटीज और शिक्षा संस्थाओं में पालिटिक्स चले। प्रोफेसर निगम जो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट थ्रू आउट, हिन्दू ला में अथारिटी, हमारे यहां आज जो प्रोफेसर्स हैं उनमें सबसे योग्य, लेकिन आज निगम साहब जैसे प्रोफेसर्स मारे मारे फिरते हैं और मैं उनका शिष्य रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि किस तरह से माननीय चन्द्रभानु गुप्त और उनकी हुकूमत ने दूसरे आदमियों को लाकर वहां बैठाल दिया है यह है सबूत गुटबन्दी का लखनऊ यूनिवर्सिटी का। श्रीमन्, एक दूसरा उदाहरण अवस्थी जी का है विशेषज्ञ दोनों उनके पक्ष में और कौंसिल ने उनके मामले को ठुकरा दिया। श्रीमन्, उसके लिये कौन जिम्मेदार था ? आपकी राजनीति थी। राजनीति के लिये आप बच्चों को दोष देते हैं। पुलिस आपका एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, वह जाकर बच्चों को पीटे, और आपको दर्द तक न हो। आप कहीं अपने स्टेटमेंट में उन चोटों का नाम तक न लें भी नाम लिख देते, जो यह बात समझ में नहीं आ सकती थी। आप एक भी विद्यार्थी के घर नहीं गये, आपको जरा भी उनके प्रति दर्द नहीं हुआ।

श्रीमन्, अपने को शक्ति में लाने के लिये विद्यार्थियों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसके निश्चित प्रमाण है। माननीय गृह मन्त्री जी के पास तो इतना बड़ा इन्टेलीजेन्स विभाग है, वे इस बात का पता क्यों नहीं लगाते कि विद्यार्थियों में क्यो इन्डिसिप्लिन है ? आपने अपनी

[श्री नेकराम शर्मा]

तीसरी योजना में उनके लिये कितने जाब क्रियेट किये हैं ? कितनों को आप इम्पलायमेंट दे पाये हैं और दे सकेंगे ? आज लड़के मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं उनको काम नहीं मिल रहा है। उसका कारण है कि आपकी शिक्षा नीति ही गलत है। आज सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा तो देते हैं। मगर उसके अनुरूप न तो टीचर्स हैं, न मिनिस्टर्स हैं, न उसके अनुरूप कोई कार्य ही होता है, फिर छात्रों से इसकी कैसे उम्मीद की जा सकती है ? हारे व्यक्ति अब गृह मन्त्री हो गये। अगर न होते तो वे भी शायद लड़ाई कर बैठते, मुख्य मन्त्री जी इन्डिसिप्लिन कर बैठते। अंग्रेजों के खिलाफ जब हम आन्दोलन करते थे, शिकायतों और जुल्मों के खिलाफ कोई मांग करते थे, तो उसकी जांच होती थी। आफिसर्स उसकी जांच करते थे, लेकिन यहां पर आज गलत बयानी होती है, उसकी जांच तक नहीं होती। यह प्रजातन्त्र का अपमान है; आज ब्यूरोक्रेसी हावी होती चली जा रही है। आपके अधिकारी क्या करते हैं ? चीफ सेक्रेटरी रहता है, एल० आर० रहते हैं, सेठ बन्धु रहते हैं, मगर सबके होते हुये गलत ओथ होती है इन एफीशियेन्सी है। तो हर जगह इन्डिसिप्लिन है। इस सरकार के लिये तो पुलिस के जितने गुण गायें, अच्छा है। मैं कहता हूं कि जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं, अगर यह सब कह दें कि पुलिस अच्छी है उसका काम बहुत अच्छा है, तो मैं बोलना बन्द कर दूंगा। इधर से या उधर से यह प्रेस वाले, कोई कह दें कि पुलिस का इन्तजाम अच्छा है, मैं बोलना बन्द कर दूंगा। माननीय चरण सिंह के पास जब यह पोर्ट-फोलियो था, श्रीमन् सब तारीफ करते थे। मगर श्रीमन्, इनको तो आई० जी० चाहिये, ऐसे आफिसर्स चाहिये जो इनकी इच्छानुसार गलत स्टेटमेंट बना सकें झूठे फैक्ट्स पेश कर सकें, इनकी, इच्छानुसार चल सकें।

श्रीमन्, आज जरूरत है कि छात्रों के रहने और खाने आदि की अधिक से अधिक सुविधाएं दी जायं। पंजाब में कैरों ने इन्टर तक की फीस माफ कर दी है और हमारे यहां, श्रीमन् दवें तक की फीस माफ नहीं हो पायी। तो सारे इन्डिसिप्लिन की वजह सोसाइटी है और सोसाइटी से आये हुये वे विद्यार्थी भी हैं। नेता भी हैं विद्यार्थियों को हम सिंगिल आउट नहीं कर सकते। अगर होम सेक्रेटरी का बच्चा पिट गया होता और गिरफ्तार हो गया होता तो फौरन छूट कर आजाता। ऊदल जी कहते हैं कि फौरन छूट गया झांसी में। अगर अनुशासन हीनता करने वाले लड़के हैं तो सरकारी कर्मचारियों के और मिनिस्टरों के हैं। आम विद्यार्थी कभी भी वायलेंस करने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसकी मन्त्री जी जांच करावें। माननीय नवल किशोर जी उन्हें समझा दें कि आज से हम यह घोषणा करते हैं कि यनिवर्सिटी की कोर्ट और काउंसिल में कोई भी बाहरी आदमी नहीं जायगा। नेपोटिज्म को खत्म करने के लिये यूनिवर्सिटयों के लिये हमने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का मांग की थी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है।

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

श्रीमन्, मैं तो बड़ी उत्सुकता से यह वाद-विवाद इस आशा में सुन रहा था कि इस गम्भीर विषय पर हमें कुछ सुझाव मिलेंगे जिनसे कि शिक्षा जगत में जो आज अराजकता फैल गई है उसका कुछ निराकरण निकाल सकूं। यह बात सही है कि उसका उत्तरदायित्व मन्त्रि-मन्डल का सदस्य होने के नाते मेरे ऊपर भी है और मैं आपको और आपके द्वारा सदन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देने का सम्बन्ध है, उसमें, चाहे उधर के बैठे माननीय सदस्य कुछ भी कहें, मैं अपने आपको किसी से पीछे नहीं समझता, लेकिन प्रश्न तो यह है कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है ? हम आज एक उच्च स्तर से, सिवाय दो एक माननीय सदस्य अगर न बोले होते, वाद-विवाद कर रहे थे, आखिर किस बात के लिये ? क्या इसीलिये कि सब जगह एक एनार्की फैली हुई है ? यदि मैं इसे सत्य मान भी लूं तो क्या शिक्षा जगत में भी एनार्की इस तरह से रहना चाहिये ? यदि यह तर्क हो तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। विद्यार्थी की क्या हम यह परिभाषा मान लें कि जो

यूनिवर्सिटी में चला गया और नाम लिखा लिया, वह विद्यार्थी हो गया ? अगर यह परिभाषा है तो इससे भी मैं असहमत हूं। जब मैं शिक्षा मन्त्री था तो एक फ्रेज पढ़ा था—

"Education by statistics and education by mason".

बड़ी परेशानी हुई कि आखिर इन दोनों फेजों का क्या मतलब है। ढूंढ़ने पर यह मालूम हुआ कि यदि यूनिवर्सिटी में या हायर एजूकेशन में संख्या बहुत बढ़ जाय तो यह नहीं मान लेना चाहिये कि एजूकेशन बहुत बढ़ गई। या "एजूकेशन बाई मेसन" इसका मतलब यह है कि यदि बड़ी अच्छी आकर्षक इमारतें बन गई तो उनसे भी नहीं समझ लेना चाहिये कि हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी सुज्जित हो गई है, बड़ी अच्छी हो गई है। आखिर हमको और आपको यह नहीं भूलना चाहिये कि आज हमारे जितने युवक हैं उनका केवल २ प्रतिशत ही कालेजेज में पढ़ता है और उन दो प्रतिशत का भी प्रबंध हम इस प्रकार से कर सके कि पूरी तरह की साज सज्जा उनकी क्लासेज में नहीं है। जितनी चीजों की उनको आवश्यकता है, इतनी चीजें हम उनको नहीं दे सकते, लेकिन ये दो प्रतिशत विद्यार्थी भी भ्रष्ट हो जायं तो देश का भविष्य क्या होगा, यह हमको और आपको समझना है। हमारा देश आज स्टेक पर लगा हुआ है, अगर हम जन सख्या के दो प्रतिशत विद्यार्थियों का भी प्रबंध न कर सके, जिन पर समाज और देश का भविष्य निर्भर करता है तो फिर यह ब्यूरोक्रेसी खराब है, गवर्नमेंट खराब है, माननीय नेकराम जी और काशीनाथ जी मिश्र अच्छे हैं, इन बातों को कहने से काम नहीं चलेगा। मुझे खुशी होती यदि हमारे सामने कोई इस बात का सुझाव दिया जाता कि यह जो समस्या हमारे सामने पैदा हो गयी है उसको किस प्रकार से सामूहिक रूप से मिल कर हल किया जा सकता है। उससे हमें कुछ प्रकाश मिलता और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता, लेकिन मुझे कोई इस प्रकार का प्रकाश नहीं मिला।

माननीय चन्द्रजीत जी खड़े हुए और उन्होंने जो कुछ कहा वह तो सभी लोगों ने सुना। इलाहाबाद में जो घटना हुई यदि वह घटना न हुई होती या सरकार ने उसको न जाना होता और अब भी उसका जिक्र न करे तो अच्छा है। क्या चन्द्रजीत यादव जी से मैं पूछ सकता हू कि क्या २ अक्तूबर की सभा में उन्होंने उसकी निंदा की ?

अनेक सदस्य—

हां, की है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इसमें स्पष्टीकरण का सवाल है। मैं उस मीटिंग में स्वयं था।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जांय, आपका नाम नहीं लिया गया।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं शुक्रगुजार हूं लेकिन उस मीटिंग में यह किसी ने नहीं कहा कि जब तक सब लड़कों को छोड़ दिये जाने की मांग वापस न की जायगी तब तक हमारा सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे कहें। माननीय सदस्यों को संबोधित करने से उत्तेजना होती है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सब लड़कों ने यूनिवर्सिटी खोलने की मांग नहीं की थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं माननीय यादव जी की सूचना के लिये, माननीय सदस्यों की सूचना के लिये और आपकी सूचना के लिये यह बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी कोई मुझसे मिला उन्होंने यही मांग रखी कि जिन लड़कों को पकड़ा गया है उनको छोड़ दिया जाय ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह तो सही है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

लेकिन अगर यह मांग है कि उनको छोड़ दिया जाय, उनको माफ कर दिया जाय, उनके ऊपर कोई कार्यवाही न की जाय और तब स्टूडेंट्स का कल्याण होगा तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा उनको यह बता देना चाहता हूं कि मैं इससे पूर्णतया असहमत हूं । अब लखनऊ को जाने दीजिये, क्योंकि माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने कहा कि इलाहाबाद में जो घटना हुई उससे लखनऊ की घटना का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा मतलब था कि गंगानाथ झा होस्टेल में जो घटना हुई उससे इलाहाबाद में जो घटना हुई उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इलाहाबाद में एक घटना हुई और गंगानाथ झा होस्टेल में जो घटना हुई उसी से यह सब हुआ । मैं मान भी लेता हूं कि इलाहाबाद की घटना से लखनऊ की घटना का कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन यहां लखनऊ में ८ तारीख को लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेन्टस जाते हैं अपने वाइस चांसलर के पास और उनके सामने एक डिमांड रखते हैं । वाइस चांसलर एक्जीक्यूटिव की मीटिंग करता है और उस डिमांड को स्वीकार कर लेता है । फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ९ तारीख को जो हड़ताल हुई और जो तमाम जगह तोड़ाफोड़ी हुई उसका क्या प्रयोजन था ? इसलिये आज जो अवस्था है, जो वस्तुस्थिति है, उससे हमको और आपको आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिये । हमको और आपको उसका विश्लेषण करके देखना चाहिये कि वास्तविकता क्या है । आज वास्तविकता तो यह है कि युनिवर्सिसिटी में थोड़े से लड़के पढ़ने के लिये नहीं गये हैं । वे वहां इसलिये गये है कि और दूसरे लड़कों को पढ़ने न दें । अब आप बतलाइये, मैं आपसे पूछता हूं, माननीय नेता विरोधी दल उनका समर्थन करते है कि आज जो थोड़े से लड़के यूनिवर्सिटी में इसलिये गये हैं कि और दूसरों को पढ़ने न दें, उनके लिये क्या प्रतिकार किया जाय ?

श्री रामायणराय—

चोरी चोरी स्कालरशिप दिलाइये ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

आज तो वे ही थोड़े से लोग बन्द है जो वहां पढ़ने के लिये नहीं गये हैं । दूसरे लड़कों को हमने जेल में बन्द नहीं किया है । आखिर हम उसे विश्व विद्यालय या शिक्षा मन्दिर क्यों कहते हैं ? क्या इसीलिये जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहा वृहद् इमारतें बन गयी हैं ? क्या इसी-लिये उसे शिक्षा मन्दिर कहते हैं कि वहां एजूकेशन बाई स्टेटिस्टिक्स है ? अगर शिक्षा मन्दिर की यही परिभाषा है तो उससे मैं सहमत नहीं हूं । वहां कुछ गुरुजन रहते हैं जिन्होंने अध्ययन करके ज्ञान का संचय किया है और उस ज्ञान को लेने के लिये वहां विद्यार्थी जाते हैं । इसी

तरह का कार्य देश और प्रदेश के विश्व विद्यालयों में होता है। अगर यह कार्य विश्व विद्यालयों में बन्द हो गया, अगर हमारे शिक्षा मन्दिरों में यह कार्य बन्द हो गया तो हमें और आपको आधार ही क्या है यह कहने का कि ये शिक्षा मन्दिर हैं। मुझे तो ज्यादा प्रसन्नता होती यदि आप की तरफ से इस समस्या के समाधान के लिये कोई सुझाव आता लेकिन सुझाव तो आये कम और कहा यह गया कि हमने इन विद्यार्थियों के प्रति ऐसा व्यवहार किया है जो किसी सभ्य आदमी को नहीं करना चाहिये था। जहां तक दामन की बात कही गयी, उनको भी मैंने खोल कर देखा।

मैं आपको आगे की बात बतला दूं। यहां हमारे प्रधान मंत्री जी आये। रात भर परेशान थे। यह मालूम हो गया था कि उनको काले झंडे दिखलाये जायेंगे। विद्यार्थी परिषद् ने उनको बुलाया था। विद्यार्थी परिषद् के लोगों ने कहा कि जब विद्यार्थियों ने इनको बुलाया है तो हमें इनकी इज्जत की रक्षा करनी है, हिन्दुस्तान की इज्जत की रक्षा करनी है, विश्व विद्यालय की इज्जत की रक्षा करनी है। प्रधान मंत्री जब विश्व विद्यालय में बोल रहे थ, तो मैं उनको ठीक पीछे बठा हुआ था। ज्यों ही प्रधान मंत्री जी बोल कर उटे, त्योंही एक विद्यार्थी उठ कर कहता है कि इलाहाबाद की घटना के समर्थन में उस की सिमपैथी में यहां हमें हड़ताल करना है और उसकी निन्दा करना है और जो यूनियन के लोग थे उन की भी निन्दा करते हैं कि उन्होंने इलाहाबाद के विद्यार्थियों के लिये कुछ नहीं किया। उस दिन यह हुआ, फिर ६ तारीख को बावजूद इस के कि यह सब हुआ और आंखों के सामने हुआ और हमने अपनी ओर से कहा और अपनी पुलिस को आदेश दिये जिनको मैं आपके सामने पढ़े देता हूं—

"1. There should be no interference with the processions or even with the burning of effigies as along as there were no acts of violence.

2. If the student leaders call on other institution to close down these insitutions should be left to handle their own students.

3. If any shopkeepers close their shops of their own acord it was for them to decide. If, however, the strikers coerce any shopkeepers to close down protection should be given if a complaint was received or such protection was asked for.."

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह अंग्रेजी के आदेश आपकी पुलिस नहीं समझ सकी।

श्री अधिष्ठाता—

बिना इजाजत लिये कोई बोलेंगे तो वह प्रोसीडिंग में नहीं जायगा।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं उसका हिन्दी अनुवाद सदन को बताये देता हूं हमने आदेश दिये कि अगर लड़के जलूस निकालते हैं तो उनको जलूस निकालने दिया जाय और उनके रास्ते में कोई बाधा न डाली जाय जबतक कि कोई वायलेंस न करें। दूसरा आदेश यह दिया कि अगर लड़के दूसरे कालिज स्कूलों को बन्द कराने जाते है तो हमारी पुलिस कोई हस्तक्षेप न करें, वहां के प्रिन्सिपल और लड़के वहां की स्थिति समझें, जो बन्द करना चाहें वह बन्द करें और जो खोलना चाहें वह खोलें। तीसरा आदेश यह था कि अगर किसी दूकानदार से लड़के दूकान बन्द कराना चाहते है तो वह बन्द कर सकते है लेकिन अगर लड़के जबरदस्ती करें और वह बन्द करना न चाहते हों, और वह हमारी मदद मांगे तो हमें उनकी मदद अवश्य करना चाहिये।

श्री सारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

बिना मदद चाहे आप मदद नहीं करते।

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस पर कई अखबारों ने हमारी निन्दा भी की। हमारे माननीय नवलकिशोर जी का भी बयान निकला था और उस पर एक अखबार के एडीटोरियल में निकला कि सरकार ने अपनी पावर को एबडीकेट किया है। बावजूद इस के कि हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया कि हम डंडे चलाते हैं और उन के ऊपर नियंत्रण रख कर विद्यार्थी जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसी स्थिति में भी हम ने अपना संतुलन, हमारी पुलिस ने अपना संतुलन नहीं खोया।

१ तारीख से ११ तारीख तक यह यूनिवर्सिटी के तथाकथित लड़के यहां शहर में हर प्रकार का वितंडावाद कर रहे थे, स्कूल की कुर्सियां तोड़ रहे थे, वहां के शीशे तोड़ रहे थे, टेलीफोन के तार काट रहे थे, पुलिस पर ढेले फेंक रहे थे और हर तरह की ज्यादती कर रहे थे लेकिन फिर भी हम ने ११ तारीख को दफा १४४ लगाई ११ दिन के बाद।

अब मैं पूछना चाहता हूं क्या यही इस बात का सबूत है कि हमने अपने संतुलन को खो दिया था? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि हमने अधिक से अधिक इस बात का प्रयत्न किया कि स्वतः यह बच्चे समझ जांय और यूनिवर्सिटी में चले जायं? हुआ क्या? दफा १४४ जब लगी तो यह घोषणा की कि अब लाउड स्पीकर ले कर शहर में कोई प्रोसेशन नहीं निकाल सकेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी यूनियन के ऊपर लाउड स्पीकर लगा करके २४ घंटे घोषणा की जाती थी। एक रोज मैंने सोचा कि यह बन्द होना चाहिये। कहलाया लेकिन नहीं बन्द हुआ। यह जानता था कि जिन लड़कों पर वारेंट हैं वह वहीं छुपे हैं लेकिन पुलिस नहीं भेजी। दो रोज के बाद वाइस चांसलर से यह कहा गया कि इनको बन्द कीजिये। इस तरह से कानून की अवहेलना नहीं हो सकती और शहर में तो प्रतिबन्ध लगा हो और यूनिवर्सिटी क्षेत्र में उसका पालन न हों, यह नामुमकिन था। उस इमारत में ऐसे लोग भी थे जो विद्यार्थी नहीं थे, वह पकड़े भी गये हैं। वाइस चांसलर ने उनसे कहा तो एक रोज दो घंटे के लिये बन्द रहा। लेकिन फिर जब शुरू हुआ तो मैंने कहा, मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं, कभी माना नहीं जा सकता, यदि यह मान लिया जाय कि यूनिवर्सिटी का क्षेत्र ऐसा है जिसमें पुलिस नहीं जा सकती। यह कभी नहीं माना गया और न माना जायगा, इसको बन्द किया जाय। सन् १९४२ का आन्दोलन और यह बराबर नहीं है। और अगर दोनों को बराबर समझते हैं कुछ लोग तो मुझे ईसा मसीह की बात याद आती है, "गाड फौरगिव देम, फौर दे नो नाट वहाट दे से"। God forgive them, for they know not what they say. इसलिए जितना अधिक से अधिक संभव हो सकता था वह किया गया। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि लखनऊ और इलाहाबाद के लड़के प्रान्त में सब जगह गये? एक वाइस चांसलर मेरे पास आये और कहने लगे कि मैं तो कैद था अपने कमरे में . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

कन्या राशि के थे।

श्री हरगोविन्दसिंह—

जो छात्र अपने वाइस चांसलर को कैद करके रखें उनके लिये आप भावात्मक बातें कहें तो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। अगर मैं यह प्रयत्न न करूं कि हमारे यह शिक्षा मंदिर सुरक्षित हो जांय उन बच्चों के लिये जो सचमुच में अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं अपने कर्त्तव्य से डिग जाऊंगा। हमारे साथ ऐसे लड़के आये जो नेशनल स्कालरशिप पाते हैं, गरीब हैं और पढ़ना चाहते हैं क्योंकि अगर उनके दो नम्बर भी कम हो गये तो स्कालरशिप छिन जायगा और आगे की पढ़ाई अपने पास से पढ़ नहीं सकते और इस तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। शायद कोई सदस्य नहीं चाहेगा कि शिक्षा मन्दिर बन्द रहे। इन भावात्मक बातों को अलग रखना चाहिये और कांक्रीट मैनर में यह सोचें और बतायें कि क्या किया जाय।

अगर कानून को हम बालाये ताक रख दें तो क्या आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी और स्कूल ठीक चल जायेंगे ? स्टूडेन्ट्स द्वारा किये गये स्ट्राइक को मैं आज तक नहीं समझ पाया। जो मजदूर एक मिल में स्ट्राइक करते हैं तो उसका अभिप्राय होता है कि मिल मालिक को जो श्रम से लाभ होता है वह न होना चाहिये। तो इस कारण स्टूडेन्ट्स का स्ट्राइक किया जाना मेरी समझ में नहीं आया। विद्यार्थियों द्वारा स्ट्राइक का मतलब है न पढ़ना जो अच्छी बात नहीं है। एक यूनिवर्सिटी में वहां के लड़कों ने स्ट्राइक इसलिए किया था कि यूनिवर्सिटी प्रैमिसेज में वीमेन्स कालिज भी था और उसमें चहारदीवारी बनाई जा रही थी। वह भी एक तथ्य हुआ लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो इसलिए स्ट्राइक हुआ कि गंगानाथ झा होस्टल में जो कृत्य हुए उसके बारे में कोई बोले नहीं। तो आप मुझे क्षमा करेंगे और माननीय सदस्य, जो यहां पर बैठे हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं युनिवर्सिटी की आटोनौमी जानता हूं और उसकी कद्र भी करना जानता हूं। अगर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के कृत्य हों तो शिक्षा को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता।

जो कुछ मैंने कहा उसमें गलती हो सकती है। मैं यह भी नहीं कहता कि पुलिस वालों से गलती नहीं हुई लेकिन उसका अभिप्राय यह था कि हम यूनिवर्सिटी के वातावरण को स्वच्छ रखें, जिससे अध्ययन हो सके। जिस विद्या मंदिर में अध्ययन का वातावरण होता है वहां कोई ला एंड आर्डर की प्रोब्लम नहीं होती। ला एंड आर्डर वहीं होता है जहां लड़के यह समझते हों कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं है। तो आज जो हमारे यहां ला एंड आर्डर की प्रोब्लम हो रही है और उसका कोई हल निकालना चाहिए और अगर उसका आप हल यह समझते हों कि हम तो अनपापुलर हो जायेंगे तो इससे तो काम नहीं चलने वाला है। विपक्ष के एक अखिल भारतीय लीडर ने हमारे मुख्य मंत्री से कहा कि मैं आपसे मिल कर बातचीत कर सकता हूं तो उन्होंने कह दिया कि आप तशरीफ ले आवें। तब उन्होंने कहा कि उनके पास सवारी नहीं है। इस पर उन्हें कहा गया कि मैं गाड़ी भेज देता हूं। पहले वह गाड़ी लेकर यूनिवर्सिटी में घूमें यह दिखाने के लिए कि मुख्य मंत्री जी ने मुझे बुलाने के लिये गाड़ी भेजी है और वहां से वे ३ विद्यार्थियों को लेकर मुख्य मंत्री जी के पास आये। उनका नाम आप अवश्य जानते होंगे। उन लड़कों ने पहली मांग यह रखी कि इलाहाबाद के जो लड़के पकड़े गये हैं उनको छोड़ दिया जाय। तो श्रीमन्, मैं हमेशा इस राय का रहा हूं, जब शिक्षा मंत्री था तब भी यही कहता था कि हमारे लिए और देश के लिए बुनियाद का कार्य होगा और अगर ये लोग राजनीति से अलग रहें और वह बुनियाद राजनीति के आधार पर रही तो जो आज हो रहा है वही होगा, जो बड़े दुःख की बात है। और जो उसके निराकरण के लिये तरीके अपनाये जा रहे हैं वह भी दुःखद है। भारतवर्ष में कोई ऐसा अधम आदमी नहीं होगा तो विद्यार्थियों पर डंडा चलवा कर सुख माने। चन्द्रजीत जी नेशनल हेराल्ड का आर्टिकिल पढ़ लें तो उनको ज्ञात हो जायगा कि यू० पी० में क्यों ऐसा हो रहा है ? उसमें बतलाया गया कि हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों में यह अवस्था नहीं है। इसलिये यह हमारे, आपके के लिये, सबके लिये चिन्ता का गंभीर विषय है और उस गंभीरता को इस को इस छिछोरे-पन से नहीं देखना चाहिये जैसे कि नेकराम शर्मा जी देखते हैं। अगर वह ऐसा करते हैं तो विद्यार्थियों को इससे प्रोत्साहन मिलता हैं। वह तो गलत रास्ते पर चलते ही हैं और उनको देख कर विद्यार्थी भी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो विचार आप हमको देंगे उसका मैं पूर्ण रूप से अध्ययन करूंगा, उस पर सोचूंगा, समझूंगा आपसे अपनी दिक्कत बतलाऊंगा, आपकी दिक्कत सुनूंगा और अगर वह समझ में आयेगी तो उस दिक्कत को दूर करके आपका विचार अपनाया जायगा और वैसा किया जायगा। यह मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के और प्रान्त बढ़ते जायं और यू० पी० पिछड़ता जाय। आपने चाहा कि हम आपको सुनें। हमने आपको सुन लिया और समझ लिया। आप आवेश में हैं। उसमें बुद्धि स्थिर नहीं रहती और ठीक नजीते पर भी इन्सान नहीं पहुंचता। आपकी बातों को सुन कर यह अवश्यमेव है कि आज विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जिस रोज १४४ लगाई गई थी कितनी खुशी का इजहार शहरों में

[श्री हरगोविन्द सिंह]

किया जा रहा था। उनको डर नहीं रहा था कि कोई उनको आकर लूट लेगा। आज विद्यार्थी महसूस करते हैं कि अपने कृत्यों से वह आइसोलेट हो गये हैं। लेकिन जिस इंडायरेक्ट तरीके से आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं उससे समस्या का हल नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शान्तिपूर्वक ढंग से आज सदन चलाया।

अब हम उठते है और २१ तारीख को साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ८ बजकर ५८ मिनट पर सोमवार, २१ अक्तूबर, १९६३ के साढ़े दस बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१८ अक्तूबर, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८३ पर)

गैर सरकारी स्कूल

नाम जिला	क्षेत्र	व्यवस्था
१—सहारनपुर	दिगम्बर जैन कन्या पाठशाला, सरसावा	व्यक्तिगत
२— "	बहादराबाद	"
३—मेरठ	चावला देवी आर्य कन्या पाठशाला, ब्रह्मपुरी ।	"
४—मुजफ्फरनगर	खटौली	"
५—अलीगढ़	पुरदिलपुर	"
६—अलीगढ़	आंख का अस्पताल रोड, अलीगढ़ ।	"
७—अलीगढ़	सिकन्दराराव	म्युनिसिपल बोर्ड
८—मथुरा	श्री त्यागी बाबा कन्या जू० हा० स्कूल, मथुरा ।	सिकन्दराराव व्यक्तिगत
९—मथुरा	बलदेव	जिला परिषद्
१०—आगरा	बछगांव	व्यक्तिगत
११—आगरा	एन० एम० एस० कन्या जू० हाई स्कूल, पुनियापारा, लोहामण्डी ।	"
१२—एटा	सरोन	म्युनिसिपल बोर्ड, सरोन
१३—बिजनौर	नजीबाबाद	व्यक्तिगत
१४—बदायूं	बेहटा गोकाई	जिला परिषद्
१५—बदायूं	उझानी (वार्ड १)	म्यु० बोर्ड, उझानी
१६—मुरादाबाद	नारंगपुर	व्यक्तिगत
१७—पीलीभीत	इनायतगंज	म्यु० बोर्ड
१८—नैनीताल	काशीपुर	म्यु० बोर्ड, काशीपुर
१९—पौड़ी गढ़वाल	शवाली	जिला परिषद्
२०—पौड़ी गढ़वाल	रतूरा कुंड	"
२१—पौड़ी गढ़वाल	सुखारो	जिला परिषद्
२२—इटावा	खंडेराव तालाब	म्यु० बोर्ड औरैया
२३—कानपुर	सबसू	जिला परिषद्
२४—जालौन	कदौरा	जिला परिषद्
२५—जालौन	जगमनपुर	व्यक्तिगत
२६—हमीरपुर	मजगांव	जिला परिषद्
२७—वाराणसी	पिंडारा	जिला परिषद्
२८—मिर्जापुर	शेरपुर	जिला परिषद्
२९—गोरखपुर	महोपर	व्यक्तिगत
३०—देवरिया	मारवाड़ी कन्या जू० हा० स्कूल, देवरिया	व्यक्तिगत

नाम जिला	क्षेत्र	व्यवस्था
३१—बस्ती	गांधी नगर	म्यु० बोर्ड
३२—बस्ती	हरिहरपुर	जिला परिषद्
३३—बस्ती	बभनान	जिला परिषद्
३४—आजमगढ़	पकरी दुभाव	जिला परिषद्
३५—गोंडा	इटिया ढोंक	जिला परिषद्
३६—बहराइच	हंजापुरा	म्यु० बोर्ड
३७—खीरी	श्री गांधी बालिदयान खेरी	व्यक्तिगत
३८—लखनऊ	अग्रवाल विद्यालय, डालीगंज	व्यक्तिगत
३९—लखनऊ	सिन्धी कन्या, जू० हा० स्कूल रामनगर, आलमबाग	व्यक्तिगत
४०—सुल्तानपुर	गौरीगंज	जिला परिषद्
४१—एटा	साकित	जिला परिषद्
४२—बिजनौर	मुगलावे (पश्चिमी नगीना)	म्यु० बोर्ड
४३—जालौन	कोलपी	म्यु० बोर्ड

राजकीय बालिका सीनियर बेसिक विद्यालय

१—पीपरगांव (फर्रुखाबाद)

२—बिलासपुर (रामपुर) ।

३—पैदल पटी पैदल सिमुं (पौड़ी गढ़वाल) ।

४—सरकारी अजीज (मुरादाबाद) ।

५—बलदेव टौउन (मथुरा) ।

६—लालगढ़ी (एटा) ।

७—मस्किनवां (गोंडा) ।

८—चितबड़ा गांव (बलिया) ।

९—करौरा (बुलन्दशहर) ।

१०—कोलना (मिर्जापुर) ।

११—पिन्डी (देवरिया) ।

१२—सहार (इटावा) ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८५ पर)

विधान मण्डल सोशलिस्ट पार्टी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
दिनांक २ मई, १९६३ ।

सेवा में,

मा० माल मंत्री,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

महोदय,

गोरखपुर जिले के महाराजगंज, फरेंदा तथा सदर तहसीलों की कम से कम एक हजार एकड़ जमीन जो ग्राम समाज की सम्पत्ति है उसको सरकारी अधिकारियों एवं अहलकारों ने हड़प कर लिया है। सारा इन्दराज फरजी है। उनमें से कुछ की सूची में दे रहा हूं और आशा करता हूं कि आप उसकी जांच कराकर ग्राम समाज की सम्पत्ति की रक्षा करेंगे।

१—श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, रीजनल फूड कन्ट्रोलर, मेरठ, ने मझुआ, हरिहवा गनेशपुर में ११३ एकड़ भूमि को लिखाया है। उस समय जब आप ए० डी० ओ० बस्ती थे। यह जमीन श्री विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी चेतिया स्टेट की थी।

२—श्री बुद्धाराम, एस० डी० ओ० ने ५० एकड़ जमीन महन्थर पुर, तहसील महाराजगंज में लिखवाया, जबकि यह एस० डी० ओ० महाराजगंज थे।

३—श्री बेचूराम, नायब तहसील फरेंदा ने इसी स्टेट चेतिया से ५० एकड़ जमीन बिचखाप पुरैनिया तथा रेहरा में लिया।

४—श्री महावम मणि दाहमिश्र, कलेक्टर, गोरखपुर ने ३० एकड़ जमीन ग्राम दुर्गापुर चेतिया स्टेट में ली।

५—श्री बाजपेई वकील गोरखपुर ने १०० एकड़ सीर तथा इतनी ही परती जमीन ग्राम समाज की भगवानपुर, रेहरा तथा बिचखाप में लिया।

६—श्री शुभद्राराम त्रिपाठी हेडक्लर्क कोडावाट्स, गोरखपुर ने इसी स्टेट से ३० एकड़ जमीन ग्राम गनेशपुर में लिया।

७—श्री भगवती वर्मा पेशकार ने ग्राम रामपुर तहसील सदर में ४० एकड़ जमीन ग्राम समाज की ली।

८—बांसगांव तहसील में भी अहलकारों ने ऐसी ही जमीन ले रक्खी है।

आशा है आप इसकी जांच कराकर हमें शीघ्र सूचना देंगे।

आपका,

ह० उग्रसेन,

मंत्री,

विधान मण्डल सोशलिस्ट पार्टी,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०२ पर)

सेवा में,

श्रीमान एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (पी० डब्ल्यू० डी०),

नैनीताल ।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं एक जनता का सेवक हूं और देश सेवा कार्य में हमेशा हिस्सा लेता रहा हूं । सार्वजनिक निर्माण विभाग हमेशा निर्माण-कार्य करती रही है और इस विभाग द्वारा अनेकों सार्वजनिक उपयोगी कार्यों का निर्माण हुआ है । इस समय मैं आपका ध्यान इस जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग में चल रही धांधलियों, चोरियों तथा भ्रष्टाचार आदि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि यदि इसी प्रकार विभाग में सीमेंट आदि की चोरियां चलती रहीं गवर्नमेंट को लाखों रूपयों का नुकसान उठाना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में कुछ एक उदाहरण आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिन पर आशा है कि आप गम्भीरता से विचार करेंगे और मामले की गहराइयों में जाते हुए विभाग में चल रही ठेकेदारों द्वारा सीमेंट आदि की चोरियों तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये यथासम्भव आवश्यक कदम उठायेंगे ।

१—सर्व प्रथम आपका ध्यान चकलवा के पुल, जो कि कालाढूंगी के पास है और पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बन रहा है और जिसको श्री जी० पी० गुप्ता ठेकेदार ज्यूलीकोट बना रहे हैं, उसमें किस तरह से आफीसर्स का विश्वास प्राप्त करके उनकी आंखों में धूल झोंक कर सैकड़ों बोरी सीमेंट की बचाई गई और उसको नैनीताल में १२ रु० प्रति बोरी के हिसाब से बेचा गया इसका विवरण निम्न प्रकार है । यह वह पुल जहां से मिलिट्री की बड़ी से बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बुलडोजस गुजरेंगे क्योंकि यह स्थान बार्डर एरिया में है । मुझे खतरा है कि अगर इसके ऊपर स्लेप पड़ गया और इसके ऊपर से भारी ट्रैफिक पास हुआ तो शायद यह बैठ न जायं क्योंकि इसमें सीमेंट १:५ की जगह १:८ का लगा हुआ है इसकी इन्क्वायरी वहां के राज मजदूरी से की जा सकती है:—

चोरी का विवरण:

दिनांक		स्टोर से प्राप्त बोरी	प्राप्त साइड पर बोरी	बचत सीमेंट बोरी
१८-१-६३	..	३००	३००	—
१३-२-६३	..	३००	१५०	१५०
४-३-६३	..	१५०	१५०	—
-३-६३	..	७५	—	७५
४-६३	..	१००	—	१
४-६३	..	५०	—	५०
४-६३	..	१२५	—	१२५
		११००	७००	४०१+८०

उपरोक्त कार्य में लगी सीमेंट की बोरियों की दैनिक खर्च का खुलासा विवरण इस प्रकार है।

दिनांक	बोरियां	दिनांक	बोरियां	दिनांक	बोरियां
२०-१-६३ पुल की कंकरीट में	८९	१-२-६३	३	२-२-६३	१०
२५-१-६३ चुनाई में	१	३-२-६३	६	४-२-६३	७०
२६-१-	१२	५-२-६३	५ १/२	६-२-६३	५ १/२
२७-१-	१५	७-३-६३	५	८-२-६३	१२
२८-१-	१८	१०-२-६३	८	११-२-६३	७
२९-१-	८	१२-२-६३	७	१३-२-६३	७
३०-१-	४	१४-२-६३	५	१५-२-६३	३

उपरोक्त दी हुई बोरी, पुल की एक एबेटमेन्ट की चुनाई व रोड़ी में खर्च हुई यह चुनाई १:५ की जगह १:८ में हुई है।

दिनांक		बोरियां	दिनांक		बोरियां
१८-२-६३	को पुल की कंकरीट में	६०	२०-२-६३	चुनाई में	७
२१-२-६३	चुनाई में	६	२२-२-६३	..	९
२३-२-६३	..	८	२४-२-६३	..	९
२५-२-६३	..	२	२६-२-६३	..	१०
२७-२-६३		१२	२८-२-६३	..	१०
१-३-६३	..	१०	२-३-६३	..	१२
३-३-	..	९	४-३-	..	११
५-३-	..	९	६-३-	..	५
७-३-	..	३	१२-३-	..	२
१३-३	..	२	१५-३-	..	१
१६-३-	पुल के दोनों पायों की टीप में।	४			

नीचे दी हुई बोरियों का विवरण ५ फिट स्पेन की पुलिया का है जो कि चकलुवा में पुल के नजदीक ही बनी है:—

दिनांक		बोरियां	दिनांक	बोरियां
२३-३-६३	को बुनियाद में	.. ३०	१-४-६३ को रोड़ी में खड़ंजे के नीचे	७
२५-३-६३	चुनाई में	.. १४	२-४-६३ खड़ंज की चुनाई पर	७
२६-३-६३		.. १३	४० ५	
२८-३-६३	को दूसरी बुनियाद में	३०	६-४-६३ खड़ंजे की टीप पर	३
२९-३-६३	की चुनाई में	.. १२	१३-४-६३ बियरिंग कोट पुलिया पर	६
३०-३-६३		.. ११		
३१-३-६३		.. २		

इसके मसाला पुल की चारों रिंग वाल की चेड़ी में ७२ बोरी चारों विंगवाल की चुनाई में ४० बोरी जो कि १:१० के मसाले से चुनाई हुई है इस तरह से पी० डब्लू० डी०स्टोर से कुल बोरी ११०० ईशू हुई जिसमें से ४०० बोरी बेच ली गई ।

इसी सीमेंट की चोरी के मामले में जबकि ओवरसियर ने आवाज़ उठाई तो श्री जे० पी० गुप्ता ठेकेदार ने आफिस के अन्दर उसको गालियां दी तथा उसकी बेइज्जती की जो सब जानते हैं इसकी जांच आफिस से की जा सकती है ।

यह पुल जो बन रहा है इसकी नक्शे के अनुसार लम्बाई ५० फुट की है लेकिन श्री जे० पी० गुप्ता ठेकेदार ने अपने हाथ से ले आउट देकर आफिसरों की आंखों में धूल झोंक दी जिसका नतीजा यह निकला कि पुल एक ओर ५१ फुट ३ इंच हो गया और दूसरी ओर ५२ फुट ३ इंच हो गया जो कि नक्शों के मुताबिक नहीं है । इसकी जांच की जानी चाहिये जो कि मौके पर नापा जा सकता है ।

इस पुल की चुनाई के बाद जिसमें ११०० बोरी का खर्च स्टाक बुक के अन्दर दिखाया गया है इस समय बैलेन्स में कुल बोरी की संख्या १५० बोरी होनी चाहिये थी जो कि स्टोर में आज की तारीख में कुल ४५ बोरी हैं जिसकी तुरन्त जांच की जावे ।

उपरोक्त मामला आपके पास विभाग में चल रही अन्धेर गर्दी तथा चोरी भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये उचित कदम उठाने के हेतु सार्वजनिक हित में प्रेषित किया जा रहा है और ऐसी आशा की जाती है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेंगे तथा विदेशियों से संघर्ष के समय तथा नवनिर्माण की परिस्थितियों में देश इस प्रकार चोरियों द्वारा की जाने वाली धन हानि से बचाया जा सके ।

आशा है कि आप इस पत्र पर उचित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी को अपनी कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करेंगे ।

भवदीय,

मुरली मनोहर अग्रवाल,

रामपुर रोड, हल्द्वानी ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई:—

१—सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, बरेली ।

२—चीफ इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

३—इन्कम टैक्स आफिसर, बरेली ।

४—श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे नेता विधान सभा, दल भारतीय जनसंघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे सरकार का ध्यान इस अपव्यय व चोरी और भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित कर और विधान सभा में प्रश्न पूछ कर तथा अन्य कार्यवाही कर इस अंधेर-गर्दी को रोकने के लिये व इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने को विवश करें ।

मुरली मनोहर अग्रवाल,

रामपुर रोड, हल्द्वानी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

तहसील का नाम	परगने का नाम	गांव का नाम	पुरवा का नाम	ध्वस्त हुये मकानों की संख्या	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
भानपारा	चार्द	बंसगढ़ी	१—गुलरा, २—तेप्रो, ३—रानी पुरवा	८८	गांव की कुछ भूमि बह गई।
,,	,,	गनेशपुर	..	..	,,
,,	,,	भागर	..	..	,,
,,	,,	घुमनी	..	..	,,
,,	,,	जोगिया	..	..	,,
,,	,,	बीरपुर	..	..	,,
,,	,,	सर्रा	..	..	,,
,,	,,	संगामपुरवा	..	१	,,
बहराइच	भिन्गा	बारांगा	..	२२	,,
,,	,,	खमरिहा	..	..	,,
,,	,,	नीवभरी	..	..	,,
,,	,,	बन्सकुरी	..	..	,,
,,	,,	मनिकापुर	..	..	,,
,,	,,	लक्षीमनपुर	..	..	
,,	,,	भगवानपुर	..	..	,,
,,	,,	रामगढ़ी	..	..	,,
,,	,,	केरबटिया	..	..	,,
,,	,,	गौंहनिया	..	..	,,
,,	,,	चहेलवा	३।४	..	,,
,,	,,	गुलरबनजारा	..	..	,,
,,	,,	मधायनगर	..	..	,,
,,	,,	श्रमवा	..	..	,,
,,	,,	नरायनपुर	..	..	,,
,,	,,	कलिशापुर	..	..	,,
,,	,,	मुरफोरवा	..	३।४	,,
,,	,,	पुरेखैरी	..	..	,,
,,	,,	गजौत्री	..	..	,,
,,	,,	परसादेहरिया	..	..	,,
,,	,,	ऐलाहवा	..	..	,,
,,	,,	श्रस्था	..	..	,,
,,	,,	क्रौंद्राहोरिंग	..	..	,,
,,	,,	काकारदरो	..	..	,,
,,	,,	उमरिया खुर्द	..	..	,,

तहसील का नाम	परगने का नाम	गांव का नाम	पुरवा का नाम	ध्वस्त हुए मकानों की संख्या	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
बहराइच	भिन्गा	नेवदाभोजपुर	..	..	गांव की कुछ भूमि बह गई
,,	,,	हालमाजोत	..	..	,,
,,	,,	राजांपुर रानी	..	..	,,
,,	,,	लखही खास	..	..	,,
,,	,,	रघुनाथपुर	..	..	,,
,,	,,	दयाली	..	..	,,
,,	,,	वरगा	..	..	,,
,,	,,	जर्कुशहा	..	..	,,
,,	,,	खजुहा झुनझुनिया	..	..	,,
,,	,,	तिलकपुर	..	..	,,
,,	,,	रामपुर का	..	..	,,
,,	,,	गोरपुरवा	..	..	,,
,,	,,	सिसैया	..	..	,,
,,	,,	गलकरपा	..	..	,,
,,	,,	रामपुर त्रिभुवन	..	..	,,
,,	,,	कोन्द्री खुर्द	..	..	,,
,,	,,	लालपुरलोहारी			,,
		तारा	..	..	,,
,,	,,	रामनगर	..	..	,,
इकौना		इकौना	.. ..	..	,,
,,	,,	लैकुरवा	..	..	,,
,,	,,	मनकौराकोन्द्रा	..	..	,,
,,	,,	मनकाकोर	..	..	,,
,,	,,	बहादुर पुर	,,	,,	,,
,,	,,	लक्षमनपुर गोरपुरवा	..	..	,,
,,	,,	भूटाहा	..	..	,,
,,	,,	पूरसोतमपुर	..	..	,,
,,	,,	विगुराजोट	..	..	,,
,,	,,	जग्रावल	..	..	,,
,,	,,	मनझवा शूमल	..	..	,,
,,	,,	अंधरपुरवा	..	..	,,
,,	,,	मलौनाखासीयराइ	..	..	,,
,,	,,	कोलाभरमजगवां	..	..	,,

तहसील का नाम	परगने का नाम	गांव का नाम	पुरवा का नाम	ध्वस्त हुए मकानों की संख्या	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
इकौना	त्रिनगर	कोन्द्रीदिगार	. .	. .	गांव की कुछ
,,	,,	कोन्द्रीकोवाल	. .	. .	भूमि बह गई
,,	,,	हजारिया	. .	. .	,,
,,	,,	इकघरवा	. .	. .	,,
,,	,,	बेनीदिहवा	. .	. .	,,
,,	,,	लालपुरखद्रा	. .	. .	,,
,,	,,	इमलिया	. .	. .	,,
,,	,,	लोहरा तारा	. .	. .	,,

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०७ पर)

फर्रुखाबाद जिले की १९६३ की परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिनके परीक्षाफल २८-९-६३ तक घोषित नहीं किये गये।

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की संख्या जिनका परीक्षाफल रुका है।
१	नारायण आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज, फर्रुखाबाद	१
२	सेठ वासुदेव सहाय इन्टर कालेज कन्नौज, फर्रुखाबाद	१
३	एस० एन० इंटर कालेज, कन्नौज (फर्रुखाबाद) ..	१
४	एम० एन० मुशरान इंटर कालेज, कायमगंज (फर्रुखाबाद)	२
५	ए० बी० इंटर कालेज, शमसाबाद, फर्रुखाबाद	१
६	स्वामी रामानन्द हायर सेकेन्डरी स्कूल, शुकरूल्लापुर गुसलपुर, फर्रुखाबाद	१
७	देवपाल सिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल, मूसाखिरिया जहानाबाद, फर्रुखाबाद	१
८	जनता हायर सेकेन्डरी स्कूल, राजेन्द्रनगर, फर्रुखाबाद	२
	कुल	१०

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५३ का उतर पीछे पृष्ठ ६१५ पर)

रसूलपुर में हरिजन बुनकर सोसायटी के लिये सुरक्षित भूमि का विवरण—

गाटा संख्या	क्षेत्रफल
२१११ मि०	०.०२८
२११२ मि०	०.०४२
२११६ मि०	०.०६०
२१२० मि०	०.०४०
२१२१ मि०	०.०४२
योग ५	०.२१२

एकड़ (करीब साढ़े सात बीसवा)

यह भूमि रास्ते के सहारे ताना बनाने के लिये लम्बाई में ७० गट्ठा है और चौड़ाई में ३ गट्ठा है अर्थात् ४६२ फुट लम्बी और २० फुट चौड़ी है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१५ पर)

हरिजनों की आबादी के लिये छोड़ी गई भूमि का विवरण:—

गाटा संख्या	क्षेत्रफल
मि०	एकड़
१९०	०.०६०
१३३	०.०२२
१३४	०.०५८
१३५	०.०१३
११७	०.१४०
१४०	०.००६
१४२	०.००९
१४३	०.०३७
१४४	०.०१३
१४५	०.०४१
१२७	०.०१६
१३९	०.०२८
१८८	०.४२५
१८४	०.२३३
योग १४	१.१०१एकड़

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१६ पर)

पीलीभीत	गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़	सीतापुर	खीरी	फैजाबाद	गोंडा	बहराइच	बाराबंकी
१९२४										
३६१.८६	२९०.५९	—	२६६.०५	२५७.९७	१८०.२८	१४५.४८	२३९.१६	१९२.५१	१३८.४१	१८८.७९
१९३४										
२२९.८१	३३०.४०	—	३०४.६१	२११.९०	१६२.९९	१३३.७९	२४४.४६	१७७.२२	१४०.१७	१६३.६९
११३८										
२५७.९८	३८९.४६	—	३९५.८२	३२४.८३	२००.१४	१६२.६९	२७७.२०	२६९.६१	२४९.८२	२२५.४५
१९३९										
१९३.३३	२६९.४९	—	२३४.२७	११.८८	१३९.४३	१११.५४	१७५.१८	१२४.५९	१३०.९९	१३६.११
१९४०										
२११.०८	२७२.९२	—	२०७.४२	२३०.४५	१२३.८२	१०४.१९	२०६.५१	१५१.५१	१४७.१६	१०२.२९
१९४१										
१२७.०१	४०४.७४	—	२५६.६७	२०२.४२	१०५.४१	६७.४५	२२४.९३	१४६.९२	१५२.११	१०३.०८
१९४२										
२३९.०३	२८३.०७	—	२११.७६	२२७.९७	१५८.१७	११३.०७	२५६.५७	१४८.५४	१७०.३५	१५४.५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पीलीभीत	गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़	सीतापुर	खीरी	फैजाबाद	गोंडा	बहराइच	बाराबंकी
१९४३										
२१३.०८ १९४४	३९२.००	—	२३३.३२	२७९.५५	११७.१४	१३७.००	२३६.३२	१७०.९४	१८३.२१	१६२.७६
१९१.७७ १९४५	४२४.२६	—	२३३.१७	२२९.९७	१४३.४५	१३०.१९	२०९.०७	१६२.४१	१२९.३८	१४३.१५
३२२.५४ १९४६	४३८.७०	—	२३७.४५	२७०.७०	१५२.९८	१२०.८४	२५४.३४	१८४.०४	१२६.४०	१९९.९२
२३४.७४ १९४७	२९७.३५	२०८.६३	२३५.०१	२८२.८०	१२९.०६	१३०.०५	१३८.६५	१८०.१९	१५९.५०	१४०.०९
२८२.९६ १९४८	२६१.८५	१७२.२०	२३६.०४	२१४.५९	१९९.५८	१२५.८८	२४७.४७	१८१.५२	२०९.४४	१९०.७७
२३५.५६ १९४९	१५९.५७	१६३.७०	५९९.३०	२६२.०२	१३५.०३	१३६.८२	२९५.१३	१८.११६	१५२.८६	२२८.६५
२६५.३३ १९५०	१४६.५६	१५७.४९	२३२.१०	२८१.१४	१४१.०१	११५.२९	२११.७२	१६५.९८	१४१.९३	१७३.७८
२४८५.२	११४.८६	१७०.०६	१९६.५९	२१९.३८	११४.७३	१२४.३२	२०७.६९	१३६.६६	११०.२२	११९.६६

१९५१										
१७१.३५ १९५२	१४०.१९	११८.४४	४४६.१२	२०५.९९	९४.७१	११६.७७	१८७.४६	११९.४२	७२.१०	७२.१०	८६.०७
१५४.४४ १९५३	१२४.२७	१२७.८१	१९३.६१	२३४.१७	१६६.६२	९८.९५	१६४.१०	१५४.४७	११८.६१	१४२.९६
२०५.२८ १९५४	१४२.५७	१८५.७२	२९८.९०	२२१.३७	१६०.५६	११५.०८	३४८ ४३	२५२.६४	१३८.९५	२०३.८७
२८९.१४ १९५५	१५५.४३	१२०.१९	१७८.७९	१२८.७८	१८२.७७	१७८.७८	२०६.६७	१६५.६७	१३५.०५	१७१.८०
३०८.१८ १९५६	२१२.७२	२००.२३	४२८.५१	४०५.९३	२०४.८४	१५२.३५	३९४.३८	३३०.१६	१५७.०३	२७२.३४
२४८.७६ १९५७	३१३.४७	२८६.३४	२८५.९०	४४८.९१	११६.४४	१३२.३८	२९४.०१	२०२.०३	१३७.५८	१७७.७३
२४८.७६ १९५८	१५८.१८	१३३.१०	१७७.१०	२५२.२१ (मीलीमीटरों में)	१३६.४१	१३१.०९	२१८.९९	१८१.९३	१०६.५३	१४९.२५
८९५४.७ १९५९	५५९८.१	५६७७.०	५९०६.२	७०४६.७	५१८९.५	३०२७.६	७४.९९.५	४४०७.०	३८१६.०	३६०३.२
९१८३.४	४३६६.९	४७५५.०	४९५४.२	४९९६.०	२८३२.०	२४४५.८	५३८३.९	४४२०.३	२६४५.७	२९४८.९

अनुपूरक सभा विधान

पीलीभीत	गोरखपुर	देवरिया	बस्ती	आजमगढ़	सीतापुर	खीरी	फैजाबाद	गोंडा	बहराइच	बाराबंकी
१९६०										
८१५६.३	३३७५.३	३८९५.१	७०२७.८	५९१७.४	५८४७.९	४३०४.४	६६९४.६	४९८१.०	३८९६.३	८०८४.६
१९६१										
६७७५.२	५६९२.०	५५५९.४	६९१०.४	७०८८.३	६३७४.८	६००३.१	६४२८.१	३७०५.०	२७६०.१	७३७८.२
१९६२										
६२६२.५	५७४२.४	५३८६.८	७८९८.९	६५६५.१	४९०४.०	३६४४.०	६४७१.५	५६५८.३	२९६३.६	४४९७.६
१९६३ (केवल जुलाई तक)										
२००७.४	३२३२.१	२२५२.५	४०७९.७	३३७५.४	१२००.४	११०७.७	३५३४.५	२२४१.८	१४६२.९	१५६६.५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३९ एल० ए०—१९६३—८६०॥